MIDHANI

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

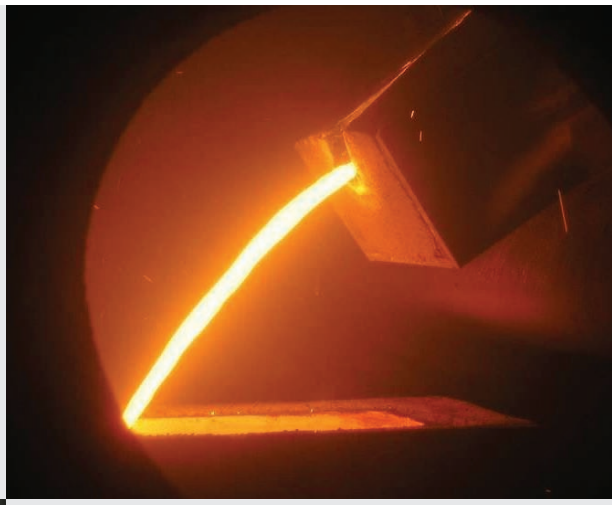

अलॉयिंग आइडियाज
फोर्जिंग स्ट्रेटेजीज

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

MIDHANI

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

लोक सभा / राज्य सभा के पटल पर रखे जाने वाले प्रपत्र

Papers to be laid on the table of Lok Sabha / Rajya Sabha

आधिप्रमाणित
Authenticated

रक्षा राज्य मंत्री
Raksha Rajya Mantri

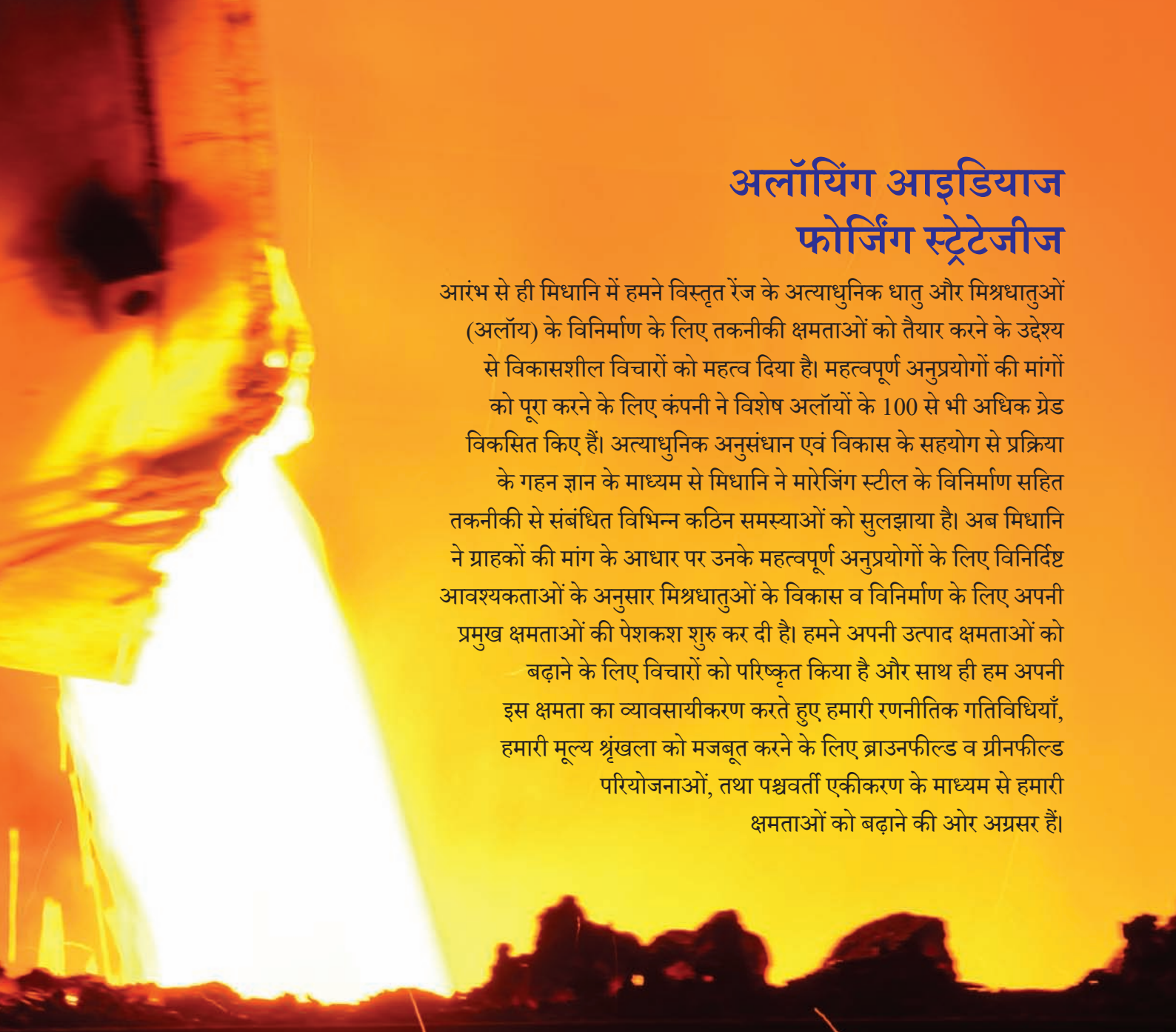

अलॉयिंग आइडियाज फोर्जिंग स्ट्रेटेजीज

आरंभ से ही मिधानि में हमने विस्तृत रेंज के अत्याधुनिक धातु और मिश्रधातुओं (अलॉय) के विनिर्माण के लिए तकनीकी क्षमताओं को तैयार करने के उद्देश्य से विकासशील विचारों को महत्व दिया है। महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों की मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी ने विशेष अलॉयों के 100 से भी अधिक ग्रेड विकसित किए हैं। अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास के सहयोग से प्रक्रिया के गहन ज्ञान के माध्यम से मिधानि ने मारेजिंग स्टील के विनिर्माण सहित तकनीकी से संबंधित विभिन्न कठिन समस्याओं को सुलझाया है। अब मिधानि ने ग्राहकों की मांग के आधार पर उनके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मिश्रधातुओं के विकास व विनिर्माण के लिए अपनी प्रमुख क्षमताओं की पेशकश शुरु कर दी है। हमने अपनी उत्पाद क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विचारों को परिष्कृत किया है और साथ ही हम अपनी इस क्षमता का व्यावसायीकरण करते हुए हमारी रणनीतिक गतिविधियाँ, हमारी मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ब्राउनफील्ड व ग्रीनफील्ड परियोजनाओं, तथा पश्चवर्ती एकीकरण के माध्यम से हमारी क्षमताओं को बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं।

विषय सूची

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियाँ 02
अध्यक्ष का संदेश.....04
वार्षिक महा सभा की सूचना.....07
हम कौन हैं.....16
हमारी रणनीतियाँ.....17
निदेशक मंडल.....19
निगम अवलोकन.....21
वित्तीय मुख्य बिंदु.....22
10 वर्षों पर एक नज़र.....23
मानव संसाधन विकास.....24
कोविद-19 का प्रभाव.....25
निदेशक मंडल की रिपोर्ट.....27
नैगम शासन पर रिपोर्ट.....43
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण.....63
स्टैंडअलोन स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट.....103
स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियाँ.....117
समेकित स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट.....153
समेकित वित्तीय विवरणियाँ.....161

वर्ष की प्रमुख उपलब्धियाँ

राजस्व

₹ **71,288** लाख

कर से पहले लाभ

₹ **20, 209** लाख

उत्पादन का मूल्य

₹ **97,011** लाख

ऑर्डर बुक (01.04.2020 पर)

₹ **1,68,700** लाख

इसरो के प्रतिष्ठित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम "गगनयान" के लिए आवश्यक कड़े गुणवत्ता वाले अल्ट्रा हाई स्ट्रेन्थ स्टील और कोबाल्ट की पहली खेप का भेजी गई।

भारत में निर्माण पहल के अंतर्गत मिधानि ने सामरिक अनुप्रयोग के लिए देश में पहली बार भारी टाइटेनियम अलॉय कास्टिंग (74 किलो ग्राम) का विकास किया।

उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिटेड (मिधानि-नालको संयुक्त उद्यम) ; प्लेट और शीट के विनिर्माण के लिए उच्च अंत्य एल्युमीनियम अलॉय संयंत्र को निगमित किया गया।

औद्योगिक अनुसंधान भागीदारी के अंतर्गत पूर्णतः देशीकृत तकनीकी का उपयोग करते हुए आईसोथर्मल फोर्जड टाइटेनियम अलॉय हाई प्रेशस कंप्रेसर डिस्क के सेट का निर्माण किया गया।

भारत में निर्माण पहल के अंतर्गत 7 एमएम के न्यून घनत्व वाले एल्यूमिनियम स्ट्रिप की कास्टिंग के लिए उपयोग और कोर पर फिट करने के लिए कास्टर रोल शेल्स का सफलता पूर्वक विकास कर राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लि. (नालको) को आपूर्ति की गई।

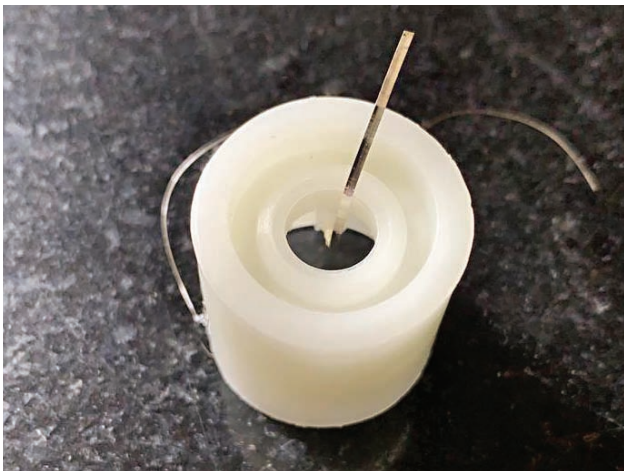

कोविद-19 की संकट की घड़ी के समय मिधानि ने 100% शुद्ध निकल वायर (0.16 एमएम) का विकास और आपूर्ति की जिसकी "वेंटिलेटर के महत्वपूर्ण कोर" से संबंधित ऑक्सिजन सेन्सर के विनिर्माण के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

मिश्र धातु निगम लिमिटेड की 46 वीं वार्षिक महा सभा (एजीएम) में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं गौरवान्वित हूँ। मुझे अपार हर्ष हो रहा है। 1 मई, 2020 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभालने के बाद यह मेरा पहला अवसर है कि मैं आप सभी से इस एजीएम में मिल रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके समक्ष वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन छियालीस (46) वर्षों में मिधानि ने रक्षा के अलावा अंतरिक्ष और ऊर्जा जैसे सामरिक क्षेत्रों में विश्वास के न केवल बीज रोपे हैं बल्कि उसे एक महावृक्ष के रूप में उगाया है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हमारी सफलता के आधार रहे हमारे मूल्य और नेतृत्व के सिद्धांत भविष्य में भी हमारे कार्यों और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएँगे और हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।

वित्त वर्ष 2019-20 की सफलता देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कोविद-19 महामारी से प्रभावित होने पर भी यह काफी सफल वर्ष रहा है। इस महामारी ने दुनिया भर के उद्योगों को एक नई प्रकार की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया है। दुनिया आज कोविद-19 महामारी के प्रभाव में ग्रसित है। सरकारें, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और व्यवसाय एक जुट होकर इस वायरस से प्रभावित स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। इससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, खपत, यात्रा और पर्यटन बुरी तरह बाधित हो गए हैं।

भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा आरंभ किए गए 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' से उपजे अवसरों को क्रियान्वित करने के लिए कठिन परिस्थिति के बावजूद, मिधानि तत्परता से तैयार है। यह अभियान हमें अपनी तकनीकी क्षमताओं का अपेक्षाओं के अनुरूप उपयोग करके नए उत्पादों और बाजारों की तलाश करने का अवसर प्रदान करेगा और नए व्यवसायों में विविधता लाकर हमारी पहुंच का विस्तार भी करेगा।

वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदर्शन की सुर्खियाँ:

आपकी कंपनी के वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त विकास और उपलब्धियों की सुर्खियों पर प्रकाश डालते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। प्रदर्शन के लिहाज से मिधानि ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने उच्चतम मूल्य उत्पादन (वीओपी), निर्यात बिक्री, कर से पहले लाभ और लाभांश भुगतान को दर्ज किया।

वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में इस वर्ष ₹ 97,011 लाख उत्पादन मूल्य (वीओपी) के साथ 19% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, हमने ₹ 20,209 लाख के कर से पहले उच्चतम लाभ भी प्राप्त किया है, जो कि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 5.8% की वृद्धि है जिसमें ₹ 16,565 लाख का अब तक का उच्चतम परिचालन लाभ भी शामिल है। बिक्री की स्थिति पर यहाँ यह कहना उचित होगा कि मार्च के अंत में लॉकडाउन से बिक्री प्रभावित होने के बावजूद हमने ₹ 71,288 लाख की बिक्री दर्ज की है जो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए दर्ज ₹ 71,085 लाख की बिक्री के समान स्तर पर है।

"वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में इस वर्ष ₹ 97,011 लाख उत्पादन मूल्य (वीओपी) के साथ 19% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है। साथ ही, हमने ₹ 20,209 लाख का कर से पहले उच्चतम लाभ भी प्राप्त किया है, जो कि वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में 5.8% की वृद्धि है।

29.4% की वृद्धि के साथ आपकी कंपनी का निर्यात कारोबार ₹ 1,042 लाख रहा। हमें यह साझा करते हुए भी खुशी हो रही है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आपकी कंपनी ने शेयर 25.6 की दर से प्रति इक्विटी शेयर ₹ 2.56 के लाभांश (₹ 1 अंतरिम और ₹ 1.56 अंतिम लाभांश) की घोषणा की है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान मिधानि ने इसरो 'गगनयान' के प्रतिष्ठित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील और कोबाल्ट मिश्र धातु की पहली खेप की आपूर्ति की है। लॉकडाउन के दौरान, आपकी कंपनी ने 99.6% की शुद्धता के साथ 0.16 मिमी के 1.5 किलो निकेल वायर का विकास कर आपूर्ति की है। इसका उपयोग कोविद -19 के रोगियों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा निर्मित "क्रिटिकल कोर वेंटीलेटर" से संबंधित ऑक्सीजन सेंसर में किया जाता है। यह ऑक्सीजन सेंसर का अत्यावश्यक हिस्सा होता है।

क्षितिज का विस्तार: भविष्य की ओर अग्रसर मिधानि

सरकार की पहल के अनुरूप, प्रमुख ध्यान स्वदेशीकरण, नए उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी विकास पर रखा गया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने और विशेष रूप से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार की पहल का अनुसरण करते हुए आपकी कंपनी अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को तेज गति प्रदान करती है। वैश्विक स्तर पर और जिन प्रमुख क्षेत्रों में हम सेवा प्रदान कर रहे हैं जैसे- रक्षा विनिर्माण, एयरोस्पेस, तेल एवं गैस में सुपर मिश्र धातु का बाजार बढ़ने की उम्मीद है। ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में विकास के लिए तैयार हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हम उन्हें हमारी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं से जोड़ने में सफल होंगे। हाल के वर्षों में आपकी कंपनी ने प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों

और विश्वविद्यालयों के साथ संधी करके अनुसंधान कार्यक्रम आरंभ किए हैं। हमारे पास सशक्त अनुसंधान एवं विकास तथा एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारे पास बेहतर प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों की विविधता भी है जो कि व्यवस्थित रूप से विभक्त है। जिस कारण से विभिन्न क्षेत्रों में हम विकास के लिए तैयार हैं।

रोहतक में हमारा शरीर और वाहन के लिए आर्मर संयंत्र स्थानीय और वैश्विक मांग पर ध्यान केंद्रित करेगा। मिधानि का लक्ष्य है कि मूल्य श्रृंखला के उच्च अंत्य लक्षित उत्पादों का विकास करें। इसे ही ध्यान में रखते हुए उच्च अंत्य एल्यूमिनियम मिश्र धातु का निर्माण करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, "उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड ", के नाम से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के साथ संयुक्त उद्यम को निगमित किया गया है।

अभिनव मानसिकता और मूल्य सृजन का संवर्धन:

मेक इन इंडिया विजन के तहत समय की मांग के अनुसार हमें प्रतिस्पर्धा, उच्च गुणवत्ता वाले विविध उत्पादों और कम वितरण की अवधि पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हमारे गौरवशाली अतीत के आधार पर मुझे विश्वास है कि हम अपनी औद्योगिक शक्ति को संरक्षित कर सकते हैं और अपनी उत्पादन क्षमताओं का उपयोग करके अपने देश को राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आपकी कंपनी का महत्वपूर्ण ध्यान अनुसंधान एवं विकास पर और सशक्त प्रतिस्पर्धी होने के लिए तकनीकी प्रगति के साथ- साथ नवाचार की संस्कृति पर केंद्रित है। मिधानि ने वर्ष के दौरान संबंधित अनुप्रयोगों के लिए विशेष इस्पात, सुपर मिश्र धातु और टाइटेनियम मिश्र धातु में 3 पेटेंट हासिल किए हैं। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2019-20 में अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 797 लाख रुपये का व्यय किया है।

आपकी कंपनी ने ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए 10 नए उत्पादों का विकास, 7 नए विनिर्माण और तकनीकी प्रक्रिया विकसित की है।

सामाजिक स्थिरता के लिए प्रणालियाँ:

आपकी कंपनी दृढ़ता से विश्वास करती है कि समाज में धन का समान वितरण होना चाहिए। इसीलिए कंपनी ने सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ आरंभ की हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने लोगों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, खेल, कौशल विकास की पहल के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तर के लोगों तक पहुंच बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए ₹ 395 लाख खर्च किए हैं जो अब तक का सबसे अधिक होने के साथ ही यह संवैधानिक अपेक्षाओं से भी अधिक व्यय है।

स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के कंपनी के विशेष सीएसआर कार्यक्रमों ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफलता प्राप्त की है। इनसे स्कूली शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास देखा गया है।

प्रतिभा प्रबंधन:

आपकी कंपनी नियोजित प्रतिभा के विकास और प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सभी के सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक विकास के लिए तत्पर भी है। मिधानि के लिए अपने कार्यबल के स्वास्थ्य और सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि रहे हैं। कोविद-19 महामारी में हमने परीक्षण मापदंडों से लेकर संपर्क अनुरेखण तक, सामाजिक दूरियों के मानदंडों की निगरानी, कर्मचारी जोखिम स्तरों को वर्गीकृत करने और उचित स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने जैसे कार्य किए हैं।

वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान कर्मचारी कल्याण के कई कार्यक्रम आरंभ किए गए। कंपनी में सभी स्तरों पर महिला कर्मचारियों का सशक्तीकरण करते हुए उन्हें अपनी क्षमता से अवगत कराने के लिए पुरुष सहयोगियी कर्माचारियों के समान अवसर प्रदान किए गए। उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में आपकी कंपनी ने प्रशिक्षण के क्षेत्र में सबसे अधिक मानव कार्य दिवस प्राप्त किया जो कुल 4703 रहा। इसके तहत संगठन के सभी स्तरों के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। दोनों आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें वरिष्ठ कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विदेशी प्रायोजन भी शामिल हैं।

नैगमिक प्रशासन कार्यपद्धति:

मिधानि में समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश से संबंधित पत्र और उसमें निहित भाव दोनों का पालन किया जाता है। यहाँ पर नैतिकता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन वार्षिक आधार पर आचार संहिता के निर्देशों के पालन की पुष्टि करते हैं। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने सीपीएसई के लिए संशोधित ग्रेडिंग मानदंड के अनुसार 100% अंक अर्जित किए हैं। ये अंक डीपीई द्वारा दिए गए हैं जो उनके ही द्वारा जारी किए गए नैगमिक प्रशासनिक दिशानिर्देशों के अनुपालन के आधार पर प्रदान किए गए हैं।

आपकी कंपनी और उसके नेतृत्व ने 2019-20 के दौरान कई पुरस्कार हासिल किए हैं। विशेष रूप से अगस्त 2019 में आईबीसी मीडिया यूएसए द्वारा 'मोस्ट ट्रस्टेड कंपनी 2019', एक प्रमुख परियोजना के लिए स्कॉच ग्रुप द्वारा 'गोल्ड अवार्ड फॉर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस' और स्थायी विकास, संपत्ति सृजन तथा प्रदर्शन के लिए प्रतिभाशाली वरिष्ठ प्रबंधन को कई व्यक्तिगत नेतृत्व पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

निष्कर्ष:

बोर्ड की ओर से, मैं अपने सभी सम्मानित शेयरधारकों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी क्षमताओं और हमारे काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और विश्वास प्रकट किया है। मुझे विश्वास है कि आपने जो हमारे प्रति श्रद्धा और विश्वास दिखाया है, उसके बल पर हम आगे की यात्रा में बड़े कदम उठाते रहेंगे और एक मूल्यवान राष्ट्रीय संस्थान का निर्माण करते रहेंगे।

कोई भी कंपनी अपने प्रतिभावान कर्मचारियों के बिना कुछ भी नहीं है। मैं उन सभी कर्मचारियों की पीढ़ियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने लगातार आपकी कंपनी में अपने समय, समर्पण और ईमानदारी के साथ सेवा प्रदान की है और इसकी उन्नति में योगदान दिया है।

अपने ग्राहकों, रक्षा उत्पादन विभाग और विशेष रूप से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के सभी सरकारी एजेंसियों से हमें हमेशा बहुत सद्भाव और समर्थन प्राप्त होता है। मैं उन्हें भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कंपनी प्रबंधन में विश्वास प्रकट किया, अपने मूल्यवान मार्गदर्शन से इसे आगे बढ़ाया और आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान की।

सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद,

जय हिंद!!

डॉ. एस. के. झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

मिश्र धातु निगम लिमिटेड
निगम पहचान संख्या (सीआईएन): L14292TG1973GOI001660
पंजीकृत कार्यालय: डाक – कंचनबाग, हैदराबाद - 500058, तेलंगाना,
दूरभाष: 040-2418 4515 **फैक्स:** 040-2434 0214
ई-मेल: company.secretary@midhani-india.in **वेबसाइट:** www.midhani-india.in

46वीं वार्षिक महा सभा की सूचना

एतदद्वारा यह सूचना दी जाती है कि 29 सितंबर 2020 मंगलवार को सुबह 11.00 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के द्वारा निम्नलिखित व्यापारिक कार्यों के आदान –प्रदान के लिए मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) की 46वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यापार

मद सं. 1

प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिए:

1) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण, उन पर निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट; तथा

2) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के अंकेक्षित समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

मद सं. 2

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹ 10 (अर्थात 10% की दर से) के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 1/ - के अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना और ₹ 10 (अर्थात 15.60% की दर से) के प्रति इक्विटी शेयर के लिए ₹ 1.56 के अंतिम लाभांश घोषणा करना।

मद सं. 3

श्री संजय जाजू (डीआईएन: 01671018) के स्थान पर एक निदेशक की नियुक्ति करने के लिए, जो रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और स्वयं को पुन: नियुक्त करने के लिए पात्र हैं।

मद सं. 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 139 (5) के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एवं एजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का नियतन और भुगतान करने के लिए अब से निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यापार

मद सं. 5

कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में लागत लेखाकार एस.एस. झंवर और एसोसिएट्स को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक को प्रमाणित करने के लिए और इस संबंध में, निम्नलिखित संकल्प को एक **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करने के लिए:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा आयोजित कराने के लिए कंपनी द्वारा लागत लेखा परीक्षक के रुप में नियुक्त एसएस झंवर एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (पंजीकरण संख्या 100283) को रु. 1,30,000/- (लागू वैधानिक शुल्क और जेब खर्चों की प्रतिपूर्ति को छोड़कर) शुल्क के भुगतान का संकल्प किया जाता है और एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./-
(पॉल अंटोनी)
कंपनी सचिव

हैदराबाद
30 जून 2020

टिप्पणियाँ

1. **जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") ने 8 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के परिपत्रों के साथ पढ़े जाने वाले दिनांक 5 मई, 2020 के अपने परिपत्र (सामूहिक रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित किया जाए") में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") को एक आम स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना आयोजित करने की अनुमति दी है। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम"), सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओवीएएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। तदनुसार, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद - 500058 को इस एजीएम का स्थान माना जाएगा।**

2. **अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में उपस्थित होने और मतदान करने का अधिकार रखने वाला सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि (प्रॉक्सी) नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एमसीए परिपत्रों के अनुसार आयोजित की जा रही है, सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की सुविधा एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति स्लिप इस सूचना के साथ संलग्न नहीं हैं।**

3. चूंकि एजीएम वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इस सूचना में रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

4. संस्थागत/निगम सदस्य से निवेदन है कि एजीएम में भाग लेने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधि की प्रतिनियुक्ति के लिए प्रतिनिधि (यों) के नमूना हस्ताक्षर के साथ बोर्ड के संकल्प/पॉवर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं और वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और ई-वोटिंग के माध्यम से उनकी ओर से वोट करने के लिए उक्त व्यक्ति को अधिकृत करने के लिए एक प्रतिलिपि संवीक्षक ramakrishna@rna-cs.com को चिह्नित करते हुए company.secretary@midhani-india.in को मेल करें।

5. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर हैं, बैठक में वोट देने के हकदार होंगे।

6. श्री संजय जाजू को सूचना की मद सं.3 के अनुसार रुचि रखने वाला माना जाए। इसे सहेजें और स्वीकार करें। कंपनी के अन्य निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक/उनके संबंधी किसी भी रूप में सूचना की मद सं. 1 से 5 के अंतर्गत उल्लिखित सामान्य व विशेष व्यापार में वित्त या अन्य रूप में न तो संबंधित हैं और न उसमें रुचि रखते हैं।

7. सूचना की मद सं. 5 से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार विवरण संलग्न है।

8. सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी सूची निर्धारण विनियम) के विनियम 36 के प्रावधानों के अनुसार और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक पर सचिवीय मानक (एसएस -2), इस वार्षिक आम बैठक में नियुक्त / पुनः नियुक्त होने वाले निदेशकों का विवरण, इसके साथ संलग्न हैं।

9. **सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी की शेयर हस्तांतरण पुस्तकें बुधवार, 23 सितंबर, 2020 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।**

10. सेबी (सूची निर्धारण की बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2018 के संदर्भ में, 1 अप्रैल, 2019 से लागू, सूचीबद्ध कंपनियों की प्रतिभूतियों को केवल डीमैटेरियलाइज्ड रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है (प्रतिभूतियों के प्रसारण और हस्तांतरण के अलावा)। तदनुसार, कंपनी भौतिक रूप में शेयरों के हस्तांतरण के किसी भी नए पंजीकरण को स्वीकार नहीं करेगी।

11. **31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित इक्विटी शेयरों पर अंतिम लाभांश, यदि एजीएम सदस्यों द्वारा घोषित किया जाता है तो 29 सितंबर, 2020 को या उसके बाद क्रेडिट / भुगतान किया जाएगा:**

    ए) **इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा तैयार की गई लाभार्थी मालिकों की सूची में उन सदस्यों को जिनका नाम लाभार्थी मालिकों के रूप में मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 को व्यापारिक समय की समाप्ति तक दिखाई देता है; तथा**

    बी) **भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में, उन सदस्यों को जिनका नाम मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को व्यापारिक समय की समाप्ति तक कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है, बाद में प्रभावी होंगे:**

        i) **शेयरों के प्रसारण / हस्तांतरण के लिए प्राप्त वैध अनुरोध(ओं); तथा**

        ii) **भौतिक रूप में शेयरों के हस्तांतरण के वैध अनुरोध (पुनः-पंजीकरण के मामले अर्थात स्थानांतरण(णों) के अनुरोध जो 1 अप्रैल, 2019 से पहले प्राप्त हुए थे और दस्तावेजों में कमी के कारण वापस आ गए थे)**

    सोमवार 21 सितंबर, 2020 को या उससे पहले कंपनी / उसके पंजीयक और शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता के साथ दर्ज किए गए।

12. **वित्त अधिनियम 2020 के अनुसार, 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों को प्राप्त लाभांश आय कर योग्य होगी और कंपनी को निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर घटाने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसमें हुए संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी (भौतिक मोड में रखे गए शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी और अलंकित (डीमैट मोड में रखे शेयरों के मामले में) के साथ अपने पैन को अपडेट करें।**

पैन के साथ निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह स्रोत पर कर की कटौती न करने का लाभ प्राप्त करने के लिए मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 तक rta@alankit.com या company.secretary@midhani-india.in को ईमेल द्वारा फॉर्म संख्या 15जी / 15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकता है। शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर 20% की उच्च दर से काटा जाएगा।

अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवासी देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज अर्थात अ-स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, कर निवास प्रमाणपत्र, फॉर्म 10एफ, कर संधि लाभों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई अन्य दस्तावेज ई-मेल से rta@alankit.com या company.secretary@midhani-india.in पर उपलब्ध कराना आवश्यक हैं। उपरोक्त घोषणाओं और दस्तावेजों को मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 तक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों और कंपनी की अन्य जानकारी को देखने के लिए कंपनी की वेबसाइट www.midhani-india.in पर जाएँ।

14. उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और 12 मई, 2020 के सेबी परिपत्र अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपॉजिट्रिज के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 कंपनी की वेबसाइट www.midhani-india.in स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगी।

15. 'हरित पहल' का समर्थन करने के लिए, जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे एजीएम, वार्षिक रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज प्राप्त करने की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपना नाम, शेयर विवरण, ई-मेल आईडी rta@alankit.com पर ई-मेल भेजकर पंजीकृत करें। किसी भी अन्य निवेशक संबंधी जानकारी के लिए, ई-मेल द्वारा company.secretary@midhani-india.in पर संपर्क किया जा सकता है।

16. अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड (अलंकित) कंपनी का पंजीयक और शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता है। सभी निवेशक संबंधित जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर अलंकित से पत्राचार किया जा सकता है:

अलंकित हाउस, 4ई/2, झंडेवालान विस्तार,
नई दिल्ली - 110055
दूरभाष : 011-42541234
फैक्स: 011- 42541201
ई-मेल: rta@alankit.com

17. निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2019 तक कंपनी के साथ बकाया और लावारिस लाभांश की राशि का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.midhani-india.in और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की वेबसाइट पर भी अपलोड किया है। 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में अब तक जिन सदस्यों ने लाभांश नहीं लिया है / प्राप्त किया है उनसे अनुरोध है कि अलंकित से पत्राचार करें जो आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर लावारिस लाभांश राशि को भेजने की व्यवस्था करेगा।

18. सदस्यों को इस बारे में सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, कंपनी अदत्त लाभांश खाते में पड़े किसी भी धन को केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि ('निधि') में हस्तांतरित करने के लिए बाध्य है, जो अदत्त लाभांश खाते में हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अदत्त या लावारिस बना हुआ है। इसके अलावा, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016, यथा संशोधित ('आईईपीएफ नियम') के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 के प्रावधानों के अनुसार, सभी शेयरों जिस पर लाभांश लगातार सात साल या उससे अधिक समय के लिए अदत्त / लावारिस रहता है, उसे आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में हस्तांतरित किया जाएगा जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसलिए, कंपनी सभी शेयरधारकों से आग्रह करती है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान अपना संबंधित लाभांश प्राप्त करें/दावा करें।

19. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को अपना पैन जमा करें, जिनके साथ उनका डीमैट खाता बना हुआ हैं। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य अपना पैन कंपनी / अलंकित को जमा कर सकते हैं।

20. 20 अप्रैल, 2018 को सेबी के परिपत्र के संदर्भ में, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके पैन और बैंक विवरण अलंकित के साथ

अद्यतन नहीं हैं, उनसे पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और मूल रद्द चेक / सदस्य के नाम वाली बैंक पासबुक की सत्यापित प्रति के साथ पैन और बैंक खाता विवरण जमा करने का अनुरोध किया जाता है।

21. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार नामांकन की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए उन्हें उपर्युक्त पते पर निर्धारित फॉर्म संख्या एसएच-13 में अपना नामांकन अलंकित को भेजने की सलाह दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं।

22. एक से अधिक फोलियो में नामों के समान क्रम में भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को एक फोलियो में उनकी धारिता के समेकन के लिए शेयर प्रमाणपत्र के साथ इस तरह के फोलियो के साझा विवरण कंपनी या अलंकित को भेजने का अनुरोध किया जाता है। आवश्यक परिवर्तन करने के बाद सदस्यों को शेयर प्रमाणपत्र वापस कर दिए जाएंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि इस उद्देश्य के लिए शेयर हस्तांतरण फॉर्म एसएच-4 का उपयोग करें।

23. पते / बैंक विवरण / एनईसीएस (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा) जनादेश में प्रभावी परिवर्तन के लिए; सदस्यों को निम्नानुसार सूचित करने का अनुरोध किया जाता है:

    (i) अलंकित, यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा जाता है; तथा

    (ii) उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (डीपी), यदि शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है।

24. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि उनके नाम, डाक पते, ईमेल पते, टेलीफोन / मोबाइल नंबरों, स्थायी खाता संख्या (पैन), एनईसीएस जनादेश, नामांकन, पावर ऑफ अटॉर्नी, बैंक विवरण, जैसे, बैंक का नाम और शाखा का विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, इत्यादि से संबंधित, यदि कोई परिवर्तन हो, और उनके द्वारा शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा गया है तो उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी और अलंकित को सूचित करें और यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया है तो मिधानि को सूचित करें।

25. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित वैधानिक रजिस्टर एजीएम के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

26. यदि कंपनी के वित्तीय विवरणों / परिचालनों पर सदस्यों के कोई प्रश्न हो तो बैठक से कम से कम 7 दिन पहले company.secretary@midhani-india.in पर भेज सकते हैं, ताकि सूचना को पहले से संकलित किया जा सके।

27. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों को एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से इस सूचना में निर्धारित सभी मदों / संकल्पों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। वे सदस्य, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट डालने के लिए पात्र होंगे।

28. जिन व्यक्तियों का नाम मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 तक सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी मालिकों की सूची में दिखाई देता है, वे एजीएम / रिमोट ई-वोटिंग की तारीख पर ई-वोटिंग के माध्यम से इस सूचना में निर्धारित संकल्पों पर वोट डालने के हकदार होंगे। कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त निर्धारित तारीख पर सदस्य नहीं है, इसे केवल जानकारी के उद्देश्य से भेजी गई सूचना मानना चाहिए।

29. यदि कोई व्यक्ति सूचना भेजने के बाद लेकिन निर्धारित तारीख से पहले अर्थात 22 सितंबर, 2020 तक कंपनी का सदस्य बन गया है या उसने सूचना भेजने के बाद ई-मेल पता दर्ज किया है, तो ऐसा सदस्य एजीएम की सूचना में उल्लिखित तरीके से उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

30. रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-वोटिंग का आरंभ	**25 सितम्बर, 2020 (शुक्रवार) को सुबह 9.00 बजे (सर्वर समय) से**
रिमोट ई-वोटिंग का समापन	**28 सितम्बर, 2020 (सोमवार) को शाम 5.00 बजे (सर्वर समय) तक**

पूर्वोक्त तारीख और समय के अतिरिक्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और एनएसडीएल द्वारा पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति पर ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

31. निदेशक मंडल ने एक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से एजीएम और दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया में ई-वोटिंग की संवीक्षा के लिए श्री आर. रामकृष्ण गुप्ता, अभ्यासकर्ता कंपनी सचिव (सी.पी. सं. 5523) को संवीक्षक नियुक्त किया है।

32. संवीक्षक एजीएम में मतदान के समापन के बाद, बैठक में डाले गए वोटों की गणना करेगा। इसके बाद, वह कम से कम दो गवाहों जो कंपनी में कार्यरत नहीं हो, की उपस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और बैठक के समापन के 48 घंटे से अधिक का समय न लेते हुए संकल्प के पक्ष या विपक्ष में डाले गए कुल वोटों, अमान्य वोटों, यदि कोई हो पर एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट बनाएगा और चाहे संकल्प (ओं) को अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के पास लिखित रूप में ले जाया गया है या नहीं ले जाया गया है, जो उसे प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और वोटिंग का परिणाम घोषित करेगा।

33. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ वोटिंग का परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद कंपनी की वेबसाइट www.midhani-india.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर रखा जाएगा और स्टॉक एक्सचेंजों को एक साथ भेज दिया जाएगा। परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

34. संकल्प (ओं) के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त करने के कारण संकल्प को एजीएम की तारीख को पारित माना जाएगा।

35. सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए "रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश" को ध्यान से पढ़ें।

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से कैसे वोट करूं?

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके के "दो चरण" हैं, जो नीचे उल्लिखित हैं:

चरण 1: https://www.evoting.nsdl.com/ **पर एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम में लॉग-इन करें**

चरण 2: **एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।**

चरण 1 पर विवरण नीचे उल्लिखित हैं:

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्न यूआरएल: https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें|

2. ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो "Shareholders" अनुभाग के तहत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। आपको स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार अपना यूज़र आईडी, अपना पासवर्ड और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल सेवा के लिए पंजीकृत हैं यानी आईडीईएएस, तो आप अपने मौजूदा आईडीईएएस लॉगिन के साथ **https://eservices.nsdl.com/** पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने

4. आपका उपयोगकर्ता आईडी विवरण नीचे दिया गया है: लॉग-इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल सर्विसेज़ में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालें।

शेयर रखने के प्रबंधक यानी डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	**आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:**
ए) उन सदस्यों के लिए जो एनएसडीएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखते हैं।	8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपका डीपी आईडी IN300 *** है और ग्राहक आईडी 12 ****** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी IN300 *** 12 ****** है।
बी) उन सदस्यों के लिए जो सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर धारण करते हैं।	उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12 ********** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12 ********** है
सी) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	ईवीईएन नंबर के बाद कंपनी के साथ पंजीकृत फोलीओ नंबर उदाहरण के लिए यदि फोलीओ नंबर 001 *** है और ईवीईएन 101456 है तो उपयोगकर्ता आईडी 101456001 *** है

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

   1) यदि आप पहले ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉगिन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

   2) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनर्प्राप्त कर लेंगे, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए मजबूर करेगा।

   3) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

      (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपके ईमेल आईडी पर आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको सूचित किया जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल का पता लगाएं। ईमेल खोलें और संलग्नक अर्थात a .pdf फ़ाइल खोलें। .Pdf फ़ाइल खोलें। .Pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों का क्लाइंट आईडी है, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में आयोजित

शेयरों के लिए फोलीओ नंबर है। .Pdf फ़ाइल में आपका 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया वे शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं नीचे दिए गए चरणों का पालन करें

6. अगर आपको "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं हुआ है या प्राप्त करने में असमर्थ हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

1) "उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड भूल गए?" पर क्लिक करें (यदि आप अपने डीमैट खाते में एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

2) भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करें? "(यदि आप भौतिक मोड में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

3) यदि आप अभी भी दो विकल्प से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपने डीमैट खाता संख्या / फोलीओ नंबर, अपने पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता बताते हुए evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

4) सदस्य एनएसडीएल के ई-वोटिंग सिस्टम पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके "नियम और शर्तें" से सहमत होने पर विचार करें।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2 पर विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल ई-वोटिंग सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डाला जाए?

1. चरण **1** पर सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे। ई-वोटिंग पर क्लिक करें। फिर, सक्रिय मतदान चक्र पर क्लिक करें।

2. सक्रिय वोटिंग चक्रों पर क्लिक करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों को "ईवीईएन" देख पाएंगे जिनमें आप शेयर धारण कर रहे हैं और जिनके मतदान चक्र सक्रिय स्थिति में हैं।

3. अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु "ईवीईएन" कंपनी का का चयन करें।

4. अब आप वोटिंग पेज के रूप में ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।

5. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट दें यानी सहमति या असंतोष, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित / संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और "सबमिट करें" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "पुष्टि करें" पर क्लिक करें।

6. पुष्टि पर, "सफलतापूर्वक वोट डाला गया" संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।

7. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके आपके द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

8. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर लेंगे, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) को विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रतिलिपि (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता है। जो evoting@nsdl.co.in पर चिह्नित एक प्रति के साथ ramakrishna@rna-cs.com पर ई-मेल द्वारा स्क्रूटाइज़र को वोट करने के लिए अधिकृत हैं।

2 दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक ध्यान दें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग इन करें सही पासवर्ड में कुंजी के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम कर दिया जाएगा। ऐसी घटना में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध "उपयोगकर्ता जानकारी/ पासवर्ड भूल गए" या "भौतिक उपयोगकर्ता पासवर्ड रीसेट करें" विकल्प से गुजरना होगा।

3 किसी भी प्रश्न के मामले में, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उल्लेख कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं : 1800 -222-9 9 0 या evoting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेजें।

4 इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान के संबंध में कोई प्रश्न / शिकायत एनएसडीएल, सुश्री पल्लवी म्हात्रे, (प्रबंधक), एनएसडीएल, चौथा तल, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013 को संबोधित की जा सकती है। ईमेल: evoting@nsdl.co.in दूरभाष: 1800 222 990/91 22 2499 4200

उन शेयरधारकों के लिए जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है और इस सूचना में निर्धारित संकल्पों के लिए ई-वोटिंग हेतु ई-मेल आईडी के

पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयर भौतिक मोड में रखे गए हैं तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे से), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन की गई प्रति) rta@alankit.com या company.secrertary@midhani-india.in पर ईमेल द्वारा उपलब्ध कराएं।
2. यदि शेयरों को डीमैट मोड में रखा गया है, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंक लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति)), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति) rta@alankit.com या company.secrertary@midhani-india.in पर उपलब्ध कराएं।
3. वैकल्पिक सदस्य बिंदु (1) या (2) में उल्लिखित विवरण को साबित करके उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल अनुरोध भेज सकते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट के संदर्भ में वक्ता पंजीकरण और सवाल उठाने / स्पष्टीकरण देने के लिए प्रक्रिया:

वे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने पंजीकृत ईमेल आईडी से नीचे दिए गए फॉर्म में अनुरोध भेजकर स्वयं को एक वक्ता के रूप में सोमवार, 21 सितंबर, 2020 तक company.secretary@midhani-india.in पर पंजीकृत कर सकते हैं। केवल उन सदस्यों को जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

वक्ता पंजीकरण फॉर्म *

शेयरधारक का नाम (संयुक्त धारक सहित)
डीपीआईडी-सीएलआईडी / फोलियो संख्या
स्थायी खाता संख्या (पैन)
मोबाइल नंबर
पेशे की संक्षिप्त जानकारी

* सभी जानकारी भरना अनिवार्य है

ईजीएम / एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए उम्मीदवारों हेतु निर्देश निम्नलिखित हैं: -

1. ईजीएम / एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर बताए गए निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य / शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम / एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वोट करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डाला है, वे ईजीएम / एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। हालांकि, वे ईजीएम / एजीएम में वोट करने के पात्र नहीं होंगे।
4. ईजीएम / एजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस वर्णित व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, वही रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लिखित व्यक्ति होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम/एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम / एजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य इसे रिमोट ई-वोटिंग प्रत्ययपत्र का उपयोग करके शेयरधारक / सदस्य लॉगिन के अंतर्गत https://www.evoting.nsdl.com पर एक्सेस कर सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवीईएन प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय में होने वाली समस्या से बचने के लिए सूचना में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉगिन के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान किसी भी परेशानी से बचने के लिए सदस्यों को कैमरे की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से कनेक्ट होने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो / वीडियो खराबी का अनुभव हो सकता है। इसलिए, किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त गड़बड़ी को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
5. जो शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे स्वयं को अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए एक वक्ता के रूप में पंजीकृत कर सकते हैं और कंपनी की ई-मेल आईडी पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं।
6. जो शेयरधारक अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं / प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अग्रिम रूप से अपने प्रश्न कंपनी की ई-मेल आईडी पर भेज सकते हैं। इनका जवाब कंपनी द्वारा उपयुक्त तरीके से दिया जाएगा।

7. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के तहत अपेक्षित स्पष्ट विवरण

मद संख्या 5

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के अनुसरण में, कंपनी को कंपनी के लागू उत्पादों के लागत रिकॉर्ड का लेखा परीक्षण करने के लिए एक लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करना आवश्यक है।

लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए रुपये 1,30,000/- (वैधानिक शुल्क के अतिरिक्त) के वार्षिक पारिश्रमिक पर एस.एस. झंवर एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार (पंजीकरण संख्या 100283) की नियुक्ति को अनुमोदन दिया।

कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसार, लागत लेखा परीक्षक के लिए देय पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

तदनुससार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे संकल्प की मद के अनुसार लागत लेखा परीक्षकों उनके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए 2020-21 के लिए देय पारिश्रमिक पर विचार कर उसे अनुसमर्थित करें।

कंपनी के सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सामान्य संकल्प के माध्यम से बोर्ड इस सूचना की मद संख्या 5 में निर्धारित संकल्प की सिफारिश करेगा।

कंपनी के निदेशकगण / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक / उनके रिश्तेदार, सूचना की मद संख्या 5 में दिए गए संकल्प से किसी भी रूप में जुड़े हुए नहीं है, न उसमें वित्तीय या अन्य किसी प्रकार की रूचि रखते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता./-
(पॉल अंटोनी)
कंपनी सचिव

हैदराबाद
30 जून 2020

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 36 के प्रावधानों और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक (एसएस -2) पर सचिवीय मानक और कंपनी अधिनियम, 2013, यथालागू की धारा 118 (10) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित के अनुसार निदेशकों के विवरण

निदेशक का नाम	श्री संजय जाजू
डीआईएन	01671018
जन्म दिनांक	26 फरवरी, 1969
बोर्ड में प्रथम नियुक्ति की तारीख	30 मई, 2018
शैक्षणिक योग्यताएं	भा.प्र.से., सी.एम.ए., एम. टेक, एम.बी.ए.
विशेष कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता	श्री संजय जाजू ने अपना स्नातकोत्तर मैकेनिकल इंजीनियर में किया और पृष्ठभूमि से लागत और प्रबंधन लेखाकार है और वित्त से एमबीए पूरा किया है। उन्होंने शहरी, बुनियादी ढांचे, नागरिक आपूर्ति, शिक्षा और जनजातीय कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है। वह विकास और प्रशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के एक उत्साही पैरोकार रहे हैं। उन्होंने पहले सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) में संस्थापक निदेशक (ए एवं एफ) के रूप में काम किया। उन्होंने पहले सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग में आंध्र प्रदेश सरकार के सचिव के रूप में काम किया था।
नियुक्ति या पुनः नियुक्ति के निबंधन और शर्तें	श्री संजय जाजू को दिनांक 30 मई, 2018 के पत्र संख्या 8/2015-डी (सीओओआरडी / डीडीपी) के द्वारा रक्षा मंत्रालय- रक्षा उत्पादन विभाग ने नियुक्त किया गया था।
अंतिम आहरित पारिश्रमिक का विवरण (वित्तीय वर्ष 2019-20)	लागू नहीं
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में निदेशक (विदेशी, निजी तथा धारा 8 में वर्णित कंपनी के अलावा)	कोई नहीं
अन्य सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों की समितियों की सदस्यता / अध्यक्षता	कोई नहीं
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बोर्ड बैठकों में उपस्थिति	4
कंपनी के धारिता शेयरों की संख्या :	
(क) स्वतः	कोई नहीं
(ख) लाभ कमाने के लिए अन्य व्यक्ति के नाम पर	कोई नहीं

नोट: श्री संजय जाजू का किसी अन्य निदेशक या प्रबंधकीय कार्मिक से किसी प्रकार का संबंध नहीं है।

हम कौन हैं

1973 में स्थापित और हैदराबाद में स्थित मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) रक्षा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम है। मिधानि की स्थापना विभिन्न सुपर मिश्र धातुओं, विशेष स्टील्स, रक्षा की सामग्रियों, एयरोस्पेस व ऊर्जा जैसे अन्य सामरिक सामग्री के उत्पादन और आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है।

मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी

अत्याधुनिक धातु उत्पादन में उत्कृष्ट राष्ट्रीय केंद्र

क्षेत्र जिन्हें हम सेवा प्रदान करते हैं

रक्षा

एयरोस्पेस

ऊर्जा

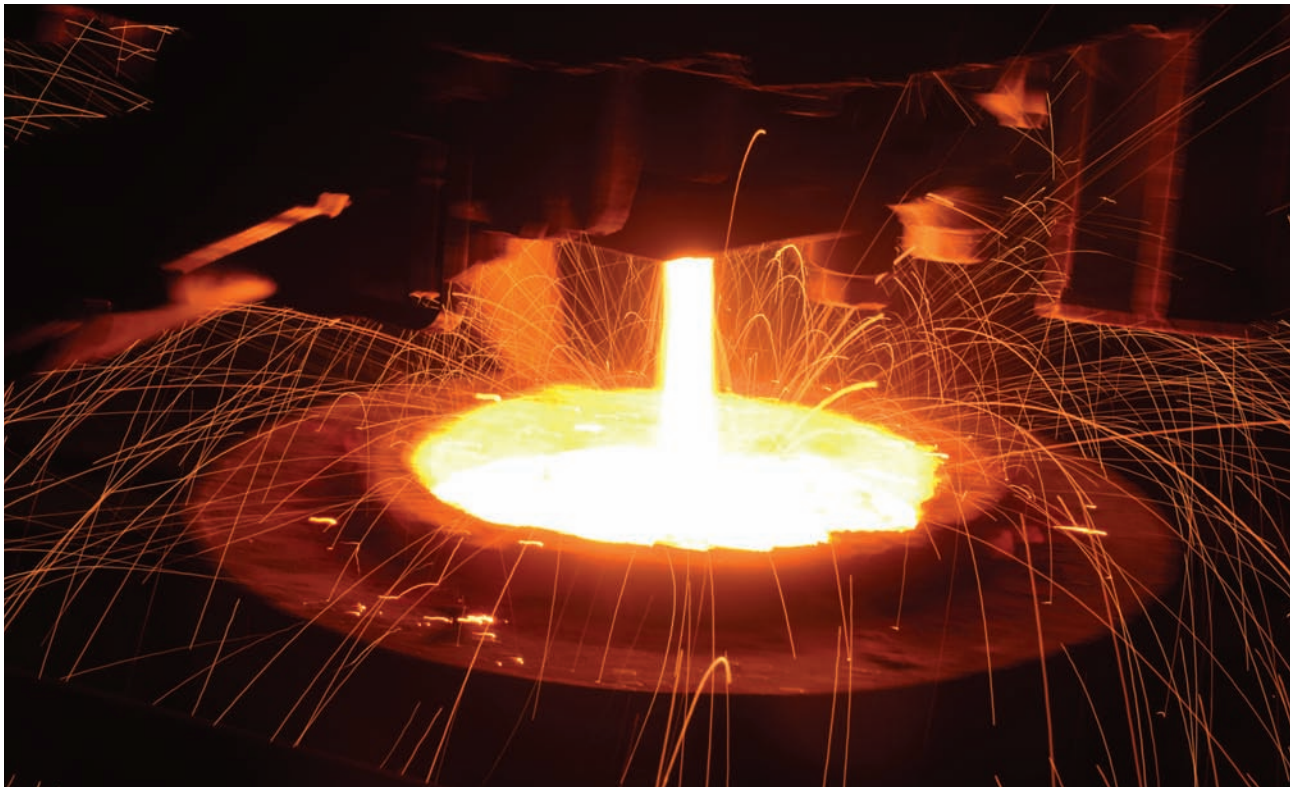

हमारी रणनीतियाँ

हमारा मिशनः राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामरिक महत्व के क्षेत्रों हेतु क्रांतिक मिश्र धातुओं एवं उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण तथा आपूर्ति के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता हासिल करना है।

व्यापार के प्रमुख बाह्य चालक

वैश्विक माँग

एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, रक्षा, ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी औद्योगिक गैस टरबाईन में उच्च प्रदर्शन सामग्री के लिए माँग की वद्धि और सरकारी व्यय में वृद्धि तथा उक्त क्षेत्रों में निजी उद्यमों का प्रवेश व्यापार की माँग के प्रमुख चालक हैं।

भविष्य में उच्च प्रदर्शन अलॉय बाजार में वर्ष 2019 में अमरिकी डालर 9.0 बिलियन से वर्ष 2027 में अमरिकी डालर 13 बिलियन तक की लगभग 5% की दर से वद्धि का आकलन किया जा रहा है।

पर्यावरण व संरक्षा चालक

बाजार के महत्वपूर्ण चालकों में से एक है कड़े उत्सर्जन मानदंड और ईंधन की क्षमता में बढ़ोत्तरी के कारण एरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योग के लिए हलके भार वाली समाग्री की माँग में वृद्धि हो रही है।

भारत में माँग

रक्षा बजट आबंटन की दृष्टि में भारत विश्व में 5वें स्थान पर है।

भारत अपने रक्षा उपयोग के लिए केवल 45 से 50 प्रतिशत के रक्षा उत्पादों का देशीकृत उत्पादन करता है। बाकी का उसे आयात करना पड़ता है। एरोस्पेस क्षेत्र के लिए उयोगी लगभग 70 प्रतिशत कच्चेमाल का आयात किया जाता है। आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वर्ष 2018 की रक्षा उत्पादन नीति (डीडीपी 2018) में भारत को एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण कर विश्व के प्रथम पाँच उत्पादकों की श्रेणी में शामिल करना है। इस क्षेत्र में वर्ष 2025 तक अमरिकी डालर 5 बिलियन तक के निर्यात का वार्षिक लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष के दौरान अपनाई गई रणनीति

वित्त वर्ष 20 के दौरान कंपनी ने कंपनी की रणनीतिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए अपनी पहल जारी रखी। विभिन्न घटकों के स्वदेशीकरण, आउटसोर्सिंग के प्रयासों में वृद्धि और मानव शक्ति के युक्तिकरण सहित लागत अनुकूलन उपाय प्रमुख प्राथमिकताएँ रहीं। प्रक्रिया में निरंतर सुधार और उपकरणों के आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप ऊर्जा की खपत में कमी आई और परिचालन क्षमता में वृद्धि हुई।

हमारी प्रमुख रणनीतियाँ और परिणाम

रणनीति	परिणाम	लक्ष्य
वृद्धि की अपेक्षा (ग्रीन फील्ड और ब्राऊन फील्ड द्वारा)	दि. 21.08.2019 को प्लेट और शीट्स के विनिर्माण के लिए उच्च अंत्य एल्यूमिनियम अलॉय संयंत्र की स्थापना करने हेतु राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड को निगमित किया गया।	रोहतक में नए विनिर्माण सुविधा की स्थापना करने की प्रक्रिया जारी है।
अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान	वर्ष के दौरान मिधानि ने 50 से अधिक आईपीआर के आवेदन भरे हैं। मिधानि को तीन पेटेंट प्रदान किए गए हैं। एरोस्पेस, नौसेना और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 10 से भी अधिक नए उत्पादों का विकास किया गया है।	घटकों / मूल्य वर्धित उत्पादों के विनिर्माण द्वारा अग्रवर्ती और पश्चवर्ती एकीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

निदेशक मंडल

डॉ. एस. के. झा
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक [01.05.2020 से]
निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)
[30.04.2020 तक]

डॉ. दिनेश कुमार लेखी
अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक [30.04.2020 तक]

श्री संजीव सिंघल
निदेशक (वित्त) [07.01.2020 तक]

श्री संजय जाजू
संयुक्त सचिव (डीआईपी)
सरकार नामित निदेशक

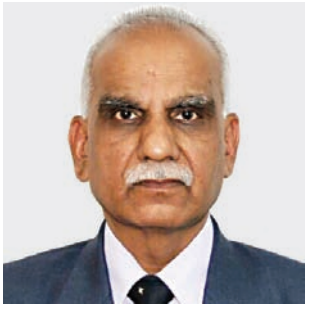

श्री सुरेन्द्र सिन्ह
स्वतंत्र निदेशक

डॉ. ज्योति मुखोपाध्याय
स्वतंत्र निदेशक [30.11.2019 तक]

डॉ. उषा रामचंद्र
स्वतंत्र निदेशक [30.11.2019 तक]

श्री आई. वी. शर्मा
स्वतंत्र निदेशक [30.11.2019 तक]

मुख्य सतर्कता अधिकारी

डॉ. उपेंद्र वेन्नम
आईपीओएस (मुख्य सतर्कता अधिकारी)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्रीमती कल्लूरी मधुबाला
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) तथा
मुख्य वित्त अधिकारी

श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन
अधिकारी

वरिष्ठ प्रबंधन (30.06.2020 को)

श्री ए. रामकृष्ण राव
स.म.प्र. (मा.संसा. एवं प्रशा.)

श्री डी. गोपीकृष्ण
स.म.प्र. (वाणिज्यिक एवं आईटी)

श्री के. शिवसुब्रमण्यन
म.प्र. (अनु. एवं वि.)
30.06.2020 तक

श्री देबाशीष दत्ता
म.प्र. (परियोजना)

श्री वाई. वी. हनुमंत राव
म.प्र. (गुणवत्ता एवं सेवाएँ)

श्री अच्युतराम दासू
म.प्र. (परिचालन)

श्री राम रमेश बाबू
म.प्र. (मेल्ट्स)

श्री सुपार्था सेन
म.प्र. (सतर्कता)

श्री शशिधरण पलस्सेरी
म.प्र. (इंजीनियरिंग सेवाएं)

निगम अवलोकन

पंजीकृत कार्यालय

पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद -500058
दूरभाष नंबर: 040-2418 4515 फैक्स नंबर: 040-2434 0214
वेबसाइट: www.midhani-india.in

वाणिज्यिक / क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली
कोर- 6, तल - 1, स्कोप कॉम्प्लेक्स,
7 लोधी रोड, नई दिल्ली - 110070
दूरभाष नं.: 011-4166 6375 फैक्स: 011-2436 6466

कोलकाता
बीई -70, ग्राउंड फ्लोर, सेक्टर - 1, साल्ट लेक
कोलकाता - 700064
दूरभाष नं. : 033 2334 4832 फैक्स: 033 2334 8411

सांविधिक लेखा परीक्षक

बाशा एवं नरसिम्हन चार्टर्ड अकाउंटेंट

लागत लेखा परीक्षक

एस.एस. झंवर एंड एसोसिएट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

आर एंड ए एसोसिएट्स,
कंपनी सेक्रेटरिज़

बैंकर्स

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड,
भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक (पूर्व में आंध्रा बैंक)

रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
4 ई / 2 झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली -110 055
दूरभाष: 011-42541234 / 23541234; फैक्स: 011- 42541201
ईमेल: rta@alankit.com

निवेश संबंध

श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
पीओ कंचनबाग, हैदराबाद- 500058
दूरभाषः 040-24184515
फैक्स: 040-24340214 / 29568502
ईमेल: company.secretary@midhani-india.in

वित्तीय मुख्य बिंदु

बिक्री

(₹ लाखों में)

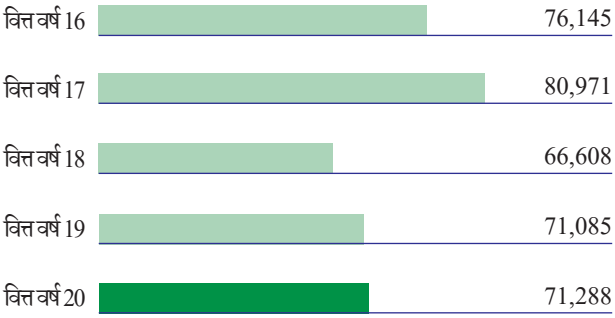

नकद लाभ

(₹ लाखों में)

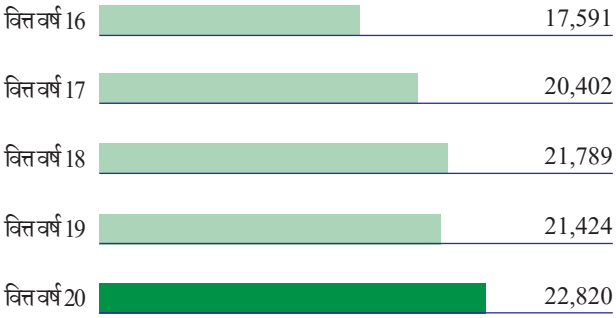

पीबीटी

(₹ लाखों में)

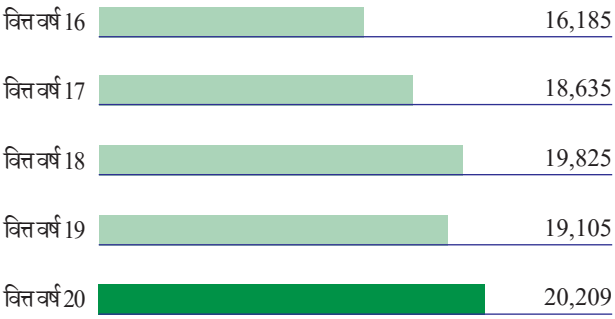

पीएटी

(₹ लाखों में)

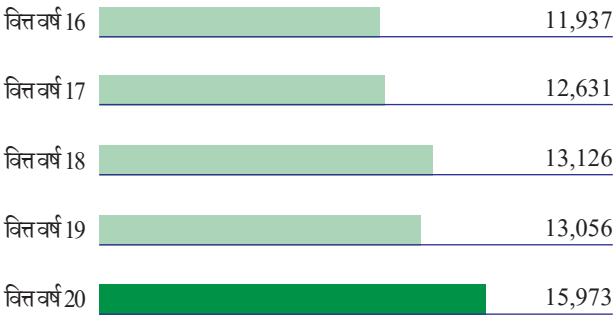

सकल ब्लॉक

(₹ लाखों में)

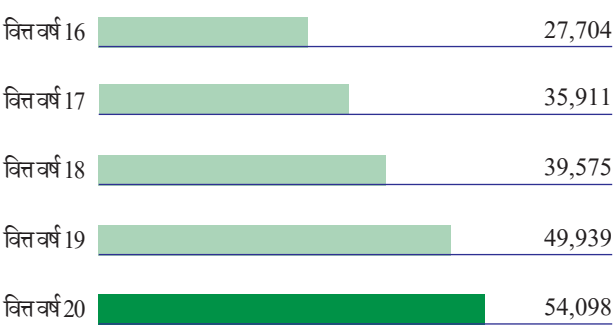

निवल मालियत

(₹ लाखों में)

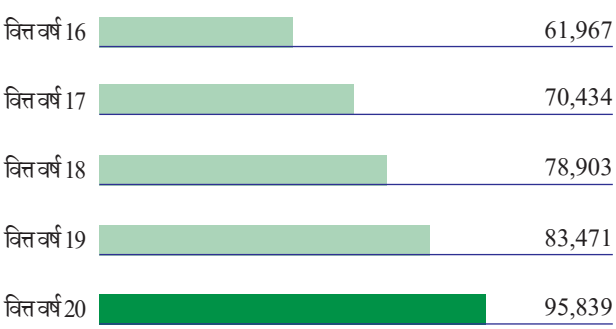

10 वर्षों पर एक नज़र

(₹ लाखों में)

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बिक्री (टन भार)	3014	3482	4687	4111	4732	5205	6150	4477	3685	3390
बिक्री (मूल्य)	41,786.77	50,901.27	55,859.14	56,270.78	65,570.07	76,144.87	80,970.77	66,607.87	71,084.62	71,287.57
उत्पादन का मूल्य (ईडी रहित)	47,547.24	48,328.83	53,267.12	56,417.57	64,004.42	67,853.65	69,564.01	69,767.72	81,483.22	97,010.91
नकद लाभ / हानि (-)	7,907.35	10,329.04	12,293.72	12,747.26	14,830.16	17,591.00	20,401.69	21,789.22	21,424.26	22,820.06
कर से पहले लाभ (पीबीटी)	7,518.14	9,850.28	11,777.66	12,143.54	13,851.49	16,184.50	18,635.28	19,825.09	19,104.78	20,208.62
निवल लाभ / हानि (पीएटी)	5,042.18	6,845.49	8,251.83	8,246.29	10,212.80	11,937.02	12,631.31	13,126.18	13,055.69	15,973.38
वर्धित मूल्य (ईडी रहित)	27,879.39	33,866.90	35,528.59	36,809.97	42,808.81	43,363.11	50,181.18	54,412.85	52,206.95	59,350.32
प्रति कर्मचारी वर्धित मूल्य	24.87	32.19	36.40	40.90	51.21	56.46	66.73	64.02	66.00	75.51
प्रदत्त पूंजी	18,334.00	18,334.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00
सकल ब्लॉक	17,693.55	18,703.81	19,975.07	24,698.30	38,670.17	27,704.22	35,911.43	39,574.81	49,938.95	54,097.55
निवल नियत परिसंपत्ति	5,526.39	6,067.40	6,817.41	11,547.79	24,427.97	26,295.74	32,737.74	34,443.38	42,494.69	44,074.63
निवल चालू परिसंपत्ति	44,996.31	39,373.51	55,673.71	44,471.94	35,144.93	47,879.87	47,862.25	44,052.85	63,221.24	81,738.45
नियोजित पूंजी	50,522.70	45,440.91	62,491.12	56,019.73	59,572.90	74,175.61	80,599.99	78,496.23	105,715.93	125,813.08
इक्विटी	18,334.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00	18,734.00
आरक्षित निधियाँ	15,461.46	18,045.30	21,942.51	25,779.38	35,271.83	43,233.03	51,700.40	60,169.45	64,736.91	77,104.66
निवल मालियत	33,795.46	36,779.30	40,676.51	44,513.38	54,005.83	61,967.03	70,434.40	78,903.45	83,470.91	95,838.66
सरकारी कोष में अंशदान	7,956.10	10,347.29	12,136.00	11,181.00	10,617.67	14,316.38	16,641.00	14,492.26	16,272.22	17,012.99

मानव संसाधन विकास

हमारे संगठन में मानव संसाधन को महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के रूप देखा जाता है। अपने लक्ष्यों को हासिल करने के मार्ग में मिधानि द्वारा स्वप्रेरित, निष्ठावान और संतोषी मानवशक्ति का निरंतर विकास का कार्य किया जाता है।

मानव संसाधन प्रबंधन आज परंपरागत/रूढ़ीगत सेवागत सहयोगी प्रकार्य से परिवर्तित होकर सामरिक प्रकार्य के रूप में उभरा है। मिधानि ने भी यह महसूस किया है कि उसकी मानवशक्ति उसकी महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। यह शक्ति विश्व से प्रतियोगिता का सामना करते समय महत्वपूर्ण विभेदक हो सकती है। कंपनी की तेज वृद्धि के लिए तकनीकी से संबंधित प्रतिभा प्रबंधन के निरंतर पहल किए जा रहे हैं। वर्तमान प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कई मानव संसाधन नीतियों का अद्यतन और संशोधन कर लागू किया गया है।

कर्मचारियों की संख्या (31.03.2020)

786

प्रशिक्षण कार्य दिवस (वित्त वर्ष 20)

4,703

प्रशिक्षण कार्यक्रम संख्या (वित्त वर्ष 20)

114

मद	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कर्मचारियों की संख्या	1121	1052	976	900	836	768	752	850	791	786
प्रति कर्मचारी उत्पादकता (₹ लाखों में)	43.31	47.15	54.58	63.30	76.56	88.35	92.51	82.08	103.01	123.42

कोविद -19 : प्रभाव, प्रतिक्रिया और आगे की राह

कोविद-19 महामारी के कारण प्रभाव की प्रकृति अतीत में उत्पन्न हुई आर्थिक मंदी पूरी तरह अलग है। कोविद -19 के तेजी से प्रसार के कारण दुनिया भर के व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। कार्यस्थल बंद हुए; आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान हुआ और उत्पादकता में कमी हुई। वस्तुतः हमारे सहित कई देश तालाबंदी के शिकार हुए। फलस्वरूप आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। हालाँकि, भारत सरकार के एमएसएमई, एनबीएफसी, प्रवासियों आदि को मुहैया की गई विभिन्न आर्थिक सुविधाओं के साथ एक प्रभावी प्रोत्साहन सुनिश्चित किया गया। महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में काफी नुकसान पहुंचाया है। अब हर व्यवसाय / उद्योग ने महामारी के प्रभाव से उभरना शुरु किया है। उससे निपटने का प्रबंधन कर लिया है। इसी संबंध में मिधानि द्वारा योजित की गई नीतियाँ / रणनीतियाँ निम्नानुसार हैं:

महामारी का मुकाबला : लॉकडाउन पश्चात

24 मार्च, 2020 से व्यवसाय संचालन की पूर्ण बंदी से 20 मई, 2020 से सामान्य व्यवसाय संचालन की बहाली तक आपकी कंपनी ने इस महामारी की स्थिति में व्यवसाय को आगे बढ़ाने की योजना तैयार की।

सामान्य संचालन को फिर से शुरू करने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कर्मचारियों को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना और कंपनी के कार्यबल के लिए कड़े सुरक्षा उपायों को लागू करना था। कंपनी ने कर्मचारियओं प्रवेश और निकास समय फेर बदल किए, सैनिटाइज़र चैम्बर्स स्थापित किए, इंफ्रारेड थर्मामीटर से कर्मचारियों की अनिवार्य जांच सुनिश्चित की। सुरक्षा उपाय जैसे कि सामाजिक दूरी, अन्य राज्यों से लौटने वाले कर्मियों के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन, सैनिटाइज़र की उपलब्धता, मास्क का वितरण, थर्मल स्क्रीनिंग आदि की व्यवस्था करके एक सुचारू और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करने के लिए सुनिश्चित किया गया। सभी कर्मचारियों द्वारा ' आरोग्य सेतु ' ऐप के उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया।

इसके अलावा, कंपनी ने कोविद-19 का परीक्षण करवानेवाले कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की। कंपनी ने डॉ. रेमेडीस लैब्स, हैदराबाद के साथ संधि करके कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कोविद-19 परीक्षण के लिए घर से नमूना एकत्रित करने की सुविधा प्रदान की। परीक्षण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की गई। कंपनी ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के हाई रेसोल्यूशन कम्प्यूटेड टोमोग्राफी (एचआरसीटी) परीक्षण हेतु अपोलो डीआरडीओ अस्पताल के साथ भी संधि की। कर्माचारियों द्वारा इस परीक्षण के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति की गई।

अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों द्वारा उपयोग के लिए कंपनी के आवास परिसर में 50 बेड वाले संगरोध / अलगाव सुविधा भी स्थापित की गई।

महामारी के कारण पूंजी, वित्तीय संसाधनों और चल निधि की स्थिति पर प्रभाव:

वर्तमान में, मिधानि को किसी भी गंभीर चल निधि की कमी का सामना नहीं करना पड़ा और इसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अल्पावधि ऋण सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा, वर्तमान में

महामारी के कारण व्यापार पर प्रभाव

वित्त वर्ष 2019-20:

कोविद-19 लॉकडाउन के कारण मार्च 2020 के महीने में सामग्री के अंतिम निरीक्षण, प्रमाणन और शिपमेंट प्रभावित हुए इसके कारण कंपनी की बिक्री वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 20,336.36 लाख रही जबकि यह वित्त वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही में ₹ 33,643.24 लाख थी। इस तरह बिक्री में 39% की गिरावट देखी गई। हालाँकि, इसके बावजूद, मिधानि ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ₹71,287.57 लाख का बिक्री कारोबार जारी रखा जबकि यह वित्त वर्ष 2018-19 में ₹ 71,084.62 लाख रहा था।

वित्त वर्ष 2020-21:

वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में लगभग 45 दिनों तक उत्पादन गतिविधियों में व्यवधान रहा। इसके बाद, 20 मई, 2020 से सामान्य उत्पादन गतिविधियाँ फिर से शुरू हुईं। मई 2020 में तैयार सामग्रियों का डिस्पैच भी शुरू किया गया। आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार के बाद लॉकडाउन के प्रभाव को चरणबद्ध ढंग से कम करने में हम सफल हुए और हमें पूरी उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही पर हुए इसके प्रभाव को हम पूरी तरह से बेअसर करने में सफल होंगे। सामान्य उत्पादन गतिविधियों की निरंतरता भविष्य के बिना बाधित व्यापार संचालन के अधीन है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान व्यवसाय संचालन में किसी भी तरह की यदि कोई रुकावट होती है तो राजस्व और लाभप्रदता प्रभावित होने की संभावना है।

आंतरिक अभिवृद्धि सभी चालू परियोजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तुलनात्मक रूप से, प्राप्य निधि परिकल्पित / नियोजित नहीं हैं और प्राप्तियों में निरंतर देरी कंपनी की भविष्य की चल निधि की स्थिति को प्रभावित करेगी। मिधानि के पास अपनी वित्त पोषण लागत को पूरा करने के लिए चल निधि उपलब्ध है। 31 मार्च 2020 पर ब्याज कवरेज अनुपात 35.16 और हम इसे किसी भी गतिशील परिवर्तन के अधीन बनाए रखने की उम्मीद करते हैं जो कोविद -19 महामारी के कारण हो सकता है।

सीएसआर पहल और सामाजिक कल्याण

लॉकडाउन के दौरान, मिधानि ने 99.6% शुद्धता के साथ 0.16 मिमी के 1.5 किलोग्राम निकेल वायर का विकास करके आपूर्ति की है। क्रिटिकल कोर वेंटिलेटर से संबंधित ऑक्सिजन सेंसर के लिए इस वायर की अत्यंत आवश्यकता होती है। यह वेंटिलेटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा निर्मित किया जा रहा है। मिधानि की आपूर्ति ने महत्वपूर्ण कच्चे माल का एक स्वदेशी स्रोत स्थापित करने में मदद की है जिसे अन्यथा आयात किया जाना था।

मिधानि ने सीएसआर के रूप में पीएम केयर्स फंड में 50 लाख रुपए का योगदान दिया। लॉकडाउन के दौरान, मिधानि ने अपने आकस्मिक और अनुबंधित मजदूरों को भोजन के पैकेट वितरित किए।

आगे की राह

लॉकडाउन की आर्थिक गिरावट के कारण विकास के पूर्वानुमान करने में अत्यधिक अनिश्चितता है और इस महामारी की स्थिति में अनिश्चित कारकों के कारण भविष्यवाणी करना भी कठिन है। मिधानि इस स्थिति का अपवाद नहीं है। अर्थात मिधानि भी इस अनिश्चितता से गुज रही है। हालाँकि, हमें उम्मीद है कि मिधानि में सरकार की पहल और माननीय प्रधान मंत्री द्वारा "आत्मानिर्भर भारत" के विजन के कारण नए व्यवसायों में विविधता आएगी और नए बाजारों तक हमारी पहुंच होगी। हमें अपनी तकनीकी क्षमताओं का उपयुक्त उपयोग करके नए उत्पादों और बाजारों की खोज करने और साथ ही विस्तार करने का अवसर मिलेगा।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण पर सरकार का मुख्य ध्यान मिधानि को भी लाभ पहुंचाएगा। सामरिक क्षेत्रों में अधिकांश सामग्री की आपूर्ति के साथ और 1 अप्रैल, 2020 तक ₹ 1,68,700 लाख की मजबूत ऑर्डर बुक के साथ हम अपने व्यवसाय पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए तत्पर हैं।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सदस्यगण,

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ आपकी कंपनी के प्रदर्शन और उपलब्धि पर हर्ष के साथ अपनी 46वीं वार्षिक बोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

उल्लेखनीय उपलब्धियां:

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त ₹ 81,483.22 लाख उत्पादन मूल्य (वीओपी) की तुलना में 19.06% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 97,010.91 लाख का अब तक का उच्चतम उत्पादन मूल्य प्राप्त किया।
- पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त ₹ 19,104.78 लाख कर से पूर्व लाभ (पीबीटी) की तुलना में 5.78% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 20,208.62 लाख का अब तक का उच्चतम पीबीटी और वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 16,564.99 लाख का अब तक का उच्चतम परिचालन लाभ प्राप्त किया।
- पिछले वर्ष के ₹ 805.32 लाख की तुलना में 29.39% की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1,042.04 लाख का अब तक का सबसे अधिक निर्यात कारोबार दर्ज किया गया है।
- कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभाव के कारण मार्च 2020 के महीने में अंतिम निरीक्षण, प्रमाणन और सामग्रियों का शिपमेंट नहीं हो सका। इसके बावजूद, मिधानि ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के विक्रय कारोबार ₹ 71,084.62 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 के विक्रय कारोबार को ₹ 71,287.57 लाख बनाए रखा है।

परिचालन के मुख्य बिंदु:

- वर्ष के दौरान, मिधानि ने इसरो के "गगनयान" के प्रतिष्ठित मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए कड़ी गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील और कोबाल्ट अलॉय की पहली खेप भेज दी है।

डॉ. एस के झा, निदेशक (उ. एवं वि.), मिधानि; डॉ. एस. उन्नीकृष्णन नायर, निदेशक (एचएसएफसी), इसरो और श्री शंकर वेलयाथम, उप निदेशक (एचएसएफसी), इसरो ने "गगनयान" कार्यक्रम के लिए सामग्रियों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाते हुए।

- "मेक इन इंडिया" पहल के तहत, मिधानि ने "सामरिक अनुप्रयोग के लिए 74 किग्रा टाइटेनियम अलॉय कास्टिंग" का निर्माण किया है जो देश में इस तरह का पहला कार्य है।
- इसके अलावा, मिधानि ने उद्योग अनुसंधान भागीदारी के अंतर्गत पूर्ण स्वदेशी तकनीक के साथ आइसोथर्मली फोर्ज्ड टाइटेनियम अलॉय हाई प्रेशर कंप्रेसर डिस्क्स का सेट सफलतापूर्वक सुपुर्द किया है, जो कि इस तरह का पहला कार्य रहा। एयरोस्पेस अनुप्रयोग में इस डिस्क का उपयोग किया जाता है।
- मिधानि ने 99.6% की बेहतर शुद्धता के साथ 1.5 किलोग्राम 0.16 मिमी. निकेल वायर का विकास कर आपूर्ति की है, जो कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) द्वारा उत्पादित किए जा रहे "क्रिटिकल कोर वेंटीलेटर" से संबंधित ऑक्सीजन सेंसर के निर्माण के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इस सामग्री का विकास और आपूर्ति पहली बार की गई थी। यह कार्य लॉकडाउन अवधि के दौरान 96 घंटों के भीतर पूरा किया गया। मिधानि की आपूर्ति ने एक महत्वपूर्ण कच्चे माल का स्वदेशी स्रोत स्थापित करने में मदद की है जिसे अन्यथा आयात किया जाना था।
- भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत उच्च अंत्य एल्यूमीनियम अलॉय के विनिर्माण के लिए मिधानि और राष्ट्रीय एल्यूमीनियम निगम लिमिटेड (नालको) ने आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड के नाम से विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए 50:50 की भागीदारी से संयुक्त उद्यम कंपनी को निगमित किया है।
- "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत मिधानि ने राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के लिए कास्टर रॉल शेल्स का सफलतापूर्वक विकास और आपूर्ति की जो 7 एमएम की न्यूनतम मोटाई के साथ एल्यूमीनियम स्ट्रिप की कास्टिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं और केंद्रीय भाग पर फिट किए जाते हैं।

वित्तीय विशिष्टताएं:

आपकी कंपनी ने ₹ 71,287.57 लाख की बिक्री हासिल की है। इससे पिछले वर्ष के ₹ 71,084.62 लाख पर 0.29 %. की वृद्धि दर्ज की जाती है। कंपनी ने पिछले वर्ष ₹ 15,973.38 लाख की तुलना में ₹ 13,055.69 लाख का कराधान के बाद लाभ अर्जित किया।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निम्नानुसार लक्ष्यों को हासिल कर लिया है:

(आंकड़े ₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2018-19
संचालन से राजस्व	71,287.57	71,084.62
अन्य आय	3,643.63	3,689.46
मूल्यह्रास, वित्त लागत, असाधारण वस्तुओं और कर व्यय से पहले लाभ / (हानि)	23,411.66	22,060.61
कम: मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि	2,611.44	2,319.48

विवरण	2019-20	2018-19
वित्त लागत, असाधारण वस्तुओं और कर व्यय से पहले लाभ / (हानि)	20,800.22	19,741.13
कम: वित्त लागत	591.60	636.35
असाधारण वस्तुओं और कर व्यय से पहले लाभ / (हानि)	20,208.62	19,104.78
जोड़ / (घटाव): असाधारण आइटम	-	-
कर व्यय से पहले लाभ / (हानि)	20,208.62	19,104.78
घटाव: कर व्यय (चालू और स्थगित)	4,235.24	6,049.09
वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (1)	15,973.38	13,055.69
कुल व्यापक आय / हानि (2)	(195.33)	48.80
कुल (1 + 2)	**15,778.05**	**13,104.49**
अनुपात (प्रतिशत)		
नियोजित पूँजी की तुलना में कर से पूर्व लाभ	16.06	18.07
विक्रय की तुलना से पूर्व लाभ	28.35	26.88
निवल मालियत की तुलना में कर के बाद लाभ	16.67	15.64
प्रदत्त पूँजी की तुलना में कर के बाद लाभ	85.26	69.69
नियोजित पूँजी की तुलना में विक्रय(निवल)	56.66	67.24
सकल अवरुद्ध राशि की तुलना में विक्रय	131.78	142.34
प्रति व्यक्ति विक्रय (₹ लाखों में)	90.70	89.87

लाभांश और सामान्य आरक्षित निधि का अंतरण

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश करने के लिए प्रसन्न है। रुपये के अंकित मूल्य का 1.56 प्रति इक्विटी शेयर। 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए 10 प्रत्येक यानी @ 15.6%, उसी के लिए आपकी स्वीकृति चाहते हैं। प्रस्तावित अंतिम लाभांश, उन शेयरधारकों को देय होगा, जिनके नाम बुक क्लोजर / रिकॉर्ड तिथि के अनुसार सदस्य रजिस्टर में होंगे।

इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल ने 3 मार्च, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में ₹ 1/- प्रति इक्विटी शेयर के ₹10 / - अर्थात 10% के अंकित मूल्य के अंतरिम लाभांश की घोषणा और भुगतान किया। बोर्ड द्वारा घोषित उपर्युक्त अंतरिम लाभांश पर ₹385.08 लाख के भुगतान (कॉर्पोरेट लाभांश वितरण कर) के रूप में किया गया।

संचयी रूप से, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 25.5% प्रति इक्विटी शेयरों के लिए कुल लाभांश ₹ 2.56 घोषित / अनुशंसित किया है, जो अब तक का सबसे अधिक लाभांश भुगतान है।

आपकी कंपनी, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, निवेश एवं सार्वजनिक परसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा फाइल संख्या 5/2/2016-नीति दिनांक 27 मई, 2016 के माध्यम से जारी पूंजी पुनर्गठन पर दिशानिर्देशों का पालन करती है। ये दिशानिर्देश स्पष्ट करते हैं कि प्रत्येक सीपीएसई, काराधान के बाद का 30% या निवल मूल्य का 5% जो भी कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अनुसार उच्चतम होगा, का भुगतान करेगा। कंपनी की लाभांश वितरण नीति "अनुलग्नक-I" के रूप में संलग्न है और कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर भी उपलब्ध है।

निवेश पर रिटर्न के संबंधित पिछले वर्ष की तुलना सहित मिधानि का निष्पादन निम्नानुसार है:-

(₹ लाख में, जब तक अन्यथा कहा न जाए)

क्र.स.	मानक	2019-20	2018-19
1	लाभांश	4,795.90	4,102.75
2	पी ए टी	15,973.38	13,055.69
3	निवल मालियत*	92,849.19	82,056.80
4	लाभांश / पी ए टी (%)	30.02	31.42
5	पी ए टी / निवल मालियत (%)	17.20	15.91
6	लाभांश / निवल मालियत (%)	5.17	5.00

*संबंधित अवधि के लिए लाभांश पर निर्णय के बाद निवल मालियत

सामान्य रिजर्व: आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य रिजर्व में ₹ 6,500 लाख आंतरित किए हैं।

समझौता ज्ञापन के अनुसार निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार मिधानि का प्रदर्शन पूर्णतः "उत्कृष्ट" रेटिंग के लिए अपेक्षित है। हालाँकि, यह सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा मूल्यांकन और पुष्टि के अधीन है।

स्वदेशीकरण तथा आयात प्रतिस्थापन:

मिधानि ने सफलतापूर्वक "सैटेलाइट लॉन्च वेहिकल के सेमी क्रायो-इंजन" के लिए कड़ी एयरोस्पेस आवश्यकताओं के साथ स्पाईडर कास्टिंग विकसित की है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में तीन (3) बिल्लेट ग्राइंडिंग मशीनों का स्वदेशीकृत निर्माण कर सफलतापूर्वक आरंभ किया गया है। इससे आयातित महंगे उपकरणों की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

कंपनी का आधुनिकीकरण, विस्तार एवं उन्नयन कार्यक्रम:

पिछले दशक में कंपनी के उन्नयन और आधुनिकीकरण से अतिरिक्त सुविधाओं की स्थापना करने, उत्पादन टन क्षमता बढ़ाने और उत्पाद विविधता में वृद्धि की उपलब्धि हासिल हुई है। कंपनी ने घरेलू बाजारों में मौजूदा और नए ग्राहकों की सेवा करने के साथ-साथ सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के नए व्यापारिक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए सफलतापूर्वक खुद को तैनार किया है। कंपनी का आधुनिकीकरण विस्तार और उन्नयन कार्यक्रम निम्नलिखित पर आधारित है:

- मौजूदा कारोबार से बढ़ती मांग को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि।
- मूल्य वर्धित उत्पादों पर ध्यान।
- परीक्षण सुविधाओं का विस्तार।
- संचालन की लागत और वितरण अवधि को कम करना।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान मिधानि उत्पादन क्रियाकलापों के आधुनिकीकरण, विस्तार और उन्नयन संबंधी परियोजनाएँ निम्नानुसार हैं:

- **मेल्टिंग क्षेत्र:**
  - **वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस (8टी):** "मेक इन इंडिया" कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष स्टील्स और सुपर अलॉय की भविष्य की मांगों को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए मेल्ट क्षेत्र में एक अतिरिक्त वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस की स्थापना की जा रही है। उपकरण के लिए आदेश दिया जा चुका है और वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में इसके आरंभ होने की संभावना है।
  - **कास्टिंग सुविधा:** स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए टाइटेनियम अलॉय की महत्वपूर्ण ढलाई का निर्माण करने मिधानि में उच्च क्षमता कास्टिंग सुविधा स्थापित की जा रही है। खरीद की कार्रवाई शुरू की गई है और उपकरण सुपुर्दगी शुरू हो गई है। वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में इसके शुरू होने की उम्मीद है।
- **फोर्ज / हीट ट्रीटमेंट क्षेत्र :**
  - **25टी मैनिपुलेटर:** विशेष अनुप्रयोगों के लिए लंबी शाफ्ट के फोर्जिंग के लिए 6000 टी फोर्ज प्रेस में एक नया 25टी मैनिपुलेटर जोड़ा जाता है। उपकरण साइट पर प्राप्त हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में इसे आरंभ करने की योजना है।
  - **री-हीटिंग फर्नेस:** वर्ष के दौरान नए फोर्ज प्रेस और रिंग रोलिंग सुविधा के बेहतर उपयोग के लिए नए अतिरिक्त फर्नेस की खरीद और पुरानी फर्नेस जिसकी कार्य क्षमता समाप्त हो चुकी है कि प्रतिस्थापन का निष्पादन किया गया है। कुल मिलाकर, नवीनतम प्रौद्योगिकी की चार (4) एलपीजी से चलने वाले फर्नेस की खरीद शुरू की गई है, जिनमें से एक (1) फर्नेस वित्तीय वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में आरंभ होने की संभावना है और अन्य तीन के अगले वित्तीय वर्ष में आरंभ होने की संभावना है।
- **गुणता नियंत्रण क्षेत्र:**
  - **इमर्सन अल्ट्रासोनिक टेस्ट उपकरण:** कड़े एयरोस्पेस मानदंडों के अनुरूप एयरो-इंजन के लिए विशेष फोर्जिंग का मूल्यांकन करने के लिए अत्याधुनिक इमर्सन अल्ट्रासोनिक टेस्ट उपकरण को गुणता नियंत्रण क्षेत्र में शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में उपकरण सफलतापूर्वक आरंभ हो गया है।
  - **रेडियोग्राफी परीक्षण उपकरण:** क्यूसीएल में कास्टिंग उत्पाद से अतिरिक्त मूल्य और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग के लिए कड़े गुणता मानदंडों को बनाए रखने के लिए एक नई रेडियोग्राफी परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में उपकरण आरंभ किया गया है।
- **डाउनस्ट्रीम क्षेत्र:**
  - **कोल्ड ड्रॉ बेंच:** 40 मिमी से 70 मिमी तक हॉट रोल्ड और फोर्ज बार की ड्राइंग के लिए हॉट रोलिंग मिल में एक नया कोल्ड ड्रॉ बेंच स्थापित किया जा रहा है। इस उपकरण का उपयोग किसी भी धातु के नुकसान के बिना ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार क्लोज टोलेरेंस के बार एवं ट्यूब के उत्पादन के लिए किया जाएगा।

अन्य जारी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

- **वाइड प्लेट मिल:** अतिरिक्त विस्तृत प्लेटों / मारेजिंग स्टील की शीटों और अन्य सामरिक सामग्री प्लेटों, कवच प्लेटों आदि के उत्पादन में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए एक वाइड प्लेट मिल सुविधा स्थापित की जा रही है। सभी प्रमुख उपकरणों की प्राप्ति के साथ परियोजना उन्नत स्तर पर है। उपकरण निर्माण प्रगति पर है और इसके बाद उसका परीक्षण व कार्य की शुरुआत होगी।

वाइड प्लेट मिल का निर्माण स्थल।

- **वाइड प्लेट मिल के लिए टेंपरिंग फर्नेस:** आर्मरिंग प्लेट और अन्य विशेष प्लेटों की प्रसंस्करण के लिए टेंपरिंग फर्नेस खरीदी गई है। उपकरण की आपूर्ति पूरी हो गई है और स्थापना कार्य प्रगति पर है।

रोहतक में आर्मर इकाई का विकास:

बॉडी आर्मर, वाहन आर्मक, बुलेट प्रूफ मोर्चा, बुलेट प्रतिरोधी जैकेट आदि के लिए वैश्विक बाजार की मांग को देखते हुए और घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए रोहतक, हरियाणा में मिधानि द्वारा एक नई इकाई की स्थापित की जा रही है। चरण- I की प्रमुख निर्माण गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं। प्रमुख लाइन उपकरण जैसे वॉटर जेट कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक बैलिस्टिक प्रेस, सीएनटी आदि की खरीद की कार्रवाई की गई है। इलेक्ट्रिकल एवं यूटिलिटिस की खरीद प्रगति पर है।

रोहतक, हरियाणा में आर्मर निर्माण इकाई।

संयुक्त उद्यम कंपनी - उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड:

7 अगस्त, 2019 के अनुबंध के अनुसार मिधानि और राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) ने संयुक्त उद्यम कंपनी 'उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड' की स्थापना की। भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" पहल के अंतर्गत विमानन और परिवहन उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के अलावा रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की बाजार मांग की पूर्ति के लिए उच्च अंत्य एल्यूमीनियम अलॉय का विनिर्माण करने 21 अगस्त 2019 को आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एक विनिर्माण संयंत्र की स्थापना करने संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई।

संयुक्त उद्यम कंपनी को आंध्र प्रदेश में लगभग 110 एकड़ भूमि आवंटित की गई है और इस उद्यम में अभी वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया जाना बाकी है। विनिर्माण संयंत्र में ₹ 4,500 करोड़ का अनुमानित पूंजी व्यय शामिल है। संयुक्त उद्यम कंपनी में मिधानि और नालको ने ₹ 10/- प्रति शेयर के 2 करोड़ इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए हैं (प्रारंभिक शेयर पूंजी के माध्यम से और जारी करने के अधिकार के माध्यम से)।

संयुक्त उद्यम कंपनी के वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं सहित विवरण फॉर्म एओसी -1 में वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

श्रमिक उत्पादकता:

गत वर्ष के ₹ 66 लाख प्रति कर्मचारी जोडित मूल्य की तुलना में यह बढ़कर ₹ 75.51 लाख हो गया है।

बिक्री और परिचालन दक्षता:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बकाया वसूली पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 31.03.2020 तक व्यापार प्राप्य के रूप में " बिक्री दिन की संख्या" कम होकर 152 दिनों की हो गई है जो दि. 31.03.2019 तक 181 दिन रही है। देनदारों का उच्च संचय मुख्य रूप से चौथी तिमाही में उच्च बिक्री और ग्राहकों के पास बजट की समाप्ति के कारण होता है। हमारे ग्राहक मुख्य रूप से सरकारी विभाग / एजेंसियां हैं।

अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा नए उत्पादों का विकास:

किसी भी व्यवसाय की सफलता में अनुसंधान एवं विकास कार्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिधानि में इसे प्रमुख महत्व प्राप्त है। हमारे व्यवसाय को हमें नवीनतम तकनीकी विकास के साथ-साथ वैश्विक तकनीकी उन्नति के बराबर बनाए रखने की आवश्यकता है। इसीलिए भी और विभिन्न तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों को विकसित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हम प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थानों और संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

अनुसंधान एवं विकास में निवेश कंपनी की रणनीति और व्यवसाय योजना को जोड़ता है, जैसे कि नए उत्पादों को बनाने और पुराने उत्पादों में विशिष्टताएं जोड़ने के साथ-साथ लागत में कमी तथा विपणन। मेटल इंडस्ट्री के प्रख्यात व्यक्तित्वों से युक्त प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड नियमित रूप से मिधानि की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का की समीक्षा और मार्गदर्शन करता है। मिधानि में अनुसंधान एवं विकास विभाग का प्राथमिक कार्य स्वदेशीकरण, नए उत्पाद विकास और प्रौद्योगिकी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुसंधान एवं विकास पर ₹ 796.57 लाख का व्यय किया गया है।

आंतरिक अनुसंधान एवं विकास दल प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपेक्षित मांगों को पूरा करने के लिए उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और प्रक्रिया नवाचार की दिशा में काम करता है। वर्ष के दौरान हमारी कंपनी द्वारा की गई कुछ अनुसंधान एवं विकास पहल इस प्रकार हैं:

- **नया उत्पाद विकास:**
  - ऊर्जा क्षेत्र में रणनीतिक उपयोग के लिए एंड प्लग के लिए सुपरनी 42N - 8 मिमी व्यास रॉड का विकास और प्रसंस्करण।
  - निर्यात आदेश पर सुपरनी 925 फोर्ज्ड बार का विकास।
  - ऊर्जा क्षेत्र में लेट्टीस ट्यूब (एमडीएन 304L) के कड़े विनिर्देश मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण और परीक्षण विधियों का विकास।
  - एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए हाई स्ट्रेंथ प्रेसिपिटेशन हार्डेनिंग स्टेनलेस स्टील (एमडीएन 465) का विकास।
  - एयरो इंजन अनुप्रयोगों के लिए अति सीमित उष्ण व्यवहार्यता रखने वाली टाइटेनियम अलॉय ग्रेड टाइटन22ए की फोर्जिंग प्रक्रिया कार्यप्रणाली का विकास।
  - ऊर्जा क्षेत्र में वेल्डिंग अनुप्रयोगों के लिए टीआई-टीए-एनबी अलॉय कोल्ड ड्राव्न तारों का विकास।
  - अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में मुख्य टर्बो पंप के रूप में उपयोग के लिए 08X14H7M का विकास।
  - नौसेना अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए 38XH3MFA और RS1 की बड़ी आकार की ट्यूबों का विकास।
  - ऊर्जा अनुप्रयोग में लेट्टीस ट्यूब के लिए उच्च दबाव हाइड्रोलिक परीक्षण सुविधा।
  - तीन (3) हाइड्रोलिक सेमी-ऑटोमैटिक बिल्लेट ग्राइंडिंग मशीनों का विकास।

- **विनिर्माण और प्रक्रिया प्रौद्योगिकी विकास**
  - नौसेना के अनुप्रयोगों के लिए 12X18H10T के उच्च शक्ति वाले ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के तारों का विकास। उच्च शक्ति ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के तारों का उपयोग रणनीतिक अनुप्रयोगों में स्प्रिंग्स के रूप में किया जाता है जहां उच्च दबाव शामिल होता है।
  - सॉफ्टकोमैग 49 ए चुंबकीय अलॉय में पारगम्यता में सुधार करने के लिए प्रक्रिया विकसित की गई। सॉफ्टकोमैग 49 ए उच्च संतृप्ति चुंबकीयकरण, कम मैग्नेटो क्रिस्टलीय एनिसोट्रॉफी, उच्च क्यूरी तापमान (950° सेल्सियस) और संबद्ध उच्च चुंबकीय पारगम्यता के साथ एक नरम चुंबकीय अलॉय ग्रेड है। 730° सेल्सियस से नीचे एक भंगुर चरण बनाने की प्रवृत्ति के कारण इस अलॉय का प्रसंस्करण अत्यंत कठिन है। सॉफ्टकोमैग 49 ए अलॉय का उपयोग उन विशेष अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है, जिनमें इस सामग्री द्वारा प्रदर्शित चुंबकीय गुणों की आवश्यकता होती है।
  - एक्स्ट्रूडेड ट्यूब बनाने के लिए आवश्यक समरूप सूक्ष्म संरचनात्मक विशेषताएँ प्राप्त करने के लिए सुपर अलॉय ग्रेड बिल्लेट की प्रक्रिया का अनुकूलन किया गया। मिधानि ने ट्यूब्स के बहिर्वेधन के लिए इनपुट बिल्लेट की गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सुपर अलॉय बिल्लेट निर्माण प्रक्रिया का स्वदेशीकरण किया है।
  - तेल एवं गैस उद्योगों, बिजली क्षेत्र के अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए सुपरनी 625 और 740 ग्रेड विकसित किए गए। पिछले कुछ वर्षों में मिधानि के प्रमुख पोर्टफोलियो में तेल एवं गैस, बिजली उत्पादन जैसे वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए Ni अलॉय के विकास को प्रमुखता दी गई।
  - ऊर्जा क्षेत्र में अनुप्रयोग के लिए सुपरनी 617 ग्रेड ट्यूब का विकास किया गया। मिधानि ने प्रतिक्रियाशील तत्वों के नुकसान से बचने के लिए ईएसआर मेल्टिंग की प्रक्रिया का उपयोग करके कड़े रसायन को प्राप्त करके अलॉय 617M से विभिन्न रूपों और टनभार के विभिन्न घटकों का निर्माण किया है। बड़े आकार, उच्च टनभार की फोर्जिंग को प्राप्त करने के लिए बड़े व्यास इनगोट उत्पादन के माध्यम से उक्त विशेषज्ञता में वृद्धि की गई।
  - रक्षा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए एमडीएन 155 (1200 मिमी व्यास) के बड़े आकार के इनगोट्स के लिए इलेक्ट्रो स्लैग रीमेल्टिंग प्रक्रिया मापदंडों का अनुकूलन किया गया। 20T के आसपास वजन के भारी इग्नोट्स की फोर्जिंग और बिना किसी दोष के प्रसंस्करण द्वारा एमडीएन 155 देशीकरण किया गया।
  - ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए होल्लो फोर्जिंग उच्च शक्ति सुपर अलॉय सुपरनी 90 और 10Cr -1Mo 1W (एमडीएन 10-1-1) मर्टेनसिटिक स्टील के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया गया। यह अलॉय एक उच्च शक्ति प्रेसिपिटेसन हार्डेनेड सुपर अलॉय है, जिसमें कम व्यवहार्यता होती है और व्यवहार्यता की सहायता के लिए अलॉय की ईएसआर मेल्टिंग की प्रक्रिया को नियमित वीएआर मेल्टिंग की प्रक्रिया के स्थान पर स्थापित किया गया। मिधानि ने सफलतापूर्वक ट्यूब फोर्जिंग विकसित करके ऊर्जा अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए आपूर्ति की है।
- **उपज में सुधार**
  - ट्यूबों में संसाधित एमडीएन 350 हीट्स की उपज में सुधार करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। समग्र उपज सुधार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में उपज में सुधार करना तय किया गया। जैसे- प्राथमिक मेल्टिंग, माध्यमिक मेल्टिंग, फोर्जिंग और एक्सट्रूशियन। अन्य प्रक्रियाओं जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया, अस्वीकृति से बचने के लिए ट्यूबों की कटिंग, मशीनिंग का सावधानीपूर्वक नियंत्रण।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)**
  - मिश्र धातु के विकास और प्रक्रिया अनुकूलन के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के लिए रोडमैप विकसित करने हेतु एक समर्पित टीम का गठन किया गया है।

वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू मापदंडों के अनुरूप, हमारी कंपनी ने निम्नलिखित उत्पाद / ग्रेड सफलतापूर्वक विकसित और/या वितरित किए हैं:

- एयरो इंजन अनुप्रयोग के लिए सुपरनी 115 ब्लेड ब्लैंक्स।
- समुद्री वाल्व अनुप्रयोग के लिए टाइटेनियम कास्टिंग।
- सुपरकास्ट 738 बकेट कास्टिंग और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील्स (एमएसएन 347 एमएन) की भारी सेक्शन फोर्जिंग।

बौद्धिक संपदा:

बाजार संचालित अर्थव्यवस्था में गुणवत्ता में सुधार और लागत को कम करने के माध्यम से उत्पादों में निरंतर सुधार आवश्यक है। बाजार की उभरती मांग को पूरा करने के लिए नए उत्पादों का विकास किया गया। अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की गई थी जो कंपनी की बौद्धिक संपदा के विस्तार के रूप में परिलक्षित होती है।

संगठन की बौद्धिक संपदा के उल्लंघन की रक्षा विधिक फ्रेमवर्क के माध्यम से करना आवश्यक है। अन्य उद्योग की तुलना में मिधानि को अपने अद्वितीय उत्पादों के कारण अपनी बौद्धिक संपदा की रक्षा करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिधानि में आईपीआर जमा करने को प्रोत्साहित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, मिधानि ने 50 आईपीआर दर्ज किए हैं जिनमें 24 कॉपीराइट और 26 ट्रेडमार्क शामिल हैं। कुछ पेटेंट आवेदन भी प्रक्रिया में

हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में तीन (3) पेटेंट, जिनके शीर्षक हैं "ए न्यू डिजाइंड एयर हार्डेनिंग अलॉय स्टील", "वेल्डिंग अनुप्रयोग के लिए Ti-6Al-4V के तार उत्पादित करने की विधि" और "उत्कृष्ट यांत्रिक और क्रीप गुणों के साथ फाईन ग्रेनड् कोबाल्ट आधारित अलॉय और उसके निर्माण की विधि" को भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दाखिल किए गए ट्रेडमार्क पर आईपीआर भी वित्त वर्ष 2019-20 में अनुमोद दिया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुमोदित ट्रेडमार्कों में कुछ ट्रेडमार्क हैं - एमडीएन 250, एमडीएन 350 आदि।

नवाचार-संचालित संस्कृति हेतु एक स्व-धारणीय मॉडल बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में मिधानि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार योजना भी लागू की गई है। मिधानि के अनुसंधान एवं विकास दल ने प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलनों में लगभग 5 पत्र प्रकाशित किए हैं। आईपीआर पर जागरूकता पैदा करने के लिए, अनुसंधान एवं विकास दल द्वारा आईपीआर प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

उत्कृष्टता केंद्र, मिधानि में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) प्रशिक्षण आयोजित।

ऊर्जा संरक्षण:

मिधानि में ऊर्जा संरक्षण उपायों को बहुत महत्व दिया गया है और रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस दिशा में प्रयास जारी रखे गए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:

- वर्ष के दौरान एलपीजी बचत के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:
  - फर्नेस में उनकी पूरी क्षमता तक समान ताप-चक्र वाली सामग्री लोड की जा रही है।
  - समान बैच प्रकार की सामग्री का अनुकूलन
  - फर्नेस में उपलब्ध उष्ण ऊर्जा का उपयोग करने के लिए लगातार चलने वाली फर्नेस की योजना।
  - वित्तीय वर्ष के दौरान 80% से अधिक फर्नेस की उपलब्धता।
- वर्ष के दौरान ऊर्जा की बचत के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं
  - कंप्रेसर हाऊस में वीएफडी ड्रिवन किर्लोस्कर मेक स्क्रू एयर कंप्रेसर की स्थापना।
  - उपकरण के संचालन के लिए संयंत्र में पोर्टेबल एयर कंप्रेसर की स्थापना।
- वर्ष के दौरान ऊर्जा बचत के लिए एमआरएसएस में शुरू किए गए उपाय निम्नानुसार है:
  - 6000 टी फोर्ज प्रेस में रिएक्टिव पावर कंपेन्सेशन के लिए डायनामिक रिएक्टिव पावर कंपेन्सेसन पैनल की स्थापना से इस वर्ष बिजली बिलों में ₹77.56 लाख की राशि की बचत की गई है।

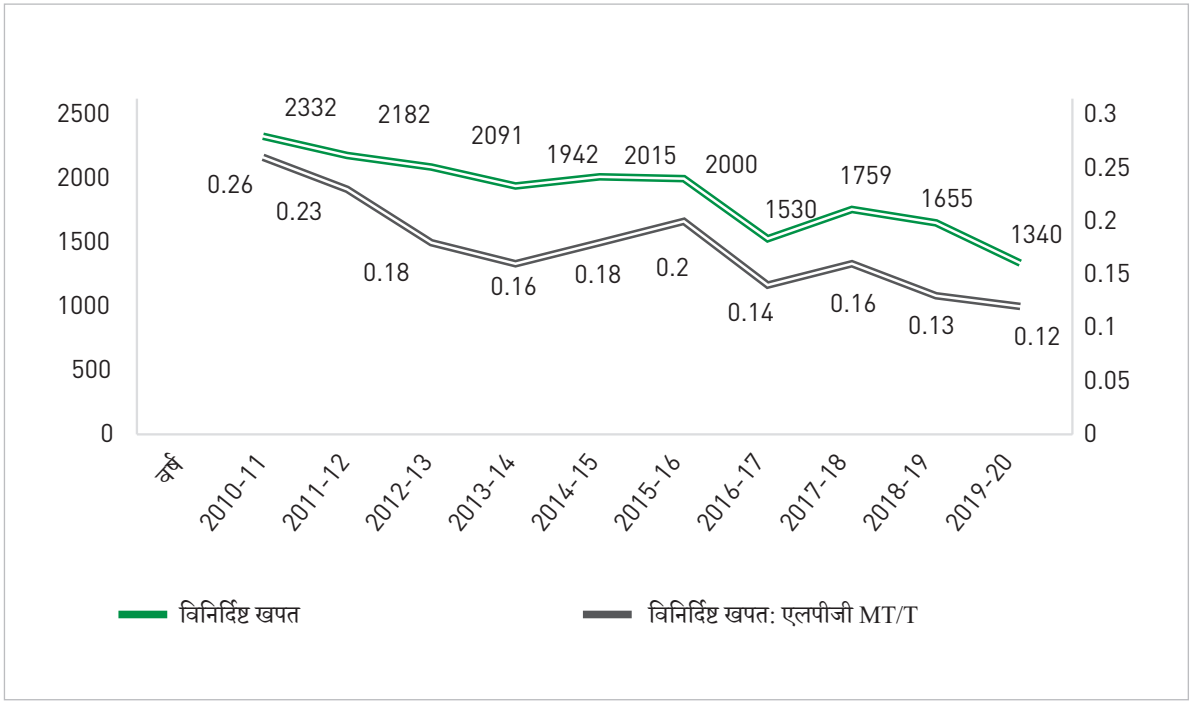

– हमारे 4 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टीएसएसपीडीसीएल और टीएसट्रांस्को के साथ ओपन एक्सेस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

– सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा इस वर्ष ₹ 278 लाख मूल्य की सौर ऊर्जा उत्पन्न की गई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान उपभुक्त ऊर्जा और एलपीजी का सारांश नीचे प्रस्तुत है:

क्र.सं.	विवरण	इकाई	2019-20	2018-19
1	बिजली की वार्षिक खपत	केडब्ल्युएचआर (करोड़ में)	5.45	4.79
2	एलपीजी की वार्षिक खपत	एमटी	4979.28	4160.27
3	उत्पादन में बिजली की विशिष्ट खपत	केडब्ल्युएचआर-एमटी (उत्पादन)	1340.09	1654.86
4	उत्पादन में एलपीजी की विशिष्ट खपत	एमटी(एलपीजी) एमटी(उत्पादन)	0.12	0.126

विपणन और व्यापार विकास:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मिधानि ने ₹ 78,601 लाख के आदेश प्राप्त किए। 01-04-2020 तक ऑर्डर बुक की स्थिति ₹ 1,68,700 लाख रही है। इस ऑर्डर बुक और पाइपलाइन में आगे के आदेशों के साथ, कंपनी आने वाले वर्षों के लिए लाभप्रद मुनाफे के साथ अच्छी वृद्धि के लिए तत्परता के साथ है। क्षेत्रवार प्राप्त आदेश की सूची निम्नानुसार है:

क्षेत्र	आदेशों का कुल मूल्य (₹ लाख में)
रक्षा	22,889
अंतरिक्ष	50,652
ऊर्जा	2,756
अन्य	2,304
कुल	**78,601**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निष्पादित किए गए कुल आदेश ₹ 71,287 लाख के थे और क्षेत्रवार पूरे किए आदेश निम्नानुसार हैं:

क्षेत्र	आपूर्ति का कुल मूल्य (₹ लाख में)
रक्षा	18,674
अंतरिक्ष	39,385
ऊर्जा	9,127
अन्य	4,101
कुल	**71,287**

व्यापार विकास: मिधानि के लिए नए व्यवसाय के अवसरों की खोज करते हुए व्यापार विकास दल ने उन क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ भारत सरकार के 'मेक-इन-इंडिया' कार्यक्रम लागू कर आयात को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पहचाने गए प्रमुख क्षेत्र इस प्रकार हैं:

– **भारतीय रेलवे:** मिधानि के दल ने आरडीएसओ, आईसीएफ और रेलवे की अन्य उत्पादन इकाइयों के साथ मिलकर काम किया है और विभिन्न आवश्यकताओं के समाधान प्रदान करने में मदद करने के लिए कदम बढ़ाए हैं। आगामी स्प्रिंग विनिर्माण इकाई और वाइड प्लेट मिल, एलएचबी स्प्रिंग्स के आयात प्रतिस्थापन और रेलवे के उपयोग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्लेट्स प्रदान करने में उपयोगी होगी। मिधानि रेलवे बोर्ड और आरडीएसओ के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि एक्सलेस के लिए स्वयं को भारतीय स्रोत के रूप में विकसित किया जा सके।

– **आटोमोबाइल क्षेत्र:** यह उच्च आयात सामग्री के साथ एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी क्षेत्र है। मिधानि ने औजार के स्टील का विकास किया है और इस क्षेत्र के बाजार मार्गदर्शक से भी संपर्क किया गया है।

– **बायो-मेडिकल प्रत्यारोपण:** इस व्यावसायिक क्षेत्र की समीक्षा की जा रही है और नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

कंपनी ने उत्पादों / ब्रांड के प्रचार के लिए प्रदर्शनी / संगोष्ठियाँ:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मिधानि ने निम्नलिखित प्रदर्शनियों में भाग लिया:

– मिधानि ने लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 तक आयोजित डेफेएक्सपो 2020 के 11 वें संस्करण में भाग लिया। डिफेंसएक्सपो 2020 में माननीय आरएम, माननीय यूपी सीएम, माननीय आरआरएम, रक्षा सचिव, डीआरडीओ अध्यक्ष और सचिव (रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग) तथा भारत सरकार एवं यूपी राज्य सरकार के अन्य प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित 'बंधन' समारोह में मिधानि ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ आठ (8) समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

डॉ. एस के झा, निदेशक (उ. एवं वि.), मिधानि ने माननीय मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक, रक्षा राज्य मंत्री को डेफेक्स्पो 20 में मिधानि स्टाल पर प्रदर्शित प्रदर्शनी के बारे में जानकारी दी।

गुणता प्रबंधन गतिविधियां:

कड़े गुणवत्ता की आवश्यकता को पूरा करने के बाद स्टेनलेस-स्टील ग्रेड एमडीएन 304एल के विशेष फोर्जिंग "लैट्टिक ट्यूब" की सफलतापूर्वक सुपुर्दगी की गई है जो कि एक आयात विकल्प है।

अनुकूलित ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से गुणता नियंत्रण परीक्षण डेटा ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा लागू की गई।

पहली बार, कड़े रेडियोग्राफी मानदंडों और आयातित कास्टिंग की तुलना में अन्य गुणवत्ता जांचों को पूरा करने के बाद विभिन्न प्रकार की टाइटेनियम अलॉय कास्टिंग आकांक्षा को सुपुर्द किए गए।

रासायनिक एवं यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल का निगरानी लेखा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने पर अप्रैल 2020 तक प्रमाणपत्र का नवीकरण किया गया।

एएस9100 (2016) और आईएसओ 9001 (2015) मिधानि के गुणता प्रबंधन प्रणाली का निगरानी लेखा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और अक्टूबर 2020 तक प्रमाणपत्र का नवीकरण किया गया।

आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन निष्पादन:

एम एस ई विक्रेता सम्मेलन: मिधानि ने एमएसई की भागीदारी को प्रोत्साहित करने तथा बढ़वा देने के लिए और मिधानि द्वारा सिर्फ एमएसई के लिए आरक्षित वस्तुओं के मूल्य निर्धारण एवं उनके लाभ को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए आयोजित एक सम्मेलन सहित एमएसई उद्यमियों के लिए दो विक्रेता सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

डॉ. एस के झा, निदेशक (उ. एवं वि.),
मिधानि ने एमएसई वेंडर मीट - 2019 को संबोधित किया।

छोटे / मझोले उद्योगों को प्रोत्साहित करना: मिधानि नियमित रूप से एमएसएमई को विभिन्न वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने प्रोत्साहित व विकसित करती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान एम एस ई इकाइयों से प्राप्त वस्तुओं / सेवाओं का प्रतिशत मूल्य खरीद के कुल घरेलू मूल्य का 28.65% रहा। सभी मानवशक्ति अनुबंधों को एमएसई खरीद बढ़ाने के लिए एमएसई विक्रेताओं द्वारा विशेष भागीदारी के लिए आरक्षित किया गया है।

इंटीग्रिटी पैक्ट (आई पी): सभी अनुबंधों में पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए मिधानि द्वारा सभी उच्च मूल्य खरीदी मांग से संबंधित बोलीदाताओं के साथ "इंटीग्रिटी पैक्ट" पर हस्ताक्षर किया जा रहा है। वर्तमान में श्री आर मुकुंदन मिधानि में इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर (आई ई एम) का पद संभाल रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान अनुबंध / पीओएस कुल मूल्य का लगभग 90% आईपी के अंतर्गत रहा।

ई-खरीद: खरीदारी में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मिधानि अपनी खरीद ई-खरीद प्रक्रिया से कर रही है। वर्ष 2019-20 के दौरान अपरिहार्य मामलों के अलावा अन्य कुल खरीद के 97% की खरीद ई-खरीद मोड के माध्यम से की गई।

जोखिम प्रबंधन:

मिधानि में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है और मिधानि में विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल जोखिमों पर आंतरिक उत्पादन समीक्षा बैठकों और नैगम प्रबंधन समिति की बैठकों में समय-समय पर चर्चा की जाती है। सेबी के विनियम 21 (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ विनियम, 2015 (सेबी सूची विनियम) के संदर्भ में एक जोखिम प्रबंधन समिति का भी गठन किया गया है। कंपनी द्वारा सामना किये जा रहे जोखिम भरे तत्वों की पहचान प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में की जाती है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

मानव संसाधन विकास:

मानव संसाधन को हमारे संगठन की सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है। मिधानि ने अपने संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्साहित, प्रतिबद्ध और संतुष्ट कार्य बल का निर्माण करना जारी रखा है। इसका उद्देश्य कंपनी का तेजी से विकास के लिए प्रौद्योगिकी के साथ टैलेंट मैनेजमेंट पहल को मिलान करना है। मिधानि मानती है कि उसकी सबसे महत्वपूर्ण परिसंपत्ति उसके कर्मचारी हैं और ये ही प्रतियोगिता का सामाना करने के लिए बहुत बड़ा अंतर का निर्माण कर सकते हैं। वर्तमान रुझानों को ध्यान में रखते हुए, कई एचआर नीतियां अद्यतन, संशोधित और आरंभ की गई हैं।

मानव शक्ति का स्थिति: 31 मार्च 2020 को मिधानि की मानव शक्ति के अंतर्गत 470 गैर-कार्यापलक, 54 गैर-संघीय पर्यवेक्षक और 262 कार्यपालक रहे हैं जब कि 31 मार्च 2019 को 469 गैर-कार्यापलक, 65 गैर- संघीय पर्यवेक्षक और 257 कार्यपालक थे।

31 मार्च 2020 को आपकी कंपनी की स्थायी श्रेणी के अंतर्गत कुल मानव शक्ति निम्नानुसार है:

विवरण	गैर-कार्यापलक	गैर- संघीय पर्यवेक्षक	कार्यपालक	कुल
पुरुष	421	54	233	708
स्त्री	49	0	29	78
कुल	**470**	**54**	**262**	**786**

अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./शा.वि के प्रतिनिधित्व और उनकी भर्ती आदि संबंधी विवरण **अनुलग्नक : II** में रखा गया है।

कर्मचारी कल्याण पहल: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान की गई विभिन्न कर्मचारी कल्याण पहलें निम्नानुसार हैं:

- **छोटे परिवार के मानदंडों को प्रोत्साहित करना:** छोटा परिवार रखने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रबंधन द्वारा नसबंदी ऑपरेशन के प्रकार के आधार पर एक नीति के रूप में नसबंदी ऑपरेशन कराने वाले कर्मचारियों को 6 से 14 दिनों के आकस्मिक अवकाश की अनुमति दी जाती है।
- **सामाजिक दायित्व / कल्याणकारी कार्यक्रम:** एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों के हमारे कर्मचारियों के मेधावी छात्रों / बच्चों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। ऊपर बताई गई तीनों श्रेणियों के प्रति एक

बच्चे को जिसने मार्च / अप्रैल में संपन्न दसवीं की या समकक्ष परीक्षा में उच्चतम (%) प्राप्त करने पर 1000 / - रुपये और जिसने 75% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उसे 500 / -रूपये नकद पुरस्कार दिए गए। कंपनी की योजना के अनुसार धातुकर्म इंजीनियरिंग में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 1000 / - प्रति माह, स्नातक पूरा होने तक दी जाती है।

- **सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना (पी आर एम बी एस):** 01.01.2007 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों और गैर-यूनियनाइज्ड पर्यवेक्षकों के लिए पी आर एम बी एस और 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए समूह चिकित्सा बीमा योजना लागू की गई और लाभार्थियों अर्थात कार्यपालक, गैर-संघीय पर्यवेक्षक और गैर-कार्यपालकों को चिकित्सा बीमा कार्ड जारी किए गए। 1 जनवरी, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए गैर-कार्यपालकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना 1 मई, 2017 से लागू की गई थी।

- **स्कूल:** कंपनी द्वारा मिधानि के कर्मचारियों के बच्चों के लाभार्थ मिधानि आवास परिसर में ब्रह्म प्रकाश डी ए वी स्कूल चलाया जाता है। स्कूल में बच्चे के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है, जिसमें पाठ्येतर गतिविधियाँ जैसे खेल, स्काउट और गाइड आदि शामिल हैं। छात्रों ने पढ़ाई, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। बी पी डी ए वी में अध्ययनरत कर्मचारी के बच्चों के लिए प्रतिमाह ₹ 500 / - प्रति बच्चा कंपनी द्वारा (अधिकतम 2 बच्चे) भुगतान किया जाता है।

- **टाउनशिप:** मिधानि ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना जारी रखते हुए कंपनी की आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की आवास की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवस परिसर का रखरखाव करती है जिसमें 87 क्वार्टर्स उपलब्ध हैं।

- बीपीडीएवी स्कूल में अध्ययन करने वाले मिधानि के कर्मगार / कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति: कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी पहल के एक भाग के रूप में और कर्मचारियों के बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिधानि में सभी कर्मचारियों के बच्चों को मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कोई बच्चा जो कक्षा एक से दसवीं तक में पढ़ रहा है और जिसने पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, वह मेरिट छात्रवृत्ति क्रमशः ₹ 6,000/- और ₹ 3000/- प्रति वर्ष के लिए पात्र होगा।

महिला सशक्तिकरण: मिधानि अपनी महिला कर्मचारियों को उनकी क्षमता का एहसास कराने, प्रतिबद्धता के साथ काम करने के लिए जिम्मेदारी लेने और वे जो करती हैं उस पर गर्व करने तथा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योगदान देने के लिए आवश्यक मंच प्रदान कर रहा है। मिधानि की महिला कर्मचारी कार्यपालक, पर्यवेक्षी और गैर-कार्यपालक कैडर में कार्यरत हैं, जो कंपनी के सभी कार्यों से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि सामग्री खरीद, उत्पादन, रखरखाव, निपटान के अलावा सिविल, वित्त, मानव संसाधन और विपणन आदि सेवाओं में सहयोग प्रदान कर रही हैं। कंपनी के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में पुरुषों के साथ सामूहिक रूप से काम करने वाली कुल 81 महिला कर्मचारी हैं।

कर्मचारी और उनसे संबंधित प्रकटीकरण के विवरण:

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना 05 जून, 2015 को जीएसआर 463 (ई) के अनुसार सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और उसके नियमों से छूट दी जाती है।

प्रशिक्षण और विकास:

मिधानि में उचित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल का निरंतर उन्नयन किया जाता है। यह मिधानि के ध्यान दिए जाने वाले प्रमुख कार्यों में से एक है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मिधानि ने प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष तीन (3) मानव दिवस प्रशिक्षण प्राप्त किया।

संयंत्र का दौरा: वर्ष के दौरान उद्योग-अकादमी-इंटरफ़ेस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संगठनों से लगभग 328 पेशेवरों / अधिकारियों / कर्मचारियों की भागीदारी से 12 संयंत्र के दौरे आयोजित किए गए।

परियोजना कार्य: प्रतिष्ठित संस्थानों / सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के विभिन्न संकायों में अध्ययनरत 50 इंजीनियरिंग छात्रों को भी उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में प्रोजेक्ट्स / इंटर्नशिप प्रशिक्षण देने की अनुमति गई।

शिक्षुता प्रशिक्षण: मिधानि प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन सभी अनिवार्य सांविधिक आवश्यकताओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के अंतर्गत 6 माह की अवधि के लिए दो बैचों में सरकारी पोलिटेकनिक कॉलेज से 30 सैंडविच डिप्लोमा इंजीनियरिंग (धातुकर्म) छात्रों ने नौकरी पर रहने के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न सरकारी पॉलिटेकनिक कॉलेजों के 15 गैर-वजीफा डिप्लोमा छात्र को औद्योगिक प्रशिक्षण दिया गया। इलेक्ट्रिशिएन, फिट्टर, वेल्डर, मेकानिस्ट और टर्नर ट्रेड के 85 प्रशिक्षुओं ने एक वर्ष के लिए नौकरी पर रहने के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया है। इसी तरह 40 स्नातक शिक्षु प्रशिक्षु (जीएटी) और 20 तकनीशियन शिक्षु प्रशिक्षु (टीएटी) एक वर्ष के प्रशिक्षण कार्य के लिए योजना के अंतर्गत एंगेज किए गए।

सांविधिक और सामाजिक बाध्यताएं:

नैगमिक सामाजिक दायित्व (सीएसआर):

- कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार मिधानि की नैगमिक सामाजिक दायित्व और सतत विकास नीति मिधानि के निदेशख मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है और यह कंपनी की वेबसाइट www.midhani-india.in पर भी उपलब्ध है। समीक्षाधीन वर्ष के लिए मिधानि द्वारा अपने सी एस आर गतिविधियों पर ₹ 395.27 लाख का व्यय किया गया है। यह राशि अनिवार्य व्यय ₹ 384.28 लाख से अधिक रही है। इस प्रकार, मिधानि द्वारा पिछले वर्षों में किए गए सीएसआर व्यय के मिलान से ज्ञात होता है कि यह राशि ₹ 2,488.27 लाख से अधिक हो गई है।

- कंपनी (नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत अनिवार्य कंपनी की नैगमिक सामाजिक दायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट **अनुलग्नक - III** में रखी गई है। मिधानि की नैगम सामाजिक दायित्व समिति की संरचना "निगम शासन पर रिपोर्ट" में दी गई है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा निम्नानुसार नैगम सामाजिक दायित्व के अंतर्गत परियोजनाएं की गयीं:

(i) स्वास्थ्य निगरानी और साफ सफाई की प्रोन्नति

(ii) शिक्षा की प्रोन्नति

(iii) कौशल विकास

(iv) अन्य

(i) स्वास्थ और साफ-सफाई की प्रोन्नति :

(1) **शौचालयों का निर्माण:** लगभग ₹ 113.81 लाख के कुल परियोजना व्यय से कोठागुडेम, जेडपीएचएस जिल्लेलगुडा, चोटुप्पल, जेडपीएचएस भोंगिर जिले के नौ (9) सरकारी स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया गया। इससे लड़कों और लड़कियों सहित 2000 छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है।

सीपीएस जिल्लेलगुड़ा के सरकारी स्कूल में सीएसआर पहल के तहत शौचालय का निर्माण।

(2) **स्वच्छ भारत के अंतर्गत मिधानि द्वारा निर्मित शौचालयों का वार्षिक रखरखाव:** नियमित उपयोग सुनिश्चित करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मिधानि द्वारा ₹ 31.46 लाख का व्यय कर विभिन्न सरकारी स्कूलों, आईटीआई- अलवाल, परिगी मंडल रंगा रेड्डी, भोंगिरी जिला, खम्मम और चोटुप्पल में शौचालय ब्लॉक का रखरखाव और नियमित मरमत्त की गई है। इससे लगभग 8000 छात्रों को फायदा हुआ है।

मिधानि आवास में स्थित चैरिटेबल चिकित्सा केंद्र।

(3) **चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर:** मिधानि के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों के लिए मिधानि द्वारा एक चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर की स्थापना की गई है। मरीजों को मुफ्त में बेसिक चेकअप और दवाइयां दी जाती हैं। डॉक्टर की भर्ती और दवाओं के लिए ₹ 5.37 लाख खर्च किए गए हैं।

(4) **जैव-प्रत्यारोपण प्रदान करना:** मिधानि ने जरूरतमंद मरीज को ₹ 0.45 लाख की लागत वाला कृत्रिम टाइटेनियम घुटना प्रदान किया।

(5) **शिक्षा की प्रोन्नति :**

(1) **सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन:** मिधानि द्वारा ₹ 30 लाख खर्च करके अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन प्रायोजित किया गया।

(2) **दोहरी डेस्कों का वितरण:** मिधानि ने कोठागुडेम (आकांक्षी जिला) के सरकारी स्कूल को 815 दोहरे डेस्क प्रायोजित किए।

कोत्तगुडेम के सरकारी स्कूलों के लिए मिधानि द्वारा दोहरी डेस्क प्रायोजित।

(3) **निम्न आय वर्ग के लिए शिक्षा:** अ.जा. / अ.ज.जा. वर्ग के उन बच्चों को एलकेजी में प्रवेश दिया जाता है जिनके माता-पिता निम्न आय वर्ग में आते हैं। उनके 10 वीं कक्षा पूरी

करने तक पूरी फीस मिधानि द्वारा वहन की जाती है। इस वर्ष, कंपनी ने ऐसे 7 (सात) बच्चों के लिए शिक्षा प्रायोजित की है।

(4) **पुरस्कार और सम्मान:** समाज के कमजोर वर्ग के प्रति नैगम सामाजिक दायित्व के भाग के रूप में, अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. श्रेणियों के कमजोर वर्ग के बच्चे जो बीपीडीएवी स्कूल की कक्षा एक से दसवीं तक अपने-अपने वर्ग में प्रथम स्थान पर रहे हैं, उन्हें नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

(5) कौशल विकास:

– उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण: मिधानि में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की गई है और उत्कृष्टता केंद्र के संचालन को शुरू करने के लिए बुनियादी ढाँचे का काम शुरू किया गया है।

सीएसआर के तहत मिधानि में अत्याधुनिक कौशल विकास केंद्र 'उत्कृष्टता केंद्र' नामक स्थापित किया गया।

– सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद को सहयोग: मिधानि ने सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद को रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) को बढ़ावा देने के लिए ₹10 लाख की सहायता प्रदान की। यह भारत सरकार की माननीय प्रधान द्वारा शुरू की गई एक पहल है।

– खेलों को बढ़ावा: वर्ष के दौरान, खेल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) में ₹ 25 लाख की राशि का सहयोग प्रदान किया गया।

(6) अन्य: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नैगम सामाजिक दायित्व के कार्यों में ₹ 0.25 लाख खर्च किए गए।

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक शोषण के अंतर्गत प्रकटन (रोकथाम, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013:

आपकी कंपनी का सदा विश्वास रहा है कंपनी के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित और शोषण मुक्त कार्यस्थल प्रदान किया जाए विशेषा कर महिलाओं के लिए ताकि भेदभाव, शोषण और लैंगिक रूप से शोषण मुक्त वातावरण प्रदान किया जा सके। इसके लिए कंपनी ने कार्यस्थल में लैंगिक शोषण की रोकथाम के लिए एक मजबूत नीति बनाई है । कंपनी में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) उपलब्ध है जो लैंगिक शोषण से संबंधित शिकायतों का समाधान करती है और नीति में प्रदान किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करती है । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को लैंगिक शोषण से संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली है और वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में ऐसी कोई शिकायत लंबित नहीं है।

सरकारी खजाने में योगदान:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, आपकी कंपनी ने लाभांश, शुल्कों और कर के रूप में पिछले वर्ष के ₹ 16,272.22 लाख की तुलना में ₹ 17,013 लाख का योगदान दिया है।

वार्षिक विवरणियों का उद्धरण :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदान किए गए वार्षिक विवरणियों के उद्धरण अनुलग्नक-IV में हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेशी मुद्रा अर्जन और निकासियों पर रिपोर्ट:

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेशी मुद्रा अर्जनों और निकासियों पर रिपोर्ट अनुलग्नक-V में प्रस्तुत है।

व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट:

सेबी लिस्टिंग विनियमों के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार कंपनी द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से की गई पहल का वर्णन करने वाली संव्यवहार दायित्व रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुलग्नक- VI में संलग्न किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन:

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन: मिधानि ने एक सार्वजनिक प्राधिकारी के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपनी बाध्यताओं का निर्वाह करना जारी रखा है । वर्ष के दौरान सूचना की मांग करने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है। जानकारी तक नागरिकों की पहुँच के लिए और कंपनी के दर्शन व निगम प्रशासन के एक भाग के रूप में मिधानि से संबंधित समाचार और घटनाक्रम कंपनी की वेब साइट पर निरंतर अद्यतन किए जाते हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन:

मिधानि द्वारा कार्यालयीन संदर्भ में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, राजभाषा अधिनियम

1963, इसके अंतर्गत निर्मित राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार बिना किसी विचलन के अनुपालन किया जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

मिधानि ने राजभाषा के रूप में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करना जारी रखा है और कार्यालय के दैनिक कामकाज में राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान कर्मचारियों के लिए छह (6) हिंदी जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कर्मचारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ हिंदी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए गए।

सितंबर 2019 के महीने में बड़े पैमाने पर हिंदी के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से "हिंदी पक्षोत्सव" का आयोजन किया गया और 11 जनवरी 2020 को "विश्व हिंदी दिवस" मनाया गया। इस अवसर पर, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 'कार्यालय का कामकाज राजभाषा में करने के लिए प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत 46 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार और 10 कर्मचारियों को प्रशंसा प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

डॉ. एस के झा, निदेशक (उ. एवं वि.), मिधानि द्वारा विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलन।

संबंधित पार्टी संव्यवहार:

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी इंडस्ट्रीज़ एएस -24 के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन का खुलासा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक खातों के भाग के रूप में प्रस्तुत नोटों के 40 नंबर पर दिया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा सभी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन, कंपनी के व्यापार की सामान्य गति में और क्षमता की शर्तों पर किए गए थे। संबंधित पार्टी लेनदेन को समीक्षा और / या अनुमोदन के लिए लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा गया था।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने संबंधित पार्टी के साथ किसी भी अनुबंध / व्यवस्था / लेनदेन नहीं किया है, जिसे कंपनी की 'भौतिकता और संबंधित पार्टी के लेन-देन से निपटने की नीति ' के अनुसार सामग्री माना जा सकता है और तदनुसार, फॉर्म एओसी-2 में संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटन लागू नहीं है। उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर उपलब्ध है।

सतर्कता गतिविधियाँ :

वर्तमान में, डॉ. उपेंद्र वेन्नम, भारतीय डाक सेवा अधिकारी, कंपनी की सतर्कता व्यवस्था के प्रमुख और मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं। सतर्कता विभाग का महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र निवारक सतर्कता रहा है और उस पर रिपोर्टाधीन वर्तमान वर्ष के दौरान ध्यान केंद्रित किया गया है। सतर्कता विभाग ने नियमित आधार पर खरीद / उप-अनुबंधों और प्रक्रियाओं की जांच की, नियमित और औचक निरीक्षण किए और किसी भी संदिग्ध लेनदेन के घटनाओं की जांच की। सतर्कता विभाग की नियमित गतिविधियाँ में अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी के बीच संरचित बैठकें और सीटीई प्रकार के निरीक्षण शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी के सदुपयोग से संबंधित सीवीसी के दिशानिर्देशों के क्रम में और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित कार्यों को प्रचालित किया गया:

- ई-खरीदी: 90% से अधिक खरीदी (मूल्य के अनुसार) "छूट दी गई श्रेणी के अतिरिक्त" ई-खरीदी मोड के अंतर्गत रखी गई है।
- विक्रेताओं को ई-भुगतान / बैंक हस्तांतरण।
- ठेकेदारों द्वारा बिल ट्रैकिंग के लिए ऑनलाइन प्रणाली शुरू की गई है।
- सभी कार्यपालकों के लिए वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर) ऑनलाइन भरने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और वे सभी अपना एपीआर ऑनलाइन भर रहे हैं।
- सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी) लागू किया गया और 01.10.2017 से मिधानि में ₹ 40 लाख के सीमा मूल्य का पालन किया जा रहा है। मिधानि में उपर्युक्त अवधि के दौरान आईपी के अंतर्गत आने वाले अनुबंधों का प्रतिशत (मूल्य-वार) 100% रहा है।
- सभी कर्मचारियों को सतर्कता निकासी ऑनलाइन प्रदान की जाती है।

मिधानि में सतर्कता व्यवस्था जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा जागरुकता की भावना उत्पन्न करके कंपनी के सभी लेनदेन और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और इक्विटी लाने का प्रयास कर रही है। वर्ष के दौरान किए गए कुछ प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- 28 अक्टूबर से 02 नवंबर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया जो "सत्यनिष्ठा-जीने की राह" के सीवीसी विषय पर केंद्रित रहा। इसमें स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को शामिल किया गया। मिधानि की सतर्कता गृह पत्रिका "जागृति" के सातवाँ अंक प्रकाशित करके सभी कर्मचारियों में वितरित किया गया जिसमें संदेश, केस स्टडी आदि शामिल थे।
- दिनांक 03.05.2018 के सीवीसी परिपत्र संख्या 02/04/18 के अनुसरण में भिन्न खरीद आदेशों और अनुबंधों के लिए मिधानि में जमा किए गए अपने बिल की स्थिति प्राप्त करने हेतु आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों की सुविधा के लिए कंपनी की वेबसाइट में एक समर्पित ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग मॉड्यूल लागू किया गया, जो

श्री ए. वाई. वी. कृष्णा, आईपीएस, संयुक्त निदेशक, सीबीआई, हैदराबाद द्वारा मिधानि के निदेशकों की उपस्थिति में सतर्कता जागरूकता सप्ताह में "आंतरिक व्हिसल ब्लोअर नीति" पुस्तिका का विमोचन।

सतर्क तंत्र:

23 जनवरी, 2013 को आयोजित 206 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई व्हिस्ल ब्लोअर पॉलिसी मिधानि के सतर्क तंत्र के रूप में कार्य कर रही है। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रिज़ॉल्यूशन, 2004 (PIDPI) के अनुपालन में व्हिसिल ब्लोअर नीति के रूप में - 2018 का संशोधन किया गया, जिसमें एक ऐसे तंत्र की परिकल्पना की गई है जिसके द्वारा शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज मामलों की ओर ध्यान आकर्षित सकता है और ऐसा करने के बाद स्वयं को पीड़ित होने से बचा के लिए सुरक्षा की मांग भी कर सकता है।

व्हिसल ब्लोअर नीति - 2018 मिधानि के सतर्क तंत्र के रूप में काम करती है और इसका उद्देश्य मिधानि के हितधारकों को उन मुद्दों की रिपोर्ट करने के तरीके और साधन प्रदान करना है, जो मिधानि को एक संगठन के रूप में प्रभावित कर सकते हैं। मिधानि की व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर उपलब्ध है।

प्रबंधन को अनैतिक व्यवहार के स्थितियों और घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा बनाई गई "आंतरिक व्हिसल ब्लोअर नीति" को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे सभी कर्मचारियों में वितरित किया गया।

पुरस्कार और सम्मान:

- "मिधानि में उत्पाद और प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और विविधीकरण" परियोजना के लिए मिधानि को जून 2019 में नई दिल्ली में स्कॉच समूह (भारत में सर्वोच्च स्वतंत्र सम्मान) द्वारा "कॉर्पोरेट उत्कृष्टता" के लिए "स्वर्ण पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- मिधानि को अगस्त 2019 में नई दिल्ली में आईबीसी मीडिया यूएसए द्वारा भारत की सबसे "विश्वसनीय कंपनी 2019" उपाधि से सम्मानित किया गया।
- श्री संजीव सिंघल, पूर्व निदेशक- (वित्त) को सितंबर 2019 में बेंगलुरु में सीएमओ ग्लोबल द्वारा "सर्वश्रेष्ठ सीएफओ" (धारित संपत्ति सृजन में उत्कृष्टता) उपाधि से सम्मानित किया गया।
- डॉ. दिनेश कुमार लेखी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि को दिसंबर 2019 में नई दिल्ली में "ईटी नाउ प्रेजेंट्स स्टार ऑफ द इंडस्ट्री अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड्स" कार्यक्रम में "कॉर्पोरेट लीडरशिप इन सस्टेनेबल परफॉर्मेंस" उपाधि से सम्मानित किया गया।
- डॉ. दिनेश कुमार लेखी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि को फरवरी 2020 में नई दिल्ली में "गवर्नेंस नाउ द्वारा 7वें पीएसयू अवार्ड्स" कार्यक्रम में 'लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया गया।
- डॉ. दिनेश कुमार लेखी, पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि को ईटी नाउ द्वारा फरवरी 2020 में मुंबई में 'बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड' से सम्मानित किया गया।

कंपनी का प्रदर्शन और भविष्य की संभावना:

इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में समीक्षाधीन वर्ष के लिए प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण के अंतर्गत आपकी कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन एवं परिचालन का विस्तृत विश्लेषण और भविष्य की संभावना पर अंतर्दृष्टि प्रस्तुत की गई है।

नैगम शासन:

कंपनी के निर्णय लेने के प्रत्येक पहलू पर नैगम शासन के मौलिक सिद्धांतों और दर्शन का अक्षरश: पालन किया जाता है जो अच्छे नैगम शासन के लिए समकालिक मांग के अनुरूप है और समय-समय पर सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये संशोधित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार है । व्यापार आचरण की संहिता और निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू नैतिकता का कंपनी में कार्यान्वयन किया गया । इसके पालन की पुष्टि संबंधित सदस्यों के द्वारा वार्षिक आधार पर की गयी है । इस आशय का प्रमाण-पत्र मुख्य कार्यपालक से मिला जो नैगम शासन पर रिपोर्ट का अंग है।

नैगम शासन पर विस्तृत रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का भाग है। इस संबंध में डीपीई और सेबी लिस्टिंग विनियमों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पालन से संबंधित कंपनी में कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र भी इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

नैगम शासन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालन के मामले में सीपीएसईयों के संशोधित ग्रेडिंग नियमों के अनुरूप आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 100% की रेटिंग प्राप्त की है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता:

कंपनी ने वित्तीय औचित्य सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रण एवं प्रणालियाँ बनाई हैं। हम मानते हैं कि शासन के सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन आवश्यक शर्तें हैं। हमारे पास प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिससे किसी भी प्रकार के नुकसान से हमारी परिसंपत्तियों की संरक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दैरान बाह् लेखा परीक्षा फर्म मेसर्स पेरी एंड कंपनी को आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त किया गया। इससे प्रणाली और नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिली। इसके बाद बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा समिति द्वारा उनकी रिपोर्ट समीक्षा की गई। इसके अलावा मिधानि की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम ने भी विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा की

जाती है। सुधारात्मक कार्यों के साथ आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ चर्चा की जाती है और बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसकी समीक्षा की जाती है। लेखा परीक्षा समिति भी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) और इसके अंतर्गत बनाए नियमों के अनुसार लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति को सौंपी गई रिपोर्ट में धोखाधड़ी के कोई उदाहरण नहीं हैं। इसलिए धारा 134 (3) (सीए) के अंतर्गत कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

निदेशक मंडल:

आपकी कंपनी के मंडल में आठ (8) निदेशक शामिल हैं अर्थात् तीन (3) कार्यात्मक निदेशक, एक (1) सरकारी नामिती निदेशक और चार (4) गैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक। इन सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को विविध क्षेत्रों से विस्तृत अनुभव है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए गए:

- दिनांक 22 नवंबर 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रपति आदेश के साथ जारी पत्र PC. No 11(57)/2017/MDN/D(NS) के अनुसार 30 नवंबर 2019 से श्री इंद्रगंटी वेंकटेश्वर शर्मा (डीआईएन: 02144740), डॉ. ज्योति मुखोपाध्याय (डीआईएन: 02224647) और डॉ. उषा रामचंद्र (महिला स्वतंत्र निदेशक) (डीआईएन: 02831588) का कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहें।
- श्री संजीव सिंघल (डीआईएन: 07642358), निदेशक (वित्त), मुख्य वित्तीय अधिकारी (केएमपी) के रूप में मनोनीत ने 7 जनवरी, 2020 को मिधानि के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।
- सेवानिवृत्ति होने पर श्री डॉ. दिनेश कुमार लेखी (डीआईएन: 03552634), 30 अप्रैल, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नहीं रहें।
- प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रक्षा मंत्रालय ने 'कंपनी संघ के अनुच्छेद' के अनुच्छेद 67 के अनुसरण में दिनांक 30 अप्रैल, 2020 के राष्ट्रपति आदेश पत्र क्रमांक 5/1(2)/2018/D(NS) के माध्यम से डॉ. संजय कुमार झा (डीआईएन: 07533036) (निदेशक उत्पादन एवं विपणन) की 01 मई 2020 से उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि अर्थात 29 फरवरी 2020 या अगले आदेश, जो भी पहले हो तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि के पद पर नियुक्ति से अवगत कराया गया। तदनुसार, डॉ. एस के झा ने 01 मई, 2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं:

- निदेशक मंडल ने मनोनीत श्री एस.के. झा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को 30 जून, 2020 से कंपनी के पूर्णकालिक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में अपना अनुमोदन दिया।
- लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर निदेशक मंडल ने श्रीमती मधुबाला कल्लूरी को 30 जून, 2020 से कंपनी की मुख्य वित्त अधिकारी (केएमपी) के रूप में नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, डॉ. संजय कुमार झा आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में रोटेशन से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को फिर से नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं। आपके निदेशक आगामी एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के लिए डॉ. संजय कुमार झा की फिर से नियुक्ति की सिफारिश करते हैं।

आगामी एजीएम में निदेशक (कों) को नियुक्त / पुनः नियुक्त करने के प्रस्ताव के लिए बायोडेटा, विशेषज्ञता की प्रकृति, अन्य कंपनियों में निदेशक के पद पर रहने का विवरण, जैसा कि सचिवालय मानक -2 और सेबी लिस्टिंग विनियमावली के विनियम 36 के अंतर्गत निर्धारित है, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के साथ, आगामी एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जाता है।

निष्पादन मूल्यांकन: कंपनी एक सरकारी कंपनी है और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति / पुनः नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और उनके द्वारा सेवी लिस्टिंग विनियमों में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करने का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा अपनी प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों ने 30 नवंबर, 2019 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की एक विशेष बैठक में बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया।

पारिश्रमिक नीति:

मिधानि भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी के निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और उनका पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। मिधानि 'संघ के अनुच्छेद' के अनुच्छेद 67 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा। चूंकि बोर्ड स्तर की नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, इसलिए भारत सरकार द्वारा ऐसी नियुक्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशकों और सरकार द्वारा नामित निदेशक के उपस्थिति शुल्क के भुगतान की शर्तें कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, दिनांक 5 जून, 2015 की कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार धारा 178 (2), (3) और (4) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

स्वतंत्र निदेशकगणों की घोषणा और बैठक:

कंपनी के सभी स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वे दोनों, कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियम के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशकों ने यह भी पुष्टि की है कि उन्होंने कंपनी की "बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार आचरण और आचार संहिता" का अनुपालन किया है।

30 नवंबर, 2019 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित की गई जिसमें सभी स्वतंत्र निदेशक उपस्थित रहे।

निदेशकगणों के उत्तरदायित्वों की विवरणी:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अंतर्गत, आपके निदेशक कहते हैं कि:

(1) कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखों की तैयारी में लागू भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित सामग्री के प्रस्थान पर उचित स्पष्टीकरणों का पालन किया गया है।

(2) कि निदेशकगणों ने ऐसी लेखा नीतियां चुनी हैं और निरंतर उन्हें लागू किया गया और फैसले तथा अनुमान बनाये गये जो समुचित और विश्वसनीय थे ताकि वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च, 2020 और उसी तिथि अर्थात 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ की सच्ची और स्पष्ट स्थिति व्यक्त हो सके।

(3) कि निदेशकगणों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है, पर्याप्त लेखा अभिलेखों के निर्वाह के लिए उचित और पर्याप्त निगरानी की है ताकि कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा की जा सके और धोखाधडी पहचानकर अनियमितताओं को रोका जा सके।

(4) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के खाते 'व्यावसायिक निरंतरता की आवधारणा' के आधार पर तैयार किए गए हैं।

(5) समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लागू थे और ऐसे आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से संचालित हैं; तथा

(6) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियाँ तैयार की गई हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

लेखा परीक्षक:

वैधानिक लेखा परीक्षक: भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए खातों की लेखापरीक्षा के संचालन के लिए कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स बाशा एवं नरसिम्हन, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, [फर्म पंजीकरण सं. 006031S] हैदराबाद को नियुक्त किया। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसमें कोई संशोधन, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी शामिल नहीं की जा सकती है।

लागत लेखा परीक्षक: आपकी कंपनी ने कंपनी नियम (लागत रिकार्ड तथा लेखा परीक्षक) , 2014 के साथ पढ़े जाने वाले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 का अनुसरण करते हुए वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स संदीप झंवर एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार, हैदराबाद [फर्म पंजीकरण सं. 100283] को लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया।

सचिवीय लेखा परीक्षक: कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के संदर्भ में आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स आर एंड ए एसोसिएट्स, हैदराबाद [फर्म पंजीकरण सं. P1994AP011100] को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। कंपनी सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक - VII** पर इनके अवलोकन और प्रबंधन के उत्तर सहित संलग्न है।

आंतरिक लेखा परीक्षक: आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मेसर्स पेरी एंड कंपनी [फर्म पंजीकरण सं. 007288C] को आंतरिक लेखापरीक्ष के रूप में नियुक्त किया है।

भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणियां:

स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकगणों के प्रतिवेदन के बाद इस प्रतिवेदन में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों पर टीका-टिप्पणियां इस रिपोर्ट में रखी गई हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटन:

उधार और ऋण सेवा: समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने लिए गए ऋण के मूलधन और ब्याज के पुनर्भुगतान के अपने सभी दायित्वों को पूरा किया है।

दिए गए ऋणों का विवरण, किए गए निवेश, दी गई गारंटी / प्रतिभूतियां: किए गए निवेशों और दिए गए ऋणों / गारंटियों / प्रतिभूतियों का विवरण, जैसा लागू हो, वार्षिक वित्तीय विवरण के नोट नं 6,7 और 14 में दिया जाता है।

बोर्ड की बैठकें: 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, दिनांकः 29 मई 2019, 08 अगस्त 2019, 25 सितंबर 2019, 01 नवंबर 2019, 30 नवंबर 2019, 12 फरवरी 2020 और 03 मार्च 2020 को सात (7) बार बोर्ड की बैठकें हुईं। इन बैठकों के अधिक विवरण के लिए, सदस्य कृपया 'नैगम शासन पर रिपोर्ट' देख सकते हैं, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

बोर्ड समितियाँ: 31 मार्च 2020 को आपकी कंपनी में बोर्ड की नौ समितियाँ और एक शीर्ष आंतरिक समिति रही हैं जिन्हे नैगम प्रबंधन समिति कहा जाता है। निर्णय लेने के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए समितियों का गठन किया जाता है। बोर्ड समिति के बारे में अधिक जानकारी के लिए सदस्य कृपया 'नैगम शासन पर रिपोर्ट' देख सकते हैं जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

सचिवीय मानक: आपके निदेशकों का कहना है कि 'निदेशक मंडल की बैठक' और 'महासभा की बैठक' से संबंधित सचिवीय मानक अर्थात एसएस-1 और एसएस-2 का कंपनी द्वारा क्रमशः पालन किया गया है।

सामान्य सत्य घोषणा और प्रकटन:

आपके निदेशकों ने कहा है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी भी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई लेनदेन / घटनाएँ नहीं हुईं:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमा से संबंधित विवरण।

(2) लाभांश, वोटिंग या अन्यथा के रूप में अंतर अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।

(3) कंपनी की किसी भी योजना के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वेट इक्विटी शेयरों सहित) जारी करना।

इसके अलावा, आपके निदेशकों का कथन है कि:

(1) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

(2) वित्तीय वर्ष 2019-20 की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी की सामग्री में परिवर्तन / की प्रतिबद्धताएँ नहीं हुई हैं, जो आपकी कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं।

(3) नियामक या न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई भी महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किए गए जो भविष्य में 'व्यावसायिक निरंतरता की आवधारणा' की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करेंगे।

आभार प्रदर्शन:

निदेशकगण बड़े ही धन्यवाद सहित सभी सरकारी एजेंसियों विशेषकर रक्षा मंत्रालय, डीएई, डीआरडीओं के अंतर्गत की सभी स्थापनाओं और केंद्र तथा राज्य सरकार की सभी एजेंसियों द्वारा प्रदान किये गये मूल्यवान समर्थन और सहायता के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के वर्ष के दौरान विक्रेताओं, बैंकरों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक या आंतरिक लेखा परीक्षकगणों, अध्यक्ष लेखापरीक्षा समिति,अन्य समितियों के अध्यक्षों, सलाहकारों, परामर्शदाताओं आदि द्वारा कंपनी को उनके द्वारा दिये गये निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं।

आपके निदेशकगण कर्मचारियों और कार्यपालकों द्वारा प्रदान किये गये बेश कीमती योगदान और उत्कृष्ट सहयोग और हर स्तर पर कंपनी को अधिकतम ऊंचाइयों तक उभारने और भावी समयों में इसके वर्धन को टिकाये रखने के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं।

आपके निदेशकगणों ने कंपनी पर भरोसा और विश्वास करने के लिए सभी शेयरधारकों / निवेशकों की प्रशंसा की और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। आशा जताई है कि कंपनी को अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए उनका निरंतर समर्थन मिलता रहेगा।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
डॉ. एस. के. झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

नैगम शासन पर रिपोर्ट

कंपनी अभिशासन पर कंपनी का दर्शन:

मिश्र धातु निगम लिमिटेड (मिधानि) एक मिनी-रत्न श्रेणी - 1, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एक अच्छे निगम नागरिक के नाते मिधानि के नैगम शासन का दर्शन ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, पर्याप्त प्रकटन, कानूनी अनुपालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता और हितों के टकराव से बचने के सिद्धांतों पर आधारित है। मिधानि अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य संवर्धन की दिशा में लगातार ध्यान केंद्रित करने वाली नैगम शासन की बुनियादी आवश्यकताओं से भी बहुत अधिक प्रयास करता है।

मिधानि सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते नैगम शासन की आवश्यकताओं का पालन करती है, जो सार्वजनिक उद्यम विभाग और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए होती हैं। केंद्रीयकृत और पारदर्शी निर्णय लेने के लिए मिधानि में सशक्त प्रशासन व्यवस्था है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रमुख शासन प्रथाओं का पालन किया जाता है और उन्हें लागू किया जाता है:

- निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता।
- आंतरिक ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना का निष्पक्ष प्रकटन।
- कर्मचारियों के लिए आचरण, अनुशासन और अपील नियम।
- सभी अनुबंधों में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए मिधानि द्वारा सभी उच्च मूल्य खरीद आदेशपत्र में संबंधित बोलीदाताओं के साथ "सत्यनिष्ठा संधि" पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।
- हितधारकों को विभिन्न समाचारों और विकास के बारे में जागरूक करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन और मिधानि की वेबसाइट का नियमित अद्यतन किया जाता है।
- मिधानि का सतर्कता तंत्र का संचालन मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा किया जाता है। निवारक सतर्कता, सतर्कता विभाग का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है और सतर्कता विभाग प्रमुख खरीद / अनुबंधों की जाँच, नियमित और औचक निरीक्षण करता है।

नैगम शासन पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") और सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा नैगम शासन पर निर्दिष्ट दिशानिर्देश के अनुसार रिपोर्ट निम्नानुसार है:

निदेशक मंडल :

बोर्ड की संरचना

31 मार्च, 2020 तक बोर्ड में चार निदेशक शामिल थे, जिनमें दो गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल थे, जो सेबी लिस्टिंग विनियम के अनुसार है, जो यह व्यवस्था करता है कि निदेशक मंडल में आधे से कम गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल न हो। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, निदेशकों की निम्नलिखित कार्यकाल समाप्ति और इस्तीफे निम्नानुसार रहे:

(1) 22 नवंबर, 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेश पत्र PC. No 11(57)/2017/MDN/D(NS) के अनुसार श्री इंद्रगंटी वेंकटेश्वर शर्मा (डीआईएन: 02144740), डॉ. ज्योति मुखोपाध्याय (डीआईएन: 02224647) और डॉ. उषा रामचंद्र (महिला स्वतंत्र निदेशक) (डीआईएन: 02831588) 30 नवंबर, 2019 को उनके कार्यकाल की समाप्ति के कारण वे कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

(2) केएमपी के रूप में नामित, निदेशक (वित्त) श्री संजीव सिंघल ने 7 जनवरी, 2020 को मिधानि के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

उपर्युक्त कार्यकाल समाप्ति और इस्तीफे के कारण मिधानि के बोर्ड की संरचना सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 (1) (ए) और विनियमन 17 (1) (बी) और 17 (1) (सी) के अनुरूप नहीं है। चूंकि मिधानि एक पीएसयू है और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है, अत: बोर्ड में निदेशकों (कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशकों सहित) की नियुक्तियां भारत सरकार द्वारा की जाती हैं।

31 मार्च, 2020 तक निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार रही:

निदेशक का नाम	नियुक्ति की तिथि	निदेशकों के बीच परस्पर संबंध	डीआईएन
कार्यपालक निदेशक /कार्यात्मक निदेशक			
डॉ. दिनेश कुमार लेखी[#] अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1 सितंबर 2011	कोई नहीं	03552634
डॉ. संजय कुमार झा[@] निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	5 जुलाई 2016	कोई नहीं	07533036
सरकार द्वारा नामित निदेशक			
श्री संजय जाजू संयुक्त सचिव, (डीआईपी), रक्षा मंत्रालय	30 मई 2018	कोई नहीं	01671018
गैर-कार्यपालक – स्वतंत्र निदेशक			
श्री सुरेंद्र सिन्ह	9 अक्तूबर 2017	कोई नहीं	07960634

[#] 30 अप्रैल, 2020 को सेवानिवृत्ति के बाद अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नहीं रहे।

[@] 1 मई, 2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त और 3 माह की अवधि के लिए निदेशक (उत्पादन और विपणन) का भी अतिरिक्त भार।

प्रमुख बोर्ड विशेषज्ञता एवं कौशल

आपकी कंपनी में निदेशकों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, जो कि 'मिधानि संघ का अनुच्छेद' के अनुरूप है। आपकी कंपनी के बोर्ड में निदेशकों का चयन भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक सूक्ष्म स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है।

निदेशक शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। उनके पास अपेक्षित कौशल, विशेषज्ञता, क्षमता और मुख्य सामान्य नैगम प्रबंधन, वित्त, अर्थशास्त्र और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में अनुभव है, जो उन्हें कंपनी में प्रभावी रूप से योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। इसके प्रभावी कार्य के लिए निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / दक्षताओं की निम्नलिखित पहचान की गई है:

(1) उद्योग विशिष्ट

- कंपनी द्वारा निर्मित उत्पादों का ज्ञान।
- मेटल्लर्जी उद्योग के तकनीकी पहलुओं में सुधार।
- डीपीएसयू के लिए विशिष्ट कानूनों, नियमों और विनियमों को समझना।

(2) प्रबंधन कौशल

- सामान्य प्रबंधन कौशल।
- उद्योग को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म और स्थूल कारकों की समझ।
- जोखिम प्रबंधन।
- परियोजना व्यवहार्यता का आकलन और मूल्यांकन।

(3) नैगम शासन

- हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- उपयुक्त शासन प्रथाओं के पालन का निरीक्षण करना।
- पूरे संगठन में सत्यनिष्ठा और अच्छी नैगम प्रथाओं को व्यवस्थित करने की दिशा में योगदान देना।

आपकी कंपनी के सुचारू कामकाज चलाने के लिए मिधानि के बोर्ड में सभी निदेशकों के पास कौशल / विशेषज्ञता / योग्यताएँ हैं।

कोई भी निदेशक सात से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा प्रदान नहीं करते हैं, या एक सूचीबद्ध कंपनी में पूर्ण-कालिक निदेशक के रूप में सेवा के मामले में तीन से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक के रूप में सेवा प्रदान नहीं करते हैं।

सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियमन 25 (8) के संदर्भ में, स्वतंत्र निदेशकों ने पुष्टि की है कि वे ऐसी किसी भी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद हो या यथोचित प्रत्याशित हो सकती है जिससे उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता कम या प्रभावित हो सकती है। स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणाओं के आधार पर, निदेशक मंडल ने पुष्टि की है कि वे सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 16 (1) (बी) के अंतर्गत उल्लिखित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

किसी भी निदेशक के पास कंपनी के कोई शेयर नहीं हैं। इसके अलावा, सेबी / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकारी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या जारी रहने के संबंध में बोर्ड के किसी भी निदेशक को वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है। इसे प्रमाणित करते हुए आर एंड ए एसोसिएट्स, अभ्यासकर्ता कंपनी सचिवगण का प्रमाण पत्र इस रिपोर्ट में **"अनुलग्नक - VIII"** के रूप में संलग्न है।

अभ्यासकर्ता कंपनी सचिव द्वारा नैगम शासन पर जारी प्रमाणपत्र **"अनुलग्नक - IX"** के रूप में संलग्न है।

निदेशकों की उपस्थिति और उनके पदधारण की स्थिति

मंडल की 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सात (7) बार बैठकें। वित्तीय वर्ष के दौरान सभी मंडल बैठकों में निदेशकों की औसतन उपस्थिति 89.58% रही। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैं:

बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या	उपस्थित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या
248	29.05.2019	08	08	04 में से 04
249	08.08.2019	08	06	04 में से 03
250	25.09.2019	08	07	04 में से 04
251	01.11.2019	08	08	04 में से 04
252	30.11.2019	08	07	04 में से 04
253	12.02.2020	04	03	01 में से 01
254	03.03.2020	04	04	01 में से 01

31 मार्च, 2020 को सूचीबद्ध कंपनियों के नाम (ओं) और निदेशकता धारण की श्रेणी के साथ-साथ बोर्ड की बैठक और वार्षिक महासभा में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैठकों में उपस्थिति की संख्या	25.09.2019 को आयोजित अंतिम आम बैठक में उपस्तिथि	अन्य निदेशकता धारण की संख्या	अन्य कंपनियों में आयोजित समिति की स्थिति$		अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में निदेशकता धारण और श्रेणी
				अध्यक्ष	सदस्य%	
डॉ. दिनेश कुमार लेखी	07	✓	2	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
डॉ. संजय कुमार झा	06	✓	-	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री संजीव सिंघल[#]	05	✓	-	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री संजय जाजू[*]	04	अनुपस्थित	-	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री सुरेंद्र सिन्ह	06	✓	-	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
श्री इंद्रगंटी वेंक्टेश्वर शर्मा[&]	05	✓	2	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
डॉ ज्योति मुखोपाध्याय[&]	05	✓	-	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
डॉ उषा रामचंद्र[&]	05	✓	1	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

[$] केवल लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति पर विचार किया जाता है।

[%] अध्यक्षता शामिल नहीं है।

[#] 7 जनवरी, 2020 को इस्तीफे के कारण निदेशक (वित्त) नहीं रहे।

[*] वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो बोर्ड बैठकों में भाग लिया।

[&] 30 नवंबर, 2019 को कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

निदेशक, दस से अधिक बोर्ड समितियों के सदस्य या पाँच से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियम के अंतर्गत निर्धारित संबंधित सीमाओं में निदेशकता, निदेशकों की समिति की सदस्यता (ओं) / अध्यक्षता (ओं) की संख्याः

बोर्ड कार्यप्रणाली

बोर्ड / समिति की बैठक (कों) में पेश किए जाने वाले संव्यवहार (रों) की स्थापना के लिए विस्तृत कार्यसूची टिप्पणी अग्रिम भेजी जीत हैं और निर्णय उचित विचार-विमर्श के बाद लिए जाते हैं। संबंधित दस्तावेज कार्यसूची पत्रों के साथ आगे बढ़ाने के लिए व्यावहारिक कठिनाई के मामले में बैठक से पहले परिचालित किया जाता है या बैठक में रखा जाता है।

वित्तीय वर्ष 20 के दौरान, सेबी लिस्टिंग विनियम की अनुसूची II के भाग ए में उल्लिखित जानकारी को बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखा गया है। निदेशकों को उनकी इच्छा के अनुसार बोर्ड / समिति की बैठक में उपस्थित होने / भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अलावा, बोर्ड के कोरम की बैठक के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 174 के संदर्भ में दिलचस्पी नहीं थी।

बोर्ड द्वारा संव्यवहार समीक्षाओं के दौरान प्रबंधन के साथ किया जाता है और समय-समय पर आवश्यकतानुसार रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक सुझाव और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

कार्यपालक निदेशक / कार्यात्मक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

कार्यात्मक निदेशकों को नियुक्ति और पारिश्रमिक

'कंपनी संघ का अनुच्छेद' भारत के राष्ट्रपति द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति के लिए प्रबंध करता है। निदेशक की नियुक्ति के नियम और शर्तें भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से क्रियान्वित करते हुए जारी किए जाते हैं। कार्यात्मक निदेशकों को सामान्यतः पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष या उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि या अगले आदेश जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यात्मक निदेशक प्रदर्शन संबंधी वेतन के भी हकदार होते हैं। संविदात्मक अवधि से पहले सेवा छोड़ने के मामले में नोटिस की अवधि 3 महीने या नोटिस अवधि की अनुपस्थिति में 3 महीने का वेतन परिशोधित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण: (आंकड़े ₹ लाख में)

निदेशक का नाम	वेतन और भत्ते	सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन / ग्रेच्युटी)	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रदर्शन संबंधी भुगतान (वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभ से संबंधित)
डॉ. दिनेश कुमार लेखी	47.47	7.77	26.99
डॉ. संजय कुमार झा	43.75	3.47	20.73
श्री संजीव सिंघल #	30.09	2.49	17.77

श्री संजीव सिंघल ने 7 जनवरी, 2020 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया और पारिश्रमिक का विवरण 7 जनवरी, 2020 तक का है।

गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्ति और पारिश्रमिक

गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के अधीन है। गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड बैठक के लिए प्रति बैठक ₹ 20,000/- और इसकी समितियों की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹ 15,000/- का भुगतान किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा खर्च, आवास खर्च आदि की प्रतिपूर्ति की जाती है। कंपनी के गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान करने के मानदंड का प्रकटन कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर किया जाता है।

श्री सुरेन्द्र सिन्ह (स्वतंत्र निदेशक) और श्री इंद्रगंटी वेंकटेश्वर शर्मा, डॉ. ज्योति मुखोपाध्याय और डॉ. उषा रामचंद्र (पूर्व-स्वतंत्र निदेशक) को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान दी गई उपस्थिति शुल्क का विवरण इस प्रकार है:

स्वतंत्र निदेशक (कों) का नाम	उपस्थिति शुल्क (₹ में)	
	बोर्ड बैठक के लिए	समिति बैठक के लिए
श्री सुरेन्द्र सिन्ह @	शून्य	शून्य
श्री इंद्रगंटी वेंकटेश्वर शर्मा &	100,000	120,000
डॉ. ज्योति मुखोपाध्याय &	100,000	105,000
डॉ. उषा रामचंद्र &	100,000	195,000

@ सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री सुरेन्द्र सिन्ह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (6) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा बोर्ड / उप समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रदत्त उपस्थिति शुल्क स्वीकार नहीं किया है।
& 30 नवंबर, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

गैर-कार्यपालक - सरकारी नामित निदेशक की नियुक्ति और पारिश्रमिक

सरकारी नामित निदेशक को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और वे सरकार के अगले आदेश तक कार्यालय का संचालन करते हैं। वे किसी भी पारिश्रमिक या उपस्थिति शुल्क के हकदार नहीं हैं। 31 मार्च, 2020 तक आपकी कंपनी में एक सरकारी नामित निदेशक है।

बोर्ड समितियां

31 मार्च, 2020 तक आपकी कंपनी के बोर्ड की दस समितियाँ हैं जिनमें एक शीर्ष आंतरिक समिति शामिल है जिसे नैगम प्रबंधन समिति कहा जाता है। निर्णय लेने के सुचारू और कुशल प्रवाह की सुविधा के लिए समितियों का गठन किया जाता है।

बोर्ड की समितियां इस प्रकार हैं: -

(1) लेखा परीक्षा समिति

(2) नामांकन और पारिश्रमिक समिति

(3) हितधारक संबंध समिति

(4) जोखिम प्रबंधन समिति

(5) नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत विकास समिति

(6) प्रापण समिति

(7) मानव संसाधन समिति

(8) तकनीकी समिति

(9) शेयर प्रमाणपत्र समिति

(10) कॉर्पोरेट प्रबंधन समिति

1) लेखा परीक्षा समिति (एसी):

- 31 मार्च, 2020 तक लेखा परीक्षा समिति में एक स्वतंत्र निदेशक सहित तीन सदस्य शामिल हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, 30 नवंबर, 2019 से तीन स्वतंत्र निदेशक अपना कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।
- लेखा परीक्षा समिति वैधानिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षकों और

कंपनी के निदेशक मंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करती है। लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और इसके अनुसार बनाए गए नियमों, सेबी लिस्टिंग विनियम और नैगम शासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में उल्लिखित हैं। समिति का प्राथमिक कार्य निदेशक मंडल को वित्तीय रिपोर्ट, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा एवं कानूनी अनुपालन और लेखा परीक्षा, लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा करके अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करना है।

- लेखा परीक्षा समिति आंतरिक लेखा परीक्षकों, वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा करती है और उनके निष्कर्षों, सुझावों तथा अन्य संबंधित मामलों पर चर्चा करती है। आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रमुख लेखा नीतियों की समीक्षा करती है। लेखा परीक्षा समिति त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा करती है और उस पर अनुमोदन के लिए बोर्ड से सिफारिश करती है। लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की विस्तृत शर्तें इस प्रकार हैं:

  (i) वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की कम से कम चार (4) बैठकें की जानी चाहिए और दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकगणों या समिति के एक तिहायी सदस्यों, जो भी अधिक हो, का कोरम होना चाहिए। किंतु बैठक में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकगणों की उपस्थिति अनुवार्य है।

  (ii) लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष शेयरधारकों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रहेंगे।

  (iii) समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए लेखापरीक्षा समिति ऐसे अधिकारियों को आमंत्रित कर सकती है, जिसे वह उपयुक्त (विशेष रूप से वित्त कार्य का प्रमुख) मानती है, लेकिन यह समिति कंपनी के किसी भी अधिकारी की उपस्थिति के बिना भी बैठक कर सकती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में निदेशक (वित्त), आंतरिक लेखापरीक्षा प्रमुख और कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों के प्रतिनिधि आमंत्रित व्यक्तियों के रूप में उपस्थित हो सकते हैं।

  (iv) लेखापरीक्षा समिति के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी:

    (1) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में किसी भी गतिविधि की जांच करने की शक्ति;

    (2) कंपनी के किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करने की;

    (3) बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने की; तथा

    (4) यदि आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले बाहरी व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु आमंत्रित करने की

  (v) लेखापरीक्षा समिति की भूमिका निम्नलिखित होगी:

    (1) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और उसकी वित्तीय सूचना का पर्यवेक्षणकरना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी की वित्तीय विवरणियां सही, पर्याप्त और विश्वास से करने योग्य हो।

    (2) सरकारी कंपनी होने के नाते लागू होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश के आधार पर कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करें;

    (3) सांविधिक लेखा परीक्षकों को द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी अन्य सेवाओं के लिए भुगतान को स्वीकृति दें;

    (4) वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखा परीक्षकगणों के प्रतिवेदन की निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले, निम्न विषयों पर खास संदर्भ में प्रबंधन से चर्चा करना:-

      i. निदेशकगणों के उत्तरदायित्व की विवरणी में शामिल किये जाने की आवश्यकता के विषयों को कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (ग) के विचारार्थ बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाए।

      ii. लेखा नीतियों और अश्यस्त विषयों और कारणों में यदि कोई परिवर्तन हों;

      iii. प्रबंधन के फैसले की कार्रवाई पर आधारित प्राक्कलनों को आविष्टित प्रमुख लेखा प्रवष्टियां;

      iv. लेखा-परीक्षा के परिणामों से उत्पन्न वित्तीय विवरणियों में उल्लेखनीय समायोजन किये गये हैं;

      v. वित्तीय विवरणियों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;

      vi. पार्टी के लेन-देनों से संबंधित; एवं

      vii. लेखा परीक्षा ड्राफ्ट में संशोधित राय।

(1) निदेशक मंडल के समक्ष मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने से पहले त्रैमासिक वित्तीय विवरण की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना;

(2) किसी इशू (सार्वजनिक इशू, अधिकार इशू, अधिमानी इशू इत्यादि) के माध्यम से अर्जित नीधि के उपयोग / प्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज / प्रॉस्पेक्टसय / नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार इशू की आय के उपयोग की निगरानी, निगरानी प्रणाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और इस मामले में उपाय करने के लिए अपने निदेशक मंडल को उचित अनुशंसाएं देना;

(3) लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन और निगरानी तथा लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता और प्रदर्शन की समीक्षा करना;

(4) संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन को अनुमोदन देना या बाद में संशोधित करना;

(5) अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;

(6) जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों के मूल्यांकन का संचालन करें;

(7) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन करें;

(8) प्रबंधन के साथ, सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्पादन और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करना;

(9) आंतरिक लेखा परीक्षा क्रिया सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, यदि कोई हो तो, विभाग के प्रधान अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता विभाग की संरचना, रिपोर्टिंग ढांचे का कवरेज की प्रायिकता और ऐसी लेखा परीक्षा की आवृत्ति की समीक्षा करना है;

(10) किसी भी प्रकार के उल्लेखनीय परिणामों पर आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ उस पर चर्चा और बाद में उनका पालन करना;

(11) आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करें जहां संदेहजनक धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता और बोर्ड को इस तरह के मामलों की रिपोर्ट देना;

(12) लेखा परीक्षा शुरु होने से पहले लेखा परीक्षा की प्रकृति और व्यापकता पर सांविधिक लेखा परीक्षकगणों के साथ चर्चा और साथ ही साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र को सुनिश्चित करने हेतु चर्चा;

(13) जमाकर्ताओं को भुगतान में पर्याप्त चूक, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान के मामले में) और लेनदारों के कारणों को देखने के लिए ;

(14) व्हीजिल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करने के लिए;

(15) उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि इत्यादि का आकलन करने के बाद कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति को मंजूरी दें;

(16) लेखापरीक्षा समिति के मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लिखित किसी भी अन्य कार्य को और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट / संदर्भित कंपनी अधिनियम, 2013 या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्देशों में उल्लिखित किसी भी अन्य कार्य को पूरा करें।

(17) भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी लेखा परीक्षा टीका-टिपणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

(18) भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा की गयी लेखा परीक्षा टीका-टिपणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना;

(vi) लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

(1) वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का विश्लेषण और प्रबंधन चर्चा;

(2) कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी के लेनदेन (जैसा कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है) का विवरण;

(3) कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्र / प्रबंधन के पत्र;

(4) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट;

(5) मुख्य आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तें लेखा परीक्षा समिति द्वारा समीक्षा के अधीन होंगी; तथा

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के संदर्भ में विचलन का विवरण:

(i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियमन 32 (1) के संदर्भ में स्टॉक विनिमय को जमा होने पर निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित, यदि लागू हो, विचलन का त्रैमासिक विवरण; तथा

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 32 (7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज / प्रॉस्पेक्टस / नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए धन का वार्षिक विवरण।

- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें हुईं। बैठकों के आयोजन की तिथि और उसमें निदेशकों की उपस्थिति के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन इस प्रकार रहा:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	बैठक संख्या तथा बैठक की तिथि				उपस्थिति % में
	65	66	67	68	
	29.05.19	08.08.19	01.11.19	12.02.20	
डॉ उषा रामचंद्र,[@] (अध्यक्ष) स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	लागू नहीं	100
डॉ ज्योति मुखोपाध्याय,[@] स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	लागू नहीं	100
श्री आई वी शर्मा,[@] स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	लागू नहीं	100
श्री सुरेंद्र सिन्ह,[#] (अध्यक्ष) स्वतंत्र निदेशक	✓	अनुपस्थित	✓	✓	75
डॉ एस के झा, [%] निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	100
श्री संजय जाजू, [%] गैर-कार्यपालक – सरकारी नामित निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	अनुपस्थित	----

[@] 30 नवंबर, 2019 से स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[#] 30 नवंबर, 2019 को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया।

[%] 30 नवंबर, 2019 को लेखा परीक्षा समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

- कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक हैं, जिनके पास लेखांकन और संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता है। लेखा परीक्षा समिति के सभी सदस्यों को वित्तीय मामलों में लेखांकन और विशेषज्ञता का अच्छा ज्ञान है। समिति नियमित रूप से कंपनी की आंतरिक / सांविधिक लेखा परीक्षा करने वाली बाहरी लेखा परीक्षा फर्मों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करती है और सभी वित्तीय मामलों का राय लेती है। 25 सितंबर, 2019 को आयोजित वार्षिक महासभा में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष ने अपनी उपस्थिति दर्ज की।
- लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष बोर्ड बैठकों के दौरान लेखा परीक्षा समिति के अवलोकन से बोर्ड को अवगत कराते हैं। लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त को सूचना के लिए आगामी बैठकों में निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है। वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशें बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए।

(1) नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

- मार्च, 2020 तक नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में एक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक कार्यरत रहे। वित्तीय वर्ष के दौरान, 30 नवंबर, 2019 को एनआरसी के सदस्य रहे तीन स्वतंत्र निदेशक अपने कार्यकाल के पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।
- नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति की शर्तें और संदर्भ इस प्रकार हैं:

(i) हमारे कंपनी के अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों में अपने

वार्षिक बोनस / प्रदर्शन वेतन / परिवर्तनीय वेतन पूल और वितरण के लिए नीति का निर्णय लें;

(ii) अधिकारियों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों के लिए अधिलाभ और भत्ते प्रदान करने के लिए योजनाओं का गठन और संशोधन;

(iii) अधिकारियों, गैर-संघीय पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों के मामले में, जो भी स्थिति हो, चिकित्सा योजना, पेंशन इत्यादि जैसे मुआवजे की कोई भी नई योजना; तथा

(iv) सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन और समय-समय पर किसी अन्य कानून और उनके संशोधन के प्रावधानों द्वारा सौंपी गई अन्य भूमिकाओं का प्रयोग करना।

(v) कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान एनआरसी की एक (1) बैठक आयोजित की गई थी। बैठकों की आयोजन तिथि और उपस्थित निदेशकों की सूची एवं नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति का गठन निम्ननानुसार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	बैठक संख्या तथा बैठक की तिथि	उपस्थिति % में
	14वीं बैठक	
	25.09.2019	
श्री आई वी शर्मा [@], (अध्यक्ष) स्वतंत्र निदेशक	✓	100
डॉ. उषा रामचंद्र [@] स्वतंत्र निदेशक	✓	100
डॉ. ज्योति मुखोपाध्याय [@] स्वतंत्र निदेशक	✓	100
श्री सुरेंद्र सिन्ह[#] (अध्यक्ष) स्वतंत्र निदेशक	✓	100

[@] 30 नवंबर, 2019 को स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[#] 30 नवंबर, 2019 को अध्यक्ष के रूप में शामिल किया गया।

(2) हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

- निदेशक मंडल की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) में तीन निदेशक शामिल हैं। समिति का अध्यक्ष एक गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक है।
- कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियम के अनुसार एसआरसी के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं (The terms of reference):

(i) सभी सिक्योरिटी धारकों और निवेशकों की शिकायतों का निवारण जैसे शेयरों के हस्तांतरण से संबंधित शिकायत, शेयर प्रमाण पत्र की प्राप्ति और शेयरों और डिबेंचरों के हस्तांतरण / संचरण से इनकार करने के मामलों की समीक्षा, बैलेंस शीट की प्राप्ति, घोषित लाभांश की प्राप्ति, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति इत्यादि। और ऐसी शिकायतों की त्रैमासिक रिपोर्टिंग में सहायता करना;

(ii) शेयरों और डिबेंचरों के सभी स्थानांतरण / संचरण, शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन और शेयरों के पुन: भौतिककरण, विभाजन और डुप्लिकेट / समेकित शेयर प्रमाण पत्र जारी करना, शेयर, डिबेंचर और समय-समय पर अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन;

(iii) रजिस्ट्रार और हमारी कंपनी के स्थानांतरण एजेंटों के प्रदर्शन की पूर्ति करना और निवेशक सेवाओं की गुणवत्ता में समग्र सुधार के उपायों की सिफारिश करना; तथा

(iv) बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट / कंपनी अधिनियम, 2013 या सेबी लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्दिष्ट या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य करना।

(v) कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, एसआरसी की दो (2) बैठक आयोजित की गई थी। बैठकों की आयोजन तिथि और उपस्थित निदेशकों की सूची एवं हितधारक संबंध समिति का गठन निम्ननानुसार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	बैठक संख्या तथा बैठक की तिथि		उपस्थिति % में
	2री बैठक	3री बैठक	
	11.05.2019	03.03.2020	
श्री सुरेंद्र सिन्ह, (अध्यक्ष) स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	100
डॉ. एस के झा निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	✓	✓	100
श्री संजीव सिंघल [@] निदेशक (वित्त)	✓	लागू नहीं	100
डॉ. डी.के. लेखी, [#] अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लागू नहीं	अनुपस्थित	-

[@] 7 जनवरी 2020 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

[#] 8 जनवरी 2020 से एसआरसी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निवेशक शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार रही:

प्रारंभिक शेष	प्राप्त	हल	अंतिम शेष
शून्य	22	22	शून्य

(3) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

- 31 मार्च, 2019 तक बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में आपकी कंपनी शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन लिस्टिंग विनियम के विनियम 21 के संदर्भ में लागू है। आरएमसी में तीन निदेशक शामिल हैं।
- आरएमसी के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) कंपनी के जोखिम प्रबंधन नीति, उससे संबंधित रूपरेखा, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की समीक्षा करके मंडल के अनुमोदन के लिए उसमें किसी भी प्रस्तावित बदलाव की सिफारिश करना।

(ii) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की, विशेष रूप से कंपनी द्वारा किए गए साइबर सुरक्षा उपायों की गुणवत्ता, अखंडता एवं प्रभावशीलता की समीक्षा और मूल्यांकन करना और जोखिम नीतियों और रणनीतियों का प्रभावी रूप से प्रबंधन किया जाना सुनिश्चित करना।

(iii) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी द्वारा चल रही और नई व्यावसायिक गतिविधियों में जोखिम और लाभ के बीच विवेकपूर्ण संतुलन हासिल करने के लिए उचित उपाय किए जा रहे हैं।

(iv) जोखिम रणनीतियों, नीतियों, रूपरेखा, मॉडल और प्रक्रियाओं को स्थापित करने में मंडल की सहायता करना।

(v) कंपनी के भीतर जोखिम प्रबंधन कार्य की प्रकृति, भूमिका, जिम्मेदारी और प्राधिकार की समीक्षा और मूल्यांकन करना तथा जोखिम प्रबंधन कार्य के दायरे की रूपरेखा तैयार करना।

(vi) यह सुनिश्चित करना कि कंपनी द्वारा जोखिम की पहचान करने के लिए एक प्रभावी अविरत प्रक्रिया लागू की गई है, व्यापक धारणाओं के विपरीत संभावित प्रभाव को भांपने के लिए और फिर इन जोखिमों को अग्रसक्रियता से प्रबंधित करने के लिए जो आवश्यक हो उसे सक्रिय करना और जोखिम के लिए कंपनी की क्षमता या सहनशीलता का निर्णय करना।

(vii) अतिरिक्त जोखिमों की पहचान करें, यदि कोई हो, तो जोखिम स्वीकृति सहित जोखिम शमन योजनाएं तय करना।

(viii) समिति अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए अपनी खुद की गाइडलाइन तैयार कर सकती है।

(ix) कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, एसआरसी की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठकों की आयोजन तिथि और उपस्थित निदेशकों की सूची एवं जोखिम प्रबंधन समिति का गठन निम्ननानुसार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	बैठक संख्या तथा बैठक की तिथि प्रथम बैठक 26.12.2019	उपस्थिति % में
श्री संजीव सिंघल (अध्यक्ष) निदेशक (वित्त) [@]	✓	100
डॉ. डी के लेखी,[#] (अध्यक्ष) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लागू नहीं	-
डॉ. एस के झा निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	✓	100
श्री डी. गोपीकृष्णा, स.म.प्र. (वाणिज्यिक)	अनुपस्थित	-
श्रीमती के मधुबाला, म.प्र. (वित्त एवं लेखा)	✓	100

[@] 7 जनवरी, 2020 से आरएमसी के अध्यक्ष नहीं रहे।

[#] 8 जनवरी 2020 से आरएमसी में अध्यक्ष आरएमसी के रूप में शामिल किया गया।

(4) नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआर) और सतत विकास समिति (एसडी)

- आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व और टिकाऊ नीति को मंजूरी दे दी है और डीपीई द्वारा जारी किए गए नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व और सतत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- पूर्वोक्त नीति कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर उपलब्ध है।
- आपकी कंपनी की सीएसआर और एसडी गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए उक्त नीति का अनुसरण करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक सीएसआर और एसडी समिति का गठन किया गया है।
- सीएसआर और एसडी समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत कंपनी द्वारा कवर की जाने वाली गतिविधियों का संकेत देने वाली सीएसआर नीति का निरूपण व बोर्ड से सिफारिश करने और डीपीई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए जिम्मेदार है;
- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, सीएसआर एवं एसडी समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के आयोजन की तिथि और उपस्थित निदेशकों की सूची एवं सीएसआर और एसडी समिति का गठन निम्ननानुसार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	बैठक संख्या तथा बैठक की तिथि 20वीं बैठक 11.05.2019	उपस्थिति % में
डॉ. डी के लेखी, (अध्यक्ष) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	100
डॉ. उषा रामचंद्र[@] स्वतंत्र निदेशक	✓	100
श्री सुरेंद्र सिन्ह[@] स्वतंत्र निदेशक	✓	100
डॉ. एस के झा निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	✓	100
श्री संजीव सिंघल [#] निदेशक (वित्त)	✓	100

[@] 30 नवंबर, 2019 को कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[#] 07 जनवरी, 2020 को निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।

- कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

(5) प्रापण समिति (पीसी)

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दिये गये व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर सामग्री प्राप्त करने प्राधिकृत करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 22-01-2008 को प्रापण समिति का गठन किया गया है।
- पीसी के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

  (i) समिति के पास कच्चे मालों, उपभोग्यों और अन्य राजस्व मदों के प्रापण के सभी मामलों को कार्यरत करने के लिए शक्तियां होनी चाहिए जो अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दी गयी शक्तियों से आगे हों।

  (ii) पूंजीगत मदोंके मामले में, समिति के पास बोर्ड की पूरी शक्तियां हों, बशर्ते कि आवश्यकता की स्वीकार्यता (एओएन) बोर्ड द्वारा और मूल अनुमोदन से किसी प्रकार का दिक्परिवर्तत हो तो बोर्ड का ताजा अनुमोदन होना जरूरी है।

  (iii) बोर्ड द्वारा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रदान की गयी शक्तियों के आगे प्रापण प्रस्तावों पर विचार कर उनका निपटान करने के लिए, कंपनी में प्रचलित क्रय नीति और क्रियाविधियों में दी गयी देय प्रक्रिया अनुसरण करना जरूरी है।

  (iv) बोर्ड समय-समय पर प्रदान किये गये ऐसे अन्य प्रापण प्रस्तावों पर विचार करना और उन्हें अनुमोदित करना है।

  (v) क्रय मैन्युअल के अनुमोदन के लिए बोर्ड की सिफारिश सहित सामग्रियों और उपकरण के प्रापण के लिए कंपनी द्वारा पालन की जानेवाली नीतियों और क्रियाविधियों का अध्ययन करना और बोर्ड को सिफारिश करना है।

  (vi) ई-प्रापण से संबंधित मामलों पर विचार करके बोर्ड को सलाह देना है।

  (vii) मुख्य सतर्कता आयुक्त के मार्गदर्शक सिद्धांतों या रक्षा मंत्रालय के अनुदेशों से संबंधित मामलों पर विचार कर बोर्ड को सलाह देनी है।

  (viii) कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करना चाहिए और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यगण अध्यक्ष का चुनाव कर कार्यवाहियां संचालित करें। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष उसकी अगली बैठक में प्रस्तुत किये जाएं और

  (ix) कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, पीसी की 03 बैठक आयोजित की गई थी। बैठकों की आयोजन तिथि और उपस्थित निदेशकों की सूची एवं पीसी का गठन निम्ननानुसार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	बैठक संख्या तथा बैठक की तिथि			उपस्थिति % में
	126	127	128	
	03.06.19	21.10.19	14.12.19	
डॉ. डी के लेखी, (अध्यक्ष) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अनुपस्थित	✓	✓	66
डॉ. उषा रामचंद्र[@] स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	लागू नहीं	100
डॉ. एस के झा निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	✓	✓	✓	100
श्री संजीव सिंघल # निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓	100
श्री सुरेंद्र सिन्ह* स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

[@]30 नवंबर, 2019 को कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[#] 7 जनवरी, 2020 को बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

[*] 3 मार्च, 2020 को प्रापण समिति में सदस्य के रुप में शामिल किया गया।

(6) मानव संसाधन समिति (एचआरसी)

- दि. 22.07.2011 को निदेशक मंडल द्वारा मानव संसाधन समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होते हैं। मानव संसाधन समिति का उद्देश्य मंडल के समक्ष प्रस्तुत होने वाले मानव संसाधन संबंधी मामलों सहित विभिन्न प्रस्ताव , कंपनी द्वारा लागू की जाने वाली कार्मिक नीतियों और मंडल द्वारा समय-समय पर सौपं जाने वाले अन्य ऐसे मामलों की संवीक्षा करना है।

- एचआरसी के संदर्भ की विस्तृत शर्तें इस प्रकार हैं:

  (i) निम्न मामलों में कार्यपालकों (गैर यूनियनीकृत पर्यवेक्षी संवर्ग सहित) और अकार्यपालकों दोनों के संबंध में नीति मामलों के संबंध में समीक्षा और सुझाव निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) को प्रस्तुत करना:

  1) पदों के सृजन / निर्मूलन – अधिकतम मानवशक्ति संख्या फिक्स करना।

  2) संगठनात्म्क संरचना, पदनामों, कार्यों के आबंटन में परिवर्तन।

  3) भरती नियमावली और क्रियाविधि

  4) छुट्टियां, टीए या डीए, चिकित्सा, एलटीसी आदि जैसी सेवा शर्तें।

  5) वेतन / मजदूरियों की संरचना – वेतन मान, वेतनवृद्धियां और अन्य संबंधित मामले:

  6) पर्क्विजिट्स और भत्ते, बोनस, निष्पादन और उत्पादकता संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं।

  7) सेवानिवृत्ति हितलाभ और योजनाएं

  8) भविष्य निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि का सृजन और अनुरक्षण।

  9) कैंटीन, स्कूल, परिवहन, पुरस्कार, पदक एक्सग्रेशिया, उपहार और सेवानिवृत्ति के बाद दी जानेवाली सुविधां सहित अन्य हितलाभ।

  10) टाउनशिप और संपदा का रखरखाव।

  11) प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों सहित कैरियर विकास- जीईटीयों या एमटीयों को कार्य और अन्य योजनाओं में नियोजित करना।

  12) आचरण, अनुशासन और अपील (सीडीए) नियमावली और लागू स्थायी आदेश।

  13) अनुशासनिक कार्यवाहियों या रिपोर्ट की गयी कार्रवाइयों और या की जानेवाली कार्रवाइयों के संबंध में पुनरीक्षा करके बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करना।

  14) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, कंपलसरी सेवानिवृत्ति और अन्य अलग करने की योजनाओं को शुरु करना।

  15) सतर्कता और सुरक्षा संबंधी मामले।

  16) ट्रेड यूनियन, अधिकारी या पर्यवेक्षक संघ।

  (ii) प्राकृतिक आपदाओं के कारण चैरिटेबुल और अन्य निधियों को दानों की मंजूरी से संबंधित मामलों की सिफारिश बोर्ड को प्रस्तुत करना।

  (iii) समिति बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी और मूल्यांकन पर बोर्ड के निर्णय के लिए एजेंडा आइटम आरक्षित कर सकती है। अपनी बैठकों के संचालन के लिए समिति स्वयं अपने मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकती है।

  (iv) कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, एचआरसी की चार (04) बैठक आयोजित की गई थी। बैठकों की आयोजन तिथि और उपस्थित निदेशकों की सूची एवं एचआरसी का गठन निम्ननानुसार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	बैठक संख्या तथा बैठक की तिथि				उपस्थिति % में
	16	17	18	19	
	11.05.19	25.09.19	16.11.19	12.02.20	
श्री आई वी शर्मा[@], (अध्यक्ष) स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	अनुपस्थित	लागू नहीं	66
डॉ. उषा रामचंद्र[@] स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	लागू नहीं	100
श्री सुरेंद्र सिन्ह (अध्यक्ष)[*] स्वतंत्र निदेशक	✓	✓	✓	✓	100
डॉ. एस के झा निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	✓	✓	✓	✓	100
श्री संजीव सिंघल % निदेशक (वित्त)	✓	✓	✓	लागू नहीं	100
डॉ. डी के लेखी [#] अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	✓	100

[@] 30 नवंबर, 2019 को कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

[*] 30 नवंबर, 2019 को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

[%] 07 जनवरी, 2020 को निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।

[#] 8 जनवरी, 2020 को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

(7) तकनीकी समिति (टीसी)

- तकनीकी समिति के प्रकार्य 24-01-2011 से आरंभा हुए। इस समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा किया गया है। इस समिति का प्राथमिक उद्देश्य उन तकनीकी पहलुओं की ओर कंपनी का ध्यान आकर्षित करना है जो कंपनी के लिए आवश्यक हैं और उनका अध्ययन करना है। इसके अलावा यह समिति मिधानि के प्रचालनों का विशेषकर आधुनिकीकरण, उन्नयन और विस्तार कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए या निकट भविष्य में किये जाने प्रस्तावित कार्यक्रमों का तकनीकी अध्ययन करना है । तकनीकी समिति, मेटलर्जी में विशेषज्ञता प्राप्त बोर्ड के सदस्यों से निहित है ।
- तकनीकी समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

(i) व्यापार रणनीति के अनुरूप कंपनी की प्रौद्योगिकीय प्रतिस्पर्धात्मकता (वर्तमान और भावी) का पर्यवेक्षण करना ।

(ii) कंपनी की प्रौद्योगिकीय योजना और अनुसंधान को मार्गदर्शन देना ।

(iii) निम्न के विशेष संदर्भ में कंपनी की मार्गदर्शक परिचलानात्मक रणनीति

1) नये उत्पाद का विकास,
2) नये बाजार का विकास,
3) नयी दिक्परिवर्तित परियोजनाएं, तथा
4) प्रौद्यागिकी गठबंधन ।

(iv) कंपनी में जोखिम प्रबंधन की नीति तैयार करने के संबंध में बोर्ड को सलाह देना ।

(v) प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मौलिक ज्ञान हासिल करने के मार्गदर्शन देना और शैक्षणिक उद्योग अंतर्मुख की समीक्षा करना ।

(vi) उत्पाद और प्रक्रिया के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकियों के विकास सहित बौद्धिकता संपत्ति अधिकार प्रबंधन (आईपीआरएम) के बारे में कंपनी को मार्गदर्शन देना ।

(vii) विशेष स्टीलों, मिश्र धातुओं और टाइटेनियम मिश्र धातुओं के लिए अनुसंधान और विकास में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के सृजन के लिए कंपनी का मार्गदर्शन देना ।

(viii) समिति बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी और मूल्यांकन पर बोर्ड के निर्णय के लिए एजेंडा आइटम आरक्षित कर सकती है।

(ix) अपनी बैठकें आयोजित करने के लिए समिति को अपने स्वयं के दिशानिर्देशों को लागू करने का अधिकार है;

(x) अनुसंधान और विकास के अध्यक्ष समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं; तथा

- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, टीसी की एक (01) बैठक आयोजित की गई थी। बैठकों की आयोजन तिथि और उपस्थित निदेशकों की सूची एवं टीसी का गठन निम्ननानुसार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	बैठक संख्या तथा बैठक की तिथि	उपस्थिति % में
	8वीं बैठक	
	11.05.2019	
डॉ डी के लेखी, (अध्यक्ष) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	✓	100
श्री आई वी शर्मा, @ स्वतंत्र निदेशक	✓	100
डॉ ज्योति मुखोपाध्याय @ स्वतंत्र निदेशक	✓	100
डॉ एस के झा, निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	✓	100
श्री सुरेंद्र सिन्ह # स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं	---

@ 30 नवंबर, 2019 को कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

 # 1 दिसंबर, 2019 को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया

(8) शेयर प्रमाणपत्र समिति (एससीसी)

- शेयर प्रमाणपत्र समिति (एससीसी) का गठन 8 अगस्त, 2018 को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी लिस्टिंग विनियम के प्रावधानों के अनुपालन के साथ स्थानांतरण, पारेषण, डी-मैट, शेयरों के रि-मैट के अनुरोध पर विचार करने और डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और उसको अनुमोदित करने के लिए किया गया था। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान, एससीसी की कोई बैठक नहीं हुई थी। 31 मार्च, 2020 तक एससीसी का गठन इस प्रकार था:

निदेशक का नाम और श्रेणी
डॉ. डी के लेखी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डॉ. एस के झा, निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)
श्री संजीव सिंघल # निदेशक (वित्त)

 # 07 जनवरी, 2020 को निदेशक के रूप में इस्तीफा दे दिया।

(9) नैगम प्रबंधन समिति (सीएमसी)

- वर्ष 1980 से प्रबंधन समिति (एमसी) के रूप में एक समिति कार्य कर रही थी। इसे वर्ष 2003 के दौरान "नैगम प्रबंधन समिति" (सीएमसी) के रूप में फिर से गठित किया गया। प्रबंधन के दैनिक कार्यों के लिए प्रभावी नियोजन, आयोजन, समन्वय और नियंत्रण के लिए सीएमसी का गठन किया गया।
- सीएमसी आंतरिक / अंतर्विभागीय देरियों और अडचनों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है और संगठन में विभिन्न स्तरों पर कार्य के मुक्त प्रवाह को हासिल करने का प्रयास करती है।
- कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में समिति की बैंठकें संपन्नहुई। समिति में कंपनी के वरिष्ठ स्तर के सभी अधिकारी जिनमें अधिकतर अपर महा प्रबंधक और ऊपरी स्तर के कार्यपालक शामिल हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।
- बैठक में विचार-विमर्श / चर्चा के विषय साथ-साथ निम्न लिखित विषय भी शामिल हैं:-

  (i) उत्पादन / प्रमुख परियोजनाओं और वित्तीय निष्पादन और विपणन के परिचालनों की समीक्षा ;
  (ii) संगठन में नकदी प्रवाह के लिए रास्ते और साधन योजना ;
  (iii) वैयक्तिक शिकायतों को दूर करने के लिए कर्मचारी संबंध ;
  (iv) प्रणालियों में सुधार; तथा
  (v) अंतर-विभागीय, अंतर-क्रियात्मक समन्वयन और अंतर-विभागीय एवं अंतर-विभागी अवरोधों को सुलझाना, यदि कोई हों तो ।

वार्षिक महासभा (एजीएम)

आपकी कंपनी की अंतिम तीन (3) वार्षिक महा सभाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तिथि एवं समय	25 सितंबर 2017 को 10.00 बजे 43वीं वार्षिक महा सभा आयोजित की गई।	28 सितंबर 2018 को 10.30 बजे 44वीं वार्षिक महा सभा आयोजित की गई।	25 सितंबर 2019 को 10.30 बजे 45वीं वार्षिक महा सभा आयोजित की गई।
स्थान	मिश्र धातु निगम लिमिटेड, निगम कार्यालय, पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद- 500058	डीआरडीओ प्रेक्षागृह, पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद- 500058	
पारित किए गए विशेष संकल्प, यदि कोई हो तो	शून्य	शून्य	• कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रुप में श्री आई वी शर्मा की पुन: नियुक्ति • कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रुप में डॉ ज्योति मुखोपाध्याय की पुन: नियुक्ति • कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रुप में डॉ उषा रामचंद्र की पुन: नियुक्ति

असाधारण महासभा (ईजीएम)

पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित विशेष प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 25 अक्टूबर, 2017 को मिश्र धातु निगम लिमिटेड, निगम कार्यालय, पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद-500058 में एक ईजीएम का आयोजन किया गया:-

- भिन्न-भिन्न पूंजी खंड के प्रतिस्थापन्न द्वारा ज्ञापन परिवर्तन।
- कंपनी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रूपांतरण।
- कंपनी के मुख्य उद्देश्य को रखते हुए हटाने और मौजूदा खंड III (ए) के प्रतिस्थापन के लिए आरओसी अनुमोदन

पोस्टल बैलट:

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान करने का कोई संकल्प नहीं लिया गया था। आगामी एजीएम में लेनदेन किए जाने वाले किसी भी व्यवसाय के लिए पोस्टल बैलेट के माध्यम से विशेष प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सेबी लिस्टिंग विनियम और नैगम शासन पर दिशानिर्देशों के संदर्भ में अन्य प्रकटन

संबंधित पार्टी लेनदेन

(i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी के साथ सभी दर्ज लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषा के अनुसार किए गए और सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 23 संव्यवहार के सामान्य विषय और क्षमता की शर्तों के अनुसार थे और वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करते हैं।

(ii) कोई भी भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन भी नहीं किए गए जिनसे कंपनी के हितों के साथ बड़े पैमाने पर सशक्त टकराव हो सकते थे। लेखा परीक्षा समिति संबंधित पक्षों के साथ हर लेन-देन के ब्योरे के विवरण की प्रति तिमाही समीक्षा करती है।

(iii) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक खातों का हिस्सा बनने वाले नोट्स के नोट सं. 40 पर भारतीय लेखा मानक-24 के अनुसार संबंधित पार्टी लेन-देन का प्रकटन दिया गया है।

सेबी लिस्टिंग विनियम के अंतर्गत अनुपालन / गैर-अनुपालन का विवरण

(i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान तीन स्वतंत्र निदेशक (महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) 30 नवंबर, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे। नतीजतन, आपकी कंपनी के बोर्ड और समिति का गठन सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 17, 18 और 19 के अनुरूप नहीं रहा। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, स्टॉक एक्सचेंजों ने निम्नलिखित दंड लगाए हैं:

1) दिनांक 3 मई, 2018 के सेबी के परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2018/77 के अनुसरण में बीएसई लिमिटेड ने 3 फरवरी, 2020 के उनके पत्र के अनुसार आपकी कंपनी पर सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 (1), 18 (1), 19 (1), 19 (2), 20 (2) और 21 (2) के प्रावधानों का पालन न करने के लिए ₹ 62,000/- (जीएसटी @ 18% को छोड़कर) का जुर्माना लगाया था। आपकी कंपनी ने बीएसई लिमिटेड को जवाबी पत्र में बताया है कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति बोर्ड के अधीन नहीं है। उक्त नियुक्ति रक्षा मंत्रालय / सरकार द्वारा की जाती है। आपकी कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को हटाने का अनुरोध किया गया। बीएसई लिमिटेड द्वारा लगाया गया जुर्माना भी बोर्ड के समक्ष उनकी जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

2) दिनांक 3 मई, 2018 के सेबी के परिपत्र SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2018/77 के अनुसरण में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) ने 3 फरवरी, 2020 के उनके पत्र के अनुसार आपकी कंपनी पर सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 (1), 18 (1), 19 (1), 19 (2), 20 (2), 21 (2) और 27 (2) के प्रावधानों का पालन न करने के लिए ₹ 62,000/- (जीएसटी @ 18% को छोड़कर) का जुर्माना लगाया था। आपकी कंपनी ने एनएसई को जवाबी पत्र में बताया है कि बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति बोर्ड के दायरे में नहीं है और उक्त नियुक्ति रक्षा मंत्रालय / सरकार द्वारा की जाती है और आपकी कंपनी पर लगाए गए जुर्माने को हटाने का अनुरोध किया है। एनएसई द्वारा लगाया गया जुर्माना भी बोर्ड के समक्ष उनकी जानकारी के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 17, 18 और 19 को छोड़कर यथालागू सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) में परिभाषित सभी अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकों के पास अपेक्षित योग्यता और अनुभव है जो उन्हें प्रभावी रूप से योगदान करने में सक्षम बनाते हैं। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के नियम और शर्तें कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर दिए गए हैं।

(iv) सेबी विनियम के विनियम 17 (8) के संदर्भ में सीईओ / सीएफओ प्रमाणपत्र बोर्ड के समक्ष रखा गया है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुसूची II के भाग - ई के संदर्भ में, कंपनी ने नैगम शासन पर सेबी लिस्टिंग विनियम की कुछ गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, जैसे, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय के साथ प्रस्तुत की है और कंपनी का आंतरिक लेखा परीक्षक, सीधे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करता है।

निदेशकों का प्रशिक्षण और मूल्यांकन:

(i) मिधानि के बोर्ड के सदस्य वरिष्ठ कार्यपालक हैं जिनके पास शिक्षा, उद्योग, रक्षा, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्रों में व्यापक और वैविध्य पूर्ण अनुभव है।

(ii) बोर्ड के सदस्यों को बोर्ड में उनके सदस्य बनते ही कंपनी के प्रदर्शन, संव्यवहार मॉडल, नैगम योजना और दृष्टिकोण पर प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। इसके अलावा, बोर्ड / समिति / अन्य बैठकों में, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों / पेशेवरों / सलाहकारों द्वारा संव्यवहार से संबंधित मामलों, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम नीति आदि पर विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। निदेशकों को अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने और उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। परिचय कार्यक्रम का विवरण कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर उपलब्ध है।

(iii) मिधानि भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। कंपनी के निदेशक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और उनका पारिश्रमिक डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार तय किया जाता है। तद्नुसार, 'मिधानि संघ का अनुच्छेद' के अनुच्छेद 67 के कथन अनुसार राष्ट्रपति द्वारा निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाएगा। चूंकि बोर्ड स्तर की नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं, इसलिए ऐसी नियुक्तियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा ही किया जाता है। हालांकि, स्वतंत्र निदेशकों ने 30 नवंबर, 2019 को आयोजित स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक में बोर्ड के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया।

अन्य पुष्टियाँ:

(i) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अधिमान्य आवंटन या योग्य संस्थागत नियुक्ति के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है, जैसा कि सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियमन 32 (7 ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट है।

(ii) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशकों की समितियों द्वारा की गई सभी सिफारिशों को निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, किसी को भी लेखा परीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया।

(iii) वित्तीय विवरणों में व्यय की किन्हीं मदों को शामिल नहीं किया गया है, जो कंपनी के बोर्ड के किसी सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रकृति में व्यक्तिगत हो, सिवाय उन मदों के जिन्हें कंपनी में मौजूदा नियमों के अनुसार अनुमति दी गई हो।

(iv) वित्तीय विवरणों में व्यय की कोई वस्तु शामिल नहीं की गई जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं थी। कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की तिथि तक कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार का मूल परिवर्तन और दावे नहीं किए गए हैं।

(v) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय पिछले वर्ष के 3.96% की तुलना में 4.23% रहे और वित्तीय व्यय के संबंध में यह प्रतिशत पिछले वर्ष के 1.14% की तुलना में 1.08% है। बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की ओर से व्यय में कोई असाधारणता नहीं पाई गई।

(vi) रिपोर्ट के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कंपनी ने पीएसयू के संचालन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के सभी निर्देशों का अनुपालन किया है।

(vii) कंपनी के संचालन को सार रूप में प्रस्तुत वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत दर्ज शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार रही:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
शून्य	शून्य	शून्य

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान किया गया शुल्क:

विवरण	राशि ₹ लाख में.
सांविधिक लेखा परीक्षा	6.12
कर लेखा परीक्षा	1.40

संचार के साधन

(i) बोर्ड द्वारा विचार और अनुमोदन के बाद तिमाही / छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में वे बीएसई, एनएसई (स्टॉक एक्सचेंज) की वेबसाइटों पर पोस्ट किए जाते हैं। वे कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर प्रदर्शित किए जाते हैं।

(ii) सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 47 के संदर्भ में वित्तीय परिणामों का इसके अपनाए जाने के 48 घंटों के भीतर अखिल भारतीय स्तर पर प्रसारित एक अंग्रेजी राष्ट्रीय दैनिक, एक हिंदी दैनिक और कम से कम एक स्थानीय तेलुगु दैनिक में प्रकाशन होता है। पहले कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वेबसाइट www.midhani-india.in पर पोस्ट की जाती है। कंपनी का वेबसाइट पता सभी आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियों और निवेशक प्रस्तुति में भी प्रकाशित किया जाता है।

नीतियाँ और संहिता निर्माण:

संबंधित पार्टी लेन-देन से निपटने की भौतिकता नीति: कंपनी ने 'संबंधित पार्टी लेन-देन से निपटने की भौतिकता नीति' तैयार की है, जो कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर प्रदर्शित किया जाता है।

सतर्कता और व्हिज़ल ब्लोअर नीति: कंपनी का सतर्कता तंत्र एक मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संचालित है। सतर्कता विभाग का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है निवारक सतर्कता। सतर्कता विभाग प्रमुख खरीद / अनुबंधों की जांच, नियमित और औचक निरीक्षण करता है। कंपनी के पास "व्हिज़ल ब्लोअर नीति" है और कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/departmentvigilance/whistle-blower-policy-document/ पर भी यह उपलब्ध है।

सामग्री अनुषंगी नीति: 31 मार्च, 2020 तक आपकी कंपनी के पास कोई अनुषंगी नहीं है, इसलिए सामग्री अनुषंगी के निर्धारण पर नीति अभी तक तैयार नहीं की गई है।

आचार संहिता: आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बेहतर नैगम शासन और निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रथाओं के लिए "बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए संव्यवहार आचरण और आचार संहिता" तैयार की है। उसकी एक प्रति सभी संबंधितों को परिचालित की गई है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक जिन पर यह संहिता लागू है, उन्होंने इसके अनुपालन की पुष्टि की है। इसके लागू होने की हस्ताक्षरित घोषणा आपकी कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा की गई है, जो इस रिपोर्ट के अंत में **अनुलग्नक - X** के रूप में संलग्न है।

सामान्य शेयरधारक जानकारी:

आगामी वार्षिक महा सभा:

तिथि 29 सितंबर, 2020
समय 11:00 बजे, भारतीय मानक समय
स्थान – वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से

वित्तीय वर्ष: प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक।

बुक क्लोजर: एजीएम के आयोजन के लिए और वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए लाभांश के भुगतान के लिए बुक क्लोजर अवधि 23 से 29 सितंबर, 2020 तक (दोनों दिन सम्मिलित) रहेगी।

अप्रदत्त और दावारहित लाभांश विवरण:

i. कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के साथ पढ़े गए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष ('आईईपीएफ') प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के अनुसार विवरण पिछले सात वर्षों के लिए अप्रदत्त और दावारहित लाभांश (अंतरिम एवं अंतिम) की सूचना प्रदान करने वाले विवरण कंपनी की वेबसाइट http://midhani-india.in/ पर उपलब्ध है।

ii. इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2020 तक पिछले वर्षों से कोई दावारहित लाभांश का हस्तांतरण आईईपीएफ को देय नहीं है।

स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सूची और स्टॉक कोड

स्टॉक एक्सचेंज (जों) का नाम	स्क्रिप कोड / ट्रेडिंग सिंबल
बीएसई लिमिटेड (बीएसई) फीरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400001	541195
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नंबर सी -1, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051	MIDHANI

- इक्विटी शेयरों को अप्रैल, 2018 में सूचीबद्ध किया गया और 31 मार्च, 2020 को मिधानि का प्रति बाजार पूंजीकरण शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों की श्रेणी में आता है।
- कंपनी के इक्विटी शेयरों का आईएसआईएन INE099Z01011 है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए दोनों स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई एवं एनएसई को वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया गया है।

शेयरों का बाजार मूल्य: बीएसई और एनएसई में वित्तीय वर्ष 19-20 के प्रत्येक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों के उच्च / निम्न बाजार मूल्यों का विवरण इस प्रकार रहा:

माह	बीएसई				एनएसई			
	मिधानि		सेंसेक्स		मिधानि		निफ्टी 50	
	उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	उच्च	निम्न	उच्च (₹ में)	निम्न (₹ में)	उच्च	निम्न
अप्रैल'19	146.85	126.3	39487.45	38460.25	146.7	125.5	11856.15	11549.1
मई'19	143.95	120	40124.96	36956.10	144	119.25	12041.15	11108.3
जून'19	138	122.4	40312.07	38870.96	138.7	123.1	12103.05	11625.1
जुलाई'19	131.1	110.25	40032.41	37128.26	131.25	110.35	11981.75	10999.4
अगस्त'19	122	108.5	37807.55	36102.35	122.05	108.45	11181.45	10637.15
सितंबर'19	142	114.3	39441.12	35987.80	141.8	114	11694.85	10670.25
अक्तूबर'19	158	119.1	40392.22	37415.83	157.9	119.1	11945	11090.15
नवंबर'19	186.8	146.8	41163.79	40014.23	186.95	146.5	12158.8	11802.65
दिसंबर'19	165.5	146.35	41809.96	40135.37	165.45	146.15	12293.9	11832.3
जनवरी'20	176.75	150.65	42273.87	40476.55	176.55	150.65	12430.5	11929.6
फरवरी'20	265.6	149.3	41709.3	38219.97	266	149.5	12246.7	11175.05
मार्च'20	278	135.2	39083.17	25638.9	278.8	135	11433	7511.1

स्रोत: बीएसई एवं एनएसई

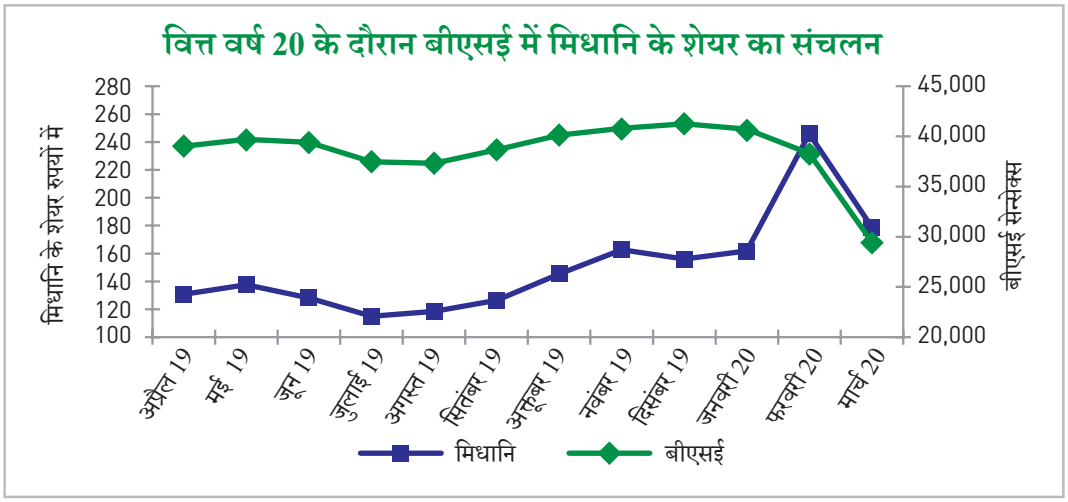

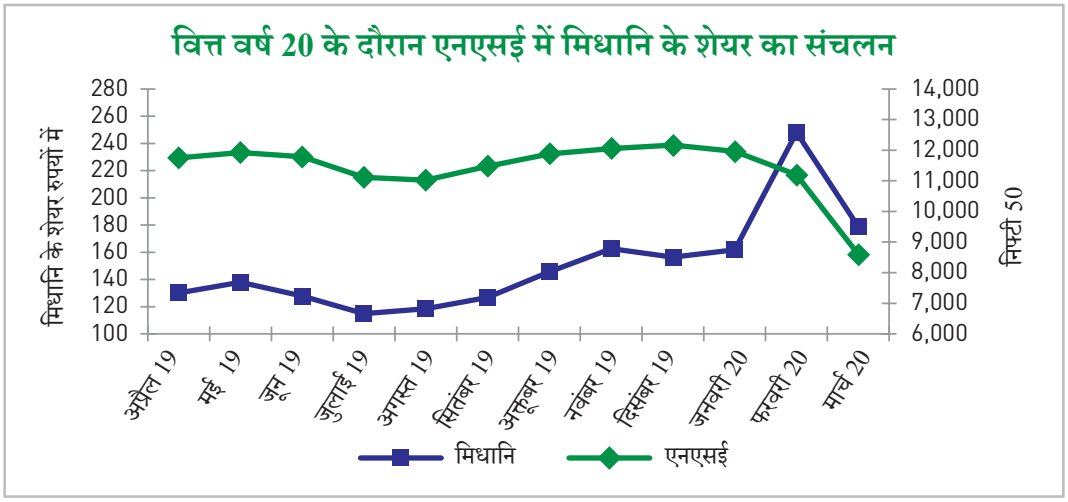

31 मार्च, 2020 तक शेयरधारिता पैटर्न

श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	धारित किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का%
प्रवर्तक और प्रवर्तक समूह (ए)	1	13,86,31,600	74
सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)			
म्यूचुअल फंड्स	9	2,77,50,716	14.81
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	12	13,52,231	0.73
वित्तीय संस्थान / बैंक	2	64,537	0.03
एनबीएफसी	1	10,000	0.01
बीमा कंपनियां	4	73,66,617	3.93
नैगम निकाय	205	11,42,247	0.61
अप्रवासी भारतीय	553	3,52,315	0.19
न्यास	1	4,200	-
क्लियरिंग सदस्य	178	3,26,521	0.17
एचयूएफ	981	3,58,359	0.19
कर्मचारी	199	97,147	0.05
व्यक्तिगत	40,632	98,83,510	5.28
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी)	42,777	4,87,08,400	26
कुल शेयरधारिता (ए + बी)	42,778	18,73,40,000	100

31 मार्च, 2020 तक आकार के आधार पर शेयरधारिता का वितरण

धारित किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों का %	धारित किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का%
500 तक	39,543	92.44	45,29,959	2.42
501-1000	1,689	3.95	12,88,503	0.69
1001-5000	1,355	3.17	26,15,474	1.40
5001-10000	94	0.22	7,16,756	0.38
10001 एवं उससे ऊपर	97	0.23	17,81,89,308	95.12

वस्तु जोखिम या विदेशी विनिमय जोखिम और सुरक्षा गतिविधियाँ: आपकी कंपनी का वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वस्तु और वस्तु जोखिमों से संसर्ग नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी प्रतिरक्षा गतिविधियों में शामिल नहीं है। कंपनी ने सामग्री और सेवाओं की खरीद से संबंधित विदेशी विनिमय संसर्ग का खुलासा किया है। विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं की प्रतिपूर्ति के लिए ये खरीदी ज्यादातर विनिमय दर भिन्नता के अंतर्गत शर्त के अधीन आती हैं। इसलिए, आपकी कंपनी का इस लेखे पर कोई प्रत्यक्ष खुलासा नहीं है।

शेयरों और लिक्विडिटी का विसामग्रीकरण: कंपनी के शेयर्स को दोनों डिपॉजिटरी अर्थात नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') में दाखिल किया जाता है। 31 मार्च, 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक रूप में इक्विटी शेयरों की संख्या इस प्रकार रही:

शेयरों की संख्या		भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों का %
एनएसडीएल के साथ डीमेट शेयर	18,02,07,101	96.1925
सीडीएसएल के साथ डीमेट शेयर	71,32,739	3.8073
भौतिक शेयर	160	0.0002
शेयरों की कुल संख्या	18,73,40,000	100

बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट: 31 मार्च, 2020 तक कोई जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय दस्तावेज बकाया नहीं हैं।

दावारहित संदिग्ध खाते में रखे गए शेयरों का विवरण: दावारहित संदिग्ध खाते में 31 मार्च, 2020 तक कोई बकाया शेयर नहीं है।

संयंत्र स्थान: मिधानि का केवल एक संयंत्र पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद – 500058 में स्थित है।

अनुपालन अधिकारी का विवरण / निवेशक पत्राचार के लिए पता

श्री पॉल एंटनी
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद - 500058
टेली-फैक्स: +91-040-24340853 / 24184515
ईमेल: company.secretary@midhani-india.in

पंजीयक और शेयर हस्तांतरण अभिकर्ता

अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
4 ई / 2 झंडेवालान एक्सटेंशन,
नई दिल्ली -110 055
दूरभाष: 011-42541234 / 23541234; फैक्स: 011- 42541201
ईमेल: rta@alankit.com

शेयर हस्तांतरण प्रणाली: कंपनी के डीमैटरियलाइज्ड शेयर डिपॉजिटरी सिस्टम के जरिए हस्तांतरण करने योग्य होते हैं। हालाँकि, भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को आपकी कंपनी के समन्वय में कंपनी के पंजीयक और हस्तांतरण अभिकर्ता द्वारा संसाधित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 40 (1) के अनुसार कंपनी के शेयरों के हस्तांतरण को तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि शेयर एक डिपॉजिटरी के साथ डीमैटरियलाइज्ड रूप में नहीं होते हैं। 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के 160 इक्विटी शेयरों को भौतिक रूप में रखा गया।

प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण

फॉरवर्ड लुकिंग विवरणियाँ:

इस रिपोर्ट में हमारे व्यापारिक कार्यों से संबंधित अग्रगामी विवरणियों का गठन कर सकते हैं। इनमें ऐतिहासिक तथ्य के विवरण के अलावा सभी विवरण शामिल हैं, जिनमें वित्तीय स्थिति, व्यापार रणनीति, प्रबंधन योजनाओं और भविष्य के कार्यों के लिए उद्देश्य शामिल हैं। अग्रगामी विवरणियों की पहचान 'विश्वास', 'अनुमान', 'प्रत्याशित', 'उम्मीद', 'इरादा', 'हो सकता है', 'इच्छा', 'योजना', 'आउटलुक' और अन्य शब्दों से, जिनका अर्थ भविष्य के संचालन या वित्तीय प्रदर्शन की चर्चा के संबंध में समान होगा, की जा सकती है। अग्रगामी विवरणियाँ आवश्यक रूप से मान्यताओं, डेटा या विधियों पर निर्भर होते हैं जो गलत हो सकते हैं या असंगत हो सकते हैं और जो महसूस किए जाने में असमर्थ हो सकते हैं, और इस तरह, भविष्य के परिणामों की गारंटी देने का इरादा नहीं है, लेकिन उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर हमारी वर्तमान अपेक्षाओं का गठन करते हैं। वास्तविक परिणाम विभिन्न घटनाओं, जोखिमों, अनिश्चितताओं और अन्य कारकों के कारण किसी भी अग्रगामी विवरणियों में अनुमानित रूप से भिन्न हो सकते हैं। नई जानकारी, भविष्य की घटनाओं या अन्यथा के परिणामस्वरूप, हम न तो किसी दायित्व को मानते हैं और न ही किसी भी अग्रगामी विवरणियों को अद्यतन या संशोधित करने का इरादा रखते हैं।

वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संचित आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार ऐतिहासिक लागत परंपरा का अनुसरण कर तैयार किया जाता है और अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन किया जाता है। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड ("मिधानि" या "कंपनी") के प्रबंधन ने वर्ष के लिए मामलों में समझदारी और उचित आधार पर वित्तीय विवरणों से संबंधित अनुमान और निर्णय का उपयोग किया है ताकि वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष तरीके से प्रतिबिंबित हो जाएं।

हमारी वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणाम पर निम्नलिखित चर्चाओं को हमारे लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और वार्षिक रिपोर्ट में शामिल इन विवरणों को टिप्पणी के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की समीक्षा:

वैश्विक व्यापार और निवेश में निरंतर कमजोरी के साथ वर्ष 2019 में वैश्विक विकास तेजी से धीमा हो गया। यह कमजोरी व्यापक रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं - विशेष रूप से यूरो क्षेत्र - और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) दोनों को प्रभावित कर रही थी। 2009 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से आर्थिक गतिविधियों के विभिन्न प्रमुख संकेतकों में गिरावट आई, जो उनके सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। विशेष रूप से, माल का वैश्विक व्यापार 2019 के महत्वपूर्ण भाग के लिए संकुचन में था, और विनिर्माण गतिविधि वर्ष के दौरान धीमी गति से बढ़ी; हाल ही में उच्च-आवृत्ति रीडिंग कमजोर स्तरों पर विनिर्माण उत्पादन के कुछ अस्थायी स्थिरीकरण का सुझाव देती हैं। कुछ हद तक, सेवाओं की गतिविधि भी मध्यम रही। अर्थव्यवस्थाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में अनुभवहीन विकास हुआ है, जिसमें 90 प्रतिशत के करीब उन्नत अर्थव्यवस्थाएं और 60 प्रतिशत ईएमडीई पिछले साल मंदी के विभिन्न स्तरों से गुजर रही हैं। व्यापार तनाव जिसकी तीव्रता अक्टूबर-मध्य, 2019 के दौरान कम हो गयी थी, कोविड-19 प्रकोप के बाद बढ़ गयी। हालांकि वित्तीय बाजार के भाव में 2019 के अंत में काफी सुधार हुआ, लेकिन यह 2019 के अधिकांश भाग के दौरान नाजुक रहा।

आगे बढ़ते हुए, जून 2020 के अंतिम सप्ताह में, आईएमएफ ने सीवाई 2020 में वैश्विक आर्थिक विकास -4.9 प्रतिशत, अप्रैल 2020 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ) पूर्वानुमान के 1.9 प्रतिशत अंक नीचे होने का अनुमान लगाया है। कोविड-19 महामारी ने 2020 की पहली छमाही में गतिविधि पर प्रत्याशित तुलना से अधिक नकारात्मक प्रभाव डाला है, और पुन: प्राप्ति का पहले के पूर्वानुमान की तुलना में अधिक क्रमिक होने का अनुमान है। 2021 में वैश्विक विकास 5.4 प्रतिशत अनुमानित है। कुल मिलाकर, यह जनवरी 2020 के कोविड -19 पूर्व अनुमानों की तुलना में 2021 जीडीपी कुछ 6½ प्रतिशत अंक कम होगी। कम आय वाले परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव विशेष रूप से तीव्र है, क्योंकि 1990 के दशक से दुनिया में चरम गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

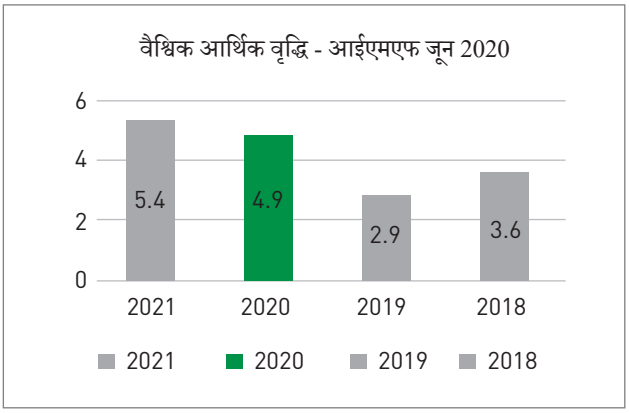

भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा:

आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार के अनुमानों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019-20 की तीसरी तिमाही के अंत में खपत और निवेश में तेजी के स्पष्ट संकेत के साथ गति प्राप्त करना शुरू कर दिया था, जिसे केवल कोविड-19 के कारण मार्च 2020 के अंत में सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन लागू करके रोक दिया गया। ग्राहक भावना में सक्रियता के संकेत के साथ फरवरी 2020 में सकारात्मक वृद्धि, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (आईआईपी), इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स (आईसीआई) और माल निर्यात प्रतिक्षेप के साथ ग्रीन शूट दिखाई दिया था। हालांकि, मार्च 2020 में माल के निर्यात और आयात में तेज नकारात्मक वृद्धि ने संकट के पहले संकेत दे दिए हैं जो पहले से ही देश के आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। 24 मार्च से लॉकडाउन लागू होने के

साथ, वित्तीय निष्क्रियता के सात दिनों की अवधि के साथ वित्तीय वर्ष 2019-20 बंद हो गया। व्यापार के अलावा, आईआईपी और आईसीआई सूचकांकों में नकारात्मक वृद्धि और विशेष रूप से मार्च 2020 में बिजली उत्पादन में गिरावट ने लॉकडाउन की आर्थिक प्रतिकूलता को प्रतिबिंबित किया।

भारत की अर्थव्यवस्था पर महामारी के मध्यावधि और दीर्घकालिक प्रभाव का आगे बढ़ना जारी रहेगा और एक सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है। अनलॉक 1.0 के साथ अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कुछ पुन: प्राप्ति दिखाई दे रही है, जिनमें से कुछ नीचे हैं:

- आईएमडी की भविष्यवाणी के साथ एक सामान्य मानसून ग्रामीण भारत पुन: प्राप्ति का नेतृत्व कर रहा है और शहरी भारत आर्थिक गतिविधियों पर वापस जाने की कोशिश कर रहा है।
- 60% की गिरावट के बाद जुलाई, 2020 में पेट्रोल और डीजल की खपत सामान्य हो गई।
- जून में बिजली की खपत पिछले साल की मांग का 90% है
- मई में शुरू होने वाले सामानों की आवाजाही और इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र के फिर से सामान्य होने का संकेत है।
- जून में जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है।
- भारत के विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में मई की तुलना में जून में 50% की वृद्धि देखी गई। हालांकि देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण आने वाले महीनों में विनिर्माण फिर से धीमा हो सकता है।

उच्च प्रदर्शन अलॉय

वैश्विक उच्च-प्रदर्शन अलॉय बाजार का लगभग 5% की दर से 2019 में अनुमानित 9.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2027 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ने का अनुमान है। कड़े उत्सर्जन मानदंडों के कारण हल्की सामग्री के लिए एयरोस्पेस और ऑटोमोटिव उद्योग में बढ़ती मांग और बढ़ती ईंधन दक्षता बाजार के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इस तरह के अलॉय की आवश्यकता अंत उपयोगकर्ता उद्योग से मांग के साथ-साथ तकनीकी प्रगति से प्रेरित होगी।

वर्तमान में अमेरिकी एयरोस्पेस उद्योग, ऑटोमोबाइल और इसके तेल और गैस क्षेत्र के पुनर्निर्माण में खपत के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका की उच्च प्रदर्शन अलॉय में सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी है।

एशिया प्रशांत में भारत और चीन उच्च प्रदर्शन स्टील के उत्पादन और खपत में अग्रणी है।

हमारा संचालन वातावरण:

मिधानि विशेष स्टील्स, सुपर अलॉय का अग्रणी निर्माता है और भारत में टाइटेनियम अलॉय का एकमात्र निर्माता है। हमारे उत्पादों के प्रमुख अंत उपयोगकर्ता उद्योग रक्षा विनिर्माण, एयरोस्पेस, ऊर्जा और अन्य हैं। रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत नौ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से मिधानि एक है।

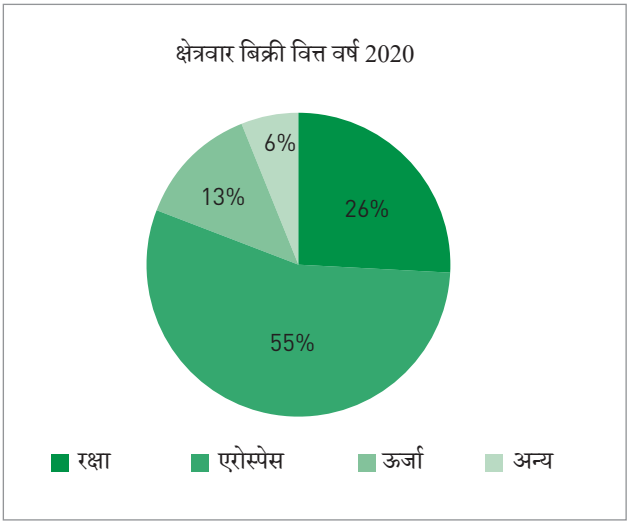

रक्षा विनिर्माण:

भारत दुनिया के 5वें सबसे बड़े रक्षा बजट आवंटन के साथ सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। वर्तमान में भारत अपने प्रयोग के लिए केवल 45% से 50% रक्षा उत्पादों का घरेलू उत्पादन करता है, और बाकी आयात किए जाते हैं। 2018 की रक्षा उत्पादन नीति (डीपीपी-2018) में भारत का लक्ष्य 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक निर्यात लक्ष्य के साथ एयरोस्पेस तथा रक्षा विनिर्माण के शीर्ष 5 वैश्विक उत्पादकों में से एक बनना है जो दुनिया भर में हथियारों के निर्यात (मूल्य द्वारा) के 12% के बराबर है। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के डैशबोर्ड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत के सैन्य उपकरणों का निर्यात 1521.86 रुपये से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में 8,620.59 रुपये हो गया। पिछले चार वर्षों में भारत का रक्षा निर्यात साढ़े 5 गुना से अधिक हो गया है जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपये है।

रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता 1960 के दशक से भारत की रक्षा उत्पादन रणनीति का लक्ष्य रहा है। भारत सरकार ने 2011 में रक्षा उत्पादन नीति की भी घोषणा की थी। तब से घरेलू रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) और आयुध निर्माणी बोर्ड (ओएफबी) में भारत का रक्षा उत्पादन 2013-14 में ₹ 43,746 करोड़ से 2018-19 में ₹ 57641 करोड़ तक उत्तरोत्तर बढ़ा है। मिधानि जैसे रक्षा सार्वजनिक उपक्रम देश में रक्षा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण निर्माता के रूप में उभरे हैं।

वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान मिधानि ने रक्षा क्षेत्र से ₹ 18,674 लाख का राजस्व उत्पन्न किया।

भारतीय एयरोस्पेस उद्योग:

भारतीय एयरोस्पेस उद्योग में अभूतपूर्व वृद्धि देखी जा रही है। भारत में एयरोस्पेस और रक्षा (ए एवं डी) बाजार 2030 तक लगभग 70 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारतीय एयरोस्पेस बाजार दुनिया में एक प्रमुख ओईएम और घटक निर्माता के रूप में उभर रहा है जो ज्यादातर एचएएल, इसरो और

डीआरडीओ जैसे प्रमुख रक्षा एयरोस्पेस संगठनों द्वारा संचालित है। भारत के इस क्षेत्र में मजबूत होने में भारत की तकनीकी और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, वैज्ञानिक प्रतिभा, उच्च परिशुद्धता और उच्च गुणवत्ता वाले घटकों के निर्माण के लिए उपलब्ध कौशल सहित कई लाभ शामिल हैं।

भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र भी तेजी से बढ़ रहा है। इसने पिछले दो वर्षों के दौरान यात्री यातायात में 41% से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। वास्तव में, इसने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार भारत में एयरोस्पेस क्षेत्र में नागरिक और सैन्य विमानों के लिए रखरखाव मरम्मत जाँच (एमआरओ) सुविधाओं की स्थापना, एयरो इंजनों की जाँच और रखरखाव के लिए और नागरिक और सैन्य विमानन दोनों क्षेत्रों में उड्डयानिकी, घटकों और सहायक उपकरणों के उत्पादन के लिए सहयोग और संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए विशाल संभावनाएं और विशाल अवसर हैं। प्रमुख वैश्विक विमानन उद्योग पहले से ही भारत में स्थानीय बाजार पर नजर गड़ाए हुए है और आउटसोर्सिंग एयरोस्पेस और रक्षा उत्पादों के लिए स्काउटिंग कर रहा है क्योंकि भारत तेजी से इंजीनियरिंग और डिजाइन सेवाओं के केंद्र के रूप में उभर रहा है।

एयरोस्पेस विनिर्माण को स्टील, एल्यूमीनियम, टाइटेनियम आदि के विशेष अलॉय और कंपोजिट की आवश्यकता होती है। वर्तमान में एयरोस्पेस विनिर्माण के लिए आवश्यक इन कच्चे माल का लगभग 70% भारत में आयात किया जाता है। मिधानि उच्च अंत सामग्री के साथ भारतीय एयरोस्पेस विनिर्माण का समर्थन करने वाला एक प्रमुख डीपीएसयू है।

वर्ष के दौरान मिधानि ने एयरोस्पेस क्षेत्र से ₹ 39,385 लाख का राजस्व उत्पन्न किया।

ऊर्जा क्षेत्र:

हमारे व्यवसाय के ऊर्जा क्षेत्र में तेल और गैस तथा औद्योगिक टर्बाइन हैं।

तेल और गैस क्षेत्र भारत के आठ प्रमुख उद्योगों में से एक है और अर्थव्यवस्था के अन्य सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लिए निर्णय लेने को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। भारत की आर्थिक वृद्धि ऊर्जा मांग के साथ निकटता से संबंधित है; इसलिए, तेल और गैस की जरूरत अधिक बढ़ने का अनुमान है, जिससे क्षेत्र निवेश के लिए काफी अनुकूल है।

1 दिसंबर, 2019 तक, भारत की तेल शोधन क्षमता 238.60 मिलियन टन थी, जो इसे एशिया में दूसरा सबसे बड़ा रिफाइनर बनाता है। कुल शोधन क्षमता में लगभग 35.36 प्रतिशत हिस्सा निजी कंपनियों का है। 2017 में जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयातक था। एलएनजी आयात 2017-18 में बढ़कर 26.11 बीसीएम हो गया, जबकि 2016-17 में 24.48 बीसीएम था। अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान भारत का एलएनजी आयात 27.43 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) रहा।

फरवरी 2019 की शुरुआत में देश में गैस पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा 16, 226 किलोमीटर था। उत्पादकों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन वित्तीय वर्ष 18 के 4,808.00 टीएमटी से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 19 में 4,931.22 टीएमटी किया गया और यह वित्तीय वर्ष 2020 (नवंबर 2019 तक) में 3,179 टीएमटी पर पहुंच गया।

तेल और गैस (पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरी सहित): प्रक्रिया उपकरण, प्रक्रिया पाइप और पाइपिंग सिस्टम और बॉयलरों के लिए विशेष स्टील और सुपरअलॉय उत्पाद की कुल मांग में 6% का योगदान देता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, 2021-22 तक तेल उत्पादन 844 एमटीओई तक बढ़ जाएगा, मूल्य श्रृंखला में लगभग 43.69 बिलियन अमेरीकी डालर के निवेश से तेल और गैस क्षेत्र के चुनिंदा उत्पादों की मांग में लगभग 5% की वृद्धि के लिए मदद मिलेगी।

किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के उच्च विकास प्रक्षेण पथ का उसकी ऊर्जा क्षेत्र में वृद्धि के साथ नाभीनाल संबंध होता है। सस्ती दरों पर सभी के लिए विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता निरंतर आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में वर्तमान में 356 जीडब्ल्यू से अधिक का स्थापित क्षमता आधार है और इसका वार्षिक बिजली उत्पादन 1,372 बिलियन यूनिट (31 मार्च 2019 तक) है। राष्ट्र ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में पारंपरिक स्रोतों के अनुसार लगभग 6 गीगावॉट क्षमता वृद्धि देखी, जिनमें से अधिकांश तापीय बिजली संयंत्रों से थी।

वर्ष के दौरान मिधानि ने ऊर्जा क्षेत्र से ₹ 9,127 लाख का राजस्व उत्पन्न किया।

प्रासंगिक पृष्ठभूमि:

मुख्य रूप से बेहतर प्रदर्शन के चलते स्टील और एल्यूमीनियम जैसी सामग्रियों के बढ़ते प्रतिस्थापन और ऐसे अलॉय की कीमत में कमी के कारण वैश्विक उच्च प्रदर्शन अलॉय बाजार का विकास होने का अनुमान है। बेहतर ताप और इन्सुलेशन के साथ युग्मित प्रदर्शन दक्षता में सुधार में मदद करने वाले अलॉय की अनुकूल विशेषताओं से मांग को बढ़ाने की उम्मीद है।

सुपर अलॉय:

सुपर अलॉय में उत्कृष्ट संक्षारण और ऑक्सीकरण प्रतिरोध गुणों के साथ बिना किसी विरूपण के उच्च तापमान पर उच्च क्रीप प्रतिरोध है। आमतौर पर, उनके पास निकल, कोबाल्ट, आयरन और निकल-आयरन के आधार अलॉय तत्व के साथ एक ऑस्टेनिटिक फेस-सेंट्रड कयूबिक क्रिस्टल संरचना होती है। मिधानि सभी तीन प्रकार के सुपर अलॉय उत्पादित करता है। संबद्ध बाजार अनुसंधान के एक अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में सुपर अलॉय बाजार की वृद्धि 2020 से 2027 के बीच 8.6% के सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

टाइटेनियम:

टाइटेनियम जिसे "स्पेस एज मेटल" के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी की पपड़ी में चौथी प्रचुर धातु है। टाइटेनियम के अनुप्रयोगिक क्षेत्र अंतरिक्ष, रक्षा और वैमानिकी प्रौद्योगिकी हैं। वैश्विक टाइटेनियम अलॉय बाजार के 2025 तक 7 बिलियन अमेरिकी डालर के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। फिओर मार्केट्स द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक टाइटेनियम अलॉय बाजार के 2017 के 4.97 बिलियन अमेरिकी डालर से 2025 तक 6.87 बिलियन अमेरिकी डालर तक बढ़ने की उम्मीद है। इसके 2018-2025 की पुर्वानुमानित अवधि के दौरान 4.13% के सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

विश्व स्तर पर टाइटेनियम एक विविध अंत-उपयोगकर्ता क्षेत्र है जैसे कि एयरोस्पेस, ऑटोमोटिव, नौवहन, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल, रसायन, ऊर्जा और शक्ति, और अन्य। एक अत्यंत व्यापक तापमान क्षेत्र, वजन अनुपात के लिए उच्च कठोरता पर काम करने के उनके गुणों के कारण, टाइटेनियम अलॉय विमान इंजन, ब्लेड, शाफ्ट और एयरफ्रेम के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर एयरोस्पेस उद्योग में उपयोग किया जाता है। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में टाइटेनियम का उपयोग आने वाले वर्षों में बढ़ने का अनुमान है। इस बढ़ती हुई विकास दर का श्रेय कूल्हे और घुटने के प्रत्यारोपण में टाइटेनियम अलॉय के बढ़ते उपयोग और इसकी जैव-संगति विशेषता को दिया जा सकता है।

स्टील अलॉय:

स्टील अलॉय के तत्व क्रोम, निकल, सिलिकॉन, तांबा, टाइटेनियम आदि हैं। प्रत्येक का भौतिक गुणों पर अपना प्रभाव है। लगभग 20 अलॉय तत्व हैं जो अलॉय स्टील के विभिन्न ग्रेड का उत्पादन करने के लिए कार्बन स्टील में जोड़े जा सकते हैं। ये विभिन्न प्रकार के गुण प्रदान करते हैं। उपयोग किए गए कुछ तत्वों और उनके प्रभावों में एल्यूमीनियम, तांबा, मैग्नीशियम, निकल आदि शामिल हैं।

Marketresearchstore.com की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018-2025 के दौरान 1.5% सीएजीआर से बढ़ते हुए वैश्विक अलॉय स्टील बाजार 2025 के अंत तक 149200 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।

प्रमुख रणनीतियाँ और पहल:

हमारी रणनीतियाँ	हमारी योजनाएँ	महत्वपूर्ण पहल
विकास और आधुनिकीकरण	ग्राहकों और उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के आधार पर विकास (ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों के माध्यम से) करना चाहता है • कंपनी के भौगोलिक विस्तार के लिए लक्ष्य और कई स्थानों से संचालन करना • रोहतक और नेल्लोर में दो नई विनिर्माण सुविधाओं का स्थापन प्रक्रियारत • तेल और गैस, खनन, बिजली, रेलवे, रसायन और उर्वरक के नए बाजारों में प्रवेश करना चाहते हैं	आधुनिकीकरण और विकास के लिए लगभग ₹ 23,000 लाख का अब तक का उच्चतम पूंजीगत व्यय। संयंत्र रिवर्ट से मेटल पुन: प्राप्ति - एमएसएमई / स्टार्ट-अप के माध्यम से स्पेशल स्टील स्क्रैप से शुद्ध तत्वों की पुन: प्राप्ति मिधानि द्वारा मूल्यांकन के अधीन है एल्यूमीनियम अलॉय संयंत्र - मिधानि-नालको संयुक्त उद्यम; उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड पंजीकृत किया गया है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में उच्च अंत एल्यूमीनियम अलॉय के निर्माण का प्रस्ताव रखा है
अनुसंधान और विकास पर ध्यानाकर्षण में वृद्धि	कुछ प्रमुख उन्नत प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग में प्रवेश किया • विनिर्माण घटकों / मूल्य वर्धित उत्पादों द्वारा अग्रिम और पश्चगामी एकीकरण के लिए लक्ष्य	वर्ष के दौरान 50 से अधिक आईपीआर दायर किए गए हैं और मिधानि को तीन पेटेंट दिए गए हैं। एयरो स्पेस, नेवी और ऊर्जा क्षेत्र के लिए 10 से अधिक नए उत्पाद विकसित किए गए हैं।
मानव पूंजी को मजबूती	कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहते हैं और उनकी भलाई और कौशल-वृद्धि के लिए विभिन्न कार्यक्रम और लाभ प्रदान करते हैं • अधिक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमिता कौशल विकसित करने और कार्यबल को और मजबूत करने की इच्छा रखते हैं, जो उन्हें अनुकूल, सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी वातावरण प्रदान करके भविष्य के विकास के लिए कुशल श्रमिकों का एक केंद्रीय समूह तैयार करता है।	

ब.क.सु.ख. (स्वॉट) विश्लेषण:

बल:

- उन्नत उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के विनिर्माण की क्षमता।
- राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों के लिए स्वदेशी रूप से ग्राहक की मांग के अनुसार उत्पाद / अलॉय विकसित करने के लिए मजबूत अनुसंधान और विकास क्षमता।
- उच्च प्रौद्योगिकी उपकरणों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों के संचालन और रखरखाव का 45 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है।
- उत्पादों की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने के लिए अद्वितीय और जटिल गुणवत्ता नियंत्रण कार्य।

कमजोरी:

- चुनिंदा उत्पादों में, परिमाण की अर्थव्यवस्थाओं की कमी वैश्विक स्तर पर उत्पादों को गैर-प्रतिस्पर्धी बनाती है।
- सरकारी क्षेत्र से मांग पर निर्भरता
- खुद की सामग्री का उपयोग करके तैयार घटकों को विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे की कमी जो मूल्य वृद्धि को कम करती है।
- बिक्री की वसूली पर सीमित नियंत्रण।

सुनहरे अवसर:

- विशेष मिश्र धातुओं और स्टील्स के लिए मांग बढ़ रही हैं।
- सरकार की पहल जैसे "आत्मनिर्भर भारत", "मेक इन इंडिया", स्वदेशीकरण, मेक II आदि भारतीय संगठनों को देश और विदेश में मौजूदा बाजारों में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं।
- संयुक्त उद्यमों और सामरिक गठबंधन आदि के रूप में अधिक समय के लिए सहभागिता के सुअवसर प्राप्त होंगे।
- सामरिक सामग्रियों में विविधीकरण के अवसर मौजूद हैं।

खतरे:

- कुछ महत्वपूर्ण आयातित कच्चे माल की उच्च अस्थिर कीमतों के साथ-साथ समय पर उनकी अनुपलब्धता।
- प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं और उत्पादों-धातुओं में अप्रचलन का जोखिम सम्मिश्रण / सामग्री के साथ बदलता जा रहा है।
- सरकारी नीतियों में बदलाव। भारत और विदेशों में निजी क्षेत्र से प्रतियोगिता।

हमारे संचालन की समीक्षा:

मिधानि दुनिया में अपनी तरह के कुछ धातुकर्म संयंत्रों में से एक है, जिसे एकीकृत और अत्यधिक लचीली विनिर्माण प्रणालियों का उपयोग करके विशेष धातुओं और अलॉय की एक विस्तृत श्रृंखला के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह धातु और अलॉय का अनूठा संयोजन बनाती है। कंपनी के पास ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप उनके महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए अनुकूल माँग के आधार पर अलॉय्ज़ का विकास और निर्माण की क्षमता है।

मिधानि के पास आवश्यक उत्पाद आउटपुट के प्रमुख संसाधनों को परिवर्तित करने के लिए एक मजबूत मूल्य श्रृंखला उपलब्ध है। हमारी विनिर्माण श्रृंखला में मुख्य रूप से कच्चे माल की सोर्सिंग, उत्पादन योजना और नियंत्रण, विनिर्माण, प्रौद्योगिकी व अनुसंधान एवं विकास, परियोजनाएं और गुणवत्ता नियंत्रण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मूल्य श्रृंखला सामग्री खरीद योजना के साथ पश्चगामी एकीकृत है। इसके अतिरिक्त हमारे विपणन प्रभाग और ग्राहकों के बीच बढ़िया संबंध है। मिधानि की मूल्य श्रृंखला इसके मजबूत वित्तीय, मानव संसाधन और लॉजिस्टिक द्वारा समर्थन और मजबूती प्रदान की गई है।

हमारे विनिर्माण स्थल:

हैदराबाद: हैदराबाद संयंत्र कई मिल रूपों जैसे फोर्ज्ड बार / फ्लैट्स, रिंग्स; निअर नेट शेप्स एवं क्लोज्ड डाई फोर्जिंग, हॉट रोल्ड बार / शीट, कोल्ड रोल्ड शीट, स्ट्रिप्स और फोइल; तार, कास्टिंग, ट्यूब और फास्टनर्स में विभिन्न प्रकार की विशेष धातुओं और अलॉय के उत्पादन के लिए अत्यधिक एकीकृत और लचीली विनिर्माण सुविधाओं से सुसज्जित है।

रोहतक संयंत्र: रोहतक संयंत्र में आर्मर उत्पादों का निर्माण किया जाएगा।

विनिर्माण सुविधाएं:

मिधानि में विनिर्माण सुविधाओं में प्राथमिक और द्वितीयक मेल्टिंग फर्नेस शामिल हैं जैसे कि लेडल रिफाइनिंग फर्नेस के साथ इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, वैक्यूम डीगैसिंग / वैक्यूम ऑक्सीजन डिक्लेर्बाइजेशन, वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस, वैक्यूम इंडक्शन रिफाईनिंग फर्नेस, वैक्यूम आर्क रि-मेल्टिंग फर्नेस, इलेक्ट्रो स्लैग रि-मेल्टिंग फर्नेस और इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग फर्नेस। इसके बाद के संचालन को 6000टी / 1500टी फोर्ज प्रेस, रिंग रोलिंग मिल, हॉट रोलिंग और कोल्ड रोलिंग मिल्स, बार और वायर ड्राइंग मिल्स इत्यादि में आउटपुट, फॉर्म और आवश्यक आकार के आधार पर किया जाता है। कंडीशनिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, पिक्लिंग, गुणवत्ता नियंत्रण जैसी सहायक आधार सेवाएं भी हमारी विनिर्माण प्रक्रियाओं का हिस्सा हैं।

हमारे उत्पाद:

- विशेष अलॉय (फेर्रिटिक, ऑस्टेनिटिक, मार्टेंसिटिक, मैरेजिंग, आर्मर स्टील)
- सुपर अलॉय (आयरन / कोबाल्ट / निकल आधारित)
- टाइटेनियम अलॉय मेल्टिड, फोर्ज्ड, रोल्ड और तैयार उत्पाद के रूप में।
- विशेष स्टील्स और टाइटेनियम अलॉय ग्रेड उत्पादन टन के बड़े हिस्से का गठन करते हैं।

मुख्य कच्चे माल:

विभिन्न उत्पादों के निर्माण के लिए हमारी कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक कच्चे माल हैं: (ए) निकल धातु; (बी) कोबाल्ट धातु; (सी) विभिन्न मास्टर अलॉय; (डी) शुद्ध आयरन; (ई) टाइटेनियम स्पंज; (एफ) क्रोमियम धातु; (जी) हल्के स्टील स्क्रैप / स्टेनलेस स्टील स्क्रैप; (एच) उच्च कार्बन / कम कार्बन फेर्रो क्रोम; (आई) एल्यूमीनियम धातु; (जे) मैंगनीज धातु; और (के) विभिन्न फेर्रो अलॉय।

अनुसंधान और विकास:

कंपनी में एक आंतरिक अनुसंधान और विकास दल है जिसमें 14 अधिकारी शामिल हैं जिन्हें विशेष धातुओं और अलॉय के डिजाइन और अभियांत्रिकी का गहन ज्ञान है। हमारा आंतरिक अनुसंधान और विकास दल उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करता है और स्वीकार्य लागत पर अपेक्षित मांगों को पूरा करने के लिए नवाचार की प्रक्रिया अपनाता है। कंपनी विभिन्न देशों से तकनीकी ज्ञान को आउटसोर्स करती है और इसका एक समर्पित प्रौद्योगिकी सलाहकार बोर्ड है जो हमें नए उत्पादों के विकास के लिए आवश्यक तकनीक का मार्गदर्शन करता है।

आंतरिक अनुसंधान और विकास दल उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और नवाचार की प्रक्रिया के लिए कार्य करता है। कंपनी ने भारतीय बाजार के लिए फेर्रो टाइटेनियम बनाने के लिए टाइटेनियम स्क्रैप का पुन: उपयोग करने के लिए एक पद्धति विकसित की। कंपनी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत एयरोस्पेस क्षेत्र के लिए आइसोथर्मल फोर्जिंग प्रक्रिया के माध्यम से अडूर इंजन डिस्क का निर्माण किया है। मिधानि अपने उत्पाद क्षेत्र को बढ़ाने और अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास पर अत्यधिक ध्यान देता है। कंपनी ने क्रायोजेनिक वायर प्रोसेसिंग तकनीक विकसित की, ताकि ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ हासिल कर सके।

2016 में, मिधानि ने इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, लेडल रिफाइनिंग फर्नेस, वैक्यूम डिगैसिंग सुविधा, नई रिंग रोलिंग मिल और उच्च क्षमता फोर्ज प्रेस के साथ एक नए मेल्ट शॉप की स्थापना की है, जो ट्यूब, फास्टनर्स आदि जैसे मूल्य वृद्धि उत्पादों को बनाने की ईको प्रणाली से अलग है। हमारे उत्पादों के लिए आवश्यक परीक्षण को पूरा करने के लिए कंपनी में आंतरिक धातुकर्म प्रयोगशालाएं हैं। उन्नत धातुओं और अलॉय के निर्माता होने के नाते, कंपनी हमारे उत्पादों के साथ-साथ कच्चे माल का भी व्यापक गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें वांछित गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं।

वित्तीय कार्य निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए और पिछले दो वर्षों की वित्तीय स्थिति का सारांश नीचे दिया गया है: (आंकड़े ₹ लाख में)

विवरण	31-मार्च-20	31-मार्च-19	31-मार्च-18
परिसंपत्ति:			
गैर-चालू परिसंपत्ति			
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	43,970.52	42,367.02	34,277.50
पूंजीगत कार्य-प्रगति में	40,482.01	17,504.70	6,499.26
अमूर्त परिसंपत्ति	104.11	127.67	165.78
वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) निवेश	2,210.11	210.11	210.11
(ii) ऋण	64.85	-	0.10
गैर-चालू कर परिसंपत्ति (निवल)	543.63	1,065.17	2,021.22
अन्य गैर-चालू कर परिसंपत्ति	999.69	4,620.72	6,817.73
कुल गैर-चालू कर परिसंपत्ति (1)	**88,374.92**	**65,895.39**	**49,991.70**
चालू परिसंपत्ति			
माल	91,050.37	50,883.65	24,138.00
वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्य	29,739.51	35,224.32	41,343.40
(ii) नकद और नकद समकक्ष	11,089.67	19,799.55	18,007.93
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	1,335.36	1,148.49	1,787.95
अन्य चालू परिसंपत्ति	**18,208.54**	**9,515.52**	**1,250.97**
कुल चालू परिसंपत्ति (2)	**1,51,423.45**	**1,16,571.53**	**86,528.25**
कुल परिसंपत्ति (1+2)	**2,39,798.37**	**1,82,466.92**	**1,36,519.95**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	18,734.00	18,734.00	18,734.00

विवरण	31-मार्च-20	31-मार्च-19	31-मार्च-18
अन्य इक्विटी	**77,104.66**	**64,736.91**	**60,169.45**
कुल इक्विटी (1)	**95,838.66**	**83,470.91**	**78,903.45**
देयताएँ			
गैर-चालो देयता			
वित्तीय देयता			
(i) उधारी	18.41	57.06	92.01
(ii) अन्य वित्तीय देयताएँ	32,597.80	15,609.81	4,699.94
प्रावधान	125.18	108.99	79.76
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	3,123.40	3,980.00	2,863.55
अन्य गैर-चालो देयताएँ	38,409.92	25,889.86	7,405.84
कुल गैर-चालू देयताएँ (2)	**74,274.71**	**45,645.72**	**15,141.10**
चालू देयताएँ			
वित्तीय देयताएँ			
(i) उधारी	13,344.23	10,608.61	9,193.30
(ii) व्यापार देनदारियाँ	12,889.84	12,840.40	9,631.60
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	4,418.10	6,293.42	7,486.95
अन्य चालू देयताएँ	35,992.01	21,530.03	12,351.34
प्रावधान	3,040.82	2,077.83	3,812.21
कुल चालू देयताएँ (3)	**69,685.00**	**53,350.29**	**42,475.40**
कुल इक्विटी एवं देयताएँ (1+2+3)	**2,39,798.37**	**1,82,466.92**	**1,36,519.95**
कार्यशील पूंजी	81,738.45	63,221.24	44,052.85
पूंजी नियोजित	1,25,813.08	1,05,715.93	78,496.13
निवल मालियत	95,838.66	83,470.91	78,903.45
प्रदत्त पूंजी के प्रति रुपए निवल मालियत (₹)	5.12	4.46	4.21

समझौता ज्ञापन 2019-20 निष्पादन और कार्यगत परिणाम:

कंपनी वर्ष 2019-20 के समग्र वर्धन और सभी वित्तीय व परिचलनात्मक निष्पादन के संबंध में लोग उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा मूल्यांकन में 'बहुत अच्छा' समझौता ज्ञापन रेटिंग हासिल करने की अपेक्षा करती है।

वर्ष 2019-20 के प्रदर्शन की महत्वपूर्ण विशेषताओं और पिछले दो वर्षों के प्रदर्शन से तुलना निम्नानुसार है: (आंकड़े ₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19	2017-18
1	बिक्री-ग्राहकों को	71,287.57	71,084.62	66,607.87
	बिक्री-निर्यात	1,042.04	805.32	14.72
2	उत्पादन का मूल्य	97,010.91	81483.22	70,206.37
3	नकद लाभ (पिछली अवधि की मदों को छोड़कर)	22,820.06	21,424.26	21789.22
4	लाभ कर पूर्व	20,208.62	19,104.78	19,825.09
5	निवल लाभ (पैट)	15,973.38	13,055.69	13,126.18
6	मूल्यवृद्धि	59,350.32	52,206.95	54,851.50
7	प्रति कर्मचारी मूल्यवृद्धि	75.51	66.00	64.53
8	प्रति कर्मचारी उत्पादकता	123.42	103.01	82.60
9	प्रति प्रत्यक्षकर्मचारी जुडा मूल्य	194.59	171.17	166.22
10	प्रदत्त पूंजी	18,734.00	18,734.00	18734.00
11	कर्मचारियों की संख्या	786	791	850

गत तीन वर्षों के अंत में कंपनी का वित्तीय स्वास्थ्य और कार्य पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपात निम्नानुसार हैं:

(विशेष रूप से न बताये जाने तक आंकडे % में हैं)

क्र.सं.	विवरण	2019-20	2018-19	2017-18
अ	**द्रवता अनुपात**	2.17	2.19	2.04
आ	**लाभदायकता अनुपात**			
क)	कराधान से पूर्व लाभ			
	i) नियोजित पूंजी (%)	16.06	18.07	25.26
	ii) निवल मालियत (%)	21.09	22.89	25.13
	iii) विक्रय (%)	28.35	26.88	29.76
ख)	इक्विटी (%) को कराधान के बाद	85.26	69.69	70.07
ग)	प्रति शेयर आय (रुपये में)	8.53	6.97	7.01

अन्य प्रमुख वित्तीय अनुपात नीचे दिए गए है:

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 की तुलना में % बदलाव	25% या उससे अधिक बदलाव का विस्तृत विवरण
1.	देनदार कारोबार	2.19	1.86	18.20	-
2.	सूची कारोबार	0.74	1.42	-48.25	कोविड-19 लॉकडाउन के कारण चालू कार्य के मूल्य में वृद्धि ने मार्च 2020 के महीने में सामग्री के अंतिम निरीक्षण, प्रमाणन और शिपमेंट को प्रभावित किया है।
3.	ब्याज कवरेज	35.16	31.02	13.35	-
4.	वर्तमान अनुपात	2.17	2.19	-0.91	-
5.	ऋण इक्विटी अनुपात	0.14	0.13	7.69	-
6.	परिचालन लाभ मार्जिन (%)	23.24	21.69	7.15	-
7.	निवल लाभ मार्जिन (%)	22.41	18.37	22.00	-
8.	निवलमूल्य पर वापसी	17.82	16.08	10.79	-

विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि:

गत वर्ष की ₹ 13,055.69 लाख की तुलना में विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि ₹ 15,973.38 लाख की राशि उपलब्ध है।

जोखिम और जोखिम विश्लेषण:

जोखिम का प्रकार	जोखिम की परिभाषा	जोखिम की संभावना	जोखिम प्रभाव	जोखिम न्यूनीकरण
स्थूल-आर्थिक जोखिम	वैश्विक / राष्ट्रीय आर्थिक विकास की गड़बड़ी, राजनीतिक, नीति या नागरिक अशांति से संबंधित जोखिम	मध्यम/निम्न	उच्च	
बाजार जोखिम	मिधानि के ग्राहक पोर्टफोलियो में अधिकतर सरकारी / सरकार से संबंधित संगठन शामिल हैं। सरकारी प्राथमिकताओं में बदलाव मौजूदा या प्रस्तावित सामरिक कार्यक्रमों को प्रभावित कर सकता है। मिधानि को भी आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जो कुछ मामलों में सस्ता हो सकता है।	मध्यम/निम्न	उच्च	मिधानि तेल और गैस, विद्युत, इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों को लक्षित करके अपने ग्राहक पोर्टफोलियो में विविधता ला रहा है। इसके अतिरिक्त, मशीन टूल, बियरिंग्स और औद्योगिक वाल्व स्टील्स को अंतिम उत्पाद / घटक लाइन कंप्रेशन स्प्रिंग्स, आर्म्ड उत्पादों आदि में अग्रिम एकीकरण के साथ माना जा रहा है।

जोखिम का प्रकार	जोखिम की परिभाषा	जोखिम की संभावना	जोखिम प्रभाव	जोखिम न्यूनीकरण
प्रतियोगिता जोखिम	निजी क्षेत्र और आयात से प्रतिस्पर्धा	मध्यम/निम्न	मध्यम/ उच्च	मिधानि कंपनी के निदेशकों द्वारा ग्राहकों के साथ नियमित कार्यशालाओं / बैठकों के माध्यम से बेहतर ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, तीव्र और प्रभावी नौकरी निष्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
मानव जोखिम	मानवशक्ति जोखिम, श्रम मुद्दे, कुशल मानवशक्ति की भर्ती में कोई अक्षमता	मध्यम/निम्न	मध्यम/निम्न	
महामारी और वैश्विक बीमारी जोखिम	कोविड 19 जैसी वैश्विक बीमारी	निम्न	मध्यम/ उच्च	
पॉलिसी जोखिम	सरकारी नीति से संबंधित जोखिम - निजी क्षेत्र के लिए समान अवसर आदि	मध्यम/उच्च	निम्न/मध्यम	
विनिर्माण जोखिम	विनिर्माण गतिविधियों, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कैपेक्स आदि को पूरा करने में कोई अक्षमता	निम्न/मध्यम	मध्यम/ उच्च	
कच्चा माल जोखिम	मिधानि उच्च प्रदर्शन अनुप्रयोगों के लिए सामग्रियों / उत्पादों का विनिर्माण और आपूर्ति करता है जिन्हें इनपुट के रूप में महत्वपूर्ण कच्चे माल की आवश्यकता होती है। निकेल, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम जैसे कच्चे माल का आयात किया जाता है और कभी-कभी कारोबारी वातावरण की उपलब्धता और कीमत के कारण यह एक चुनौती है	निम्न/मध्यम	मध्यम/ उच्च	मिधानि में कच्चे माल की खरीद की कंपनी के निदेशकों द्वारा बारीकी से निगरानी की जाती है। अमेरिकी डालर विनिमय दर के रुपये के अनुकूल होने के दौरान अधिकांश सामग्रियों की खरीद के प्रयास किए गए हैं प्रत्याशित आदेशों के मद्देनजर महत्वपूर्ण कच्चे माल की थोक खरीद ₹ 10 लाख से ऊपर की सभी ई-खरीद के लिए रिवर्स नीलामी कच्चे माल की खपत का अनुकूलन और निर्मित अलॉय के अनुप्रयोगिक क्षेत्र के आधार पर संयंत्र रिवर्ट का पुन: उपयोग
ग्राहक जोखिम	ग्राहकों की उच्च एकाग्रता / कुछ ग्राहक बिक्री की मात्रा में बड़ा योगदान करते हैं	निम्न	उच्च	मिधानि सभी प्रमुख क्षेत्रों के बीच अपने ग्राहक आधार का विस्तार कर रहा है
पर्यावरण जोखिम	अपशिष्ट निपटान, उत्सर्जन आदि के माध्यम से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली हमारी इकाइयों से संबंधित मुद्दे	निम्न	निम्न	मिधानि में ईएचएस मानदंडों का पालन किया जाता है

मानव संसाधन विकास:

31.03.2020 को मिधानि की स्थायी मानवशक्ति की संख्या 786 कर्मचारी है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2020 के दौरान भर्ती 43 लोग (14 कार्यपालक और 29 गैर- कार्यपालक) शामिल हैं। कर्मचारियों की औसत आयु 41.7 वर्ष है। वर्तमान कार्यबल के साथ कंपनी ग्राहकों की मांगों को पूरा करते हुए जटिल कार्य करने और उद्योग के अग्रणी गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने के लिए सही रूप से तैयार है। प्रशासन, वित्त, उत्पादन और विपणन जैसे कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रदर्शन दक्षता बढ़ाने और निर्बाध अंतर विभागीय संचार और सहयोग के लिए मानव कौशल के तर्कसंगत वितरण पर मुख्य रुप से ध्यान केंद्रित किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, प्रशिक्षण और विकास विभाग (टी एवं डी), ने लक्षित 2,379 मानव दिवस के मुकाबले उच्चतम मानव दिवस प्रशिक्षण अर्थात 4,703 मानव दिवस हासिल किए। प्रशिक्षण के 4703 मानव दिवस 340 कार्यपालक (गैर-संघीय पर्यवेक्षकों सहित), 453 गैर-कार्यपालक और 700 अनुबंध कर्मचारियों (कुल 1493 कर्मचारी) के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किए गए थे। सभी नियमित कर्मचारियों और संविदा कर्मियों के लिए लगभग 114 आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जो कुल 4703 दिन थे। पहली बार, मिधानि ने प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष तीन (3) मानव दिवस प्रशिक्षण प्राप्त किया।

'कार्यपालक विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत, वरिष्ठ कार्यपालकों को एएससीआई, आईपीई हैदराबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली आदि के माध्यम से ओवरसीज प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया था। प्रत्यक्ष उत्पादन क्षेत्रों में काम करने वाले कुल 65 कार्यपालकों के लिए 3 बैचों में शॉप फ़्लोर प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

सावधानीपूर्वक वक्तव्य:

कंपनी के उद्देश्यों, अपेक्षाओं, धारणाओं या भविष्यवाणियों का वर्णन करने वाले 'प्रबंधन चर्चा व विश्लेषण रिपोर्ट' में वक्तव्य लागू नियमों और विनियमों के अर्थ में आगे दूरंदेशी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम प्रत्यक्ष में व्यक्त वक्तव्य या अंतर्निहित अर्थ से भिन्न हो सकते हैं। कंपनी के परिचालन को प्रभावित कर सकने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मांग / आपूर्ति को प्रभावित करने वाली आर्थिक स्थितियाँ, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मूल्य की स्थिति, सरकारी नीतियों और विनियमों, विधियों और अन्य आकस्मिक कारक शामिल हैं।

अनुलग्नक - I

लाभांश वितरण नीति

प्रस्तावना

मिधानि के शेयर बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सूचीबद्ध हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी एलओडीआर विनियम") के विनियम 43 ए के अनुसार, बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष पांच सौ सूचीबद्ध इकाइयों (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक की गणना के अनुसार) को लाभांश वितरण नीति तैयार करने की आवश्यकता है। जिसका प्रकटन कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और उसकी वेबसाइट पर किया जाएगा।

यह नीति कंपनी के शेयरधारकों के लिए लाभांश के वितरण और / या निरंतर वृद्धि के लिए कमाई को बनाए रखने पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सामान्य मापदंडों को पूरा करती है।

नीतिगत ढांचा

मिधानि एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा दिनांक 27 मई, 2016 की F. No. 5/2/2016- नीति के अनुसार पूंजी पुनर्गठन पर जारी दिशानिर्देशों का पालन करता है।

नीति सेबी एलओडीआर विनियम, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), (डीआईपीएएम), रक्षा मंत्रालय और कंपनी की लागू सीमा तक अन्य दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा लागू की जाएगी।

गैर प्रयोज्यता

नीति इस पर लागू नहीं होगी:

1) विधि के अनुसार लाभांश का पूर्ण या आंशिक रूप से भुगतान किए गए बोनस शेयर या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में वितरण।
2) इक्विटी शेयरों के पुन: खरीद के माध्यम से लाभांश के भुगतान के विकल्प के रूप में नकदी का वितरण।

लाभांश घोषित करते समय विचारणीय मापदंड

अधिनियम की धारा 123 के अनुसरण में चालू वित्तीय वर्ष के लिए या किसी पिछले वित्तीय वर्ष या वर्षों के लिए कंपनी के मुनाफे से अतिरिक्त मूल्यह्रास के लिए प्रदान करने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी और न ही भुगतान किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष के लिए लाभ के विधिक और प्रबंधन के आंकलन के अनुसार अंतरिम लाभांश अनौपचारिक परिणाम प्रदान करने के बाद चालू वर्ष के लाभ पर आधारित होगा।

कंपनी द्वारा घोषित लाभांश की मात्रा निम्नलिखित बाहरी और आंतरिक कारकों पर निर्भर करेगी: -

1) अन्य बातों के साथ आर्थिक वातावरण, बाजार की स्थिति, शेयरधारकों की अपेक्षा, वैधानिक आवश्यकताएं और समय-समय पर लागू हो सकने वाले सरकार के निर्देश बाहरी कारक हैं जो लाभांश का भुगतान करने के निर्णय को प्रभावित करेंगे।
2) लाभांश के लिए जिन आंतरिक कारकों पर विचार किया जाएगा, वे कंपनी की लाभप्रदता, इसके निवल मूल्य, इसके पूंजीगत व्यय के लिए धन की आवश्यकता और किसी अन्य कारक के रूप में बोर्ड द्वारा पहचाने जा सकते हैं जो लाभांश घोषित करने के निर्णय को प्रभावित करते हैं।

कंपनी डीआईपीएएम द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करने का प्रयास कर सकती है, जो अतिरिक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत अधिकतम लाभांश के अधीन है।

धारित आय का उपयोग

मिधानि अपने सुचारू संचालन और पूंजी निवेश के लिए पर्याप्त लाभ कमाने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह से सचेत है ताकि घरेलू और विदेशी उद्योगों से उत्पन्न होने वाली प्रतिस्पर्धा, वर्तमान प्रौद्योगिकियों के बराबर रहने के लिए निवेश की आवश्यकता के लिए उभरती नई प्रौद्योगिकियों के सामने अपनी बाजार स्थिति को बनाए रख सके और सुधार सके। कंपनी को अपनी मौजूदा सुविधा के उन्नयन एवं नवीनीकरण, प्रतिस्थापन्न और आर एंड डी परियोजनाओं में निवेश करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, राजस्व में वृद्धि के साथ वृद्धिपूर्ण कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को भी कंपनी के नकदी और भंडार से तेजी से पूरा करना होगा।

ऐसी परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

कंपनी के शेयरधारक निम्नलिखित लेकिन असीमित परिस्थितियों के आधार पर लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं: -

1) लाभ की अपर्याप्तता की स्थिति में या जब भी कंपनी को नुकसान हुआ हो;
2) जब भी कंपनी महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय करती है या करना प्रस्तावित करती है जो कंपनी की धारित आय को काफी हद तक प्रभावित करती है;
3) जब भी कंपनी प्रतिभूतियों की पुन: खरीद के लिए अधिशेष नकदी का उपयोग करने का प्रस्ताव करती है; तथा
4) कोई भी अन्य परिस्थिति / उदाहरण जो निदेशक मंडल के लाभांश घोषणा निर्णयों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं।

विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड

कंपनी ने शेयरों का केवल एक वर्ग जारी किया है, अर्थात समान वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर। इसलिए, कंपनी के सभी सदस्य प्रति शेयर लाभांश की समान राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।

व्याख्या और संशोधन

कोई भी शब्द जिसका उपयोग नीति में किया गया है और परिभाषित नहीं किया गया है, उसका अर्थ वही होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर विनियम और किसी अन्य लागू वैधानिक नियमों / दिशानिर्देशों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।

निदेशक मंडल किसी भी समय आवश्यकता पड़ने और / या अधिनियम, कंपनी नियम, परिपत्र, अधिसूचना, सेबी एलओडीआर विनियम, डीपीई, डीआईपीएएम, रक्षा मंत्रालय के प्रासंगिक दिशानिर्देश और समय-समय पर कंपनी पर लागू अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर पॉलिसी की समीक्षा, संशोधन और परिवर्तन कर सकता है।

अनुलग्नक - II

31-03-2020 को अनु.जाति/अनु.जन.जाति/अ.पि.व./शारीरिक विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों की मानवशक्ति की स्थिति

वेतनमान और वर्ग	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु.जाति	अनु.ज.	अ.पि.व.	शा.वि.	भू.सै.
कार्यपालकगण:						
वर्ग 'क'						
₹ 40000-140000 एवं ऊपर	258	44	14	59	05	4
वर्ग 'ख'						
₹ 30000 - 120000(ग्रेड -I)						
₹ 29000 – 115000 (ई.0) से	58	07	05	14	03	2
₹ 50000 – 160000(ई 0-III)						
(गैर संघीय पर्यवेक्षी संवर्ग)						
गैर-कार्यपालकगण:						
वर्ग 'ग'						
₹ 28950/-						
₹ 28790/-						
₹ 27810/-						
₹ 26830/-	240	45	26	92	04	16
₹ 25900/-						
₹ 25230/-						
₹ 23750/-						
₹ 22950/-						
₹ 21900/-						
वर्ग 'घ'						
₹ 21000/-						
₹ 20000/-	230	43	18	106	04	2
₹ 19130/-						
₹ 18000/-						

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भर्ती

वेतनमान और वर्ग	कुल भर्ती वर्ष के दौरान	आरक्षित पदों की संख्या		नियुक्त उम्मीदवारों की संख्या	
		अनु.जाति	अनु.ज.जा	अनु.जाति	अनु.ज.जा
कार्यपालकगण:					
वर्ग 'क'	14	2	-	2	-
₹ 40000-140000 एवं ऊपर					
वर्ग 'ख'					
₹ 30000 - 120000(ग्रेड -I)					
₹ 29000 – 115000 (ई.0) से	0	-	-	-	-
₹ 50000 – 160000(ई 0-III)					
(गैर संघीय पर्यवेक्षी संवर्ग)					
गैर-कार्यपालकगण:					
वर्ग 'ग'					
₹ 28950/-					
₹ 28790/-					
₹ 27810/-					
₹ 26830/-					
₹ 25900/-	11	4	1	4	1
₹ 25230/-					
₹ 23750/-					
₹ 22950/-					
₹ 21900/-					
वर्ग 'घ'	18	1	1	1	1
₹ 21000/-					
₹ 20000/-					
₹ 19130/-					
₹ 18000/-					

अनुलग्नक - III

नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व के क्रियाकलापों पर वार्षिक प्रतिवेदन

1. प्रस्तावित कार्यक्रम एवं क्रियान्वित की जानेवाली परियोजनाओं पर विहंगमदृष्टि सहित कंपनी की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की संक्षिप्त रूप रेखा और नै.सा.उ. नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के साथ संदर्भ निम्नानुसार है:
   - मिधानि की सीएसआर नीति को दीर्घ, मध्यम और लघु अवधियों तक अंतर्निर्मित क्रियाविधि के साथ कंपनी के परिचालन और उसके आस-पास रहने वाले लोगों के सर्वतोमुखी विकास की दिशा में उसके कार्यान्वयन और प्रबोधन में कंपनी की विशिष्ट सामाजिक जिम्मेदारी को विकसित करना ही लक्ष्यित है।
   - सामाजिक नवाचार के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक जिम्मेदार नैगम नागरिक के लिए प्रतिबद्ध होना और उपयुक्त परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के लिए जीवन की एक बेहतर स्थायी व्यवस्था करना।
   - अपनी सीएसआर नीति के तहत मिधानि द्वारा किए गए परियोजनाओं / कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
     (i) स्वास्थ्य की निगरानी और साफ-सफाई की प्रोन्नति
     (ii) शिक्षा की प्रोन्नति
     (iii) कौशल विकास
     (iv) खेल विकास पहल
     (v) पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।
   - मिधानि की नैगम सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति और उसके अंतर्गत किये जानेवाले कार्यकलापों को http://www.midhani-india.in पर भी देखा जा सकता है।

2. मिधानि में सीएसआर और स्थिर विकास समिति का संयोजन निम्नानुसार है :
   - सीएसआर और स्थिर विकास समिति में तीन या तीन से अधिक निदेशकगण होंगे, जिनमें से कम से कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति का गठन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम / पदनाम	स्थिति
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
2.	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
3.	निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	सदस्य
4.	निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	स.म.प्र. - मा.संसा.	स्थायी आमंत्रित
सीएसआर में कार्यवाहक निदेशकगणों का नामांकन पदेन आधार पर होता है।		
कंपनी सचिव समिति के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।		

3. **विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी का औसत निवल लाभ : ₹ 19,214.16 लाख**

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 में राशि का 2%) : ₹ 384.28 लाख**

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किये गये सीएसआर के ब्यौरे:**

   1) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जानेवाली राशि : ₹ 395.27 लाख
   2) खर्च न की गयी राशि, यदि कोई हो तो : शून्य
   3) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि किस प्रकार खर्च की गयी उसके ब्यौरे निम्न हैं:-

क्र.सं.	पहचान की गयी सीएसआर परियोजना	किस क्षेत्र में परियोजना आवरित है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य या जिले जिनमें परियोजना चलाई गई	कार्यक्रम वार या परियोजना वार निर्धारित राशि (बजट)	परियोजना या कार्यक्रम पर व्यय की गयी राशि उपशीर्ष: प्रत्यक्ष व्यय कार्यक्रम	रिपोर्टिंग अवधि तक आंकलित व्यय	कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सीधे या के माध्यम खर्च की गयी राशि
1	उत्कृष्टता केंद्र में आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण पाठयक्रम	कौशल विकास	हैदराबाद, तेलंगाना	49.70	49.70	49.70	प्रत्यक्ष
2	आईडीईएक्स को योगदान	कौशल विकास		10.00	10.00	59.70	प्रत्यक्ष
3	प्रशिक्षुओं को वजीफा	कौशल विकास	हैदराबाद, तेलंगाना	61.80	61.80	121.50	प्रत्यक्ष
4	शौचालयों का वार्षिक रखरखाव	स्वास्थ्य और साफ-सफाई की प्रोन्नति	हैदराबाद, तेलंगाना	31.50	31.50	153.00	सुलभ इंटरनेशनल
5	शौचालय ब्लॉक्स का निर्माण	स्वास्थ्य और साफ-सफाई की प्रोन्नति	जिल्लेलगुडा, चौटुप्पल, कोथागुडेम, तेलंगाना	132.80	132.80	285.80	सुलभ इंटरनेशनल
6	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	स्वास्थ्य की प्रोन्नति	हैदराबाद, तेलंगाना	5.40	5.40	291.20	सीधे
7	टाइटेनियम कृत्रिम घुटना	स्वास्थ्य की प्रोन्नति	हैदराबाद, तेलंगाना	0.50	0.50	291.70	सीधे
8	सरकारी स्कूलों को मध्याहन भोजन	स्वास्थ्य और शिक्षा की प्रोन्नति	तेलंगाना	30.00	30.00	321.70	अक्षय पात्र
9	सरकारी स्कूलों में दोहरे डेस्क	शिक्षा की प्रोन्नति	कोथागुडेम, तेलंगाना	17.70	17.70	339.40	सीधे
10	नजदीकी स्कूलों में सुविधाएं/आधारभूत संरचना	शिक्षा की प्रोन्नति	हैदराबाद, तेलंगाना	2.20	2.20	341.60	सीधे
11	अनु.जाति/ अनु.ज.जाति के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रायोजन	शिक्षा की प्रोन्नति	हैदराबाद, तेलंगाना	1.26	1.26	342.86	सीधे
12	सेना कल्याण कोष में योगदान	सेना कल्याण कोष		25.00	25.00	367.89	सीधे
13	राष्ट्रीय खेल विकास कोष में योगदान	खेलों की प्रोन्नति		25.00	25.00	392.86	सीधे
14	अन्य सी एस आर गतिविधियों के लिए व्यय		हैदराबाद, तेलंगाना	2.41	2.41	395.27	सीधे
			कुल	**395.27**	**395.27**	**395.27**	

कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसियों के ब्यौरे:

1) **सुलभ इंटरनेशनल :** मेसर्स सुलभ इंटरनेशनल भारत में स्थित एक समाज सेवी संगठन है जो मानवाधिकार, पर्यावरण, स्वच्छता-सफाई, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सुधार का कार्य करता है।

2) **अक्षय पात्र :** अक्षय पात्र फाऊंडेशन सामान्यत: अक्षय पात्र के नाम से जाना जाता है। यह भारत का एक गैर-लाभकारी संगठन है जो भारत भर में स्कूलों को भोजन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम चलाता है। यह संगठन प्रति दिन 14 लाख बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है।

6. कंपनी के निदेशक मंडल की नैगम सामाजिक दायित्व समिति की जिम्मेदारी का विवरण नीचे दिया गया है:

नैगम सामाजिक उत्तरदायित्त्व नीति का कार्यान्वयन और प्रबोधन या निरीक्षण कंपनी के नीति और नैगम सामाजिक उत्तरदायित्त्व के लक्ष्यों के अनुपालन में निहित है।

हस्ता/-
डॉ एस के झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
अध्यक्ष, सीएसआर समिति

हस्ता/-
श्री सुरेंद्र सिन्ह
सदस्य, सीएसआर समिति

दिनांक : 30 जून 2020
स्थान: हैदराबाद

अनुलग्नक - IV

फार्म सं.एमजीटी-9

वार्षिक विवरणी का उद्धरण

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) अधिनियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में]

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरे:

क्र. सं.	मदें	विवरण
i.	नैगम पहचान संख्या (सीआईएन)	L14292TG1973GOI001660
ii.	पंजीकरण की तिथि	20 नवंबर, 1973
iii.	कंपनी का नाम	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
iv.	कंपनी का संवर्ग या उपसंवर्ग	पब्लिक लिमिटेड / सरकारी कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क का ब्यौरा	डाक घर कंचनबाग, हैदराबाद-500 058 दूरभाष: 040-2418 4515 / फैक्स :040- 2434 0853 ई-मेल : company.secretary@midhani-india.in
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
vii.	पंजीयक तथा अंतरण एजेंट का नाम, पता और संपर्क का विवरण	अलंकित असाईन्मेंट्स लिमिटेड अलंकित हाउस, 4 ई / 2 झंडेवालान एक्सटेंशन, दूरभाष: 011-42541234/ फैक्स: 011- 42541201 ईमेल: rta@alankit.com

II. कंपनी के व्यापार के प्रधान कार्यकलाप:

कंपनी के कुल टर्नोवर के 10% या उससे अधिक योगदान के सभी व्यापार कार्यकलाप:

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों के नाम और वर्णन	उत्पाद का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नोवर की तुलना में %
1.	अर्द्ध-तैयार रूपों में अन्य मिश्र धातु स्टील विशेष स्टेनलेस स्टील और सुपर अलॉय	240, 242	87.33
2.	टाइटेनियम और टाइटेनियम अलॉय	243	12.67

III. धारिता, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण:

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	धारिता/ सहायक/ सहयोगी	धारित शेयरों का %	कंपनी अधिनियम, 2013 की लागू धारा
1.	उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड सी/ओ – मिश्र धातु निगम लिमिटेड, पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद -500058	U14299TG2019PLC134932	सहयोगी# (संयुक्त उद्यम)	50	2(6)

 # 21 अगस्त 2019 से कंपनी का नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम (50:50) है

IV. शेयरधारिता स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का वर्गीकरण)

(i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

क्र.सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयर धारण की संख्या 01/04/2019 पर स्थिति				वर्ष के अंत में शेयर धारण की संख्या 31/03/2020 पर स्थिति				वर्ष के दौरान % बदलाव
		डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
अ	प्रोन्नतकर्ता									
1	भारतीय									
क)	व्यक्तिगत/एचयूएफ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)	केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार (रें)	13,86,31,600	0	13,86,31,600	74	13,86,31,600	0	13,86,31,600	74	0
ग)	निगम निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	वित्तीय संस्थान / बैंक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़)	अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-कुल (अ) (1)	**13,86,31,600**	**0**	**13,86,31,600**	**74**	**13,86,31,600**	**0**	**13,86,31,600**	**74**	**0**
2	विदेश									
क)	व्यक्तिगत (प्रवासी व्यक्ति / विदेशी व्यक्ति)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख)	निगम निकाय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग)	बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-कुल (अ)(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (अ)=अ(1)+अ(2)	**13,86,31,600**	**0**	**13,86,31,600**	**74**	**13,86,31,600**	**0**	**13,86,31,600**	**74**	**0**
आ	जन शेयरधारिता									
1	संस्थाएं									
क)	म्यूचुअल फंड्स	1,74,40,821	0	1,74,40,821	9.31	2,77,50,716	0	2,77,50,716	14.81	5.50
ख)	वित्तीय संस्थान / बैंक	10,32,109	0	10,32,109	0.55	64,537	0	64,537	0.03	-0.52
ग)	केंद्रीय सरकार/ राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ)	वेंचर कैपिटल फंड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़)	बीमा कंपनी	1,80,63,667	0	1,80,63,667	9.64	73,66,617	0	73,66,617	3.93	-5.71
च)	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई)	9,52,553	0	9,52,553	0.51	13,52,231	0	13,52,231	0.72	0.21
छ)	विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज)	अन्य कोई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-कुल (आ) (1)	**3,74,89,150**	**0**	**3,74,89,150**	**20.01**	**3,65,34,101**	**0**	**3,65,34,101**	**19.50**	**-0.51**
2.	**गैर-संस्थाएं**									
क)	**निगम निकाय**									
i)	भारतीय	15,38,120	0	15,38,120	0.82	11,52,247	0	11,52,247	0.62	-0.20
ii)	प्रवासी	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयर धारण की संख्या 01/04/2019 पर स्थिति				वर्ष के अंत में शेयर धारण की संख्या 31/03/2020 पर स्थिति				वर्ष के दौरान % बदलाव
		डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
ख)	**व्यक्तिगत**									
i)	व्यक्तिगत शेयरधारकों के पास ₹1 लाख तक के अंकित मूल्य की शेयर पूंजी	72,50,598	160	72,50,758	3.87	80,45,775	160	80,45,935	4.30	0.43
ii)	व्यक्तिगत शेयरधारकों के पास ₹ 1 लाख से अधिक अंकित मूल्य की शेयर पूंजी	14,74,811	0	14,74,811	0.79	18,37,575	0	18,37,575	0.98	0.19
ग)	**अन्य**									
i)	निकासी सदस्य	1,15,569	0	1,15,569	0.06	3,26,521	0	3,26,521	0.17	0.11
ii)	प्रवासी भारतीय	2,91,742	0	2,91,742	0.16	3,52,315	0	3,52,315	0.19	0.03
iii)	एचयूएफ	3,86,152	0	3,86,152	0.21	3,58,359	0	3,58,359	0.19	-0.02
iv)	न्यास	4,200	0	4,200	0	4,200	0	4,200	0	0
v)	कर्मचारी	1,57,898	0	1,57,898	0.08	97,147	0	97,147	0.05	-0.03
घ)	**योग्य विदेशी निवेशक**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	उप-कुल (आ)(2)	**1,12,19,090**	**160**	**1,12,19,250**	**5.99**	**1,21,74,139**	**160**	**1,21,74,299**	**6.50**	**0.51**
	कुल जन शेयर धारक (आ) =(आ)(1)+ (आ)(2)	**4,87,08,240**	**160**	**4,87,08,400**	**26.00**	**4,87,08,240**	**160**	**4,87,08,400**	**26.00**	**0**
इ	**जीडीआर और एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा शेयरधारिता**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग (अ+आ+इ)	**18,73,39,840**	**160**	**18,73,40,000**	**100**	**18,73,39,840**	**160**	**18,73,40,000**	**100**	**0**

(ii) प्रोन्नतकर्ताओं की शेयरधारिता

क्र.सं	शेयरधारी का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता 01/04/2019 पर स्थिति			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता 01/04/2020 पर स्थिति			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % बदलाव
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	13,86,31,600	74	0.00	13,86,31,600	74	0.00	0.00

(iii) प्रोन्नतकर्ताओं की शेयरधारिता में परिवर्तन – शून्य

(iv) दस शीर्षस्थ शेयरधारियों की शेयरधारिता का पैटर्न (निदेशकगणों, प्रोन्नतकर्ताओं और जीडीआर और एडीआर धारकों के अलावा)

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान आवर्ती शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	**भारतीय जीवन बीमा निगम**				
	वर्ष के आरंभ में	1,13,96,246	6.08	1,13,96,246	6.08
	वर्ष के दौरान खरीदे	20,82,486	1.11	1,34,78,732	7.19
	वर्ष के दौरान बेचे	94,60,616	5.05	40,18,116	2.14
	वर्ष के अंत में	40,18,116	2.14	40,18,116	2.14
2.	**एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के आरंभ में	92,19,673	4.92	92,19,673	4.92
	वर्ष के दौरान खरीदे	47,68,347	2.54	1,39,88,020	7.47
	वर्ष के दौरान बेचे	1,00,000	0.05	1,38,88,020	7.41
	वर्ष के अंत में	1,38,88,020	7.41	1,38,88,020	7.41
3.	**जनरल इंश्योरेंस कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया**				
	वर्ष के आरंभ में	21,17,325	1.13	21,17,325	1.13
	वर्ष के दौरान खरीदे	0	0	21,17,325	1.13
	वर्ष के दौरान बेचे	21,17,325	1.13	0	0
	वर्ष के अंत में	0	0	0	0
4.	**रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के आरंभ में	55,20,000	2.95	55,20,000	2.95
	वर्ष के दौरान खरीदे	15,13,842	0.80	70,33,842	3.75
	वर्ष के दौरान बेचे	2,10,000	0.11	68,23,842	3.64
	वर्ष के अंत में	6823842	3.64	68,23,842	3.64
5.	**दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के आरंभ में	24,24,313	1.29	24,24,313	1.29
	वर्ष के दौरान खरीदे	76,295	0.04	25,00,608	1.33
	वर्ष के दौरान बेचे	1,95,306	0.10	23,05,302	1.23
	वर्ष के अंत में	23,05,302	1.23	23,05,302	1.23
6.	**आईटीपीएल - इंवेस्को इंडिया**				
	वर्ष के आरंभ में	27,67,904	1.48	27,67,904	1.48
	वर्ष के दौरान खरीदे	36,36,579	1.94	64,04,483	3.41
	वर्ष के दौरान बेचे	30,94,024	1.65	33,10,459	1.77
	वर्ष के अंत में	33,10,459	1.77	33,10,459	1.77

क्र. सं.	शेयरधारी का नाम	शेयरधारिता		वर्ष के दौरान आवर्ती शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
7.	**एल एवं टी म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड**				
	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
	वर्ष के दौरान खरीदे	32,66,000	1.74	32,66,000	1.74
	वर्ष के दौरान बेचे	0	0	32,66,000	1.74
	वर्ष के अंत में	32,66,000	1.74	32,66,000	1.74
8.	**नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड**				
	वर्ष के आरंभ में	9,69,699	0.52	9,69,699	0.52
	वर्ष के दौरान खरीदे	0	0	9,69,699	0.52
	वर्ष के दौरान बेचे	0	0	9,69,699	0.52
	वर्ष के अंत में	969699	0.52	9,69,699	0.52
9.	**मस्सेचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी**				
	वर्ष के आरंभ में	7,65,000	0.41	7,65,000	0.41
	वर्ष के दौरान खरीदे	35,000	0.01	8,00,000	0.42
	वर्ष के दौरान बेचे	98,004	0.05	7,01,996	0.37
	वर्ष के अंत में	7,01,996	0.37	7,01,996	0.37
10.	**चैतन्य डालमिया**				
	वर्ष के आरंभ में	2,77,650	0.14	2,77,650	0.14
	वर्ष के दौरान खरीदे	0	0	2,77,650	0.14
	वर्ष के दौरान बेचे	0	0	2,77,650	0.14
	वर्ष के अंत में	2,77,650	0.14	2,77,650	0.14

टिप्पणी: उपरोक्त तालिका में सूचित वर्ष 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि का है

(v) निदेशकगणों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता (केएमपी) - शून्य

(vi) कर्जदारिता:

बकाया या उपचित परंतु भुगतान करने हेतु ब्याज सहित कंपनी की कर्जदारिता **(आंकड़े ₹ में)**

विवरण	जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूति ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियाँ	कुल कर्जदारिता
वित्तीय वर्ष 2019-20 के शुरू में कर्जदारिता				
i) मूल राशि	106,08,60,596	1,28,38,246	-	107,36,98,842
ii) बकाया ब्याज परंतु अदा नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज परंतु बकाया नहीं	-	-	-	-
कुल (i+ii+iii)	**106,08,60,596**	**1,28,38,246**	**-**	**107,36,98,842**
वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कर्जदारिता में परिवर्तन				
i) जोड़	33,44,22,700	100,00,00,000	-	133,44,22,700
ii) (कटौती)	(106,08,60,596)	(50,00,000)	-	(106,58,60,596)
निवल परिवर्तन (i+ii)	**(72,64,37,896)**	**99,50,00,000**	**-**	**26,85,62,104**

विवरण	जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूति ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियाँ	कुल कर्जदारिता
वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंत में कर्जदारिता				
i) मूल राशि	33,44,22,700	100,78,38,246	-	134,22,60,946
ii) देय ब्याज परंतु नहीं दिया गया	-	-	-	-
iii) उपचित ब्याज परंतु देय नहीं	-	-	-	-

VI. निदेशकगणों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक:

1) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकगण और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(आंकड़े ₹ में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	डॉ डी के लेखी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	डॉ एस के झा निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	श्री संजीव सिंघल # निदेशक (वित्त) एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी	श्री पॉल एंटनी कंपनी सचिव	कुल
1.	सकल वेतन					
	1) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार	**67,56,578**	**54,60,231**	**45,25,384**	**11,22,306**	**1,78,64,499**
	2) आयकर, अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अन्य लाभों का मूल्य	**9,45,412**	**8,71,303**	**5,44,954**	**2,35,297**	**25,96,966**
	3) आयकर, अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बजाय लाभ	-	-	-	-	-
2.	स्टाक विकल्प (वर्ष के दौरान स्वीकृत विकल्पों की संख्या)	-	-	-	-	-
3.	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-	-
4.	कमीशन	-	-	-	-	-
5.	अन्य-सेवानिवृत्ति लाभ	-	-	-	-	-
	कुल (क)	**77,01,990**	**63,31,534**	**50,70,338**	**13,57,603**	**2,04,61,465**
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग@					

7 जनवरी, 2020 को श्री संजीव सिंघल ने मिधानि के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

@ दिनांक 5 जून, 2015 के कॉर्पोरेट मंत्रालय की अधिसूचना सं. GSR 463 (E) के अनुसार, कंपनी अधिनियम की धारा 197 और इसके अंतर्गत बने नियम सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं।

ख. अन्य निदेशकगणों को पारिश्रमिक

(आंकड़े ₹ में)

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशकगणों के नाम				कुल राशि
1.	**स्वतंत्र निदेशकगण**	**श्री आई वी शर्मा #**	**डॉ ज्योति मुखोपाध्याय #**	**डॉ ऊषा रामाचंद्र #**	**श्री सुरेंद्र सिन्ह @**	
	• मंडल / समिति की बैठकों में भाग लेने पर शुल्क	2,20,000	2,05,000	2,95,000	-	7,20,000
	• कमीशन	-	-	-	-	
	• अन्य	-	-	-	-	
	कुल	**2,20,000**	**2,05,000**	**2,95,000**	**शून्य**	**7,20,000**
2.	**अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकगण**					
	कुल (ख)					
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीलिंग	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**

30 नवंबर, 2019 को कार्यकाल पूरा होने पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

@ सूचना आयुक्त के रूप में कार्यभार संभालने पर श्री सुरेन्द्र सिन्ह ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (6) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा बोर्ड / उप समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रदत्त उपस्थिति शुल्क स्वीकार नहीं किया है।

VII. अपराधों के जुर्माने या सज़ा या जब्ती : शून्य

कृते एवं बोर्ड की ओर से

डॉ एस के झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 07533036

दिनांक: 30 जून, 2020
स्थान: हैदराबाद

अनुलग्नक - V

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय पर रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

1) ऊर्जा संरक्षण:

(i) ऊर्जा संरक्षण के लिए उठाये गये कदम या प्रभाव :

- वर्ष के दौरान एलपीजी बचाने के लिए शुरू किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:
  - फर्नेस में उनकी पूरी क्षमता तक समान ताप-चक्र वाली सामग्री की लोडिंग और समान बैच प्रकार की सामग्री का अनुकूलन।
  - फर्नेस में उपलब्ध उष्ण ऊर्जा का उपयोग करने के लिए लगातार चलने वाली फर्नेस की योजना और वित्तीय वर्ष के दौरान 80% से अधिक फर्नेस की उपलब्धता।
- वर्ष के दौरान ऊर्जा बचाने के लिए शुरू किए गए उपाय इस प्रकार हैं
  - कंप्रेसर हाऊस में वीएफडी ड्राईवन किर्लोस्कर मेक स्क्रू एयर कंप्रेसर की स्थापना।
  - उपकरण के संचालन के लिए संयंत्र में पोर्टेबल एयर कंप्रेसर की स्थापना।
- इस वर्ष के दौरान ऊर्जा बचाने के लिए एमआरएसएस में शुरू किए गए उपाय निम्नानुसार हैं
  - 6000 टी फोर्ज प्रेस में रिएक्टिव पावर कंपेंसेसन के लिए डायनामिक रिएक्टिव पावर कंपेंसेसन पैनल की स्थापना, इस वर्ष इससे बिजली बिलों में ₹77.56 लाख की राशि की बचत हुई है।

(ii) कंपनी द्वारा ऊर्जा उपयोगिता के लिए ऊर्जा के अन्य विकल्पी स्रोतों के लिए उठाये गये कदम :

- हमारे 4 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टीएसएसपीडीसीएल और टीएसट्रांस्को के साथ ऑपन एक्सेस समझौते में प्रवेश किया।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों ने इस वर्ष ₹ 278 लाख मूल्य की सौर ऊर्जा उत्पन्न की है।

(iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश: वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपकरण (एपीएफसी पैनल, वीएफडी आदि) की खरीद के लिए लगभग ₹ 140.56 लाख का निवेश किया गया।

2) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण:

(iv) प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण द्वारा किये गये प्रयास:

- प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण के लिए निम्न परियोजनाएँ प्रक्रियाधीन है:

1) राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला, बैंगलोर से प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के तहत शेप मेमोरी अलॉय उत्पादों का निर्माण।

2) आरआईएनए परामर्श स्पा, इटली के सहयोग से प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से सुपर एलॉय ट्रिपल फोर्जड बार का विकास और उत्पादन।

3) रक्षा मेटललर्जिकल अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद से आर्मर प्रयोग के लिए उच्च नाइट्रोजन स्टील का विकास।

4) इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी (आईएमएमटी), भुवनेश्वर से आंतरिक उत्पन्न अलॉय स्क्रैप से मूल्यवान धातुओं जैसे Ni, Co आदि की पुन: प्राप्ति के लिए प्रक्रिया का विकास।

5) इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी (आईएमएमटी), भुवनेश्वर से अशुद्ध कोबाल्ट हाइड्रॉक्साइड से कोबाल्ट धातु का उत्पादन करने के लिए प्रोसेस फ्लो शीट का विकास।

(v) उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ हासिल किये गये हैं:

- नए उत्पाद, उत्पाद सुधार, आयात प्रतिस्थापन और विनिर्माण की लागत में कमी से कुल लागम में कमी, आसान उपलब्धता, तेज वितरण और मूल्यवान विदेशी मुद्रा की बचत का विकास।

(vi) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के शुरुआत से लेकर गत तीन वर्षों के दौरान आयातित):

- एरो इंजन घटकों के उत्पादन के लिए ट्रिपल मेल्टिंग की तकनीक में निपुणता हासिल करने के लिए आरआईएनए परामर्श, इटली के साथ मिलकर सुपर मिश्र धातु ट्रिपल मेल्टिंग फोर्जड बार का विकास और उत्पादन किया जा रहा है।

(vii) अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय :

- . वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मिधानि ने अनुसंधान और विकास पर ₹797 लाख खर्च किए।

3) विदेशी मुद्रा अर्जन और धन निकासी:

वर्ष के दौरान, कुल विदेशी मुद्रा का उपयोग ₹ 1,7803.04 लाख था।

अनुलग्नक-VI

व्यापार दायित्व रिपोर्ट

खंड ए: कंपनी के संबंध में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की निगम पहचान संख्या (सीआईएन):	L14292TG1973GOI001660
2.	कंपनी का नाम:	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
3.	पंजीकृत पता:	पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद, तेलंगाना - 500058
4.	वेबसाइट:	www.midhani-india.in
5.	ई-मेल:	company.secretary@midhani-india.in
6.	प्रतिवेदित वित्तीय वर्ष:	2019-20
7.	क्षेत्र जिसमें (जिनमें) कंपनी कार्यरत है	अर्ध तैयार रूप में अन्य अलॉय स्टील, विशेष स्टेनलेस स्टील और सुपर अलॉय (241, 242)
8.	(औद्योगिक सक्रियता कोड-वार):	टाइटेनियम और टाइटेनियम आधार अलॉय (243)
9.	कंपनी द्वारा विनिर्माण/उपलब्ध तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची (जैसा कि तुलन पत्र में है):	i) अर्ध-तैयार रूपों में अन्य अलॉय स्टील का विनिर्माण ii) टाइटेनियम तथा टाइटेनियम आधार अलॉय का विनिर्माण iii) अर्ध-तैयार रूपों में निकल आधारित अलॉय का विनिर्माण
10.	स्थलों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यापारिक गतिविधियाँ की जाती हैं	
	(1) अंतरराष्ट्रीय स्थलों की संख्या (प्रमुख 5 की जानकारी दें):	कोई नहीं
	(2) राष्ट्रीय स्थलों की संख्या:	एक (1)
11.	कंपनी के व्यापार का बाजार क्षेत्रीय/राज्य/राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय:	राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय

खंड बी: कंपनी का वित्तीय विवरण

1.	प्रदत्त पूंजी (भारतीय रूपए):	18,734 लाख
2.	कुल टर्नओवर (भारतीय रूपए):	71,287.57 लाख
3.	कर के बाद कुल मुनाफा (भारतीय रूपए):	15,973.38 लाख
4.	कर के बाद मुनाफे का प्रतिशत (%) के रूप में नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल खर्च :	395.27 लाख अर्थात कर के बाद लाभ का 2.47%
5.	गतिविधियों की सूची जिनका व्यय संख्या 4 में दर्शाय गया है:	(i) स्वास्थ्य की निगरानी और साफ-सफाई की प्रोन्नति (ii) शिक्षा की प्रोन्नति (iii) कौशल विकास (iv) अन्य

खंड सी: अन्य विवरण

1. **क्या कंपनी के पास कोई सहायक कंपनी / कंपनियाँ हैं?**
   नहीं

2. **क्या सहायक कंपनी / कंपनियाँ मूल कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी (यों) की संख्या को इंगित करें**
   लागू नहीं

3. **क्या कोई अन्य संस्था / संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) कंपनी के साथ व्यापार करती हैं, जो कंपनी के बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी इकाई / संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक]**
   समय पर डिलीवरी और अनुकूलतम लागत को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने आउटसोर्सिंग और खरीद गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं को अपनाया है। कंपनी के पास निष्ठावान विक्रेताओं का पैनल है। [60% से अधिक]

खंड डी: बीआर सूचना

1. बीआर के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशकों का विवरण

(1) बीआर नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार निदेशक / निदेशक का विवरण:

कंपनी की समग्र व्यावसायिक जिम्मेदारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास होती है, जो संबंधित विभाग प्रमुख के माध्यम से बीआर नीति कार्यान्वित करते हैं।

(2) बीआर प्रमुख का विवरण:

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मिधानि का विवरण निम्नानुसार है:

सं.	मदें	विवरण
1	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	07533036
2	नाम	डॉ संजय कुमार झा
3	पदनाम	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
4	दूरभाष	040-24340201
5	ई-मेल	cmd@midhani-india.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति / नीतियां

(1) अनुपालन का विवरण (हाँ / नहीं में उत्तर):

सं.	प्रश्न	व्यापार नैतिकता	उत्पाद जीवन जिम्मेदारी	कर्मचारी भलाई	हितधारक जुड़ाव	मानव अधिकार	वाता- वरण	नीति समर्थन	समावेशी वृद्धि	ग्राहक महत्व
		पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	क्या आपके पास बीआर के लिए कोई पॉलिसी / पॉलिसियां है	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
2	क्या संबंधित हितधारकों के परामर्श से नीति तैयार की जा रही है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी उद्योग, सरकार और संबंधित सांविधिक निकायों द्वारा अनिवार्य गतिविधियों / कार्यों के अपने क्षेत्र से संबंधित सभी कार्य पद्धतियों, प्रक्रियाओं और उत्पादन प्रयासों का अनुसरण करती है।								
3	क्या नीति किसी राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हाँ, मिधानि की नीतियां भारत सरकार द्वारा जारी लागू विधियों / दिशानिर्देशों / नियमों आदि के अनुरूप हैं, और समय-समय पर अद्यतन की जाती हैं। उद्योग कार्य पद्धतियों, राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय मानकों को आमतौर पर नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखा जाता है।								
4	क्या नीति को मंडल द्वारा अनुमोदित किया जा रहा है? यदि हाँ, क्या यह प्रबंध निदेशक / मालिक / सीईओ / उपयुक्त मंडल निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		विभिन्न लागू विधियों / संविधियों / नियमों / दिशा-निर्देशों आदि के तहत सरकार के निर्देशों के अनुरूप विभिन्न नीतियां, मंडल द्वारा अनुमोदित या मंडल द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हैं तथा यह कंपनी के सीएमडी द्वारा हस्ताक्षरित है।								
5	क्या कंपनी के पास नीति के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए मंडल / निदेशक / अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		मंडल अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से नीतियों के अनुपालन और कार्यान्वयन की देखरेख करता है, जो वार्षिक प्रतिवेदन के भाग निगम प्रशासन प्रतिवेदन में विस्तृत रूप में दिया गया है।								

सं.	प्रश्न	व्यापार नैतिकता	उत्पाद जीवन जिम्मेदारी	कर्मचारी भलाई	हितधारक जुड़ाव	मानव अधिकार	वाता- वरण	नीति समर्थन	समावेशी वृद्धि	ग्राहक महत्व
		पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक की सूचना दें?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		नीतियां कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं: www.midhani-india.in								
7	क्या सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों के लिए औपचारिक रूप से नीति की सूचना दी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी की नीतियां और परिचालन ढांचा कंपनी की वेबसाइट और साथ ही साथ इसके इंट्रानेट पर उपलब्ध है।								
8	क्या पॉलिसी / नीतियों को लागू करने के लिए कंपनी के पास इन-हाउस संरचना है।	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		हां, कंपनी के पास माल और सेवाओं के सुरक्षित और स्थायी उत्पादन के क्षेत्र में दी गई नीतियों को लागू करने के लिए अच्छी तरह से इन-हाउस आधार-तंत्र, मैनपावर पूल, प्रलेखित मानक संचालन प्रक्रिया और अन्य कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी हैं।								
9	क्या कंपनी के पास पॉलिसीधारकों की नीति / नीतियों से संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए नीति / नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		मंडल ने हितधारकों और कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) की अपेक्षा के अनुसार कंपनी में प्रतिभूतियों को रखने वाले अन्य व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने के लिए हितधारक संबंध समिति नामक एक समिति का गठन किया है। इसके अलावा, कंपनी ने किसी भी निदेशक और कर्मचारियों की वास्तविक चिंताओं को दूर करने के लिए एक सतर्कता तंत्र स्थापित किया है। बोलीदाताओं / ठेकेदारों के साथ-साथ विभिन्न निविदाओं के विरूद्ध कंपनी द्वारा मांगी गई राय का और अधिक प्रतिनिधित्व स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स (आईईएम) को संदर्भित किया जाता है। आईईएम संबंधित अधिकारियों और बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जहां भी आईईएम द्वारा आवश्यक महसूस किया जाता है और एक बोली आदेश के माध्यम से अपनी राय देते हैं।								
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के कार्य का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाया है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
		कंपनी विभिन्न लेखा-परीक्षाओं के अधीन है जैसे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा, सी एंड एजी लेखा परीक्षा, लागत लेखा परीक्षा, सचिवीय लेखा परीक्षा, गुणवत्ता लेखा परीक्षा, सुरक्षा लेखा परीक्षा, एकीकृत प्रबंधन प्रणाली लेखा परीक्षा आदि । ये लेखा परीक्षा विभिन्न आंतरिक और बाह्य नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है।								

(2) यदि किसी भी सिद्धांत के विरुद्ध क्रम संख्या 1 पर प्रश्न का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया समझाएं, क्यों:

लागू नहीं

3. बीआर से संबंधित शासन:

(1) जिसके साथ निदेशक मंडल, समिति या बोर्ड के सीईओ कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन करने के लिए आवृत्ति इंगित करें:

कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन ऑन-गोइंग आधार पर बीआर प्रदर्शन की समीक्षा करता है। इसके द्वारा गठित मंडल / समितियाँ वार्षिक समीक्षा करती हैं।

(2) क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? यह कितनी बार प्रकाशित होता है?

कंपनी वार्षिक आधार पर व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट (बीआरआर) प्रकाशित करती है जो इसकी वार्षिक रिपोर्ट के भाग का हिस्सा है और यह कंपनी का दूसरा बीआरआर है। बीआरआर कंपनी कि वेबसाइट www.midhani-india.in पर उपलब्ध है।

खंड ई: सिद्धांत-वार निष्पादन

सिद्धांत 1: संव्यवहार नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही से स्वतः ही आचरित और शासित होना चाहिए:

1. क्या नैतिकता, रिश्वत और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को आवरित करती है? क्या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एनजीओ / अन्य तक विस्तृत है?

   नहीं, व्यावसायिक आचरण और आचार की एक आदर्श संहिता कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन पर लागू होती है। इसके अलावा, सभी अनुबंधों में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए, मिधानि अनुमानित मूल्य जो ₹ 40 लाख से अधिक है, के सभी खरीद में संबंधित बोलीकर्ताओं के साथ "सत्यनिष्ठा संधि" पर हस्ताक्षर करती है । यह बोलीदाताओं को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) के साथ समय-समय पर मंगाई गई उच्च मूल्य निविदाओं के संबंध में किसी भी मुद्दे को उठाने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा उक्त सत्यनिष्ठा संधि के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए आईईएम की नियुक्ति की जाती है। संधि अनिवार्य रूप से व्यवसाय के नैतिक आचरण के लिए एक समझौता है और उसी के किसी भी उल्लंघन से बोलीदाता की अयोग्य घोषित किया जाता है और भविष्य के व्यापारिक व्यवहार से बहिष्कार किया जाता है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत संतोषजनक ढंग से हल की गयी है? यदि है, तो इसके बारे में 50 शब्दों में विवरण दें

   वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान शेयरधारकों से लगभग 22 शिकायतें आरटीए / कंपनी के साथ दर्ज की गई थीं जिनमें से अधिकतर लाभांश संबंधित प्रश्न थे और सभी शिकायतों को आरटीए / कंपनी द्वारा निर्धारित समय के भीतर हल किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई शिकायत स्कोर्स पोर्टल में दर्ज नहींकी गई थी और 31 मार्च, 2020 तक कंपनी के विरुद्ध कोई शिकायत लंबित नहीं है।

सिद्धांत 2: संव्यवहार ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ प्रदान करे जो सुरक्षित हों और अपने पूरे जीवन चक्र में स्थिरता के लिए योगदान प्रदान करती रहें

1. अपने उन 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची बनाएं जिनके डिज़ाइन में सामाजिक या पर्यावरणीय चिंताओं, जोखिमों और / या अवसरों को शामिल किया गया है।

   (1) आर्मर उत्पाद

   (2) क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर के लिए सामग्री

   (3) अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए सामग्री

2. इस तरह के प्रत्येक उत्पाद के लिए, उत्पाद की प्रति इकाई (वैकल्पिक) संसाधन उपयोग (ऊर्जा, पानी, कच्चा माल आदि) के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

   (1) मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष की अवधि में सोर्सिंग / उत्पादन / वितरण के दौरान कमी?

   औसत उत्पन्न उत्पादन में लगभग 4% धार हुआ।

   (2) पिछले वर्ष में उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान प्राप्त की गई कमी ?

   विशिष्ट एलपीजी की खपत में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विशिष्ट एलपीजी की खपत 0.16 / टी उत्पादन की थी जो वित्तीय वर्ष 2018-19 में घटकर उत्पादन की 0.126 / टी और वित्तीय वर्ष 2019-20 में 0.12/टी विशिष्ट एलपीजी खपत रही।

3. क्या कंपनी के पास स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं?

हाँ

   (1) यदि हाँ, तो आपके आगत का कितना प्रतिशत स्थायी रूप से प्राप्त किया गया था? साथ ही इसके संबंध में लगभग 50 या मात्र 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें

   सभी आगतों को मिधानि द्वारा निरंतर रूप से प्राप्त किया जाता है। मिधानि मंडल द्वारा अनुमोदित क्रय नीति के अनुसार उसकी खरीदी की जाती है।

4. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके कार्यस्थल के आसपास के समुदाय शामिल हैं?

हाँ

   (1) यदि हाँ, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

   मेक इन इंडिया के तहत वरीयता (पब्लिक प्रोक्योरमेंट ऑर्डर 2017 के तहत) खरीद नीति में शामिल कर ली गई है और निविदा सूचना में इसका उल्लेख किया जा रहा है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज (एमएसई) इकाइयों से खरीदी गई वस्तुओं / सेवाओं का प्रतिशत मूल्य वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खरीद के कुल घरेलू मूल्य का 28.65% है।

5. क्या कंपनी के पास उत्पादों और कचरे को पुन:चक्रित करने का तंत्र है? यदि हाँ तो उत्पादों और कचरे (अलग से <5%, 5-10%,> 10%) के पुनर्चक्रण का प्रतिशत क्या है । साथ ही, लगभग 50 शब्दों में उसका विवरण प्रदान करें।

हां, उत्पादों में स्क्रैप उपयोग का प्रतिशत संरचना और ग्राहक की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। यह ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर 0-100% तक हो सकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में,

लगभग ₹ 2200 लाख के आयातित कच्चे माल (कोबाल्ट, निकेल, कम कार्बन फेरोक्रोम, मोलिब्डेनम, शुद्ध लोहा और क्रोमियम धातु) को वैकल्पिक आगत सामग्री (स्क्रैप, प्लांट रिवर्ट्स) का उपयोग करके प्रतिस्थापित किया गया था।

सिद्धांत 3: संव्यवहार सभी कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा दें

1. **कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या लिखिए**

   786

2. **कृपया अस्थायी / संविदात्मक / अनियत आधार पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या लिखिए**

   436

3. **कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या लिखिए**

   78

4. **कृपया विकलांग कर्मचारियों की संख्या लिखिए**

   16

5. **क्या आपके पास एक कर्मचारी संघ है जिसे प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है**

   हाँ

6. **आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ का सदस्य है?**

   78.75%

7. **कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में बाल श्रम, मजबूर श्रम, अनैच्छिक श्रम, यौन उत्पीड़न से संबंधित और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या बताएँ।**

सं.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल श्रम / मजबूर श्रम / अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य
2	यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. **अंतिम वर्ष में आपके कितने प्रतिशत कर्मचारियों को सुरक्षा और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया?**

   (1) स्थायी कर्मचारी
   97%
   (2) स्थायी महिला कर्मचारी
   95%
   (3) आकस्मिक / अस्थायी / संविदा कर्मचारी
   85%
   (4) विकलांग कर्मचारी
   55%

सिद्धांत 4: संव्यवहार सभी हितधारकों के प्रति, और विशेष रूप से वंचित, कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों के प्रति संवेदनशील हो

1. **क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाहरी हितधारकों की मैपिंग की है?**

   हाँ

2. **उपरोक्त में से, क्या कंपनी ने वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों की पहचान की है?**

   मिधानि में नैगम सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को व्यवसाय संचालित करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, जो नैतिक प्रणाली और स्थायी प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन और एकीकरण के माध्यम से अपने हितधारकों की बेहतरी के लिए धन के सृजन और वितरण को सक्षम बनाता है और वंचितों, कमजोर और हाशिए के समुदाय को लाभ पहुंचाता है। विस्तृत सीएसआर रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रुप में दी गई है। इसके अलावा मिधानि यह सुनिश्चित करता है कि भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशानुसार आरक्षण नीति लागू की जाती है और अजा / अजजा और दिव्यांग जनों के आरक्षण के संबंध में सभी सरकारी विनियमों का पालन किया गया है।

3. **क्या कंपनी द्वारा वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए कोई विशेष पहल की गई है। यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों में विवरण दें।**

   मिधानि ने मिधानि और उसके आसपास रहने वाले गरीब परिवारों के लिए एक धर्मार्थ स्वास्थ्य देखभाल केंद्र की स्थापना की है। मरीजों को मुफ्त में मौलिक जांच और दवाइयां दी जाती हैं। इसके अलावा, अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत मिधानि द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं विशेष रूप से वंचित, कमजोर और हाशिए के हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए तैयार की गई हैं। मिधानि एमएसई इकाइयों को नियमित रूप से विभिन्न वस्तुओं की सोर्सिंग करके प्रोत्साहित और विकसित करना जारी रखता है।

सिद्धांत 5: संव्यवहार मानव अधिकारों का सम्मान करें और उसे बढ़ावा दे

1. **क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को आवरित करती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एनजीओ / अन्यों तक विस्तारित है?**

   कंपनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) है और इस जेवीसी ने अभी व्यापार संचालन शुरु नहीं किया है। कंपनी की मानव संसाधन नीतियां उसके कर्मचारियों के मानवाधिकारों और उसके व्यवसाय के संचालन के लिए इससे जुड़े अन्य लोगों को आवरित करती हैं। पिछले वित्तीय वर्ष में मानव अधिकारों पर कोई शिकायत नहीं मिली है। कंपनी महिला कर्मचारियों की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके संबंध में एक नीति है जो कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है और यह ऐसी शिकायतों की रोकथाम और निवारण के लिए है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।

2. **पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से कितने प्रतिशत का समाधान किया गया है?**

   समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली।

सिद्धांत 6: संव्यवहार पर्यावरण का सम्मान करें, उसकी सुरक्षा करें और उसे बहाल करने के लिए प्रयास करें

1. **क्या मानव अधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी को आवरित करती है या यह समूह / संयुक्त उद्यम / आपूर्तिकर्ता / ठेकेदार / एनजीओ / अन्यों तक विस्तारित है?**

   संपूर्ण रूप से कंपनी को आवरित करती है। कंपनी का एक संयुक्त उद्यम (जेवीसी) है और इस जेवीसी ने अभी व्यापार संचालन शुरु नहीं किया है।

2. **क्या कंपनी के पास पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, आदि को संबोधित करने की रणनीति / पहल है? हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   मिधानि आईएसओ 14001: 2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से प्रमाणित किया गया है। आईएसओ 14001: 2015 के संबंध में प्रशिक्षण, प्रलेखन, आंतरिक लेखा परीक्षा और उन्नयन लेखा परीक्षा की गई है। प्रमाणन के लिए अनुशंसित निकाय द्वारा आईएसओ 14001: 2015 और प्रमाणन की सिफारिश की गई है।

3. **क्या कंपनी संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करती है? हाँ/नहीं**

   हाँ

4. **क्या कंपनी के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों में विवरण दें। यदि हाँ, तो साथ ही, क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दर्ज की गई है?**

   नहीं

5. **क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हाँ/नहीं। यदि हाँ, तो कृपया वेब पेज आदि के लिए हाइपरलिंक दें।**

   मिधानि ने हरित पहल को लागू किया है और हमारे 4 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए टीएसएसपीडीसीएल और टीएसट्रांस्को के साथ ऑपन एक्सेस समझौते में प्रवेश किया। इसके अलावा मिधानि ने भी व्यापक वृक्षारोपण करवाकर और उसका रखरखाव करके कारखाने के परिसर और उसके आसपास के क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखा है।

6. **क्या वित्तीय वर्ष के लिए सीपीसीबी / एसपीसीबी द्वारा दी गई अनुमेय सीमा के भीतर कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन / अपशिष्ट रिपोर्ट किए जा रहे हैं?**

   हाँ

7. **सीपीसीबी / एसपीसीबी से प्राप्त नोटिस / कानूनी नोटिस का कारण बताओ जो वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित हैं (यानी संतुष्टि के लिए हल नहीं हैं)।**

   शून्य

सिद्धांत 7: संव्यवहार, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने का काम करें तो वह काम जिम्मेदारी से करें

1. **क्या आपकी कंपनी किसी भी ट्रेड और चैम्बर या एसोसिएशन का सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल उन प्रमुख नामों का उल्लेख करें जिनसे आपका व्यवसाय संबंधित है:**

   (1) कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)

   (2) सोसाइटी ऑफ डिफेन्स टेक्नॉलॉजिस्ट

   (3) सार्वजनिक उपक्रमों का स्थायी सम्मेलन

   (4) तेलंगाना वाणिज्य और उद्योग महासंघ (एफटीसीसीआई)

2. **क्या आपने सार्वजनिक हित की उन्नति या सुधार के लिए उपरोक्त संघों के माध्यम से वकालत / पैरवी की है? हाँ/नहीं; यदि हाँ, तो व्यापक क्षेत्र निर्दिष्ट करें (ड्रॉप बॉक्स: शासन और प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यापार सिद्धांत, अन्य)**

   नहीं

सिद्धांत 8: संव्यहार समावेशी विकास और समान विकास का समर्थन करें

1. **क्या कंपनी के पास सिद्धांत 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रम / पहल / परियोजनाएं हैं? यदि हाँ, तो उसका विवरण दीजिए**

   जैसा कि उपरोक्त खंडों में कहा गया है, मिधानि की विभिन्न सीएसआर परियोजनाएं सामाजिक और आर्थिक विकास कार्य में लगी हुई हैं। इसके अलावा, मिधानि के विक्रेता विकास कार्यक्रम समावेशी वृद्धि और समान विकास प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

2. **क्या कार्यक्रम / परियोजनाएं इन-हाउस टीम / स्व संस्थान / बाहरी एनजीओ / सरकारी संरचनाओं / किसी अन्य संगठन के माध्यम से किए जाते हैं?**

मिधानि के अधिकांश कार्यक्रम इन-हाउस किए जाते हैं और कुछ मामलों में मिधानि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, संस्थानों, सरकारी एजेंसियों और अन्य पेशेवर एजेंसियों का परियोजना के आधार पर निष्पादन के लिए सहयोग भी लेता है।

3. **क्या आपने अपनी पहल के किसी प्रभाव का आकलन किया है?**

हाँ

4. **सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है – भारतीय रूपए में राशि और शुरू की गई परियोजनाओं का विवरण**

कृपया इस वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में दिए गए सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट देखें।

5. **क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि समुदाय द्वारा इस सामुदायिक विकास पहल को सफलतापूर्वक अपनाया जाए? कृपया 50 शब्दों में व्याख्या करें।**

हाँ, मिधानि अधिकतर परियोजनाओं के लिए प्रभाव मूल्यांकन आयोजित करता है

सिद्धांत 9: संव्यवहार जिम्मेदारी से अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं का सम्मान करें

1. **वित्तीय वर्ष के अंत तक ग्राहकों की शिकायतें / उपभोक्ता मामले कितने प्रतिशत लंबित हैं।**

शून्य

2. **क्या कंपनी स्थानीय कानूनों के अनुसार, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी, उत्पदान के ऊपर क्या प्रदर्शित करती है? हां / नहीं / लागू नहीं / टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)**

लागू नहीं

3. **क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार व्यवहार, गैर-जिम्मेदाराना विज्ञापन और / या प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार के बारे में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा कोई मामला दायर किया गया है और वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है। यदि हां, तो इसके बारे में 50 शब्दों में विवरण दें।**

नहीं

4. **क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण / उपभोक्ता संतुष्टि रुझान करवाया है?**

नहीं

फॉर्म संख्या एमआर -3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 की नियम संख्या 9 के अनुसार]

सेवा में
सदस्यगण,
मिश्रा धातु निगम लिमिटेड,
(सीआईएन: L14292TG1973GOI001660),
पीओ कंचनबाग,
हैदराबाद – 500058

हमने मिश्र धातु निगम लिमिटेड (इसके बाद 'कंपनी' कहा जाएगा) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और इस कंपनी द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया जाता है। सचिवीय लेखापरीक्षण इस तरह किया गया है कि हमें नैगम आचार / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर हमारी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान प्राप्त हुए।

कंपनी की किताबों, कागजात, कार्यवृत्त की किताबें, फॉर्म, भरे गए रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्ड और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी पर हमारे सत्यापन के आधार पर, हम इस प्रकार रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का पालन किया है और इसके बाद किए गए रिपोर्टिंग के तरीके और विषय में यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाओं और अनुपालन तंत्र की सीमा है।

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा तैयार किए गए पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्त की किताबें, रूपों और जमा किए गए अन्य रिकॉर्डों की निम्न प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत निर्मित नियम;

(2) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत निर्मित नियम;

(3) डिपॉजिटरीज एक्ट, 1996 और विनियमन और इसके अंतर्गत निर्मित उप-कानून;

(4) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशों से प्रत्यक्ष निवेश और बाह् वाणिज्यिक उधार के लिए निर्मित नियम और विनियम; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों की पर्याप्त प्राप्ति और अधिग्रहण) विनियम, 2011।

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015।

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018।

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**।

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का अंक और सूचीकरण) विनियम, 2008; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

च) कंपनी अधिनियम और ग्राहक से निपटने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इशू जारी और शेयर अंतरण एजेंटों के लिए रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

छ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**

ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सिक्योरिटीज का बायबैक) विनियम, 2018; **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**।

झ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एवं सहभागी) विनियम, 2018;

ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015।

(6) सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नैगम शासन के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, 2010 के दिशानिर्देश।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(1) बोर्ड और सामान्य बैठक के संबंध में भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक;

(2) बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के साथ कंपनी द्वारा लिस्टिंग समझौते में प्रवेश किया गया।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो उपरोक्त निम्नलिखित अवलोकनों के अधीन हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत:

1. 31 मार्च, 2020 को लेखा परीक्षा समिती का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार नहीं है।
2. 31 मार्च, 2020 को नामांकन पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार नहीं है।
3. 31 मार्च, 2020 को कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (1) के दूसरे प्रावधान के अंतर्गत आवश्यक कम से कम एक महिला निदेशक शामिल नहीं है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ["एलओडीआर विनियम"] के अंतर्गत

4. कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जो एलओडीआर विनियम के **विनियम 17 (1) (ए)** के अंतर्गत आवश्यक थी;
5. जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं, कंपनी के निदेशक मंडल में आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे, जैसा कि एलओडीआर विनियम के **विनियम 17 (1) (बी)** के अंतर्गत आवश्यक है;
6. कंपनी के एक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में 6 से कम निदेशक नहीं होते हैं (अर्थात इसमें केवल 4 निदेशक हैं) जो एलओडीआर विनियम के **विनियमन 17 (1) (सी)** के अंतर्गत आवश्यक हैं;
7. लेखा परीक्षा समिति की संरचना में इसके सदस्यों के दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जैसा कि एलओडीआर विनियम के **विनियम 18 (1) (बी)** के अंतर्गत आवश्यक है;
8. नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना एलओडीआर विनियम के **विनियम 19 (1) (बी)** के अनुरूप नहीं है;
9. 07 जनवरी, 2020 को श्री संजीव सिंघल, निदेशक (वित्त) के बोर्ड से इस्तीफा देने पर, 31 मार्च, 2020 तक जोखिम प्रबंधन समिति के अधिकांश सदस्य, एलओडीआर विनियम के **विनियम 21 (2)** के संदर्भ में बोर्ड सदस्यों को शामिल नहीं करते हैं।
10. 30 नवंबर, 2019 को 3 स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त पद भरे नहीं गए थे, जो एलओडीआर विनियम के **विनियम 25 (6)** के अंतर्गत आवश्यक है। ये रिक्त पद एलओडीआर विनियम के **विनियम 25 (6)** के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा के अनुसार 3 महीने की अवधि के भीतर भरने आवश्यक है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

i. कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ नहीं किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

ii. सभी निदेशकों को मंडल की बैठकों के कार्यक्रमों की समुचित सूचना, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियाँ कम से कम सात दिन पहले भेजी गयी थी, और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

iii. जहाँ भी आवश्यक हो, सदस्यों के असंतुष्ट विचार प्राप्त होने पर अधिकतम सदस्यों के निर्णय को माना जाता है और कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में दर्ज किया जाता है।

iv. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के साथ अनुपालन और निगरानी के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरुप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

v. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों का कंपनी द्वारा अनुपालन की समीक्षा इस लेखा परीक्षा में नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय लेखा परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में ऊपर उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख असर डालने वाली निम्नलिखित विशिष्ट घटनाएं / कार्रवाईयां हैं:

i. श्री इंद्रगंटी वेंकटेश्वर शर्मा (डीआईएन: 02144740), डॉ ज्योति मुखोपाध्याय (डीआईएन: 02224647) और डॉ उषा रामचंद्र (महिला स्वतंत्र निदेशक) (डीआईएन: 02831588) 30 नवंबर, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेश पत्र PC. No 11(57)/2017/MDN/D(NS) के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे।

ii. 7 जनवरी, 2020 को (सीएफओ-केएमपी) के रूप में नामित, श्री संजीव सिंघल, कार्यपालक निदेशक (वित्त), ने मिधानि के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।

कृते आर एवं ए एसोसिएट्स,
कंपनी सचिवगण

हस्ता/-
सीएस आर रामकृष्ण गुप्ता,
वरिष्ठ सहभागी
एफसीएस सं.: #5523
सीओपी सं.: #6696
यूडीआईएन: F005523B000399048

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30 जून 2020.

यह रिपोर्ट दी गई तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जानी है जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

'अनुलग्नक ए'

सेवा में
सदस्यगण,
मिश्र धातु निगम लिमिटेड,
(सीआईएन: L14292TG1973GOI001660),
पी.ओ. कंचनबाग,
हैदराबाद – 500058

दी गई तारीख के साथ हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव मिश्र धातु निगम लिमिटेड ("कंपनी") के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करें।

2. हमने लेखा परीक्षा की परंपरागत पद्धतिओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। परीक्षण के आधार यह सत्यापन पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकार्डों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं। हमारा मानना है कि हमारो द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और परंपरागत पद्धति, हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने वित्तीय रिकॉर्ड और कंपनी के खातों की किताबों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

5. निगम और अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। हमारा निरीक्षण परीक्षा के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित होता है।

6. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता और न ही प्रबंधन द्वारा की गई गतिविधियों की प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए आश्वासन प्रदान करती है।

कृते आर कृते आर एवं ए एसोसिएट्स,
कंपनी सचिवगण

हस्ता/-
सीएस आर रामकृष्ण गुप्ता,
वरिष्ठ सहभागी
एफसीएस सं.: #5523
सीओपी सं.: #6696
यूडीआईएन: F005523B000399048

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30 जून 2020.

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर प्रबंधन द्वारा उत्तर

क्र.सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन द्वारा उत्तर
1.	31 मार्च, 2020 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार लेखा परीक्षा समिति का गठन नहीं है।	श्री इंद्रगंटी वेंकटेश्वर शर्मा (डीआईएन: 02144740), डॉ ज्योति मुखोपाध्याय (डीआईएन: 02224647) और डॉ उषा रामचंद्र (महिला स्वतंत्र निदेशक) (डीआईएन: 02831588) 30 नवंबर, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेश पत्र PC. No 11(57)/2017/ MDN/D(NS) के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे। मिधानि, पीएसयू और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत होने के कारण, बोर्ड में निदेशक (कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक सहित) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है।
2.	नामांकन पारिश्रमिक समिति का गठन 31 मार्च, 2020 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के आवश्यक प्रावधानों के अनुसार नहीं है।	-समान-
3.	31 मार्च, 2020 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक शामिल नहीं है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आवश्यक है।	डॉ उषा रामचंद्र (महिला स्वतंत्र निदेशक) (डीआईएन: 02831588) 30 नवंबर, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेश पत्र PC. No 11(57)/2017/MDN/D(NS) के अनुसार कंपनी की स्वतंत्र निदेशक नहीं रही। मिधानि, पीएसयू और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत होने के कारण, बोर्ड में निदेशक (कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक सहित) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है।
4.	कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जो एलओडीआर विनियम के **विनियम 17 (1) (ए)** के अंतर्गत आवश्यक थी;	-समान-
5.	जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं, कंपनी के निदेशक मंडल में आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे, जैसा कि एलओडीआर विनियम के **विनियम 17 (1) (बी)** के अंतर्गत आवश्यक है;	क्र.सं. 1 पर दिए उत्तर का संदर्भ लें
6.	कंपनी शीर्ष 1000 सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में 6 से कम निदेशक नहीं होते हैं (अर्थात इसमें केवल 4 निदेशक थे) जैसा कि एलओडीआर विनियम के **विनियम 17 (1) (सी)** के अंतर्गत आवश्यक है;	श्री इंद्रगंटी वेंकटेश्वर शर्मा (डीआईएन: 02144740), डॉ ज्योति मुखोपाध्याय (डीआईएन: 02224647) और डॉ उषा रामचंद्र (महिला स्वतंत्र निदेशक) (डीआईएन: 02831588) 30 नवंबर, 2019 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर दिनांक 22 नवंबर, 2018 को रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेश पत्र PC. No 11(57)/2017/ MDN/D(NS) के अनुसार कंपनी के स्वतंत्र निदेशक नहीं रहे। इसके अतिरिक्त, 7 जनवरी, 2020 को केएमपी के रूप में नामित, श्री संजीव सिंघल (डीआईएन: 07642358), निदेशक (वित्त), ने मिधानि के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। मिधानि, पीएसयू और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत होने के कारण, बोर्ड में निदेशक (कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक सहित) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है।

क्र.सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन द्वारा उत्तर
7.	लेखा परीक्षा समिति की संरचना में इसके सदस्यों के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जैसा कि एलओडीआर विनियम के **विनियम 18 (1) (बी)** के अंतर्गत आवश्यक हैं;	क्र.सं. 1 पर दिए उत्तर का संदर्भ लें
8.	नामांकन और पारिश्रमिक की संरचना एलओडीआर विनियम के **विनियम 19 (1) (बी)** अनुरूप नहीं है;	क्र.सं. 1 पर दिए उत्तर का संदर्भ लें
9.	07 जनवरी, 2020 को श्री संजीव सिंघल, निदेशक (वित्त) के बोर्ड से इस्तीफा देने पर, 31 मार्च, 2020 तक जोखिम प्रबंधन समिति के अधिकांश सदस्य, एलओडीआर विनियम के **विनियम 21 (2)** के संदर्भ में बोर्ड सदस्यों को शामिल नहीं करते हैं।	मिधानि, पीएसयू और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत होने के कारण, बोर्ड में निदेशक (कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक सहित) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है।
10.	कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों का समुचित संतुलन शामिल नहीं है।	वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान तीन स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल समाप्ति और एक कार्यपालक निदेशक के इस्तीफे के कारण, मिधानि के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक और गैर-कार्यपालक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक सहित) का उचित संतुलन शामिल नहीं है। मिधानि, पीएसयू और रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत होने के कारण, बोर्ड में निदेशक (कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक सहित) की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जानी है।

अनुलग्नक - VIII

निदेशकों की गैर-अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(सेबी के विनियमन 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10)(i) (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के अनुसार)

सेवा में,
सदस्य
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
पी.ओ. कंचनबाग,
हैदराबाद – 500058
तेलंगाना, भारत

हमने **मिश्र धातु निगम लिमिटेड**, जो सीआईएन L14292TG1973GOI001660 है और **पीओ कंचनबाग, हैदराबाद-500058, तेलंगाना, भारत** में पंजीकृत कार्यालय है (इसके बाद 'कंपनी' के रूप में जाना जाता है), के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, अभिलेख, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटन की जांच की है। कंपनी द्वारा विनियमन 34 (3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची V पैरा-सी खंड 10 (i) के साथ पढ़े (सूचीकरण बाध्यताएँ और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ)) विनियम, 2015 के अनुसार ऊपर उल्लिखित दस्तावेज हमारे समक्ष इस प्रमाणपत्र को जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया था।

हमारी राय में और हमें प्राप्त उपयुक्त जानकारी (कंपनी www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा सत्यापन के अनुसार, जैसा कि कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें आवश्यक और स्पष्टीकरण के रूप में बताया गया, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, निगम मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1.	दिनेश कुमार लेखी	03552634	01/09/2015
2.	संजय कुमार झा	07533036	05/07/2016
3.	संजीव सिंघल	07642358	06/01/2017
4.	इंद्रगंटी वेंकटेश्वर शर्मा	02144740	01/12/2015
5.	ज्योति मुखोपाध्याय	02224647	01/12/2015
6.	उषा रामचंद्रा	02831588	01/12/2015
7.	सुरेन्द्र सिन्ह	07960634	09/10/2017
8.	संजय जाजू	01671018	30/05/2018

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें।

यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के साथ, जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते आर एवं ए एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

हस्ता/-
आर रामकृष्ण गुप्ता,
वरिष्ठ सहभागी
सदस्यता सं. : 5523
सी.पी. सं.: 6696
यूडीआईएन: F005523B000336469

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 12 जून 2020

नैगम शासन पर प्रमाणपत्र

सेवा में,
सदस्यगण
मिश्र धातु निगम लिमिटेड
(सीआईएन: L14292TG1973GOI001660),
पी.ओ. कंचनबाग,
हैदराबाद – 500058.

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी द्वारा नैगम शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 **("एलओडीआर विनियम")** के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारित किया गया है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

नैगम शासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है, ताकि सूचीबद्ध विनियमों में नैगम शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी नैगम शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह कंपनी के वित्तीय विवरणों पर न तो एक लेखा परीक्षा है और न ही एक राय है।

हमने कंपनी द्वारा नैगम शासन की आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा बनाए गए खाते और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की पुस्तकों की जांच की है।

राय

प्रासंगिक अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर और हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए प्रतिनिधित्व और निम्नलिखित विषयानुसार है:

कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी, जो एलओडीआर विनियम के **विनियम 17 (1) (ए)** के अंतर्गत आवश्यक थी;

जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष एक कार्यपालक अध्यक्ष हैं, कंपनी के निदेशक मंडल में आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे, जैसा कि एलओडीआर विनियम के **विनियम 17 (1) (बी)** के अंतर्गत आवश्यक है;

कंपनी के एक शीर्ष 1000 सूचीबद्ध इकाई होने के नाते, कंपनी के निदेशक मंडल में 6 से कम निदेशक नहीं होते हैं (अर्थात इसमें केवल 4 निदेशक हैं) जो एलओडीआर विनियम के **विनियमन 17 (1) (सी)** के अंतर्गत आवश्यक हैं;

लेखा परीक्षा समिति की संरचना में इसके सदस्यों के दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जैसा कि एलओडीआर विनियम के **विनियम 18 (1) (बी)** के अंतर्गत आवश्यक है;

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना एलओडीआर विनियम के विनियम 19 (1) (बी) के अनुरूप नहीं है;

07 जनवरी, 2020 को श्री संजीव सिंघल, निदेशक (वित्त) के बोर्ड से इस्तीफा देने पर, 31 मार्च, 2020 तक जोखिम प्रबंधन समिति के अधिकांश सदस्य, एलओडीआर विनियम के **विनियम 21 (2)** के संदर्भ में बोर्ड सदस्यों को शामिल नहीं करते हैं।

30 नवंबर, 2019 को 3 स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल पूरा होने के कारण रिक्त पद भरे नहीं गए थे, जो एलओडीआर विनियम के विनियम 25 (6) के अंतर्गत आवश्यक है। ये रिक्त पद एलओडीआर विनियम के **विनियम 25 (6)** के अंतर्गत निर्धारित समयसीमा के अनुसार 3 महीने की अवधि के भीतर भरने आवश्यक है।

हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान नैगम शासन की शर्तों का अनुपालन सूचीबद्ध विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) और अनुसूची V के पैरा सी और डी में निर्धारितानुसार किया है।

हम कहते हैं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते आर एवं ए एसोसिएट,
कंपनी सचिवगण

हस्ता/-
सीएस आर रामकृष्ण गुप्ता
वरिष्ठ सहयोगी
एफसीएस सं.: #5523
सीओपी सं.: #6696

स्थान: हैदराबाद,
दिनांक: 30 जून 2020

MIDHANI

अनुलग्नक - X

कंपनी की 'आचार संहिता' के अनुपालन की घोषणा

सेवा में,

सदस्यगण, मिश्र धातु निगम लिमिटेड

मैं, डॉ एस के झा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक घोषित करता हूँ कि:

क) मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक उद्यमों के लिए नैगम शासन पर दिशानिर्देश, 2010 तथा सेबी लिस्टिंग विनियम के विनियम 17 के अनुसार 'व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता' को अपनाया है;

ख) कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 'बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और नैतिकता संहिता' का अनुपालन किया है; तथा

ग) यह घोषणा बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से लिखित में प्राप्त व्यक्तिगत पुष्टि के अनुसरण पर आधारित है।

कृते मिश्र धातु निगम लिमिटेड

हस्ता/-
डॉ एस के झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 26 जून, 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने 30 जून 2020 को भारतीय लेखा मानक स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सम दिनांक पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकनों के अनुसार, अन्य मामला पैराग्राफ उपरोक्त अवलोकनों के अनुपालन के साथ शामिल किया गया है।

राय

हमने मिश्र धातु निगम लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 को स्थित तुलनपत्र, लाभ तथा हानि की विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरणी और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन की विवरणी तथा उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार और अन्य स्पष्टीकरण सूचनाएँ दी हैं। (इसके बाद "स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में, हमें प्राप्त जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढी जाए और भारत में सामान्यत: स्वीकार किए गए अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ 31 मार्च, 2020 तक के कंपनी के मामले, लाभ और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह, वर्ष को समाप्त तारीख पर सही और त्रुटिहीन पाए गए।

राय के लिए आधार

हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए आगे दिए गए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित है। भारतीय सदनी लेखापाल संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो यहाँ दिये गए अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के अधीन हैं, हम कंपनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर कोई अन्य राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में हमने जिन प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को चिन्हित किया है वे इस प्रकार हैं:

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	हमारी लेखा परीक्षा में मामला कैसे संबोधित किया गया था
राजस्व मान्यता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन नीति टिप्पणी सं. 2.3 और टिप्पणी सं. 28 का संदर्भ लें। हमने राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि कंपनी और उसके बाहरी हितधारक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में राजस्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे राजस्व के लिए नियंत्रण हस्तांतरित होने से पहले अतिरिक्त या मान्य प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितनी और कब राजस्व को मान्यता प्राप्त है। इसमें विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान से संबंधित कुछ मुख्य निर्णय शामिल हैं, पहचान प्रदर्शन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, राजस्व मान्यता को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता।	इस मामले के महत्व को देखते हुए हमने दूसरों से पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया: 1. हमने लागू लेखा मानकों की तुलना करके राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया। 2. हमने चयनित लेनदेन पर राजस्व मान्यता के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों के संचालन और संचालन प्रभावशीलता के डिजाइन का मूल्यांकन किया। 3. हमने राजस्व लेनदेन के नमूनों का चयन करके पर्याप्त परीक्षण किया, जो सांख्यिकीय नमूने के उपयोग से अंतर्निहित दस्तावेजों के परीक्षण द्वारा वर्ष के दौरान दर्ज किया गया। 4. हमने असामान्य परिवर्तन की पहचान करने के लिए वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। 5. हमने नमूना आधार पर परीक्षण किया है कि क्या राजस्व लेनदेन को रिपोर्टिंग डेटा के निकट उचित अवधि में प्रासंगिक अंतर्निहित दस्तावेज के साथ चयनित लेनदेन की तुलना करके माल वितरण टिप्पणी और बिक्री की शर्तों सहित पहचाना गया है। हमने यह सत्यापित करने के लिए अंतर्निहित दस्तावेज का निरीक्षण किया है कि नियंत्रण और स्वामित्व ग्राहक को हस्तांतरित किया गया है।

मामले की प्रमुखता

हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों के निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1) टिप्पणी संख्या 9 (अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां), टिप्पणी संख्या 11 (चालू वित्तीय परिसंपत्तियां व्यापार प्राप्य),टिप्पणी संख्या 14 (चालू वित्तीय परिसंपत्तियां- अन्य), टिप्पणी संख्या 15 (अन्य चालू परिसंपत्तियां), टिप्पणी संख्या 22 (अन्य गैर-चालू देयताएं), टिप्पणी संख्या 24 (व्यापार देयताएं), टिप्पणी संख्या 25 (चालू वित्तीय देयताएं अन्य) और टिप्पणी संख्या 26 (अन्य वर्तमान देयताएं) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की शेष राशि / पुनर्मिलान की पुष्टि की प्राप्ति के अधीन हैं।

2) हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 44 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का वर्णन करती है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में सीएसआर गतिविधियां, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, व्यापार दायित्व रिपोर्ट, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेशी मुद्रा अर्जनों और निकासियों पर रिपोर्ट, नैगम शासन पर इसके अनुलग्नकों सहित रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारक सूचना और निहित अन्य जानकारी सहित निदेशकों की रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इन रिपोर्टों को इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को समाहित नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ज्ञान प्राप्त करने के दौरान हमारी लेखा परीक्षा का पाठ्यक्रम या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें सामग्री का गलत उपयोग है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ आरोपित करने की आवश्यकता है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय का सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इसमें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथासंशोधित के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम के लेखा सिद्धांत 133 सहित भारतीय लेखा मानक में निर्धारित धारा के अनुसार कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन शामिल है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कि लेखांकन के अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, यह दुरुपयोग चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जो कंपनी के निदेशकों द्वारा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियाँ तैयार करते समय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है कि वह कंपनी की क्षमता का आकलन करें। यह आकलन कंपनी से संबंधित चिंता के विषय, चिंतनीय विषयों के संबंध में प्रकटीकरण करने, जो लागू हो, वह चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन के लिए चिंता के विषयों को आधार बनाएँ जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा न रखता हो या संचालन बंद करदे या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या **स्टैंडअलोन** वित्तीय विवरणियाँ संपूर्ण रूप से भौतिक अनियमितताओं से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि स्टैंडअलोन के अनुसार की गयी लेखा परीक्षा में हमेशा भौतिक अनियमितताएं मौजूद होने पर उसका पता लगाएगी। अनियमितताएं, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं। इसे भौतिक माना जाता है यदि यह एकल या समग्र रूप में हो। इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को ये यथोचित व अपेक्षित रूप में प्रभावित कर सकती हैं।

स्टैंडअलोन लेखा के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा दैरान हम पेशेवर संदेहात्मक नजर बनाए रखते हैं। हम निम्न कार्य भी करते हैं:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, जोखिमों

के लिए उत्तरदायी हों, लेखा परीक्षा प्रक्रिया को डिज़ाइन करते हैं और निष्पादित करते हैं। उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करतें हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित होंगे। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशील है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करेंगे।
- लेखांकन की आधारभूत चिंताओं को प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं। प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जिससे कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता है जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है।
- यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी के लिए चिंता का विषय बनी रह सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और इसका मूल्यांकन करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके।
- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम इस तरह की इकाई के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के बीच कंपनी के शासन के संदर्भ में लगाए गए आरोप, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के योजनाबद्ध अवसर और समय के साथ संवाद करते हैं, जिसे हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम कंपनी के शासन के संदर्भ में लगाए गए आरोप के साथ एक बयान भी प्रदान करते हैं जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता को सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है का अनुपालन किया है।

कंपनी के शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा जिससे इस तरह की सूचना के जन हित लाभ के महत्व के बढ़ने की संभावना है।

अन्य मामला

कंपनी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ 31 अक्टूबर 1991 को 'पट्टा अनुबंध' पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 35 एकड़ और 39 गंटों को 30 साल की अवधि के लिए नाममात्र पट्टा ` 1 प्रति एकड़ पट्टे पर लिया गया था। 'पट्टा अनुबंध' के अनुसार कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान जमीन के मालिकाना हक को बरकरार रखती है और पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद मालिक बनी रहेगी। पट्टे पर दी गई भूमि की सीमा नोट संख्या 3.1 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में दर्शायी गई है। हालांकि, 116 पट्टा भारतीय लेखा मानक अनुसार, यह पट्टा एक परिचालन पट्टे की प्रकृति में है और वित्तीय विवरणों में पट्टे की प्रकृति का खुलासा किया जाना चाहिए।

पट्टा किराए की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों में किसी भी पट्टा लेन-देन का हिसाब नहीं दिया गया है या इसकी रिपोर्ट नहीं की गई है। इसलिए, पट्टे की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया और कंपनी द्वारा पट्टों पर कोई अलग लेखांकन नीति नहीं अपनाई गई।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर हमारी राय और पट्टों पर प्रकटीकरण के संबंध में नीचे दी गई हमारी " अन्य विधिक और विनियमावली की आवश्यकताओं पर रिपोर्ट", उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियमावली की आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

क) अधिनियम की धारा 143(11) की शर्तों के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी कंपनियों के (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (आदेश) के अनुसार हम लागू सीमा तक अनुबंध-ए में आदेश के पैरा 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर वक्तव्य देते हैं।

ख) हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, जहाँ तक लागू हो, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

1) हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए मांगी गयी सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण, जहां तक हमारी जानकारी है और हमारा विश्वास हैं, हमने प्राप्त कर लिए हैं;

2) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित लेखा बहियां रखी गयी हैं जो इन बहियों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में संदर्भित स्टैंडअलोन तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि का स्टैंडअलोन विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण और नगदी प्रवाह का स्टैंडअलोन विवरण लेखा बहियों के साथ मेल खाता हैं जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए अपनाया गया है।

घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पढ़ी जानेवाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत दर्शाये गये भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

ङ) दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. G.S.R. No.463(E) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है। सरकारी कंपनियों को अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी गई है। इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की गई।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में **अनुलग्नक "सी"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

छ) जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (5) द्वारा आवश्यक है, हम **अनुलग्नक "डी"** में, पूर्वोक्त अनुभाग के संदर्भ में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों में निहित मामलों पर विवरण, उपर्युक्त धारा के संदर्भ में इन पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखों और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर प्रभाव प्रस्तुत करते हैं।

ज) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकगण) नियमावली, 2014 के नियम11 के अनुसरण में लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के बारे में हमारी राय के अनुसार :

i. कंपनी के पास लंबित मुकदमे हैं, जिनके संबंध में देनदारियां या तो आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रदान की गई हैं या खुलासा की गई हैं - स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की टिप्पणी 41 का संदर्भ लें। कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति पर कंपनी ने इन लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है जो उनके न्यायिक परिणामों के अधीन है;

ii. कंपनी के पास प्राप्त किये जानेवाले ठेकों सहित कोई दीर्घकालीन ठेके नहीं थे जिनके लिए कोई भौतिक हानियां नहीं हैं;

iii. कंपनी में कोई ऐसी राशियां नहीं थीं, जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो।

कृते बाशा एवं नरसिम्हन,
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या: **006031S**

हस्ता./-
(सीए के नरसिम्हा साह)
भागीदार
सदस्य संख्या 201777
आईसीएआई यूडीआईएन: 20201777AAAAAX5102

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 27 अगस्त, 2020

अनुलग्नक –"ए"

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(मिश्र धातु निगम लिमिटेड के सदस्यों को सम दिनांक पर सौंपी गई हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत अनुच्छेद 1 का संदर्भ लिया जाए)

i. कंपनी की अचल परिसंपत्तियों के संबंध में:

(1) कंपनी ने पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्डों का रखरखाव किया है, जिसमें मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों की स्थिति शामिल है।

(2) कंपनी ने अपनी अचल परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरणों का सत्यापन की प्रणाली है। हमारी राय में यह प्रणाली कंपनी के आकार और उसकी अचल संपत्तियों की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त है। हमें दी गई सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी अचन संपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं प गई हैं।

(3) हमें दी गई सूचना, दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, हमें उपलब्ध कराए गए संवहन दस्तावेजों के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि भूमि और भवनों के अचल संपत्तियों के जिन शीर्ष दस्तावेजों का उल्लेख यहां किया गया है, वे कंपनी के नाम पर नहीं हैं। तुलन पत्र की तारीख के अनुसार।

क्र.सं.	ब्यौरा	भूमि विवरण
1	कुल मामले	i) फैक्टरी क्षेत्र : 132 एकड़ और 31 गुंटा ii) निगम कार्यालय : 8.00 एकड़ iii) आवास परिसर क्षेत्र : 97 एकड़ और 05 गुंटा iv) डी आर डी ओ और अन्यों को पट्टे पर : 37 एकड़ और 39 गुंटा
2	क्या निर्बाध अधिकार /पट्टे पर अधिकार	पूर्ण स्वामित्व
3	31-03-2020 पर सकल / निवल ब्लॉक	₹ 128.80 लाख
4	अभ्युक्तियाँ	कंपनी के स्वामित्व वाली 275 एकड़ और 35 गुंटे की भूमि कंपनी के नाम पर अभी संवहन दस्तावेज किया जाना बाकी है। इस में से 1.5 एकड़ जमीन तिसरे पक्ष द्वारा अनाधिकृत रूप से निवास के कारण विवाद के अधीन है।

ii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और अभिलेखों की हमारी परीक्षा के आधार पर, सूची का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा सतत सूची कार्यक्रम के अंतर्गत उचित अंतराल पर और वर्ष के अंत में तीसरे पक्ष के साथ रखी गई सूची के लिए किया गया है। प्रबंधन द्वारा कुछ मामलों में लिखित पुष्टि प्राप्त की गई है। प्रबंधन द्वारा इस तरह के भौतिक सत्यापन पर देखी गई विसंगतियों को खाते की पुस्तकों में ठीक से निपटाया गया है। कोई भी सामग्री विसंगतियां नहीं बताई गई हैं।

iii. हमें दी गई सूचना, दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा किए गए अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर कंपनी ने अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गये सुरक्षित या असुरक्षित कंपनी, फर्म्स, सीमित देयता भागीदारियाँ या अन्य पार्टियों को किसी भी प्रकार के ऋण को प्रदान नहीं किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) (ए), 3 (iii) (बी) और 3 (iii) (सी) कंपनी के लिए लागू नहीं होते हैं।

iv. हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसर और हमारे द्वारा किए गए अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कंपनी पर अधिसूचना GSR No.463(E) F. No. 1/2/2014-CL.V, दि.5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धाराएँ 185 एवं 186 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

v. हमें दी गई सूचना और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसर और हमारे द्वारा किए गए अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और 31 मार्च, 2020 को जमा पर कोई दावा नहीं किया गया है। इसलिए, धारा 3 (v) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

vi. हमने अधिनियम की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की व्यापक रूप से समीक्षा की है और हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया, कंपनी ने निर्धारित लागत अभिलेख बना दिया है और उसे बनाए रखा है। हालांकि, हमने उन अभिलेखों की स्टीकता और पूर्णता को परखने के लिए विस्तृत जांच नहीं की है।

vii. सांविधिक देय के संबंध में हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और सूचना के अनुसार तथा हमारे द्वारा किए गए कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर:

1) भविष्यनिधि के संबंध में देय बकाया निर्विवाद राशि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, प्रवेश कर, उपकर और अन्य बकाया सांविधिक देय राशि जो इसे लागू है, सहित विवाद रहित सांविधिक देय राशि कंपनी द्वारा नियमित रूप से वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा की जाती है।

2) 31 मार्च 2020 तक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक सांविधिक बकाया राशि जो देय तारीख से छह महीनों की अवधि तक देय हो, ऐसी कोई निर्विवाद राशि देय नहीं थी।

3) 31 मार्च 2020 तक बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, प्रवेश कर, सेवा कर, उपकर (यथा लागू) के विवादित वैधानिक बकाए का विवरण उपयुक्त अधिकारियों के समक्ष लंबित विवादों के संबंध में जैसा कि **अनुबंध – "बी"** में दिया गया है।

viii. कंपनी के अभिलेखों के अनुसार हमारे द्वारा जांच की गई और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक या सरकार को साल भर में देय राशि का पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है

ix. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई पैसा नहीं बढ़ाया। हालाँकि, कंपनी ने अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक से (प्रतिभूति रहित) अल्पावधि ऋण लिया है और ब्याज के प्रति खाते में कोई अतिदेय नहीं है और वर्ष के दौरान कोई सिद्धांत चुकौती के कारण देय नहीं है।

x. हमें दी गई सूचना, दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर , वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी से अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी देने की सूचना नहीं है या प्रबंधन द्वारा ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं दी गई है।

xi. हमें दी गई सूचना, दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, केंद्र सरकार द्वारा जारी धारा 197 का प्रावधान सरकारी कंपनियों के लिए दि.05.06.2015 की अधिसूचना संख्या G.S.R. 463(E) F.No.1/2/2014-CL.V के अनुसार लागू नहीं है। इसलिए आदेश के खंड 3 (xi) के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

xii. कंपनी निधि कंपनी नहीं है। अतः कंपनी के लिए आदेश का पैरा 3 (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग करना लागू नहीं होता है।

xiii. हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा परीक्षण के अनुसार, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं जहां लागू हो वहाँ लागू लेखा मानकों की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में उद्घाटित किए गए हैं।

xiv. हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरण और कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा परीक्षण के अनुसार, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी तरजीही आवंटन या गैर-सरकारी रूप से शेयर या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं बनाए हैं। तद्नुसार, आदेश का पैरा 3(xiv) कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xv. हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरण कंपनी के अभिलेखों का हमारे द्वारा परीक्षण के अनुसार कंपनी ने अपने निदेशकों के साथ या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर नकद लेन-देन नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश का पैरा 3 (xv) के अंतर्गत रिपोर्ट करना लागू नहीं होता है।

xvi. कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश का पैरा 3 (xvi) के अंतर्गत रिपोर्ट करना लागू नहीं होता है।

कृते बाशा एवं नरसिम्हन,
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या: **006031S**

हस्ता./-
(सीए के नरसिम्हा साह)
भागीदार
सदस्य संख्या 201777
आईसीएआई यूडीआईएन: 20201777AAAAAX5102

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 27 अगस्त, 2020

अनुलग्नक –"बी"

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(अनुलग्नक ए के पैरा VII (सी) में निर्दिष्ट, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के कंपनी (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 (यथा संशोधित) में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान।)

कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी विवाद के कारण बिक्री कर, मूल्य वर्धित कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर, उपकर पर देय और विवरण नीचे प्रस्तुत हैं:

(₹. लाख में)

संविदा का नाम	देयताओं की प्रकृति	विवादित राशि	विरोध के तहत भुगतान किया	शेष	राशि से संबंधित अवधि	फ़ोरम जहां विवाद रुका पड़ा है
सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	165.66	82.83	82.83	2010-11	वीएटी ट्रिब्यूनल
वीएटी अधिनियम, 2005	वीएटी	3.80	0.95	2.85	2010-11	अपीलीय उपायुक्त
सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी	2.30	2.07	0.23	2011-12	अपीलीय उपायुक्त
वीएटी अधिनियम, 2005	वीएटी	178.58	22.32	156.26	02/2014 से 06/2017	अपीलीय उपायुक्त
एपी प्रवेश कर अधिनियम, 2001	प्रवेश कर	21.03	7.36	13.67	2013-14 और 2014-15	अपीलीय उपायुक्त
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क एवं जुर्माना	106.20	-	106.20	2011-12	सीईएसटीएटी
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985	उत्पाद शुल्क एवं जुर्माना	225.97	-	225.97	2006-07 से 2008-09	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985	जॉब वर्क के लिए भेजी गई सामग्री के लिए आईटीसी के गैर-परिवर्तन होने पर उत्पाद शुल्क	130.04	4.12	125.92	2012-13 और 2013-14	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त
वित्त अधिनियम, 1994	एलडी पर विक्रेताओं से प्राप्त सेवा कर	154.20	7.71	146.49	07/2012 से 03/2016	सीईएसटीएटी
वित्त अधिनियम, 1994	एलडी पर विक्रेताओं से प्राप्त सेवा कर	33.21	3.32	29.89	2016-17	सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर आयुक्त
सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी के लिए मांग	2.71	0.34	2.37	2015-16	अपीलीय उपायुक्त
सीएसटी अधिनियम, 1956	सीएसटी के लिए मांग	68.74	8.59	60.15	2016-17	अपीलीय उपायुक्त
	कुल	**1092.44**	**139.61**	**952.83**		

अनुलग्नक–"सी"

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(मिश्र धातु निगम लिमिटेड के सदस्यों को सम दिनांक पर सौंपी गई हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत अनुच्छेद 2(एफ) का संदर्भ लिया जाए)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

हमने कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर 31 मार्च 2020 की वित्तीय रिपोर्ट का इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के साथ मिलान कर लेखा परीक्षित किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और अनुरक्षण करना कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है। कंपनी ने भारतीय सदनी लेखापाल संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं की स्थापना की है। इन्हीं बिंदुओं पर तैयार आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित हैं। उक्त उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं। इनका प्रभावी रूप से प्रचालन करके कंपनी की विशिष्ट नीतियों के पालन सहित उसके संव्यवहार का समय पर और प्रभावी संचालन, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाकर उनकी रोकथाम करना, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं और पूर्णता और अधिनियम के अधीन विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित की जाती है।

लेखापरीक्षकगणों का उत्तरदायित्व

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर तैयार वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में हमारी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सदनी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ("दिशानिर्देश टिप्पणी") पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार लेखा परीक्षा का कार्य किया है। आंतरिक लेखा नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू ये लेखा परीक्षा के मानक अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित होते हैं।

नैतिक आवश्यकताओं और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया और यदि हर एक समग्री के संबंध में ऐसे नियंत्रणों का प्रभावी संचालन किया गया है, तो उसका उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना के अनुरूप लेखा परीक्षा करने के लिए इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की आवश्यकता होती है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसके प्रभावी परिचालन के लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, मौजूद सामग्री की कमजोरी के जोखिम का आकलन, मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का अभिल्प और उसके प्रभावी प्रचालन का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया धोखाधड़ी या गलती से हुए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के वास्तविक अशुद्ध विवरण की जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर अधारित होती है।

हम समझते है कि वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए आधार उपलब्ध कराने में हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसरण में बाह्य प्रयोजन के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रिया शामिल होती हैं जो

(1) कंपनी की परिसंपत्ति के अभिलेख के रखरखाव के संबंध में उचित विवरण, सही और उचित रूप से लेन-देन एवं स्थिति को प्रतिबिंबित करे,

(2) उचित अश्वासन प्रदान करे कि सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसरण में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यकता के रूप में लेन-देन को अभिलेखित करे और यह कि कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकगणों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी के प्राप्य और व्यय तैयार करें, और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या प्रकृति जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, का समय पर पता लगाने या उसके रोकथाम के संबंध में उचित आश्वसन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण नियंत्रणों के अतिक्रमण के लिए दुरभिसंधि या अनुपयुक्त प्रबंधन सहित गलत सामग्री विवरण तैयार हो जाते हैं और धोखाधड़ी या गलती पकड़ में नहीं आती है। यह भी कि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति परिवर्तन के कारण या नीतियाँ या प्रक्रिया के बिगड़ने के कारण अपर्याप्त हो जाने पर भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन को उद्घाटित करना जोखिम भरा होता है।

राय:

हमारी राय में, जहाँ तक हमें जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी में सभी सामग्री मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का 31 मार्च 2020 तक प्रभावी प्रचालन किया जाता रहा है। यह भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर कंपनी द्वारा विचार करके स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित है।

कृते बाशा एवं नरसिम्हन,
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या: **006031S**

हस्ता./-
(सीए के नरसिम्हा साह)
भागीदार
सदस्य संख्या 201777
आईसीएआई यूडीआईएन: 20201777AAAAAX5102

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 27 अगस्त, 2020

अनुलग्नक –"डी"

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(मिश्र धातु निगम लिमिटेड के सदस्यों को सम दिनांक पर सौंपी गई हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत अनुच्छेद 2 (जी) का संदर्भ लिया जाए)

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 5 के अंतर्गत दिशानिर्देशों पर रिपोर्ट:

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन दिशानिर्देश	दिशानिर्देशानुसार की गई कार्रवाई के प्रति लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की निष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, तो स्पष्ट करें	कंपनी द्वारा खरीद लेखांकन, बिक्री लेखांकन, इन्वेंटरी लेनदेन, उत्पादन लेनदेन, लेखा देय, लेखा प्राप्य, निश्चित परिसंपत्तियां, पेरोल की प्रक्रियाओं के लिए ओरेकल ईआरपी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया कर रही है और ओरेकल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, जनरल लेजर सहित सभी व्यवसाय और वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए सभी मॉड्यूल एक - दूसरे के साथ एकीकृत है। सॉफ्टवेयर में स्वचालित जांच और सत्यापन के आंतरिक संबंधित मॉड्यूल्स उपबल्ध हैं जिससे डेटा की सूक्ष्मता और सत्यता बनी रहती है। सभी भुगतान अनुमोदन ओरेकल मॉड्यूल में परिभाषित अनुमोदन पदानुक्रम का उपयोग करके संसाधित किए जाते हैं। ओरेकल आधारित ईआरपी सिस्टम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित होते हैं और परीक्षण शेष उत्पन्न किया जाता है। उपरोक्त के अनुसार, हम पुष्टि करते हैं कि आईटी सिस्टम के बाहर कोई वित्तीय लेनदेन नहीं किया जाता है और इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खातों की निष्ठा पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण की माफी या छूट / देय / ऋण / ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव स्पष्ट करें	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और किताबों की हमारी परीक्षा के आधार पर, हम यह राय देते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी पर मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या छूट / देय / ऋण / ब्याज आदि के राइट-ऑफ आदि से देनेदार द्वारा कोई मामला नहीं बनता है।	शून्य
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया था? विचलन के मामले सूचीबद्ध करें	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर: अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय से ₹.6.00 करोड़ का अनुदान। इस पहल के तहत कंपनी द्वारा एक नया वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और कार्य प्रगति पर है। इन अनुदानों की गणना भारतीय लेखा मानक 20 तथा लेखा नीति 2.23 के अनुसार की जाती है।	शून्य

कृते बाशा एवं नरसिम्हन,
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या: **006031S**

हस्ता/-
(सीए के नरसिम्हा साह)
भागीदार
सदस्य संख्या 201777
आईसीएआई यूडीआईएन: 20201777AAAAAX5102

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 27 अगस्त, 2020

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय - विवरण पर की गई टिप्पिणयां

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित–वित्तीय रूपरेखा के तदनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वित्तीय –विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक पर वित्तीय-विवरणों पर अधिनियम की धारा,143 के अधीन, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपना मत अभिव्यक्त करने का दायित्व होता है। यह उनके द्वारा दिनांक 27.08.2020 को प्रस्तुत संशोधित लेखा परीक्षआ रिपोर्ट है जो 30 जून 2020 की उनकी पहले की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रद्द करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत, **मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद** के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के वित्तीय-विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के काम के कागजात तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक व कंपनी कार्मिक पूछताछ तथा चयनित लेखा रिकार्डों की जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता होगी।

कृते भारत सरकार के
नियंत्रक व लेखापरीक्षक तथा उनकी ओर से

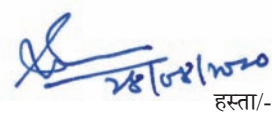

हस्ता/-
(संतोष कुमार)
प्रधान निदेशक , वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

स्थान : बैंगलूरु
दि: 28 अगस्त 2020

MIDHANI

स्टैंडअलोन तुलन पत्र

31 मार्च 2020 तक

(₹ लाखों में)

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
परिसंपत्तियाँ :			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	43,970.52	42,367.02
पूँजीगत कार्य-प्रगति में	5	40,482.01	17,504.70
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	104.11	127.67
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6	2,210.11	210.11
(ii) ऋण	7	64.85	-
गैर चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	8	543.63	1,065.17
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	999.69	4,620.72
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**88,374.92**	**65,895.39**
चालू परिसंपत्तियाँ:			
माल सूची	10	91,050.37	50,883.65
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	11	29,739.51	35,224.32
(ii) नकद और नकद समकक्ष	12	7,271.03	14,004.23
(iii) बैंक शेष [उपर्युक्त (ii) के अलावा]	13	3,818.64	5,795.32
(iv) अन्य	14	1,335.36	1,148.49
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	15	18,208.54	9,515.52
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**151,423.45**	**116,571.53**
कुल परिसंपत्तियाँ		**239,798.37**	**182,466.92**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	18,734.00	18,734.00
अन्य इक्विटी	17	77,104.66	64,736.91
कुल इक्विटी		**95,838.66**	**83,470.91**
देयताएँ			
गैर-चालू देएताएँ			
वित्तीय देएताएँ			
(i) उधार	18	18.41	57.06
(ii) अन्य	19	32,597.80	15,609.81
प्रावधान	20	125.18	108.99
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	21	3,123.40	3,980.00
अन्य गैर-चालू देयताएं	22	38,409.92	25,889.86
कुल गैर-चालू देयताएं		**74,274.71**	**45,645.72**
चालू देएताएँ			
वित्तीय देएताएँ			
(i) उधार	23	13,344.23	10,608.61
(ii) व्यापार भुगतान	24	12,889.84	12,840.40
(iii) अन्य	25	4,418.10	6,293.42
अन्य चालू देयता	26	35,992.01	21,530.03
प्रावधान	27	3,040.82	2,077.83
कुल चालू देएताएँ		**69,685.00**	**53,350.29**
कुल इक्विटी और देएताएँ		**239,798.37**	**182,466.92**

संलग्न 1 से 46 टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणियों के आंतरिक भाग हैं

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुबाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

स्टैंडअलोन लाभ-हानि विवरणी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
संचालन से राजस्व	28	71,287.57	71,084.62
अन्य आय	29	3,643.63	3,689.46
कुल आय		**74,931.20**	**74,774.08**
व्यय			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	37,660.59	29,276.27
तैयार माल, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में बदलाव	31	(25,723.34)	(10,398.60)
कर्मचारी लाभ व्यय	32	12,348.46	10,840.54
वित्त लागत	33	591.60	636.35
अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	3, 4	2,611.44	2,319.48
अन्य व्यय	34	27,233.83	22,995.26
कुल व्यय		**54,722.58**	**55,669.30**
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ / (हानि)		**20,208.62**	**19,104.78**
असाधारण मदें - आय / (व्यय)		-	-
कर से पूर्व लाभ / (हानि)		**20,208.62**	**19,104.78**
कर व्यय			
चालू कर	35	5,072.69	4,934.79
पिछले वर्ष का कर		19.15	(2.10)
एम ए टी ऋण पात्रता			
आस्थगित कर		(856.60)	1,116.40
अवधि के लिए लाभ / (हानि)		**15,973.38**	**13,055.69**
अन्य व्यापक आय			
ए (i) मदें जो कि लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		(261.03)	75.01
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाएँगे।		65.70	(26.21)
बी (i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे।		-	-
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएँगे।		-	-
कर का निवल अन्य व्यापक आय वर्ष के लिए		**(195.33)**	**48.80**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय		**15,778.05**	**13,104.49**
(अवधि के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल करना)			
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (₹ में राशि)			
मूल (₹)		8.53	6.97
अनुकूल (₹)		8.53	6.97
शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या) (मूल एवं अनुकूल)		187,340,000	187,340,000

संलग्न 1 से 46 टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणियों के आंतरिक भाग हैं

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुवाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

इक्विटी परिवर्तन का विवरण

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए

ए: इक्विटी शेयर पूजी

(₹ लाखों में)

विवरण	राशि
31 मार्च 2018 को शेष राशि	**18,734.00**
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2019 को शेष राशि	**18,734.00**
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**18,734.00**

बी. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल अन्य इक्विटी
	प्रतिधारित अर्जन	सामान्य आरक्षित	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	
1 अप्रैल 2018 को अथ शेष राशि	**880.12**	**59,075.87**	**213.49**	**60,169.48**
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				-
अवधि के लिए लाभ	13,055.69			**13,055.69**
निवल परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति, कर प्रभाव का निवल की पुन:गणना			48.80	**48.80**
लाभांश	(7,081.45)			**(7,081.45)**
लाभांश वितरण कर	(1,455.61)			**(1,455.61)**
सामान्य आरक्षित को आंतरित	(5,000.00)	5,000.00		-
31 मार्च 2019 को शेष	**398.75**	**64,075.87**	**262.29**	**64,736.91**
1 अप्रैल 2019 को अथ शेष	**398.75**	**64,075.87**	**262.29**	**64,736.91**
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				-
अवधि के लिए लाभ	15,973.38			**15,973.38**
निवल परिभाषित लाभ के निवल की पुन:गणना			(195.33)	**(195.33)**
लाभांश	(2,828.83)			**(2,828.83)**
लाभांश वितरण कर	(581.47)			**(581.47)**
सामान्य आरक्षित को आंतरित	(6,500.00)	6,500.00		-
31 मार्च 2020 को शेष	**6,461.83**	**70,575.87**	**66.96**	**77,104.66**

संलग्न 1 से 46 टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणियों के आंतरिक भाग हैं

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुवाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरणी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह		
वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (कर से पहले)	19,947.59	19,179.79
निम्नांकित के लिए समायोजन:		
मूल्य ह्रास व्यय	2,611.44	2,319.48
वित्त लागत	591.60	636.35
ब्याज आय	(1,335.19)	(1,355.67)
नियत परिसंपत्ति पर लाभ / हानि	(9.27)	4.67
	21,806.17	20,784.62
चालू कार्य पूंजी समायोजन:		
माल सूची में कमी (वृद्धि)	(40,166.72)	(26,745.60)
व्यापार प्राप्तियों और ऋण में कमी (वृद्धि)	5,419.96	6,119.18
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में कमी (वृद्धि)	(186.87)	791.96
अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति में कमी (वृद्धि)	3,621.03	2,044.51
अन्य चालू परिसंपत्ति में कमी (वृद्धि)	(8,693.02)	(8,264.55)
व्यापार देनदारियों में वृद्धि (कमी)	73.99	3,232.98
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि (कमी)	15,112.67	9,716.41
प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	979.18	(544.95)
गैर-चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	12,520.06	18,483.99
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	14,461.98	9,147.05
परिचालनात्मक क्रियाकलापों द्वारा जनित नकदी	24,948.43	34,765.60
आयकर भुगतान (निवल)	(4,504.60)	(5,163.10)
परिचालनात्मक क्रियाकलापों द्वारा निवल नकद (ए)	20,443.83	29,602.50
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण	(27,168.69)	(21,376.27)
अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ / हानि	9.27	(4.67)
अन्य परियोजनाओं में निवेश	(2,000.00)	-
प्राप्त ब्याज	1,335.19	1,355.67
सावधि जमा में निवेश	8,300.00	(511.30)
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद (बी)	(19,524.23)	(20,536.57)
वित्तीय क्रियाकलापों द्वारा नकदी प्रवाह		
उधार का पुनर्भुगतान	2,696.97	1,380.31
शेयरों पर लाभांश	(3,411.58)	(8,539.94)
ब्याज भुगतान	(591.60)	(636.35)
वित्तपोषण गतिविधियों में इस्तेमाल किया) से निवल नकदी प्रवाह (सी)	(1,306.21)	(7,795.98)
नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि (कमी) (ए + बी + सी)	(386.61)	1,269.95
1 अप्रैल को नकद और नकद समकक्ष	1,373.50	103.55
रिपोर्टिंग की तारीख पर नकद और नकद समकक्ष	986.89	1,373.50
तुलन पत्र के अनुसार नकदी और नकद समकक्षों का पुनर्निर्माण		
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	986.89	1,373.50
अन्य बैंक शेष राशि जो उपरोक्त में शामिल नहीं की गई		
- अवधि जमा	6,284.14	12,630.73
रिपोर्टिंग की तारीख पर नकद और नकद समकक्ष (अवधि जमा सहित)	7,271.03	14,004.23

संलग्न 1 से 46 टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणियों के आंतरिक भाग हैं

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुवाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

स्टैंडअलोन तुलन पत्र

1. सामान्य सूचना

मिश्र धातु निगम लिमिटेड («कंपनी») 1976 में स्थापित भारत सरकार का उद्यम है। यह सुपर अलॉय्स, टाइटेनियम, विशेष प्रयोजन स्टील और अन्य विशेष धातुओं के विनिर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'पीओ कंचनबाग, हैदराबाद, 500058 ' में है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2.1 तैयारी का आधार

i. अनुपालन विवरण

वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 कंपनी नियम 2015 के नियम 3 (भारतीय लेखा मानक) के साथ पढ़ी जाए, के तहत यथाअधिसूचित] के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किए गए हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के साथ जिस हद तक लागू, वहाँ तक इन्हें लगातार लागू किया गया है।

ii. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण को भारतीय रुपए में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा और प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है, जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपयों में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर नजदीकी लाखों में पूर्णांकित किया गया है।

iii. आकलन और निर्णय का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए आकलन और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है जो कि लेखांकन नीतियों को और परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट में दी गई राशि को तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट में दी गई मात्रा के अनुप्रयोग को प्रभावित करती है। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। जिस अवधि में आकलन का संशोधन किया जाता है उसी में लेखा आकलनों के संशोधन को प्रमाणित किया जाता है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

नीचे दिए गए लेखांकन नीतियों को इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में, जब तक अन्यथा संकेत नहीं दिया गया हो, प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब खरीदार को माल का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल पारितोषिक हस्तांतरित किए जाते हैं। विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री से होने वाले राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब ग्राहक को माल पहुंचाया जाता है। अलॉय की आपूर्ति में तृतीय-पक्ष उपकरण या सामग्री की आपूर्ति शामिल हो सकती है। इस प्रकार के मामलों में, जहाँ तृतीय पक्ष उत्पादों की आपूर्ति के लिए राजस्व सकल या शुद्ध आधार पर दर्ज किया जाना, इस पर बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी, प्रमुख ग्राहक के रूप में कार्य कर रही है या ग्राहक के एजेंट के रूप में। कंपनी जब प्रमुख ग्राहक होती है तब राजस्व को विचारणीय सकल राशि के रूप में मान्यता देती और जब वह एजेंट होती है तब राजस्व को निवल राशि में मान्यता देती है।

राजस्व को लेन-देन की कीमत के आधार पर मापा जाता है, जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट के अनुसार, मात्रा छूट, परिसमापन नुकसान, प्रदर्शन बोनस और प्रोत्साहन के लिए समायोजित किया जाता है।

बिक्री राजस्व को निवल रिटर्न, व्यापार छूट और मात्रा में छूट के समायोजन के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब सामान्यत: बिक्री समझौते के निष्पादन के रूप में, कि महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल पारितोषिक की स्वीकृति को खरीदार को अंतरित कर दिए जाने के प्रेरक साक्ष्य मौजूद होते हैं, तत्संबंधी वसूली संभव है, संबद्ध लागत और माल पर होने वाले संभावित लाभ का आकलन विश्वासपूर्वक किया जा सकता है, माल के साथ कोई निरंतर प्रबंधन शामिल नहीं होता है, और राजस्व की मात्रा स्थिरता से मापी जा सकती है। बिक्री अनुबंध के संबंधित नियमों और शर्तों के आधार पर जोखिम और प्रतिफल पारितोषिक के हस्तांतरण के लिए उपयुक्त समय परिवर्तित होता रहता है।

पूर्व-कार्य अनुबंध के मामले में, राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब माल खरीदार को भेजने के लिए माल वाहक / एजेंट को सौंप दिया जाता है और जहां भी ग्राहक का पूर्व निरीक्षण निर्धारित होता है; ग्राहक के निरीक्षक द्वारा स्वीकृति पर राजस्व को मान्यता प्राप्त होती है।

एफओआर/एफओबी गंतव्य स्थल ठेकों पर विक्रय के मामले में, लेखागत अवधि के भीतर गंतव्य स्थल पर पहुँचने वाले प्रेषणों के संबंध में, परिवहन ठेके में परिभाषित किए गए अनुसार अपेक्षित समय पर विचार करते हुए राजस्व को मान्यता दी जाती है।

बाहरी एजेंसियों से विक्रय अनुबंध / आदेश के संबंध में अतिरिक्त राजस्व के दावे की गणना उगाही की निश्चितता पर होती है।

सेवा प्रदान करने पर राजस्व: जब प्रदान की गई सेवाओं का नतीजा भरोसेमंद अनुमान लगाया जा सकता है, तब राजस्व की पहचान की जाती है। उस अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है जब पूरी गई सेवा की रिपोर्टिंग तिथि अनुबंध चरण में संदर्भित के अनुसार हो।

अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता तब दी जाती है, जब अनुबंध के बिलों पर अधिक राजस्व की कमाई होती है। जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिना शर्त नकदी प्राप्त करने का अधिकार हो और केवल थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता हो, तो अनुबंध परिसंपत्ति को अनिर्धारित प्राप्य (केवल चालान की कार्रवाई लंबित) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

राजस्व से अधिक की बिलिंग होने पर अनर्जित और आस्थगित राजस्व («अनुबंध देयता») को मान्यता दी जाती है।

अनुबंध, उनसे संबंधित विनिर्देश और आवश्यकताओं में परिवर्तन के लिए खाते में संशोधन के अधीन होते हैं। कंपनी मूल अनुबंध के साथ मिलान करके अनुबंध के संशोधन की समीक्षा करती है, जिसके आधार पर लेनदेन की कीमत को एक नए प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किया जा सकता है, या किसी मौजूदा दायित्व के लेनदेन मूल्य में परिवर्तन किया जा सकता है। मौजूदा दायित्व के लिए लेनदेन की कीमत संशोधित किए जाने की स्थिति में संचयी समायोजन का हिसाब किया जाता है।

राजस्व मान्यता में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग:

ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंध में एक से अधिक उत्पाद और सेवाएं ग्राहक को हस्तांतरित करने के वादे शामिल होंगे। कंपनी अनुबंध में दिए गए उत्पादों / सेवाओं का आकलन करेगी और अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रदर्शन दायित्व अंकित किए जाएंगे। स्पष्ट रूप से अंकित प्रदर्शन दायित्व के अंतर्गत डिलिवरेबल्स और ग्राहक की ऐसी डिलिवरेबल्स से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की क्षमता का निर्धारण करने का निर्णय शामिल है।

अनुबंध के लिए लेनदेन की कीमत निर्धारित करने के लिए भी निर्णय की आवश्यकता होती है। लेन-देन की कीमत ग्राहक के अनुसार एक निश्चित राशि या मात्रा पर छूट, सेवा स्तर क्रेडिट, प्रदर्शन बोनस और प्रोत्साहन जैसे परिवर्तनीय तत्वों के अनुसार हो सकती है। यदि अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल है तो लेन-देन की कीमत को धन के सामयिक मूल्य के प्रभावों के अनुसार भी समायोजित किया जाता है । ग्राहक को कोई भी विचारणीय देय, लेनदेन मूल्य पर समायोजित किया जाता है, जब तक कि वह ग्राहक द्वारा विशिष्ट उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान न हो। अस्थिर महत्व की अनुमानित राशि को लेन-देन मूल्य में केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहाँ तक मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलट घटित होने की अत्यधिक संभावना नहीं होगी और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनर्निर्धारित की जाएगी। जब तक कि कोई अवलोकनीय सबूत नहीं होगा कि महत्वपूर्ण परिवर्तनीय तत्व एक या अधिक विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों से संबंधित हैं तब तक कंपनी अनुबंध के सभी प्रदर्शन दायित्वों के लिए ऐसे तत्व आवंटित करेगी।

कंपनी प्रदर्शन दायित्व के लिए एक उचित स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए निर्णय का उपयोग करती है। कंपनी अनुबंध में वादा किए गए प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद या सेवा के सापेक्ष स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करती है । जहां स्टैंडअलोन क्रय कीमत अवलोकनीय नहीं होती है, वहां कंपनी प्रत्येक विशिष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए अपेक्षित लागत के साथ निकटतम लाभ के दृष्टिकोण का उपयोग करती है।

कंपनी अपने निर्णय अधिकार का उपयोग करके किसी भी समय पर या निर्धारित समय अवधि पर प्रदर्शन दायित्व के संतोषजनक होने का निर्धारण करती है। कंपनी ऐसे संकेतकों का उपयोग करेगी जिनसे ग्राहक के लाभावान्वित होने की स्थियों की जानकारी प्राप्त की जा सके। संकेतक जैसे सेवाओं का प्रतिपादन या परिसंपत्ति का नियंत्रण, जिसका निर्माण किया जा रहा हो या पहले से अस्तित्व में हो, या ऐसे उत्पाद या सेवा के वैकल्पिक उपयोग के लिए समय पर भुगतान करने लागू करने योग्य अधिकार, तथा ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिमों और पारितोषिक का हस्तांतरण, ग्राहक द्वारा वितरण की स्वीकृति आदि।

पूंजीकरण के मानदंडों को पूरा करने वाले कुछ सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लागतों को छोड़कर अनुबंध की पूर्ण लागत की गणना खर्च के रूप की जाती है । इस मानदंड के मूल्यांकन के लिए निर्णय के प्रयोग की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से यह विचार करते समय कि क्या इससे लागत उत्पन्न होती है या भविष्य के प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है और क्या लागतों को वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

2.4 विदेशी मुद्राएं

रिपोर्टिंग अवधि के समापन दर पर कार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुएं दर्ज की जाती हैं। गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं को विदेशी मुद्रा में चिह्नित किया जाता है और ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के निपटान / रूपांतरण के कारण होने वाले विनिमय मतभेदों की अवधि के दौरान व्यय या आय के रूप में पहचाने जाते हैं।

विदेशी मुद्रा पर लाभ और हानि की सूचिना निवल आधार पर अंकित की जाती है। इसमें विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न उपकरणों के उचित मूल्य में बदलाव शामिल हैं, जो लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर आधारित हैं।

2.5 कर्मचारी हितलाभ

i. परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना नियोजन के उपरांत हितलाभ योजना है जिसके अंतर्गत एक इकाई एक अन्य इकाई के लिए निश्चित अंशदान देती है जिसके लिए आगे की रकम का भुगतान करने की कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारियों के हितलाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस श्रेणी के तहत कंपनी के पास सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना (पीआरबीबीएस) और पेंशन योजना है।

ii. परिभाषित हितलाभ योजना

परिभाषित हितलाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक और नियोजन के बाद की योजना है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना भविष्य के हितलाभ की राशि के आकलन द्वारा अलग-अलग योजना के लिए अलग-अलग की जाती है। ऐसी राशि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित की हुई होती है; कि हितलाभ के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। किसी भी अज्ञात पिछली सेवा लागत और किसी भी योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटैती की जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए गहरे बाजार की अनुपस्थिति में, जिसकी परिपक्वता की तिथि से कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाया जाता है और जो उसी मुद्रा में बेचा जाता है जिसमें लाभ अपेक्षित होता है और जिसमें भुगतान किया जाना होता है, सरकारी बॉन्ड पर कटैती दर रिपोर्टिंग की तारीख पर की उपज है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक योग्य एक्टव्यूरी द्वारा आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। जब गणना कंपनी के लिए एक लाभ में परिणामित होती है, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति किसी भी अज्ञात पिछले सेवा लागतों के और योजना से किसी भी भविष्य की वापसी के या योजना में भविष्य के अंशदान में कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक हितलाभ के वर्तमान मूल्य के कुल तक लिए सीमित की जाती है। आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए, कंपनी के किसी भी योजना पर लागू होने वाले किसी भी न्यूनतम वित्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। कंपनी के लिए आर्थिक हितलाभ उपलब्ध होता है यदि यह योजना के जीवन के दौरान, या योजना की देयताओं के निपटान के लिए संभव होता है।

जब किसी योजना के हितलाभ में सुधार होता है, कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए हितलाभ के हिस्से को औसत अवधि के आधार पर जब तक लाभ निहित नहीं हो जाते सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। जिस हद तक लाभ तुरंत प्राप्त होता है, लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में परिभाषित हितलाभ योजनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी बीमांकित लाभों और घाटे को पहचानती है।

इस श्रेणी के अंतर्गत कंपनी ने भविष्य निधि में उपदान और अंशदान दिया है।

iii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

प्रस्तावित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके स्वतंत्र एक्टहुएरी द्वारा तुलन पत्र की तारीख के अनुसार किया जाने वाले बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मुआवजे की अनुपस्थिति की देयता के लिए कंपनी जिम्मेदार है। देयता में रियायती आधार पर दीर्घकालिक घटक और अल्पावधि घटक शामिल होता है जिसकी गणना अपरिवर्तनीय आधार पर की जाती है।

iv. अन्य कर्मचारी हितलाभ

रोजगार के अनुबंध की शर्तों के आधार पर अन्य कर्मचारी हितलाभ का आकलन और लेखांकन किया गया है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

भूमि का पूंजीकरण कंपनी को लागत पर किया जाता है। भूमि के विकास जैसे स्तरीय, समाशोधन और ग्रेडिंग का पूंजीकरण भवन के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के अनुपात के साथ किया जाता है और भवन व्यय के बाकी हिस्सों की लागत का पूंजीकरण भूमि की लागत के साथ किया जाता है। भूनिर्माण के प्रयोजन के लिए किए गए विकास व्यय या किसी भी इमारत के निर्माण से नहीं जुड़े किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की अन्य सभी वस्तुओं को कम संचित अवमूल्यन और हानि के घाटे में मापा जाता है। कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक तुलन पत्र की तैयारी के उद्देश्यों के लिए पिछले डीएएपी मूल्य को 'संबद्ध मूल्य' के रूप में अपनाने का विकल्प चुना।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण से सीधे उत्पन्न होने वाले, किसी भी लागत की परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और उसके लिए आवश्यक शर्त को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तरीके से संचालन करने में सक्षम होना और, जब कंपनी का परिसंपत्ति निकालने या साइट को पुनर्स्थापित करने का दायित्व होता है, तो वस्तु को नष्ट करने और निकालने की लागत का अनुमान और उस साइट को पुनर्स्थापित करने जिस पर वह स्थित है, के व्यय शामिल हैं।

यदि निम्नलिखित मान्यता मानदंडों को पूरा किया गया है तो, किसी मद के एक हिस्से की जगह की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सामान की मात्रा में मान्यता प्राप्त होती है:

1) यह संभव है कि मद के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक हितलाभ कंपनी के पास जाएंगे और;

2) लागत मज़बूती से मापी जा सकती।

मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कीमत के प्रत्येक भाग के लागत का अलग-अलग मूल्याह्रस होता है। आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण घटकों के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया गया है।

प्रतिस्थापन के भाग को मान्यता प्राप्त होने पर प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि विमान्यता प्राप्त करती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद की विमान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को जब मद विमान्य हो जाता है तब लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है। वस्तु के दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में माना जाता है।

यदि प्रावधान के मानदंडों को पूरा किया जाता है तो विस्थापन और पुनर्स्थापना के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित संपत्ति की लागत में शामिल है।

लंबित निपटान, असुरक्षित अचल परिसंपत्तियाँ अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर से हटा दी जाती हैं और उसे नेट बुक वैल्यू के निचले हिस्से पर एक अलग लाइन में वस्तु के रूप में और «अन्य चालू परिसंपत्ति» और शुद्ध वसूली मूल्य के तहत दिखाया जाता है। जैसे और जब ऐसी संपत्तियों का निपटारा होता है, तो वास्तव में एहसास होने वाली राशि और राशि के बीच के अंतर को अचल परिसंपत्तियों के बिक्री से हानि / लाभ के रूप में पहचाना जाएगा।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया अग्रिम प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में बकाया के रूप में «अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति» के तहत पूंजी अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसी तारीख से पहले उपयोग नहीं की जाने वाकी परिसंपत्ति की लागत को 'पूंजीगत कार्य- चालू' अंतर्गत दर्शाया जाता है।

ग्राहक द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियां: भारतीय लेखा मानक 18 की परिशिष्ट सी के दिशानिर्देश के अनुसार "ग्राहकों से आस्तियों के हस्तांतरण» को लेखा की पुस्तकों में और तदनुसार प्राप्त अवमूल्यन भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के रूप में पहचाना जाता है।

भारतीय लेखा मानक के पैरा 8 के अनुसार, मदें जैसे कि अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसी मदें इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार पहचाने जाते हैं जब वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं और उनसे एकाधिक लेखा वर्ष के लिए इस्तेमाल होने की संभावना होती है। अन्यथा, ऐसी वस्तुओं को मालसूची के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास की गणना अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुसार, उनकी लागत, अवशिष्ट मूल्यों के आवंटन के लिए सीधी रेखा विधि का उपयोग करके की जाती है।

उपयोगी जीवन का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची II में निर्धारित के बराबर होने के लिए किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और यदि उचित हो, तो समायोजित किया जाता है।

जिन परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत ₹5000 / - से अधिक नहीं है, पूंजीकरण के वर्ष में सौ प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास प्रदान की जाती है।

निपटान:

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण राशि को ले जाने के साथ निवल क्रय आय की तुलना द्वारा किया जाता है। ये लाभ और हानि के विवरण में शामिल हैं।

2.7 अमूर्त संपत्ति

i. पृथक रूप से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्ति

परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति जो अलग-अलग अधिग्रहण की जाती है, लागत कम संचित परिशोधन (amortization) और संचित न्यूनतम नुकसान

में स्थानांतरित की जाती है। परिशोधन को अपने अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है। अनुमानित रूप से किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को संभावित आधार पर लेते हुए अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन पद्धति की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अनियत उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति को जो अलग-अलग अधिग्रहण की जाती है, कम लागत संचित न्यून हानि में स्थानांतरित की जाती है। भारतीय लेखा मानक को अंतरण के लिए कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (अंतरण दिनांक) को मान्यता प्राप्त सभी अमूर्त संपत्तियों के स्थानांतरीय मूल्य के साथ जारी रखने का चुनाव किया है, जिसका मापन पिछले जीएएपी के अनुसार किया जाता है और अंतरण की तारीख के अनुसार उसके निर्णित मूल्य का स्थानांतरीय मूल्य के रूप उपयोग किया जाता है।

ii. अमूर्त संपत्तियों की विमान्यता

निपटान पर या जब कोई भविष्य के आर्थिक हितलाभों का उपयोग या निपटान से उम्मीद नहीं की जाती है तब एक अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्यता प्राप्त होती है। किसी अन्य परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न लाभ या हानि, जिसे निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, जब परिसंपत्ति को विमान्यता प्राप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

iii. अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन

अनुमानित उपयोगी जीवन पर, उनकी लागत, अवशिष्ट मूल्यों का निवल आवंटन करने के लिए सीधी रेखा विधि का उपयोग करके परिशोधन की गणना की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची II में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार उपयोगी जीवन निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उचित हो तो समायोजित किया जाता है।

2.8 मालसूचियां

मालसूचियाँ निम्न आधार पर मूल्यवान हैं:

i. **केन्द्रीय स्टोर में कच्ची सामग्री, उपभोग्य वस्तु, पुर्जों और उपकरण और उपकरण**

भारित औसत लागत पर

ii. दुकानों में दुकान के फर्श / उप-स्टोर में कच्ची सामग्री

वर्ष के अंत में सेंट्रल स्टोर्स की भारित औसत दर पर

iii. दुकान के फर्श / उप-दुकानों में उपभोग्य सामान

सेंट्रल स्टोर से ली गई सभी उपभोग्य व्यय के लिए शुल्क लिया जाता है। केवल 'ए' और 'बी' वर्ग उपभोग्य समय-समय पर प्रबंधन द्वारा की पहचान के संबंध में, दुकान मंजिल / दुकान उप दुकानों पर स्टॉक भारित औसत दर से वर्ष की समाप्ति पर सूची में लाया जाता है। हालांकि, वर्ष के समापन पर उपयोग में ढालना, रोल, मर जाता है आदि, संतुलन जीवन के संदर्भ में जारी दर पर मूल्यवान हैं, तकनीकी रूप से अनुमानित

iv. पुन: प्रयोज्य प्रक्रिया स्क्रैप, रिटर्न के लिए ग्राहकों के साथ प्रक्रिया अस्वीकृतियां और बिक्री अस्वीकृतियां

स्क्रैप के अनुमानित अनुमानणीय मूल्य पर।

v. उपकरण और गेज

जारी किए गए उपकरण, यंत्र, गज आदि। उनके अनुमानित जीवन से अधिक समान रूप से परिशोधन कर रहे हैं।

vi. काम चालू

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उत्पादन के स्तर के अनुसार लागत या अनुमानित अनुमानणीय मूल्य पर, जो भी कम हो, हालांकि, 5 वर्ष या इससे अधिक के डब्लूआईपी की कीमत वसूली योग्य स्क्रैप दर पर आधारित है।

vii. तैयार माल

लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (दुकान समाप्त चरण में) जो भी कम है हालांकि, 5 साल या उससे ऊपर के तैयार किए गए सामान की कीमत वसूली योग्य स्क्रैप दर पर है।

viii. पारगमन के सामान लागत पर मूल्यवान हैं

ix. स्टोर घोषित अधिशेष / अपरिवर्तनीय निपटान के लिए भंडार बचाने के लिए स्थानांतरित कर दिए गए हैं, और राजस्व का आरोप लगाया गया है।

x. गैर-चलती कच्ची सामग्रियों, उपभोग्य वस्तुओं और पुर्जों के लिए तीन साल से अधिक समय तक प्रावधान किया गया है:

कच्ची सामग्री: बुक वैल्यू का 85%

उपभोग्य और पुर्जों (जो पीपीई की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं): पुस्तक मूल्य का 50%

xi. रसीद के समय स्टेशनरी, वर्दी, चिकित्सा और कैंटीन स्टोर्स को राजस्व के लिए चार्ज किया जाता है।

2.9 सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहयोगी एक इकाई है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशी के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उन दलों को व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है जिनके पास संयुक्त व्यवस्था की निवल संपत्ति के अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण के अनुबंध पर सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए दलों को नियंत्रण साझा करने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश भारतीय लेखा मानक 109 - वित्तीय साधनों के अनुसार लागत पर मापा जाता है।

सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश हानि का विषय है जो संयुक्त उद्यम कंपनियों के खातों में नकारात्मक रिजर्व का संकेत है। हालांकि, इस तरह की हानि निवेश के मूल्य तक सीमित है।

2.10 आयकर

आयकर में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है, सिवाय इसके कि वह सीधे इक्विटी या अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है।

i. **चालू आयकर**

चालू और पूर्व अवधि के लिए चालू आयकर का मापन कर योग्य आय के आधार पर कराधान प्राधिकरणों से वसूल किए जाने या भुगतान करने की उम्मीद की गई राशि से किया जाता है। टैक्स की दरें और कर कानून जो मौजूदा कर राशि की गणना करते थे, वे उन रिपोर्टिंग तारीखों से अधिनियमित या अनिवार्यत: अधिनियमित किए गए हैं और अवधि के लिए लागू होते हैं। कंपनी चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयताओं को पूरा करती है, जहां उसे मान्यता प्राप्त राशि को बंद करने का कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है और जहां यह किसी शुद्ध आधार पर समायोजन करने या परिसंपत्ति और दायित्व को एक साथ करने का इरादा होता है।

ii. **आस्थगित आयकर**

आस्थगित आयकर को तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके साथ कम से कम अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त करों के नुकसान का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित आयकर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है।

2.11 प्रावधान

पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है और यह संभव है कि दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आर्थिक हितलाभ का बहिर्वाह आवश्यक होगा, और दायित्व के साथ जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए राशि का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

भारी अनुबंध के प्रावधान के लिए मान्यता दी जाती है जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। भारी अनुबंध के प्रावधान अनुबंध को समाप्त करने की अपेक्षित लागत के निचले वर्तमान मूल्य और संविदा के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है। ऐसे प्रावधान किए जाने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से संबंधित परिसंपत्ति पर कोई न्यूनतम हानि की पहचान करती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि यह अब संभव नहीं है कि आर्थिक हितलाभों में समाहित संसाधनों का बहिर्वाह को दायित्व तय करने की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान विलोमित हो जाएगा।

2.12 वित्तीय उपकरण

i. वित्तीय संपत्ति

कंपनी उन तारीखों पर ऋण और प्राप्तियां तथा जमाराशि को प्रारंभिक मान्यता देती है जिन पर ये उत्पन्न होती हैं। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की शुरूआत व्यापार तिथि पर की जाती है, जिस पर कंपनी उपकरण के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बनती है।

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्यता देती है, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्ति हो जाते हैं, या लेनदेन में वित्तीय परिसंपत्ति पर संविदागत नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित करता है जिसमें पर्याप्त जोखिम और स्वामित्व के सभी फायदे होते हैं, उन वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा बनाई गई या बनाए रखे गए हस्तांतरित वित्तीय

परिसंपत्ति में कोई भी ब्याज एक अलग परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजित कर दिया जाता है और निवल राशि तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती है, और केवल जब, कंपनी के पास राशि का समायोन करने और या एक निवल आधार पर समायोजन या परिसंपत्ति को वास्तव में संघटित करने और इसके साथ ही देयता का समायोजन करने का कानूनन अधिकार होता है।

यदि निम्न दोनों ही स्थितियां पूरी होती हैं तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा:

- वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल में आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह को एकत्र करने के लिए और वित्तीय संपत्ति रखने के लिए है होता है और
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाहों को बढ़ावा देती हैं, जो कि मूलधन का केवल भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज होता है।

रिपोर्टिंग की तारीख के 12 महीनों के बाद परिपक्व होने वालों को छोड़कर वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वह परिसंपत्ति प्रस्तुत की जाती है, जिसे गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य से लेन-देन की लागत और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत को जोड़कर मापा जाता है, किसीन्यूनतम हानि पर घटाया जाता है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में सुरक्षा जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्तियाँ और योग्य वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां शामिल हैं।

नकदी और नकदी समकक्ष में एक वर्ष या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली नकद शेष राशि और सावधि जमा शामिल हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जो मांग पर प्रतिदेय होता है और कंपनी के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग बनता है, नकद प्रवाह के बयान के उद्देश्य के लिए नकद और नकद समकक्ष के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

ii. वित्तीय देयताएँ

कंपनी जारी की गई उस ऋण की प्रतिभूतियों और अधीनस्थ देयताओं को उनके जारी हुए तारीख पर प्रारंभ में मानयता देती है। अन्य सभी वित्तीय देयताएं उस व्यापार तिथि पर शुरू में पहचानी जाती हैं, जिस पर कंपनी उपकरण के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बनती है।

कंपनी एक वित्तीय देयता को विमान्यता देती है, जब उसके अनुबंध संबंधी दायित्वों को मुक्त या रद्द कर दिया जाता है या उसकी अवधि समाप्त हो जाती है।

कंपनी में निम्नलिखित वित्तीय देयताएँ हैं: ऋण और उधार तथा व्यापार और अन्य भुगतान।

ऐसे वित्तीय देयताओं को शुरू में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और शुद्ध लेनदेन लागत के बारे में बताया गया है जो कि उनसे प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी वित्तीय पद्धति का उपयोग करके इन वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

2.13 न्यूयता

i. वित्तीय परिसंपत्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं लिया जाता है, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई वास्तविक प्रमाण है कि यह न्यून है। यदि वित्तीय साक्ष्य इंगित करता है कि परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद एक हानिकारक घटना हुई है, और यह कि हानिकार घटना का उस परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिसका स्थिरता से अनुमान लगाया जा सकता है।

उद्देश्य यह है कि वित्तीय परिसंपत्तियों में बिगड़ा हुआ वित्तीय ऋणात्मकता में देनदार द्वारा चूक या अपराध शामिल हो सकता है, कंपनी के मुताबिक किसी भी राशि के पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्यथा नहीं माना जाएगा, संकेत हैं कि कोई देनदार या जारीकर्ता दिवालियापन में प्रवेश करेगा, या प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाजार से गायब हो जाएगा।

ii. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की वहन राशि की समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए करेगी कि क्या उन परिसंपत्तियों में एक न्यून हानि हुई है या नहीं। यदि इस तरह के संकेत मौजूद होते हैं, तो न्यून हानि (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी एकल परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति से संबंधित नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। जब आवंटन का एक उचित और सुसंगत आधार पहचाना जा सकता है,

तो कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों को अलग-अलग नकद पैदा करने वाली इकाइयों को भी आवंटित किया जाता है, या अन्यथा वे नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के सबसे छोटे समूह के लिए आवंटित किए जाते हैं जिसके लिए उचित और सुसंगत आवंटन के आधार की पहचान की जा सकती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाले अमूर्त परिसंपत्तियाँ और उपयोग के लिए अभी तक अनुपलब्ध अमूर्त परिसंपत्तियों की कम से कम सालाना हानि के लिए जांच की जाती है, और जब भी कोई संकेत होता है कि संपत्ति खराब हो सकती है।

पुनर्प्राप्ति योग्य राशि निपटान की कम लागत उचित मूल्य के उच्च और उपयोगी मूल्य की है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य से पूर्व-कर छूट दर का उपयोग कर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य का वर्तमान बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य में नकदी प्रवाह का अनुमान समायोजित नहीं किया गया है।

2.14 उधार लागत

परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए उधार लेने की लागत, जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त अवधि लेती है, संबंधित परिसंपत्तियों में पूंजीकृत होती हैं, जहां कहीं भी ऐसी संपत्तियों के लिए लागत और अन्य मामलों में उधार की भारित औसत लागत को इस तरह की परिसंपत्तियों के व्यय के लिए लागू कर दिया जाता है। अन्य उधार लेने की लागत को वर्ष के लिए खर्च के रूप में माना जाता है।

लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेनदेन की लागत प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए संबंधित ऋणों के कार्यकाल के दौरान परिशोधित होती है।

2.15 वित्त आय और लागत

वित्त आय में निवेश की गई निधि पर पर ब्याज आय शामिल है। प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ और हानि के विवरण में अर्जित होने के कारण ब्याज आय को मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय लागतों में उधार लेने पर ब्याज व्यय, प्रावधानों पर छूट का अपव्यय, वित्तीय परिसंपत्तियों पर मान्यता प्राप्त हानि शामिल है। उधार लेने वाली लागतें, जो कि प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेत नहीं हैं।

2.16 आय प्रति शेयर

कंपनी अपने साधारण शेयरों के लिए प्रति शेयर (ईपीएस) डेटा की मूल और मंदित आय दर्शाती है। मूल ईपीएस की गणना कंपनी के साधारण शेयरधारकों के मुकाबले लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है, जो उस समय के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से होती है, जो अपने शेयरों के लिए समायोजित होती है। मंदित ईपीएस सामान्य शेयरधारकों के लिए लाभ या हानि का समायोजन करके और सभी सामान्य शेयरों के बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है, जो कि सभी शेयरों के लिए समायोजित किए गए हैं।

2.17 सेगमेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान मुख्य ऑपरेशन निर्णय लेने वाली कंपनी को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप है।

कंपनी सुपर अलॉय्स और अन्य विशेष धातुओं के विनिर्माण का व्यवसाय करती है। कंपनी की मुख्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का मानना है कि कंपनी एक एकल व्यापार खंड का संचालन करे। इसके अलावा, कंपनी का केवल घरेलू कारोबार है इसलिए, कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट नहीं है।

2.18 कंपनी द्वारा / या के खिलाफ किए गए दावे:

हानि या क्षति होने पर या बीमाकर्ताओं या मालवाहकों पर दावों को उसी समय हिसाब में लिया जाता है जब धन के लिए दावे किये जाते हों।

आयातों या पोर्ट ट्रस्ट प्रभार या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहित सीमा शुल्क की धन वापसी के लिए किये गये दावों को स्वीकार या प्राप्ति के समय ही हिसाब में ले लिया जाता है।

वसूल होने पर ही आपूर्तिकर्ताओं पर चुकायी गयी क्षतियों को हिसाब में लिया जाता है।

ग्राहकों द्वारा आरोपित परिसमापन हर्जाना ग्राहकों द्वारा वसूल किए जाने या सलाह पर समाप्त किया जाता है। लदान के लिए परिसमापन हर्जाने के संबंध में किए जाने वाले दावों के लिए प्रावधान बनाया गया जहां विश्वसनीय अनुमान किया जा सके।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के विवादग्रस्त या कालातीन बकाया राशियों को संदिग्ध बकायों की तरह नहीं मान जाता, फिर भी, मामले दर मामले के आधार पर लेखा बहियों में समुचित समीक्षा प्रावधानों या बट्टे खाते डालने के हिसाब में लिया जाता है।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर अन्यों से देय राशियों पर संदिग्ध बकायों के लिए प्रावधान संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर तैयार किया जाता है।

ग्राहकों द्वारा अस्वीकृत / लौटाए जाने वाले सामग्रियों की देखभाल करने के लिए आकस्मिकताओं और वारंटी के प्रावधान, पिछले 5 वर्षों के विनिर्मित उत्पादों से संबंधित टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत के औसत पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

2.19 अनुसंधान और विकास व्यय:

रिसर्च व्यय को लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित किया जाता है। उत्पादों का विकास लागत भी लाभ और हानि के विवरण में सम्मिलित किया जाता है जब तक कि किसी उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती हो, इस तरह के खर्च का पूंजीकरण किया जाता है। अनुसंधान और विकास में इस्तेमाल किए जाने वाले मूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

अन्य विकास गतिविधियों के लिए खर्च किए गए व्यय जहां नए या बेहतर उत्पाद या प्रक्रिया विकसित करने के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया जाता है, को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है यदि वह भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड के अनुसार हैं और जब तकनीकी और व्यावसायिक रूप से विकसित उत्पाद या प्रक्रिया के उपयोगी होने की संभावना रहती है, कंपनी के पास विकास पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं और बाद में अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता या क्रय किया जाता है, और उत्पाद या प्रक्रिया से भविष्य के आर्थिक हितलाभों के उत्पन्न होने की संभावना होती है।

2.20 नियत परिसंपतियों और मालसूची की प्रत्यक्ष जांच :

भूमि तथा विकास, सड़कें तथा भवन, ड्रेनेज, सिवरेज और जल प्रणाली और भवन तथा आंतरिक सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार जांच होती है। अन्य सभी नियत आस्तियों की जांच वित्त वर्ष में एक बार की जाती है।

कंपनी के परिसर में चालू कार्य, तैयार माल, कच्चे माल और उपभोज्य वस्तुओं की सूची का सत्यापन वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है।

केन्द्रीय भंडार में कच्ची सामग्रियों की मालसूचियां, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की समय-समय पर नियत किये गये नियमों के अनुसार सतत आधार पर जांच की जाती है। मिलान को रोक रखकर विसंगतियों के संबंध में राजस्व को अनंतिम समायोजन किये जाते हैं।

2.21 नकदी प्रवाह विवरण:

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 – नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

2.22 अभी तक अप्रभावी नए मानक और व्याख्याएं:

रिपोर्टिंग की तिथि तक कई नए मानक, मानकों और व्याख्याओं में संशोधन अभी प्रभावी नहीं किए गए हैं और न वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में लागू किए गए हैं। कंपनी के द्वारा इसके असर का मूल्यांकन किया जा रहा है।

2.23 सरकारी अनुदान:

i. सरकार द्वारा अनुदान को उसके उचित मूल्य पर वहाँ मान्यता दी जाती है जहाँ कहीं भी कंपनी द्वारा अनुदान को स्वीकार किए जाने और संलग्न सभी शर्तों के अनुपाल का उचित आश्वासन दिया जाता है।

ii. आय से संबंधित सरकारी अनुदान को उस लागत के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में लाभ और हानि में आस्थगित और मान्यता प्राप्त है जिसे वे क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत करना चाहते हैं। वैकल्पिक रूप से, उन्हें संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

iii. गैर-मूल्यह्रास परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान के लिए कुछ नियमों की पूर्ति की भी आवश्यकता हो सकती है और तब, उन नियमों को पूरा करने की लागत को वहन करने वाली अवधि में लाभ या हानि में उसे मान्यता दी जाएगी।

iv. सरकारी अनुदान या तो इमदाद (सब्सिडी) के रूप में या अन्यथा मूल्यह्रास संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आस्थगित आय के रूप में खतों में दर्ज की जाती है। यदि अनुदान / इमदाद (सब्सिडी) असंदिग्ध है, किसी नियम से बंधित नहीं है, तो मूल्यह्रास के अनुरूप राशि को परिसंपत्ति के जीवन पर आय के रूप में माना जाता है। यदि अनुदान / इमदाद (सब्सिडी) किसी भी शर्तों के अधीन है, जैसे कि पुनर्भुगतान तो अनुदान / सब्सिडी की शर्तों के अनुसार आय का हिसाब किया जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाखों में)

	भूमि	भवन/ ड्राइनेज/ जल प्रणालियाँ	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	अन्य (विद्युत संस्थापन)	अन्य (सड़के एवं पुल)	कुल मूर्त परिसंपत्ति
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष									
सकल वहन राशि									
प्रारंभिक सकल वहन राशि	622.40	4,558.60	29,921.00	411.30	373.70	757.90	2,584.00	3.50	39,232.40
परिवर्धन	1,589.59	77.75	8,501.68	43.43	18.81	152.01	12.59	0.02	10,395.88
निपटान	-	(3.19)	(19.70)	(2.77)	(0.31)	(3.92)	(1.83)	-	(31.72)
सकल वहन राशि समापन	**2,211.99**	**4,633.16**	**38,402.98**	**451.96**	**392.20**	**905.99**	**2,594.76**	**3.52**	**49,596.56**
संचित अवमूल्यन									
प्रारंभिक **संचित अवमूल्यन**	-	419.90	3,584.80	95.90	110.80	200.03	543.47	-	4,954.90
वर्ष के दौरान **अवमूल्यन** शुल्क	-	177.22	1,610.10	48.20	47.69	142.86	255.20	-	2,281.27
निपटान	-	(0.35)	(1.38)	(1.50)	-	(2.81)	(0.59)	-	(6.63)
संचित अवमूल्यन समापन	**-**	**596.77**	**5,193.52**	**142.60**	**158.49**	**340.08**	**798.08**	**-**	**7,229.54**
निवल वहन राशि	**2,211.99**	**4,036.39**	**33,209.46**	**309.36**	**233.71**	**565.91**	**1,796.68**	**3.52**	**42,367.02**
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष									
सकल वहन राशि									
प्रारंभिक सकल वहन राशि	2,211.99	4,633.16	38,402.98	451.96	392.20	905.99	2,594.76	3.52	49,596.56
परिवर्धन	-	219.34	3,029.37	11.00	118.59	205.03	617.98	-	4,201.31
निपटान	-	-	(0.02)	(0.31)	(32.65)	(9.73)	-	-	(42.71)
सकल वहन राशि समापन	**2,211.99**	**4,852.50**	**41,432.33**	**462.65**	**478.14**	**1,101.29**	**3,212.74**	**3.52**	**53,755.16**
संचित अवमूल्यन									
प्रारंभिक **संचित** अवमूल्यन	-	596.77	5,193.52	142.60	158.49	340.08	798.08	-	7,229.54
वर्ष के दौरान अवमूल्यन शुल्क	-	177.19	1,819.93	46.50	54.82	165.56	323.88	-	2,587.88
निपटान	-	0.01	-	(0.05)	(25.56)	(7.21)	0.03	-	(32.78)
संचित अवमूल्यन समापन	**-**	**773.97**	**7,013.45**	**189.05**	**187.75**	**498.43**	**1,121.99**	**-**	**9,784.64**
निवल वहन राशि	**2,211.99**	**4,078.53**	**34,418.88**	**273.60**	**290.39**	**602.86**	**2,090.75**	**3.52**	**43,970.52**

1. 275 एकड़ 35 गुंटों की भूमि का अधिग्रहण हो चुका है परंतु अब भी दस्तावेज तैयार नहीं हुए। उपर्युक्त भूमि में से निम्नलिखित पार्टियों को पट्टे पर दी गयी भूमि निम्नानुसार है: डीआरडीओ-35 एकड़ 39 गुंटे, तेलंगाना राज्य सरकार-1 एकड़, बीडीएल को-1 एकड़ और 1.5 एकड़ भूमि तीसरी पार्टी के अनधिकृत कब्जे में होने के कारण विवादास्पद है।
2. 70 एकड़ और 23 गुंटे भूमि डीआरडीओ द्वारा अंतरित की गयी जिसे स्वीकारा नहीं गया है क्योंकि अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
3. लंबित पंजीकरण / दावों की प्राप्ति, वाहन दस्तावेज / भूमि के उपयोग के रूपांतरण / संपत्ति कर / सेवा कर (सुनिश्चित राशि नहीं) के लिए मुद्रांकन शुल्क के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
4. अनुसंधान और विकास के पूंजी लागत में संयंत्र व मशीनरी से संबंधित ₹ 4984.60 लाख शामिल हैं (31 मार्च 2019 को ₹ 4520.22 लाख)।
5. कंपनी ने परिसंपत्ति की लागत का 5% बचाव मूल्य स्वीकार किया है।
6. परिसंपत्तियों के घटकीकरण के प्रयोजन के लिए केवल ₹100 लाक और उससे अधिक की लागत वाली मूलधन परिसंपत्ति की पहचान की जाती है।
7. निम्नलिखित परिसंपत्तियों के बारे में अवमूल्यन के गणन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन की अपेक्षा कम है। परिसंपत्तियों के तेजी से टूटने और फूटने अर्थात नष्ट होने को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम उपयोगी जीवन अपनाया गया:-

वर्ग	निवल ब्लॉक	सामान्य अवमूल्यन		उच्च अवमूल्यन		प्रभाव
		जीवन वर्षों में	राशि ₹ लाखों में	जीवन वर्षों में	राशि ₹ लोखों में	राशि ₹ लाखों में
फर्नीचर	5.70	10	0.45	5	1.26	0.81
कुल	**5.70**		**0.45**		**1.26**	**0.81**
गत वर्ष	6.80		0.44		1.29	0.85

8. बकाया संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 41 (ii) का संदर्भ लिया जाए

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

4. अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ लाखों में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कापीराइट्स, पेटेंट्स और अन्य बुद्धिमत्ता संपत्ति अधिकार, सेवाएं और परिचालनात्मक अधिकार	कुल अमूर्त परिसंपत्ति
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष			
सकल वहन राशि			
प्रारंभिक सकल वहन राशि	318.19	24.20	342.39
परिवर्धन	-	-	-
निपटान	-	-	-
सकल वहन राशि समापन	**318.19**	**24.20**	**342.39**
संचित अवमूल्यन			
प्रारंभिक **संचित अवमूल्यन**	164.68	11.83	176.51
वर्ष के दौरान **अवमूल्यन** शुल्क	34.59	3.62	38.21
निपटान	-	-	-
संचित अवमूल्यन समापन	**199.27**	**15.45**	**214.72**
निवल वहन राशि	**118.92**	**8.75**	**127.67**
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष			
सकल वहन राशि			
प्रारंभिक सकल वहन राशि	318.19	24.20	342.39
परिवर्धन	-	-	-
निपटान	-	-	-
सकल वहन राशि समापन	**318.19**	**24.20**	**342.39**
संचित अवमूल्यन			
प्रारंभिक **संचित अवमूल्यन**	199.27	15.45	214.72
वर्ष के दौरान **अवमूल्यन** शुल्क	21.30	2.26	23.56
निपटान	-	-	-
संचित अवमूल्यन समापन	**220.57**	**17.71**	**238.28**
निवल वहन राशि	**97.62**	**6.49**	**104.11**

5. पूँजीगत कार्य - प्रगति में

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2020 पर स्थिति
पूँजीगत चालू कार्य-सिविल	3,481.03	1,494.45
पूँजीगत चालू कार्य- संयंत्र तथा स्थापनाधीन मशीनरी	36,937.55	15,877.81
संयंत्र, मशीनरी और उपकरण – निरीक्षणाधीन और मार्गस्थ	63.43	132.44
कुल	**40,482.01**	**17,504.70**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

6. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
व्यापार निवेश गैर-व्यापार, लागत में शामिल नहीं किए गए		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
अन्य संस्थाओं में निवेश		
एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (*)		
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹ 10/- के 7,71,847 के बोनस शेयर सहित प्रति शेयर ₹ 10/- के 18,43,857 पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर	107.20	107.20
₹ 10/- के प्रति शेयर के 4,28,800 पूर्णतया प्रदत्त ईक्विटी शेयर जो ₹ 24/- प्रत्येक के सब्स्क्राइड और ₹ 24/-प्रत्येक अदा किए गए	102.91	102.91
संयुक्त उद्यम में निवेश (**)		
उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड	2,000.00	-
₹ 10/- के प्रति शेयर के 2,00,00,000 पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष शून्य)		
कुल	**2,210.11**	**210.11**

(*) एपीजीपीसीएल के शेयरों में निवेश, बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सुरक्षा जमा की प्रकृति में हैं, जिसका कोई विशिष्ट कार्यकाल नहीं है। इसलिए निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए इसे शामिल नहीं किया जाता है।

(**) संयुक्त उद्यम का विवरण

विवरण	प्रमुख गतिविधि और व्यवसाय का स्थान	स्वामित्व का अनुपात ब्याज / कंपनी का मतदान अधिकार	
		31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हाई एंड एल्युमिनियम एलॉय प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए।	50%	-

7. गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
प्रतिभूति रहित, उपयुक्त माने गए		
विक्रेताओं को ऋण	64.85	-
कुल	**64.85**	**-**

8. गैर-चालू कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अग्रिम आयकर	543.63	1,065.17
कुल	**543.63**	**1,065.17**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

9. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति		31 मार्च 2019 पर स्थिति	
पूंजीगत अग्रिम राशि				
प्रतिभूति रहित उपयुक्त माने गए		999.69		4,620.72
संदिग्ध	35.46		35.46	
घटाएँ: प्रावधान	35.46	-	35.46	-
उप-कुल		999.69		4,620.72
अन्य				
आपूर्तिकर्ता के लिए संदेहास्पद अग्रिम	22.52		22.52	
घटाएँ: प्रावधान	22.52	-	22.52	-
अप्रचलित और मंद गतिमान – कच्ची सामग्री	25.78		0.06	
घटाएँ: प्रावधान	25.78	-	0.06	-
अप्रचलित और मंद गतिमान –कच्चा उपभोज्य	35.50		32.46	
घटाएँ: प्रावधान	35.50	-	32.46	-
अप्रचलित और मंद गतिमान –पुर्जे	143.94		138.96	
घटाएँ: प्रावधान	143.94	-	138.96	-
कुल		**999.69**		**4,620.72**

10. माल सूची

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
कच्ची सामग्री और संघटक	16,322.02	13,546.37
मार्गस्थ कच्ची सामग्री और संघटक	5,377.62	1,741.95
कुल	**21,699.64**	**15,288.32**
कार्य प्रगति पर है #	49,444.86	24,769.48
कुल	**49,444.86**	**24,769.48**
तैयार माल	-	-
मार्गस्थ तैयार माल	1,596.08	548.12
कुल	**1,596.08**	**548.12**
भंडार और पुर्जे	532.61	459.20
मार्गस्थ भंडार और पुर्जे	-	-
कुल	**532.61**	**459.20**
खुले औजार	0.47	0.96
कुल	**0.47**	**0.96**
उपभोज्य	1,790.28	1,427.67
मार्गस्थ उपभोज्य	1.73	25.93
कुल	**1,792.01**	**1,453.60**
आंतरिक रूप से जनित रद्दी /अस्वीकृत सामग्री	15,984.70	8,363.97
कुल	**15,984.70**	**8,363.97**
योग	**91,050.37**	**50,883.65**

ग्राहक की ओर से विश्वास में रखी गई सामग्रियां तथा ग्राहकों द्वारा मिधानि को दिए गए कार्यों के लिए जारी सामग्री, माल सूची में शामिल नहीं हैं।

चालू कार्य में उपठेकेदारों के पास रखी सामग्री ₹ 6186.46 लाख (31 मार्च 2019 ₹ 1757.74 लाख) और उप-ठेकेदार द्वारा शेष बची सामग्री की पुष्टि करने की शर्त पर।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

11. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति		31 मार्च 2019 पर स्थिति	
छह महीनों से अधिक अवधि के लिए बकाया पड़े कर्ज				
प्रतिभूति रहित, उपयुक्त माने गए #		11,065.47		6,675.84
प्रतिभूति रहित, संदिग्ध माने गए	646.84		764.04	
घटाएँ: प्रावधान	646.84	-	764.04	-
कुल		**11,065.47**		**6,675.84**
अन्य कर्ज				
प्रतिभूति रहित उपयुक्त माने गए #		18,674.04		28,548.48
प्रतिभूति रहित, संदिग्ध माने गए	658.41		211.80	
घटाएँ: प्रावधान	658.41	-	211.80	-
कुल		**18,674.04**		**28,548.48**
योग		**29,739.51**		**35,224.32**

व्यापार प्राप्यों का गणन करने सामान्य ऋण अवधि कंपनी द्वारा तीस दिन मानी गयी जिसे इन्वाइस की तिथि से देय तिथि का गणन किया जाता है।
व्यापार प्राप्यों में शेष पर पुष्टि की जाती है और / या मिलान किए जाने पर विचार किया जाता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रतिशत

(₹ लाखों में)

प्राप्तियों की आयु	अपेक्षित क्रेडिट हानि	
	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अवधि के भीतर क्रेडिट	0.40%	0.44%
3 महीनों तक	1.13%	2.09%
3-6 महीने	3.46%	6.44%
6-9 महीने	16.41%	22.92%
9-12 महीने	87.50%	91.67%
> 12 महीने	100.00%	100.00%
रक्षा, सरकार और पीएसयू के ग्राहकों से बकाया संबंधी विशेष प्रावधान (₹ लाखों में)	73.91	59.33
रक्षा, सरकार, पीएसयू एवं निजी ग्राहकों से बकाया (एलडी) संबंधी विशेष प्रावधान (₹ लाखों में)	74.28	79.81

(₹ लाखों में)

प्राप्तियों की आयु	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
निजी ग्राहक – प्रतिभूति रहित		
अवधि के भीतर क्रेडिट	4.19	0.72
3 महीनों तक	72.26	0.05
3-6 महीने	-	-
6-9 महीने	-	46.82
9-12 महीने	-	-
> 12 महीने	17.63	15.71
निजी ग्राहक –प्रतिभूति	2.13	82.61
रक्षा, सरकार और पीएसयू ग्राहक बकाया	30,948.55	36,054.25

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

व्यापार प्राप्तियों से संबंधित प्रावधान में संचलन (₹ लाखों में)

विवरण	कुल
31 मार्च 2019 को भत्ते का नुकसान	**975.84**
हानि भत्ते में परिवर्तन	329.41
31 मार्च 2020 को भत्ते का नुकसान	**1,305.25**

12. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकदी और नकदी के समान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
बैंकों में शेष		
चालू खातों में	984.11	1,369.05
जमा खातों में #	6,284.14	12,630.73
हाथ में पैसा	2.78	4.45
कुल	**7,271.03**	**14,004.23**

जमा खातों में शेष राशि एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता वाली अवधि के जमा का प्रतिनिधित्व करती है और कंपनी द्वारा आवश्यक होने पर उसे परिसमाप्त किया जा सकता है। अत: उसे नकद और नकद समकक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

13. वर्तमान वित्तीय संपत्ति - बैंक शेष [ऊपर (टिप्पणी 12) के अतिरिक्त]

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
इंडसइंड बैंक में बयाने के रूप में जमा धन	98.48	123.03
अप्रदत्त लाभांश	4.30	3.02
सावधि जमा *	3,715.86	5,669.27
कुल	**3,818.64**	**5,795.32**

* सावधि जमा खातों में शेष राशि में ₹3715.86 लाखों (31.03.2019 ₹ 5669.27 लाख) शामिल हैं जो विभिन्न बैंकों में जमा के एवज में लाभान्वित ड्राफ्ट के लिए वचनबद्ध है।

14. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ –अन्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2018 पर स्थिति
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	16.89	16.12
कर्मचारियों को दिए ऋण पर अर्जित ब्याज	0.06	0.15
दावा प्राप्य	59.14	50.55
अन्यों के पास जमा	761.47	790.17
बैंक में जमा पर अर्जित ब्याज	484.25	291.50
विक्रेताओं को ऋण	13.55	-
कुल	**1,335.36**	**1,148.49**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

15. अन्य चालू परिसंपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2018 पर स्थिति
निपटान की जाने वाली परिसंपत्ति	1.96	1.96
प्रीपेड खर्चे	183.57	157.93
जीएसटी/ सीमा शुल्क प्राप्य	17,693.42	8,641.17
अन्य		
प्रतिभूति रहित उपयुक्त माने गए		
आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	329.59	714.46
कुल	**18,208.54**	**9,515.52**

16. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2018 पर स्थिति
अधिकृत		
ईक्विटी शेयर		
₹10/- प्रति शेयर की दर से 20,00,00,000 शेयर	20,000.00	20,000.00
(गत वर्ष ₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 20,00,00,000 शेयर)		
	20,000.00	**20,000.00**
जारी		
ईक्विटी शेयर		
₹10/- प्रति शेयर की दर से 18,73,40,000 शेयर	18,734.00	18,734.00
(गत वर्ष ₹ 10/- प्रति शेर की दर से 18,73,40,000 शेयर)		
	18,734.00	**18,734.00**
पूर्वीकृत व पूर्णतया प्रदत्त		
ईक्विटी शेयर		
₹ 10/- प्रति शेर की दर से 18,73,40,000 शेयर	18,734.00	18,734.00
(गत वर्ष ₹ 10/- प्रति शेर की दर से 18,73,40,000 शेर)		
	18,734.00	**18,734.00**
कुल	**18,734.00**	**18,734.00**

अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	(शेयरों की संख्या)	राशि (₹लाखों में)	(शेयरों की संख्या)	राशि(₹लाखों में)
प्रारंभिक तिथि पर बकाया	187,340,000	18,734.00	187,340,000	18,734.00
जोडें : अवधि के दौरान जारी	-	-	-	-
घटाएं : अवधि के दौरान वापस खरीदे गये (यदि कोई हो)	-	-	-	-
अंतिम तिथि पर बकाया स्थिति	**187,340,000**	**18,734.00**	**187,340,000**	**18,734.00**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

इक्विटी शेयरों से जुड़े निबंधन / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के अर्थात ₹10/- प्रति शेयर सम मूल्य शेयर हैं। (गत वर्ष ₹10/- प्रति शेयर) । प्रत्येक इक्विटी शेयर एक मतदान अधिकार को दर्शाता है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	शेयरों की संख्या	% धारिता	शेयरों की संख्या	% धारिता
₹ 10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर पूर्णत: प्रदत्त (गत वर्ष ₹10 प्रति शेयर)				
भारत के राष्ट्रपति	138,631,600	74.00%	138,631,600	74.00%
भारतीय जीवन बीम निगम लिमिटेड	-		13,522,029	7.22%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए / सी एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	12,318,595	6.58%	-	

17. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति		31 मार्च 2019 पर स्थिति	
सामान्य आरक्षित				
अथ शेष		64,075.87		59,075.87
घटाएँ: मूल्यह्रास समायोजन		-		-
		64,075.87		59,075.87
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन		6,500.00		5,000.00
उप-कुल		**70,575.87**		**64,075.87**
प्रतिधारित आय				
अथ शेष		398.75		880.12
जोड : लाभ और हानि विवरणियों से राशि अंतरण		15,973.38		13,055.69
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि		16,372.13		13,935.81
घटाव: विनियोग				
अंतरिम लाभांश	1,873.40		3,147.31	
अंतिम लाभांश	955.43		3,934.14	
लाभांश कर	581.47		1,455.61	
सामान्य आरक्षित को अंतरण	6,500.00	9,910.30	5,000.00	13,537.06
उप-कुल		**6,461.83**		**398.75**
अन्य व्यापक आय के घटक				
अथ शेष		262.29		213.49
जोड: निवल परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति, कर प्रभाव का शुद्धिकरण		(195.33)		48.80
उप-कुल		**66.96**		**262.29**
कुल		**77,104.66**		**64,736.91**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

18. गैर-चालू वित्तीय देयताएँ - उधार

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
प्रतिभूति रहित		
अग्रिम प्रापण सुविधाएं-वीएसएससी	18.41	57.06
(यह निवल बकाया देयराशि का प्रतिनिधित्व करती है। (₹.5.00 लाखों की निवल राशि (31.03.2019 ₹ 5.00 लाखों) जिसे 12 महीनों के भीतर पुनर्भुगतान किया जाना है और इसे अन्य चालू देयता की तरह व्यवहन्त करते हुए टिप्पणी सं.-26 के अंतर्गत शामिल किया गया है) जिसे फोर्ज प्रेस के उन्नयन के लिए वीएसएससी से प्राप्त ₹478.38 लाखों के ऋण के बदले वापस किया जाना है।		
कुल	**18.41**	**57.06**

सावधि ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल:

(₹ लाखों में)

गृहीता	परिपक्वता प्रोफ़ाइल	
	2020-21	2021-22
वी एस एस सी	50.00	28.38

19. गैर-चालू वित्तीय देयताएं - अन्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अनुदान - ग्राहक वित्तपोषित परियोजनाएं	32,597.80	15,609.81
कुल	**32,597.80**	**15,609.81**

20. गैर-चालू देयताएँ - प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	93.01	85.87
छुट्टी प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान	32.17	23.12
कुल	**125.18**	**108.99**

21. आस्थगित कर देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
आस्थगित कर देयताएं		
अवमूल्यन पर	3,495.82	4,451.06
उप कुल	**3,495.82**	**4,451.06**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
प्रावधान पर	364.32	462.98
आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमति न होने पर	8.10	8.08
उप कुल	**372.42**	**471.06**
निवल-कुल	**3,123.40**	**3,980.00**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

आस्थगित कर में संचलन (₹ लाखों में)

विवरण	समापन शेष 31-मार्च 2019	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभार / क्रेडिट	समापन शेष 31-मार्च 2020
आस्थगित कर परिसंपत्ति			
गैर गतिमान भंडार के लिए प्रावधान	59.92	(8.27)	51.65
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	203.69	(87.79)	115.90
संदेहास्पद अग्रिम / दावों के लिए प्रावधान	7.89	(2.22)	5.67
आकस्मिकताओं और वारंटी के लिए	128.55	10.30	138.85
एएमटीएल की छुट्टी के लिए प्रावधान	8.08	0.02	8.10
ओएफबी ब्याज अंतर (निवल)	49.91	(4.97)	44.94
वीएसएससी ब्याज अंतर (निवल)	13.02	(5.71)	7.31
कुल परिसंपत्ति	**471.06**	**(98.64)**	**372.42**
आस्थगित कर देयता			
अवमूल्यन	4,451.06	(955.24)	3,495.82
कुल देयता	**4,451.06**	**(955.24)**	**3,495.82**
निवल देयता	**3,980.00**	**(856.60)**	**3,123.40**

22. अन्य गैर-चालू देएताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अग्रिम		
ग्राहकों से अग्रिम	31,837.69	19,840.80
अन्य		
ऋण पर प्राप्त सामग्री - कावेरी परियोजना	26.33	25.68
अन्य देयताएं – वीएसएससी	54.72	54.72
अन्य देयताएं – ओ एफ बी	131.93	26.93
अन्य अग्रिम	64.57	64.57
आस्थगित आय	6,294.68	5,877.16
कुल	**38,409.92**	**25,889.86**

23. चालू वित्तीय देयताएं – उधारी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
प्रतिभूति सहित		
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान		
बैंकों से		
नगद उधार	(0.04)	5,506.27
(कच्चे मालों, प्रक्रियाधीन स्टॉक, तैयार माल व बुक बकायों की गिरवी से)		
विभिन्न बैंकों से - सावधि जमा की प्रतिज्ञा द्वारा अल्पावधि ओवरड्राफ्ट	3,344.27	5,102.34
नियत जमा राशि रु 3715.86 लाख (31.03.2019 ₹5669.27 लाख) से प्राप्त		
प्रतिभूति रहित		
बैंकों से		
अल्पावधि ऋण	10,000.00	-
कुल	**13,344.23**	**10,608.61**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

24. चालू वित्तीय देयताएँ - व्यापार देयताएं

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
माइक्रो और लघु उद्यम	175.44	375.75
अन्य @	12,714.40	12,464.65
कुल	**12,889.84**	**12,840.40**

@ व्यापार देयताओं में बकाया पुष्टिकरण और / या मिलान पर निर्भर करेंगे

कंपनी द्वारा पहचान किए गए विक्रेताओं को उस सीमा तक सूचना प्रकटित की गयी जो एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आती है। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उनकी बकाया पड़ी राशियों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष के अंत में बकाया एवं देय राशि		
मूलधन	175.44	375.75
उक्त मूलधन पर ब्याज	27.38	64.31
देय तिथि के बाद अदा की गयी राशि		
मूलधन	1,571.40	2,188.28
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
पहले ही प्रदत्त मूल राशि के लिए देय और बकाया ब्याज	44.40	72.73
वर्ष के अंत में कुल उपचित अप्रदत्त ब्याज	71.78	137.04

25. चालू वित्तीय देयताएं - अन्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
बयाना जमा राशियां	17.80	17.90
प्रतिभूति जमा	269.36	167.09
ग्राहकों के प्रति देनदारी	1,531.60	2,884.58
पूंजीगत लेनदार	1,340.12	1,060.22
कर्मचारियों को देय	1,254.92	2,160.61
अप्रदत्त लाभांश	4.30	3.02
कुल	**4,418.10**	**6,293.42**

26. अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	21,304.96	13,304.00
ग्राहक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए अग्रिम राशि	6,679.49	3,852.53
उधार पर प्राप्त सामग्री – अन्य	7,893.87	4,286.16
सांविधिक देयताएँ	113.69	62.43
आस्थगित राजस्व	-	24.91
कुल	**35,992.01**	**21,530.03**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

27. चालू- प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
कर्मचारी हित के लिए प्रावधान		
प्रतिपूरक छुट्टी के लिए प्रावधान	523.61	84.65
उपदान के लिए प्रावधान	426.63	196.75
सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान	154.80	94.08
पेन्शन योजना के लिए प्रावधान	371.40	219.51
अन्य कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान	1,001.66	1,103.93
अन्य प्रावधान		
फुटकर व्यय और वारंटी के लिए प्रावधान	551.68	367.87
अन्य प्रावधान	11.04	11.04
कुल	**3,040.82**	**2,077.83**

प्रावधानों में संचालन (अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि)

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2019 को	जोड़ें	उपयोग	बदलाव	31.03.2020 को
प्रतिपूरक छुट्टी	107.77	685.32	237.31	0.00	555.78
उपदान	282.62	425.89	188.87	0.00	519.64
सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना	94.08	154.80	94.08	0.00	154.80
पेन्शन योजना	219.51	371.40	219.51	0.00	371.40
फुटकर व्यय और वारंटी	367.87	183.81	0.00	0.00	551.68
अन्य	1114.97	900.00	1002.27	0.00	1012.70
कुल	**2186.82**	**2721.22**	**1742.04**	**0.00**	**3166.00**

28. परिचालन से राजस्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विनिर्माणाधीन उत्पाद की बिक्री	69,237.93	68,938.42
निर्यात बिक्री	1,042.04	805.32
विक्रय सेवाएं	604.55	574.78
अन्य परिचालन राजस्व	403.05	766.10
कुल	**71,287.57**	**71,084.62**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

29. अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय		
बैंकों से	1,157.21	855.12
कर्मचारियों से	0.01	0.03
अन्य लोगों से	177.97	500.52
लिक्विडेटेड क्षतियां	881.68	808.00
विनिमय दर में अंतर	-	45.05
नियत परिसंपत्ति के विक्रय पर निवल लाभ	11.28	13.87
अनुपयुक्त स्क्रैप की बिक्री से आय	99.34	154.32
वापस लिखी गयी अति देयताएं	1,232.05	1,179.59
अनुदान आय	24.00	18.00
अन्य विविध आय	60.09	114.96
कुल	**3,643.63**	**3,689.46**

अन्य विविध आय का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आवेदन पत्रों (कार्मिक) की बिक्री	1.99	0.61
निविदा दस्तावेज की बिक्री	-	0.50
अन्य	58.10	113.85
कुल	**60.09**	**114.96**

30. उपभुक्त सामग्रियों की लागत

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों के निर्माण के लिए सामग्री की लागत	37,660.59	29,276.27
कुल	**37,660.59**	**29,276.27**

31. तैयार माल, चालू कार्य, व्यापार स्टाक की मालसूचियों में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक स्टाक		
चालू कार्य	24,769.48	11,608.70
तैयार स्टाक	548.12	3,310.30
	25,317.60	**14,919.00**
अंतिम स्टाक		
चालू कार्य	49,444.86	24,769.48
तैयार स्टाक	1,596.08	548.12
	51,040.94	**25,317.60**
(वृद्धि)/ कमी		
चालू कार्य	(24,675.38)	(13,160.78)
तैयार स्टाक	(1,047.96)	2,762.18
कुल	**(25,723.34)**	**(10,398.60)**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

32. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरियां		
वेतन एवं मजदूरियां	8,190.48	7,103.89
छुट्टी नकदीकरण	685.32	375.48
निदेशकों का पारिश्रमिक	245.34	181.13
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान		
भविष्य निधि में योगदान	640.18	619.20
कर्मचारियों के लिए उपदान	164.86	278.52
छुट्टी वेतन व पेंशन योगदान	371.40	295.49
स्टाफ कल्याण एवं प्रशिक्षण		
कामगार और स्टाफ कल्याण व्यय	2,050.88	1,986.83
कुल	**12,348.46**	**10,840.54**

(i) उपदान

योग्य कर्मचारियों के लिए देय उपदान एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है, जिसने एलआईसीजीजीएफ से एक पॉलसी ली है। लाभ व हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से वार्षिक मांग का अभिकलन किया जाता है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
आय के विवरण में	168.75	271.76
अन्य व्यापक आय में	261.03	(75.01)
निवल देयता	**429.78**	**196.75**

परिसंपत्ति और देयता (तुलन पत्र स्थिति)

(₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4,120.91	4,057.43
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,694.28	3,860.68
अधिशेष / (घाटा)	(426.63)	(196.75)
परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल परिसंपत्ति / (देयता)	**(426.63)**	**(196.75)**

बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
आरंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4,057.42	4,656.53
चालू सेवा लागत	153.67	166.47
ब्याज व्यय या लागत	311.06	359.69
निम्न से होने वाले (लाभ)/ हानि का पुनर्मापन (या वास्तविक):	-	-
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में बदलाव	(0.56)	-
- वित्तीय अनुमानों में बदलाव	224.97	16.52
- अनुभव भिन्नता (वास्तविक बनाम धारणाएं)	(4.80)	(59.34)
पिछली सेवा लागत	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(620.85)	(1,082.45)
अधिग्रहण समायोजन	-	-
व्यापार संयोजन या निपटान का प्रभाव	-	-
अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**4,120.91**	**4,057.42**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

निवल देयता का विभाजन

(₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
चालू देयता (लघु अवधि)	-	-
गैर-चालू देयता (दीर्घ अवधि)	426.63	196.75
निवल देयता	**426.63**	**196.75**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	3,860.68	3,293.50
निवेश आय	295.97	254.41
नियोक्ता का योगदान	199.90	1,363.04
व्यय	-	-
कर्मचारी का योगदान	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(620.85)	(1,082.45)
निवल ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों का रिटर्न	(41.42)	32.18
अधिग्रहण समायोजन	-	-
अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**3,694.28**	**3,860.68**

आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
चालू सेवा लागत	153.67	166.47
पिछली सेवा लागत	-	-
समायोजन पर हानि / (लाभ)	-	-
परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
निवल परिभाषित हितलाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज लागत / (आय)	15.08	105.29
वास्तविक लाभ / हानि	-	-
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**168.75**	**271.76**

अन्य व्यापक आय

(₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
वास्तविक (लाभ) / हानि		
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में बदलाव	(0.56)	-
- वित्तीय अनुमानों में बदलाव	224.97	16.52
- अनुभव भिन्नता (वास्तविक बनाम धारणाएं)	(4.80)	(59.35)
- अन्य	-	-
निवल ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	41.42	(32.18)
परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव के कारण होने वाले (लाभ)/हानि का पुनर्मापन (या वास्तविक)	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ लागत के संघटक	**261.03**	**(75.01)**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

बीमांकिक मान्यताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.65%	7.65%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%

जनसांख्यिकीय मान्यताएँ

विवरण	2019-20	2018-19
मृत्यु दर (आईएएलएम 06-08 का %)	100.00%	100.00%
आहरण दर (प्रति वर्ष)	आयु के आधार पर 3% तक	आयु के आधार पर 3% तक

भारतीय बीमाकृत मृत्यु दर 2006-08 से नमूना मृत्यु दर की तालिका मृत्यु दर (प्रति वर्ष)

आयु	पुरुष	स्त्री
20 वर्ष	0.092%	0.092%
25 वर्ष	0.093%	0.093%
30 वर्ष	0.098%	0.098%
35 वर्ष	0.120%	0.120%
40 वर्ष	0.168%	0.168%
45 वर्ष	0.258%	0.258%
50 वर्ष	0.444%	0.444%
55 वर्ष	0.751%	0.751%
60 वर्ष	1.116%	1.116%
65 वर्ष	1.593%	1.593%
70 वर्ष	2.406%	2.406%

संवेदनशीलता विश्लेषण

विवरण	31-मार्च-20		31-मार्च-19	
निर्धारित लाभ बाध्यता (मूल)	4,120.91		4,057.43	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (- / + 1%)	4,383.28	3,894.34	4,280.28	3,861.04
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	6.4%	-5.5%	5.5%	-4.8%
वेतन वृद्धि दर (- / + 1%)	4,003.50	4,246.05	3,945.70	4,166.67
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-2.8%	3.0%	-2.8%	2.7%
एट्रिशन दर (- / + 1%)	4,102.13	4,134.04	4,037.80	4,073.92
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में% परिवर्तन)	-0.5%	0.3%	-0.5%	0.4%
मृत्यु दर (- / + 1%)	4,120.02	4,121.79	4,056.29	4,058.57
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में% परिवर्तन)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

अगले पर अपेक्षित नकदी प्रवाह (अपरिवर्तनीय आधार पर मूल्य):

(₹ लाखों में)

1 वर्ष	947.73
2 से 5 वर्ष	2,211.75
6 से 10 वर्ष	959.73
10 से अधिक वर्षों तक	2,972.19

(ii) अवकाश बाध्यताएँ

अवकाश बाध्यताओं के अंतर्गत अर्जित छुट्टी के लिए कंपनी की देयता को रखा गया है।

भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह छुट्टी नकदीकरण योजना (ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम) के माध्यम से छुट्टी नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ प्रशासित होते हैं। बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से वार्षिक मांग पर लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण का समाकलन किया जाता है।

निवल देयता का विभाजन

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-20	31-मार्च-19
चालू देयता (लघु अवधि)	424.09	300.99
गैर-चालू देयता (दीर्घ अवधि)	2,214.47	1,896.78
निवल देयता	**2,638.56**	**2,197.77**

(iii) पेंशन

रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की दिशानिर्देश संख्या 8 (112) / 2012 / डी (समन्वय / डीडीपी) दिनांक 11.11.2013, अनुसार पेंशन योजना में योगदान एक वित्तीय वर्ष में मूल + डीए के

अधिकतम 10% (बोर्ड की मंजूरी के साथ 7% और रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमोदन के साथ 3%) तक सीमित होना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुपालन में पेंशन निधि के लिए चालू वित्तीय वर्ष का योगदान 7% मूल + डीए प्रदान किया गया है।

33. वित्त लागत

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
नकद क्रेडिट	47.20	115.19
अल्पावधि ओवरड्राफ्ट	234.45	164.86
ब्याज - अन्य	278.78	341.10
ब्याज - सावधि ऋण	31.17	15.20
कुल	**591.60**	**636.35**

34. अन्य खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च		
यात्रा और वाहन भत्ता	303.06	395.22
कारों का किराया	48.42	40.32
संचार व्यय		
डाक और टेलीफोन	56.73	58.81
मरम्मत और रखरखाव पर खर्च		
भवन	407.27	339.45
संयंत्र एवं यंत्र	312.04	278.77
अन्य	143.49	173.84
किराया, दर और कर		
दर और कर	6.21	6.14
किराया	39.67	17.73
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	17.53	15.97
कार्यालय रखरखाव खर्च		

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सुरक्षा गार्ड शुल्क	637.97	663.02
प्रशासन के खर्च- अन्य	336.32	112.87
बिजली और ईंधन		
बिजली और ईंधन	6,056.83	5,474.23
उप ठेकेदार खर्च		
उप ठेकेदार खर्च	9,891.94	7,321.66
सामान्य खर्चे		
सीएसआर व्यय	395.27	393.50
स्टॉक सत्यापन संबंधी विसंगतियां	-	-
बट्टे खाते में डाले गए डूबंत ऋण	70.14	439.81
बट्टे खाते में डाली गयी नियत परिसंपत्ति	2.01	18.54
विक्रय योजनाएं	1,964.99	1,429.26
पुस्तकालय की किताबें	0.43	31.66
समाचार पत्र और पत्रिकाएँ	12.63	7.80
सदस्यता शुल्क	42.25	5.98
प्रशिक्षण व्यय	76.04	51.58
मनोरंजन / सौजन्य व्यय	7.70	5.26
निवल आय का छात्रावास/अतिथि गृह व्यय	31.45	26.65
व्यापार प्रोन्नति व्यय	218.35	216.25
निदेशकों के बैठकों की फीस	7.20	11.83
कारखाने के खर्च	271.05	279.87
विज्ञापन	102.79	155.97
जल प्रभार	145.00	149.91
भंडारों, खुले औजारों और पुर्जों का उपभोग		
भंडारों, खुले औजारों और पुर्जों का उपभोग	4,827.49	4,116.12
बीमा व्यय		
बीमा	171.29	150.46
व्यावसायिक प्रभार		
विधिक व व्यावसायिक फीस	8.83	4.24
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	12.59	13.62
परामर्शदात्री प्रभार	161.77	268.17
ठेका व्यावसायिक व्यय	12.42	12.52
अनुसंधान एवं विकास व्यय		
अनुसंधान एवं विकास योगदान	17.50	28.04
विनिमय में उतार-चढ़ाव		
विनिमय दर अंतर अप्रभारित	55.31	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक		
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (निम्न विवरणानुसार)	7.52	6.98
वित्त और बैंक प्रभार		
बैंक प्रभार	136.78	83.19
गैर गतिमान माल की सूची के लिए प्रावधान	33.74	9.35
डूबंत ऋणों के लिए प्रावधान		
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	-	83.17
भुटकर और वारंटी के लिए प्रावधान		
भुटकर और वारंटी के लिए प्रावधान	183.81	97.50
कुल	**27,233.83**	**22,995.26**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

प्राकृतिक लेखा शीर्षों में शामिल अनुसंधान और विकास व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सामग्रियों का उपभोग	67.25	950.96
परिवर्तन लागत	78.32	271.96
अन्य व्यय	169.12	217.87
अनुसंधान एवं विकास योगदान	17.50	25.65
कुल	**332.19**	**1,466.44**

लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक और अन्य व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक		
सांविधिक लेखा परीक्षक	6.12	5.50
(ख) कर लेखापरीक्षा	1.40	1.48
कुल	**7.52**	**6.98**

नैगमिक सामजिक उत्तरदायित्व का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
शिक्षा का प्रोन्नयन	132.68	293.80
स्वास्थय प्रोन्नयन	170.07	89.7
अन्य परियोजनाएँ	92.52	10.00
कुल	**395.27**	**393.50**

35. आय कर व्यय

यह टिप्पणी कंपनी के आयकर व्यय का एक विश्लेषण प्रदान करता है, वह राशि दर्शाता है जिसकी इक्विटी में सीधे पहचान की जाती है और गैर-निर्धारणीय और गैर-घटाई मदों द्वारा कर व्यय कैसे प्रभावित होता है। यह कंपनी के कर पदों के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों को भी दर्शाता है।

(ए) आयकर व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर		
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	5,006.99	4,961.00
	19.15	(2.10)
पूर्व वर्ष का कर	**5,026.14**	**4,958.90**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर देनदारियों में कमी (वृद्धि)	856.60	(1,116.40)
कुल आयकर व्यय	**4,169.54**	**6,075.30**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

(बी) कर व्यय और भारतीय कर दर के गुणात्मक लाभ का समापन (₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
करादान से पूर्व लाभ	**19,947.59**		**19,179.79**	
34.944%, 25.168% की भारतीय कर दर पर कर	5,020.40		6,702.16	
जोड़ना:				
कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मूल्यह्रास	2,611.44		2,319.48	
धारा 43 बी के अंतर्गत अस्वीकार	-		-	
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(122.40)		(171.79)	
गैर गतिमान भंडार और पुर्जों के लिए प्रावधान	33.74		9.35	
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-		1,466.44	
भुटकर और वारंटी के लिए प्रावधान	183.81		97.50	
अप्रचलित मदों के लिए प्रावधान	-		-	
संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-		(286.58)	
सीएसआर व्यय	395.27		393.50	
ओएफबी आस्थगित व्यय (निवल -ऑफ)	35.76		36.58	
वीएसएससी डिफर्ड व्यय (निवल -ऑफ)	(8.21)		(4.46)	
एएमटीएल छुट्टी प्रावधान	9.05		9.28	
आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम का प्रावधान	-		-	
अन्य	71.78		137.04	
	3,210.24		**4,006.34**	
घटना:				
चालू वर्ष में देरी से पहले वर्ष देयता	-		-	
दान 80जी – अक्ष्य पात्र फाऊंडेशन	-		5.00	
आईटी अधिनियम के अनुसार अवमूल्यन	3,263.54		4,488.53	
अनुसंधान एवं विकास भारित कटौती	-		4,495.53	
	3,263.54		**8,989.06**	
निवल समायोजन (जोड़- घटाव)	**(53.30)**	(13.41)	**(4,982.72)**	(1,741.16)
कर देयता		5,006.99		4,961.00
ब्याज		-		-
पूर्व वर्ष कर		19.15		(2.10)
मैट ऋण पात्रता		-		-
आस्थगित कर		(856.60)		1,116.40
कुल		**4,169.54**		**6,075.30**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

36. उचित मूल्य मापन

ए. श्रेणीवार वित्तीय प्रपत्र

(₹ लाखों में)

	31 मार्च 2020				31 मार्च 2019			
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
व्यापार प्राप्य	-	-	29,739.51	29,739.51	-	-	35,224.32	35,224.32
नकद और नकद समकक्ष	-	-	11,089.67	11,089.67	-	-	19,799.55	19,799.55
ऋण	-	-	64.85	64.85	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	1,335.36	1,335.36	-	-	1,148.49	1,148.49
कुल	**-**	**-**	**42,229.39**	**42,229.39**	**-**	**-**	**56,172.36**	**56,172.36**
वित्तीय देयताएँ								
उधारी	-	-	13,362.64	13,362.64	-	-	10,665.67	10,665.67
व्यापार देनदारियां	-	-	12,889.84	12,889.84	-	-	12,840.40	12,840.40
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	37,015.90	37,015.90	-	-	21,903.23	21,903.23
कुल	**-**	**-**	**63,268.38**	**63,268.38**	**-**	**-**	**45,409.30**	**45,409.30**

टिप्पणी: उपरोक्त संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोजन के लिए एफवीपीएल - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य; एफवीओसीआई- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य; परिशोधित लागत - परिशोधित लागत के माध्यम से उचित मूल्य

(1) परिसंपत्ति जो कि वित्तीय परिसंपत्ति नहीं हैं (जैसे संवैधानिक अधिकारियों, निर्यात लाभ प्राप्तियों, प्रीपेड खर्च, अग्रिम भुगतान और कुछ अन्य प्राप्य से प्राप्तियां), क्रमशः 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 में शामिल नहीं हैं।

(2) वित्तीय देनदारियों (जैसे कि वैधानिक देय राशि, आस्थगित राजस्व, ग्राहकों से अग्रिम और कुछ अन्य संचय), 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 तक अन्य देनदारियों को शामिल नहीं किया गया है।

(i) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य

अल्पकालिक प्रकृति के कारण व्यापार प्राप्तियों, व्यापार भुगतान, उधार, नकद और नकद समकक्षों और अन्य वित्तीय देयताओं की वहन राशि की मात्रा को उनकी अल्पावधि की प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

37. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन फ्रेम वर्क

कंपनी में बोर्ड से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है और आंतरिक उत्पादन समीक्षा बैठकों तथा निगम प्रबंधन समिति की बैठकों में कंपनी के विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल जोखिम की भी चर्चा की जा रही है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी द्वारा सामना किए गए जोखिम तत्वों की पहचान सूचीबद्ध है। साथ ही, यह SWOT विश्लेषण के रूप में भी सूचीबद्ध है।

कंपनी द्वारा सामना किए गए जोखिमों की पहचान और विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएं और नियंत्रण निर्धारित करने और सीमाओं के जोखिम और अनुपालन की निगरानी करने के लिए कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों की स्थापना की जाती है।

बाजार की स्थितियों में परिवर्तन और कंपनी की गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों की नियमित समीक्षा की जाती है। कंपनी ने वित्तीय आवश्यकताओं के सभी सिद्धांतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ स्थापित की हैं। बाहरी लेखापरीक्षा फर्म जो आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई थी, ऐसी प्रणाली व नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करती है और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समय-समय पर समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और कंपनी द्वारा सामना किए गए जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन ढांचे की पर्याप्तता की समीक्षा करता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय साधनों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से कंपनी परिचित है:

जोखिम	होने वाले जोखिम से परिचय	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्तियां	एजिंग विश्लेषण	बैंक जमा, ऋण-सीमा और ऋण पत्रों का विविधीकरण
चलनीधि जोखिम	अन्य देयताएँ	नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान का ढलाव	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता

यह नोट उपरोक्त सभी जोखिमों, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने और कंपनी द्वारा पूंजी के प्रबंधन की सूचना प्रदान करती है।

इसके अलावा इन वित्तीय वक्तव्यों में मात्रात्मक प्रकटीकरण शामिल किए जाते हैं।

i. ऋण जोखिम

क) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम, कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्षी अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है।

कंपनी द्वारा सामना किया गया ऋण जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है।

हालांकि, प्रबंधन भी कंपनी के ग्राहक आधार की जनसांख्यिकी को समझता है, जिसमें उद्योग और देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम भी शामिल है, जिसमें ग्राहक संचालित होते हैं क्योंकि इन कारकों का क्रेडिट जोखिम पर असर पड़ सकता है। कंपनी के अधिकांश व्यापार प्राप्तियां, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं। कंपनी, मामले की समीक्षा के आधार पर विशिष्ट प्रावधान बना रही है और यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि अनंतिम मैट्रिक्स का उपयोग करके जोखिम मापा जाता है और तदनुसार प्रावधान प्रस्तुत किए जाते हैं।

ख) अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित पर आधारित अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है:

ऋण, प्रतिभूति जमा के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि

कंपनी के ऋण और प्रतिभूति जमा उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्ति है जो नगण्य ऋण जोखिम की है। इसलिए अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना नहीं की गई है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट नुकसान

ग) हानि भत्ता प्रावधान का समाधान - व्यापार प्राप्य (₹ लाखों में)

31 मार्च 2019 को भत्ते की हानि	975.84
भत्ते की हानि में परिवर्तन	329.41
31 मार्च 2020 को भत्ते की हानि	1,305.25

टिप्पणी 11 में व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट नुकसान उद्घाटित किया गया है

कंपनी ने हानि के लिए एक प्रकार का भत्ता स्थापित करती है जो व्यापार और अन्य प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षित नुकसान का अनुमान दर्शाता है।

31 मार्च, 2019 को भौगोलिक क्षेत्र द्वारा व्यापार प्राप्तियों के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम निम्नानुसार था:

विवरण	वहन राशि (₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2020	**31 मार्च 2019**
भारत	30,821.05	35,369.94
भारत के बाहर	223.71	830.22
	31,044.76	**36,200.16**

31 मार्च 2020 को काउंटरपार्टी प्रकार द्वारा व्यापार प्राप्तियों के क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम निम्नानुसार था:

विवरण	वहन राशि (₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
सरकार और सरकारी उपक्रम तथा अन्य प्रतिभूत ऋण	30,948.55	36,054.25
अन्य	96.21	145.91
	31,044.76	**36,200.16**

हानि

अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम की नहीं होती हैं। बोर्ड द्वारा मामले के आधार पर मामलों की समीक्षा और अनुमोदन पर कंपनी विशिष्ट प्रावधान बना रही है। जबकि, निजी ग्राहकों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि अनंतिम मैट्रिक्स का उपयोग करके प्रावधान निर्धारित किया जाता है

नकद और नकद समकक्ष

कंपनी के पास 31 मार्च 2020 (31 मार्च, 2019: ₹14,004.23 लाखों) तक ₹ 7,271.03 लाखों के नकद और नकद समकक्ष हैं।

कंपनी, निवेश समिति द्वारा सूचीबद्ध और बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न बैंकों के सावधि जमाओं में निवेश कर रही है। ऐसे सभी जमा केवल निवेश समिति के अनुमोदन से किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि नकदी और नकद समकक्ष प्रकृति में कम जोखिम के हैं और इसलिए किसी प्रकार की हानि उद्घाटित नहीं हुई है।

ii. चलनीधि जोखिम

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जिसके कारण कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े उन दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो नकदी या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति से निपटने के लिए तय किए गए हैं। चलनिधि के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए बिना या अग्राह्य हानि किए बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों ही स्थितियों में अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि होगी।

कंपनी सुनिश्चित करती है कि उसके पास वित्तीय दायित्वों के निर्वाह सहित अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए मांग पर पर्याप्त नकदी उपलब्ध है; इसमें अत्यधिक परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है, जिसका उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं। इसके अतिरिक्त, कंपनी निम्नलिखित क्रेडिट का अनुरक्षण करती है।

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

तालिका में प्रकट मात्रा में अनुबंधित अपरिवर्तनीय नकदी प्रवाह है। 12 महीनों के भीतर बैलेंस छूट के प्रभाव के रूप में अपने ले जाने के संतुलन के बराबर नहीं है।

वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता	3 महीने से कम	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्षों के बीच	2 साल से 5 साल के बीच	कुल
31 मार्च 2020						
गैर डेरिवेटिव						
उधारी	3344.23	10000.00				13344.23
व्यापार देनदारियां	12466.26	54.24	369.34			12889.84
अन्य वित्तीय देयताएं	4,418.10					4418.10
कुल गैर-व्युत्पन्न देयताएं	20228.59	10054.24	369.34	-	-	30652.17

iii. बाजार ज़ोखिम

(ए) विदेशी मुद्रा जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन करता है, जैसे विदेशी विनिमय दरें और ब्याज दरें जो कंपनी की आय या उसके वित्तीय साधनों के स्वामित्व के मूल्य को प्रभावित करती हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न के अनुकूल होने के दौरान स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाज़ार जोखिम को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है। चूंकि कंपनी का ज्यादातर परिचालन भारत में किया जा रहा है और चूंकि सभी भौतिक शेष अपनी कार्यात्मक मुद्रा में निहित हैं, इसलिए कंपनी मुद्रा में उतार-चढ़ाव जोखिम के लिए कोई भी माली जोखिम नहीं लेती है।

(बी) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम या तो उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम या नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण सावधि ब्याज वाले निवेश के उचित मूल्यों में होने वाले बदलावों का जोखिम है। नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण भविष्य के नकदी प्रवाह में फ्लोटिंग ब्याज वाले निवेश के प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा। कंपनी के बाहरी उधारों पर प्रतिवर्ष 8.35% की एक सावधि ब्याज दर होती है। इसलिए कोई भी ब्याज दर जोखिम निर्धारित नहीं किया गया है।

38. पूंजी प्रबंधन

(ए) जोखिम प्रबंधन

बोर्ड की नीति एक मजबूत पूंजी आधार को बनाए रखने की है ताकि निवेशक, लेनदार और बाज़ार के विश्वास को बनाए रखने और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। निदेशक मंडल पूंजी पर रिटर्न की निगरानी करता है, जिसे कंपनी कुल शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित परिचालन गतिविधियों के परिणाम के रूप में परिभाषित करती है।

बोर्ड उच्च रिटर्न के बीच एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, जो उच्च स्तर के उधार से और पूंजी की अच्छी स्थिति द्वारा जुटाई गई प्रतिभूति और लाभ से संभव हो सकता है। तुलनात्मक रूप से ब्याज वाले उधारों पर भारित औसत ब्याज व्यय (छद्म ब्याज के साथ देयताओं को छोड़कर) 8.70 प्रतिशत (2018: 8.35 प्रतिशत) था।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समायोजित पूंजी अनुपात के लिए कंपनी का ऋण निम्नानुसार था: (₹ लाखों में)

कुल देयताएँ	143,959.71
घटाव: नकद और नकद समकक्ष	7,271.03
समायोजित निवल ऋण	136,688.68
कुल इक्विटी	95,838.66
घटाव: हेजिंग आरक्षित	-
समायोजित इक्विटी	95,838.66
समेकित इक्विटी अनुपात में समायोजित निवल ऋण	1.43

39. परिचालन खंड

कंपनी सुपर अलॉयज और अन्य विशेष धातुओं के विनिर्माण का व्यवसाय करती है। कंपनी की मुख्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का मानना है कि कंपनी एक एकल व्यापार खंड का संचालन करती है। इसलिए, कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को छूट दी है।

40. संबंधित पार्टी लेनदेन

जनक इकाई (₹ लाखों में)

नाम	प्रकार	निगमन का स्थान	स्वामित्व ब्याज	
			31-मार्च-19	31-मार्च-18
भारत के राष्ट्रपति	धारित कंपनी	भारत	74%	74%

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन

मुख्य प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा

(₹ लाखों में)

पार्टी का नाम	31-मार्च-20					31-मार्च-19
	वेतन और मजदूरी	पीएफ और ईपीएस	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल	कुल
(क) डॉ. डी.के.लेखी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	100.31	3.76	-	4.01	108.08	76.95
(ख) श्री संजीव सिंघल, निदेशक (वित्त)(07 जनवरी 2020 तक)	46.99	2.36		0.12	49.47	46.69
(ग) श्री संजय कुमार झा, निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	84.32	3.47			87.79	57.49
(घ) श्री पॉल एंटोनी, सीएस	13.64	0.94			14.58	13.55
कुल	**245.26**	**10.53**	**-**	**4.13**	**259.92**	**194.68**

संयुक्त उद्यम:

वर्ष के दौरान कंपनी ने संयुक्त उद्यम के साथ निम्नलिखित लेन-देन किए

(₹ लाखों में)

संयुक्त उद्यम का नाम	लेन-देन का प्रकृति	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड	इक्विटी योगदान	2,000.00	-

रिपोर्टाधीन दिन की समाप्ति तक शेष

(₹ लाखों में)

संयुक्त उद्यम का नाम	लेन-देन का प्रकृति	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड	इक्विटी में निवेश	2,000.00	-

41. आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (इस हद तक प्रदान नहीं की गई)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 20	31 मार्च 19
(i) आकस्मिक देयताएं	5,935.34	4,297.02
कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	2,833.53	1,913.37
बैंक गारंटी	2,681.93	3,470.36
बकाया ऋण के पत्र	**11,450.80**	**9,680.75**
(ii) प्रतिबद्धताएं	**31 मार्च 20**	**31 मार्च 19**
अनुमानित राशि, पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष ठेके के लिए और (पूंजी प्रतिबद्धता) के लिए प्रदान नहीं की गई है	11,891.62	8,197.95
	11,891.62	**8,197.95**

42. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी की इक्विटी धारकों के फलस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर की मूल आय की गणना की जाती है।

i. कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 20	31 मार्च 19
कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ (₹ लाखों में)	15,973.38	13,055.69
अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	187,340,000	187,340,000
शेयर का अंकित मूल्य (₹)	10	10
आमदनी प्रति शेयर आधार और कमजोर (₹ प्रति शेयर)	8.53	6.97

वित्तीय वर्ष 2019-20 के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

43. भारतीय लेखा मानक-115 ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व

28 मार्च 2018 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने भारतीय लेखा मानक 115, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) के संशोधन नियम, 2018 के भाग के रूप में ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को अधिसूचित किया है। नए मानक 1 अप्रैल 2018 के आरंभ से या उसके बाद की लेखा अवधि के लिए प्रभावी है। नए मानक, वर्तमान अनुबंध तैयार करने से संबंधी भारतीय लेखा मानक 11 और भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व तथा 2016 में भारतीय लेखा मानक संस्थाओं के लिए जारी रियल इस्टेट लेनदेन के लिए लेखांकन पर भारत की चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के संशोधित मार्गदर्शन नोट और अन्य भारतीय लेखा मानकों का कुछ परिणामी परिवर्तन को शामिल करके स्थान लेंगे। इस मानक का उद्देश्य उन सिद्धांतों को स्थापित करना है जो किसी इकाई की प्रकृति, राशि, समय और राजस्व की अनिश्चितता और ग्राहक के साथ अनुबंध से उत्पन्न नकद प्रवाह के बारे में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उपयोगी जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए लागू होगी। इस मानक का मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई इकाई किसी ग्राहक को माल या सेवाओं के नियंत्रण को उस स्थान पर स्थानांतरित करती है जिस पर इकाई को हकदार होने की अपेक्षा की जाती है तो राजस्व को पहचाना जाना चाहिए।

44. कोविद-19 का प्रभाव:

(i) संचालन और राजस्व पर प्रभाव:

(क) लॉकडाउन के कारण 2 महीने तक कंपनी चालू नहीं थी

(ख) कर्मचारी सुरक्षा उपायों के कारण जैसे - सामाजिक दूरी, लचीला कार्य समय और रात की शिफ्ट के संचालन में प्रतिबंध , कंपनी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाई। ।

(ग) एमएसएमई विक्रेताओं ने परिचालन पूरी तरह से शुरू नहीं किया था।

(घ) आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से प्रमुख वितरण स्थगन हुआ।

(ii) तरलता जोखिम

कंपनी का ग्राहक आधार प्रमुख रूप से सरकारी क्षेत्र जैसे रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। चूंकि कई ग्राहक एमएसएमई को पेमेंट आदि की प्राथमिकता देकर समर्थन देने पर जोर देने के साथ ही बहुत ही कम संख्या में कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में लिक्विडिटी में कुछ हद तक तनाव हो सकता है क्योंकि कंपनी को भुगतान मिलने में देरी की आशंका की जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते, स्वदेशी एमएसएमई यों का समर्थन के उद्देश्य से कंपनी माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अपने विक्रेताओं को अनुबंध संबंधी दायित्वों का मान करना जारी रखती है।

इस आशय के साथ, कंपनी पर्याप्त तरलता के स्तर को धारण करने में तनाव की एक छोटी डिग्री से गुजर सकती है और जिसके कारण इसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक धन व्यवस्था की अव्यवस्था हो सकती है।

45. नई कॉर्पोरेट कर दरों का प्रभाव विश्लेषण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किया गया है। अध्यादेश से आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 2019 में संशोधन किया गया है। कुछ घरेलू कंपनवियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आकलन वर्ष 2020-21 से लागू आईटी अधिनियम में एक नया अनुभाग 115BAA जोड़ा गया है। यह घरेलू कंपनियों को 22% की दर से कर और लागू अधिभार एवं उपकर के भुगतान का विकल्प प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। हालांकि, अनुभाग 115BAA का लाभ उठाने का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब कंपनी की कुल आय की गणना निर्दिष्ट कटौती या छूट के लिए प्रदान किए बिना की जाए। प्रभाव विश्लेषण के निरीक्षण के बाद, वर्तमान आकलन वर्ष 2020-21 से कंपनी ने नया प्रावधान 115BAA: 22% + 10% सरचार्ज + 4% सेस अर्थात 25.168% अपनाया।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पुरानी कर दरों बनाम नई कर दरों की जगह आयकर और आस्थगित कर पर प्रभाव निम्नलिखित है (₹ लाखों में)

विवरण	नई कर की दरें @ 25.168% (₹ लाखों में)	पुरानी कर दरें @ 34.944% (₹ लाखों में)	प्रभाव (₹ लाखों में)
कर अदायगी से पूर्व लाभ	20208.62	20208.62	-
कर व्यय	5091.84	6828.84	-1737.00
आस्थगित कर	-856.60	356.64	-1213.24
कर अदायगी के बाद लाभ	15973.38	13023.14	2950.24
कर के निवल वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-195.33	-169.82	-25.51
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	15778.05	12853.32	2924.73

46. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए आवश्यकता के अनुसार पुनर्संरचित / पुनर्गठित किया गया है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने 30 जून 2020 को भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर सम दिनांक पर निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के अवलोकनों के अनुसार, अन्य मामला पैराग्राफ में पैरा – 1 उपरोक्त अवलोकनों के अनुपालन के साथ शामिल किया गया है।

राय

हमने मिश्र धातु निगम लिमिटेड (इसके बाद "कंपनी" के रूप में जाना जाता है) और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 को स्थित समेकित तुलनपत्र, और लाभ तथा हानि की समेकित विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन की समेकित विवरणी और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरणी और समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी सहित उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार और अन्य स्पष्टीकरणी सूचनाएँ दी हैं। (इसके बाद "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में जाना जाता है)।

हमारी राय में, हमें प्राप्त जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी को आवश्यक तरीके से, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित ("भारतीय लेखा मानक") के साथ पढी जाए और भारत में सामान्यत: स्वीकार किए गए अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ 31 मार्च, 2020 तक के कंपनी और इसके संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के समेकित मामले, समेकित लाभ, कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तन और इसका समेकित नकदी प्रवाह, वर्ष को समाप्त तारीख पर सही और त्रुटिहीन पाए गए।

राय के लिए आधार

हमने समेकित वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार संचालित की है। इन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए आगे दिए गए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित है। भारतीय सदनी लेखापाल संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के साथ समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा के लिए अपेक्षित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार जो यहाँ दिये गए अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के अधीन हैं, हम कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं तथा आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षा के संदर्भ में और हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर कोई अन्य राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान वर्ष में हमने जिन प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों को चिन्हित किया है वे इस प्रकार हैं:

प्रमुख लेखा परीक्षा मामला	हमारी लेखा परीक्षा में मामला कैसे संबोधित किया गया था
राजस्व मान्यता समेकित वित्तीय विवरणों के लिए लेखांकन नीति टिप्पणी सं. 2.3 और टिप्पणी सं. 28 का संदर्भ लें। हमने राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि कंपनी और उसके बाहरी हितधारक प्रमुख प्रदर्शन संकेतक के रूप में राजस्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे राजस्व के लिए नियंत्रण हस्तांतरित होने से पहले अतिरक्त या मान्य प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। राजस्व मानक यह निर्धारित करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा स्थापित करता है कि क्या, कितनी और कब राजस्व को मान्यता प्राप्त है। इसमें विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों की पहचान से संबंधित कुछ मुख्य निर्णय शामिल हैं, पहचान प्रदर्शन दायित्व के लेनदेन मूल्य का निर्धारण, राजस्व मान्यता को मापने के लिए उपयोग किए गए आधार की उपयुक्तता।	इस मामले के महत्व को देखते हुए हमने दूसरों से पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को लागू किया: 1. हमने लागू लेखा मानकों की तुलना करके राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का आकलन किया। 2. हमने चयनित लेनदेन पर राजस्व मान्यता के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों के संचालन और संचालन प्रभावशीलता के डिजाइन का मूल्यांकन किया। 3. हमने राजस्व लेनदेन के नमूनों का चयन करके पर्याप्त परीक्षण किया, जो सांख्यिकीय नमूने के उपयोग से अंतर्निहित दस्तावेजों के परीक्षण द्वारा वर्ष के दौरान दर्ज किया गया। 4. हमने असामान्य परिवर्तन की पहचान करने के लिए वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त राजस्व पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। 5. हमने नमूना आधार पर परीक्षण किया है कि क्या राजस्व लेनदेन को रिपोर्टिंग डेटा के निकट उचित अवधि में प्रासंगिक अंतर्निहित दस्तावेज के साथ चयनित लेनदेन की तुलना करके माल वितरण टिप्पणी और बिक्री की शर्तों सहित पहचाना गया है। हमने यह सत्यापित करने के लिए अंतर्निहित दस्तावेज का निरीक्षण किया है कि नियंत्रण और स्वामित्व ग्राहक को हस्तांतरित किया गया है।

मामले की प्रमुखता

हम समेकित वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियों के निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

1) टिप्पणी संख्या 9 (अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां), टिप्पणी संख्या 11 (चालू वित्तीय परिसंपत्तियां व्यापार प्राप्य),टिप्पणी संख्या 14 (चालू वित्तीय परिसंपत्तियां- अन्य), टिप्पणी संख्या 15 (अन्य चालू परिसंपत्तियां), टिप्पणी संख्या 22 (अन्य गैर-चालू देयताएं), टिप्पणी संख्या 24 (व्यापार देयताएं), टिप्पणी संख्या 25 (चालू वित्तीय देयताएं अन्य) और टिप्पणी संख्या 26 (अन्य वर्तमान देयताएं) समेकित वित्तीय विवरणों की शेष राशि / पुनर्मिलान की पुष्टि की प्राप्ति के अधीन हैं।

2) हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी संख्या 44 पर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाले प्रभाव का वर्णन करती है।

उपर्युक्त मामलों के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय संशोधित नहीं की गई है।

अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में सीएसआर गतिविधियां, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट, व्यापार दायित्व रिपोर्ट, ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण और विदेशी मुद्रा अर्जनों और निकासियों पर रिपोर्ट, नैगम शासन पर इसके अनुलग्नकों सहित रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट में शेयरधारक सूचना और निहित अन्य जानकारी सहित निदेशकों की रिपोर्ट में निहित जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारी रिपोर्ट शामिल नहीं है। इन रिपोर्टों को इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को समाहित नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि जब यह उपलब्ध हो जाए, तो ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ज्ञान प्राप्त करने के दौरान हमारी लेखा परीक्षा में या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होता है।

जब हम अन्य जानकारी को पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें सामग्री का गलत उपयोग है, तो हमें इस मामले को शासन के साथ आरोपित करने की आवश्यकता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुसार इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में जो समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई का समेकित नकदी प्रवाह, भारत में सामान्यत: स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखा मनक) नियम, 2015 यथा संशोधित के साथ पढ़े जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक सहित का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई का निदेशक मंडल परिसंपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव जो कि लेखांकन के अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो समेकित वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं, यह दुरुपयोग चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जो कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए प्रयोग किए गए हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है।

समेकित वित्तीय विवरणियाँ तैयार करते समय निदेशक मंडल की जिम्मेदारी होती है कि वह कंपनी की क्षमता का आकलन करें। यह आकलन कंपनी से संबंधित चिंता के विषय, चिंतनीय विषयों के संबंध में प्रकटीकरण करने, जो लागू हो, वह चिंता से संबंधित मामले और लेखांकन के लिए चिंता के विषयों को आधार बनाएँ जब तक कि कंपनी या इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई का प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा न रखता हो या संचालन बंद कर दे या ऐसा करने के अलावा कोई अन्य वास्तविक विकल्प नहीं हो।

कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई का निदेशक मंडल प्रत्येक कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित वित्तीय विवरणियाँ संपूर्ण रूप से भौतिक अनियमितताओं से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि स्टैंडअलोन के अनुसार की गयी लेखा परीक्षा में हमेशा भौतिक अनियमितताएं मौजूद होने पर उसका पता लगाएगी। अनियमितताएं, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं। इसे भौतिक माना जाता है यदि यह एकल या समग्र रूप में हो। इन समेकित वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को ये यथोचित व अपेक्षित रूप में प्रभावित कर सकती हैं।

स्टैंडअलोन लेखा के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा दैरान हम पेशेवर संदेहात्मक नजर बनाए रखते हैं। हम निम्न कार्य भी करते हैं:

- समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक गलतबयानी की पहचान और मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण, जोखिमों के लिए उत्तरदायी हों, लेखा परीक्षा प्रक्रिया को डिज़ाइन करते हैं और निष्पादित करते हैं। उन लेखा परीक्षा साक्ष्यों को प्राप्त करतें हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित होंगे। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक हैं, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की ओवरराइड शामिल हो सकती है।
- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा **143 (3) (i)** के तहत, हम इस पर भी अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशील है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करेंगे।
- लेखांकन की आधारभूत चिंताओं को प्रबंधन द्वारा उपयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालते हैं। प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, कि क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जिससे कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न हो सकता है जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है।
- यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के लिए चिंता का विषय बनी रह सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री, और इसका मूल्यांकन करें कि क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई की व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम इस तरह की इकाई के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं।

भौतिकता समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे कार्य के परिणामों के मूल्यांकन में; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरणों सहित अन्य मामलों के बीच कंपनी और ऐसी अन्य संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के शासन के संदर्भ में लगाए गए आरोप, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखा परीक्षा और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के योजनाबद्ध अवसर और समय के साथ संवाद करते हैं, जिसे हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम समेकित वित्तीय विवरणों सहित कंपनी और ऐसी अन्य संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के शासन के संदर्भ में लगाए गए आरोप के साथ एक बयान भी प्रदान करते हैं जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों का उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता को सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है का अनुपालन किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों सहित कंपनी और ऐसी अन्य संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के शासन के साथ आरोप लगाए गए मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो मौजूदा अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण का प्रस्ताव नहीं देता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को सूचित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणामों का यथोचित परिणाम अपेक्षित होगा जिससे इस तरह की सूचना के जन हित लाभ के महत्व के बढ़ने की संभावना है।

अन्य मामलें

संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की ₹ 162.75 लाख की निवल हानि का हिस्सा शामिल है, जैसा कि संयुक्त नियंत्रिणाधीन इकाई **मैसर्स उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड** के संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में देखा गया है, जिसके वित्तीय विवरणों की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्राप्त हुई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, अब तक यह इसकी संयुक्त नियंत्रिणाधीन इकाई और हमारी रिपोर्ट के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में, अब तक यह पूर्वोक्त संयुक्त उद्यम से संबंधित है, जो पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई हमारी "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट", उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो कि किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और निदेशक मंडल द्वारा प्रमाणित अन्य लेखा परीक्षक और वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट के संबंध में है।

कंपनी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ 31 अक्टूबर 1991 को 'पट्टा अनुबंध' पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 35 एकड़ और 39 गंटों को 30 साल की अवधि के लिए नाममात्र पट्टा ` 1 प्रति एकड़ पट्टे पर लिया गया था। 'पट्टा अनुबंध' के अनुसार कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान जमीन के मालिकाना हक को बरकरार रखती है और पट्टे की अवधि की समाप्ति के बाद मालिक बनी रहेगी। पट्टे पर दी गई भूमि की सीमा नोट संख्या 3.1 में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण समेकित वित्तीय विवरणियों में दर्शायी गई है। हालांकि, 116 पट्टा भारतीय लेखा मानक अनुसार, यह पट्टा एक परिचालन पट्टे की प्रकृति में है और वित्तीय विवरणों में पट्टे की प्रकृति का खुलासा किया जाना चाहिए।

पट्टा किराए की व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए समेकित वित्तीय विवरणियों में किसी भी पट्टा लेन-देन का हिसाब नहीं दिया गया है या इसकी रिपोर्ट नहीं की गई है। इसलिए, पट्टे की प्रकृति का खुलासा नहीं किया गया और कंपनी द्वारा पट्टों पर कोई अलग लेखांकन नीति नहीं अपनाई गई।

अन्य विधिक और विनियमावली की आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित, हम **अनुलग्नक-"ए"** में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मामलों, उन पर की गई कार्रवाई और लेखों पर इसके प्रभाव और कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के समेकित वित्तीय विवरण पर एक वक्तव्य देते हैं।

2. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (3) की अपेक्षानुसार, जहाँ तक लागू हो, हम यह रिपोर्ट देते हैं कि:

   (1) उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के प्रयोजन के लिए मांगी गयी सभी आवश्यक सूचनाएं और स्पष्टीकरण, जहां तक हमारी जानकारी है और हमारे विश्वास हैं, हमने प्राप्त कर लिए हैं;

   (2) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून की आवश्यकता के अनुसार उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित उचित लेखा बहियां रखी गयी हैं जो इन बहियों के हमारे परीक्षण और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रतीत होता है।

   (3) इस रिपोर्ट में संदर्भित समेकित तुलन-पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि का समेकित विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नगदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के साथ मेल खाता हैं जो समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए अपनाया गया है।

   (4) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित, के साथ पढ़ी जानेवाली अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत दर्शाये गये भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   (5) दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. G.S.R. No.463(E) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है और इसकी भारत में स्थापित संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों के आधार पर, अधिनियम की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के बाद से इन संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2020 तक अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

   (6) कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में **अनुलग्नक "बी"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक असंशोधित राय व्यक्त करती है।

   (7) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकगण) नियमावली, 2014 के नियम11 के अनुसरण में लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमें दी गयी सूचना और स्पष्टीकरणों के बारे में हमारी राय के अनुसार :

      i. कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के पास लंबित मुकदमे हैं, जिनके संबंध में देनदारियां या तो आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रदान की गई हैं या खुलासा की गई हैं - समेकित वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों की टिप्पणी 41 का संदर्भ लें। कंपनी की समेकित वित्तीय स्थिति पर कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई ने इन लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है जो उनके न्यायिक परिणामों के अधीन है;

      ii. कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के पास प्राप्त किये जानेवाले ठेकों सहित कोई दीर्घकालीन ठेके नहीं थे जिनके लिए कोई भौतिक हानियां नहीं हैं;

      iii. कंपनी और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई द्वारा राशि स्थानांतरण में विलंब नहीं था, जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो।

कृते बाशा एवं नरसिम्हन,
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या: **006031S**

हस्ता/-
(सीए के नरसिम्हा साह)
भागीदार
सदस्य संख्या 201777
आईसीएआई यूडीआईएन: 20201777AAAAAZ7271

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 अगस्त, 2020

अनुलग्नक –"ए"

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(सम दिनांक पर सौंपी गई हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के अंतर्गत अनुच्छेद 1 संदर्भ लिया जाए) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत दिशानिर्देशों पर रिपोर्ट

क्र.सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन दिशानिर्देश	दिशानिर्देशानुसार की गई कार्रवाई के प्रति लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया	प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ के साथ-साथ खातों की निष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, तो स्पष्ट करें	कंपनी द्वारा खरीद लेखांकन, बिक्री लेखांकन, इन्वेंटरी लेनदेन, उत्पादन लेनदेन, लेखा देय, लेखा प्राप्य, निश्चित परिसंपत्तियां, पेरोल की प्रक्रियाओं के लिए ओरेकल ईआरपी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया कर रही है और ओरेकल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, जनरल लेजर सहित सभी व्यवसाय और वित्तीय लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए सभी मॉड्यूल एक - दूसरे के साथ एकीकृत है। सॉफ्टवेयर में स्वचालित जांच और सत्यापन के आंतरिक संबंधित मॉड्यूल्स उपबल्ध हैं जिससे डेटा की सूक्ष्मता और सत्यता बनी रहती है। सभी भुगतान अनुमोदन ओरेकल मॉड्यूल में परिभाषित अनुमोदन पदानुक्रम का उपयोग करके संसाधित किए जाते हैं। ओरेकल आधारित ईआरपी सिस्टम से सभी लेखांकन लेनदेन संसाधित होते हैं और परीक्षण शेष उत्पन्न किया जाता है। उपरोक्त के अनुसार, हम पुष्टि करते हैं कि आईटी सिस्टम के बाहर कोई वित्तीय लेनदेन नहीं किया जाता है और इसलिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान खातों की निष्ठा पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ता है।	शून्य
2.	क्या कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण की माफी या छूट / देय / ऋण / ब्याज आदि के मामलों का पुनर्गठन किया गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव स्पष्ट करें	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और किताबों की हमारी परीक्षा के आधार पर, हम यह राय देते हैं कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी पर मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन या छूट / देय / ऋण / ब्याज आदि के राइट-ऑफ आदि से देनेदार द्वारा कोई मामला नहीं बनता है।	शून्य
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि / प्राप्य को उसके कार्यकाल और शर्तों के अनुसार ठीक से उपयोग किया गया था? विचलन के मामले सूचीबद्ध करें	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर: अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय से ₹.6.00 करोड़ का अनुदान। इस पहल के तहत कंपनी द्वारा एक नया वैक्यूम इंडक्शन मेल्टिंग फर्नेस स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और कार्य प्रगति पर है। इन अनुदानों की गणना भारतीय लेखा मानक 20 तथा लेखा नीति 2.23 के अनुसार की जाती है।	शून्य

कंपनी के संयुक्त उद्यम से संबंधित मिश्र धातु निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143 (5) के अंतर्गत हमारी रिपोर्ट, जिसपर अधिनियम की धारा 143 (5) लागू है, ऐसे संयुक्त उद्यम के लेखा परीक्षक की संबंधित रिपोर्ट और प्रबंधन द्वारा तैयार जानकारी पर आधारित है।

कृते बाशा एवं नरसिम्हन,
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या: **006031S**

हस्ता/-
(सीए के नरसिम्हा साह)
भागीदार
सदस्य संख्या 201777
आईसीएआई यूडीआईएन: 20201777AAAAAZ7271

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 अगस्त, 2020

अनुलग्नक "बी"

मिश्र धातु निगम लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

(मिश्र धातु निगम लिमिटेड के सदस्यों को सम दिनांक पर सौंपी गई हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के अंतर्गत अनुच्छेद 2(एफ) का संदर्भ लिया जाए)

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट।

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, हमने मिश्र धातु निगम लिमिटेड की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है (इसके बाद ("कंपनी") के रूप में जाना जाता है) और इसकी संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार किया, जो उस तिथि को भारत में स्थापित कंपनियां हैं।

संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त हुई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, अब तक यह इसकी संयुक्त नियंत्रिणाधीन इकाई और हमारी रिपोर्ट के संबंध में शामिल राशि और खुलासे से संबंधित है और हमारी रिपोर्ट अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) और (11) के संदर्भ में, अब तक यह संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई से संबंधित है, जो पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के तहत हमारी पूर्वोक्त रिपोर्ट में अब तक संयुक्त नियंत्रिणाधीन इकाई से संबंधित है, जो भारत में शामिल कंपनियां हैं और ऐसी कंपनी के अन्य लेखा परीक्षक की तदनुरूप रिपोर्ट पर आधारित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना और अनुरक्षण करना कंपनी और इसके संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई जो भारत में स्थापित कंपनी है के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है। कंपनी ने भारतीय सदनी लेखापाल संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्ट तैयार करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं की स्थापना की है। इन्हीं बिंदुओं पर तैयार आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित हैं। उक्त उत्तरदायित्व में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल हैं। इनका प्रभावी रूप से प्रचालन करके कंपनी की विशिष्ट नीतियों के पालन सहित उसके संव्यवहार का समय पर और प्रभावी संचालन, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाकर उनकी रोकथाम करना, लेखा अभिलेखों की सटीकता एवं और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित की जाती है।

लेखापरीक्षकगणों का उत्तरदायित्व

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर तैयार वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में हमारी राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। हमने भारतीय सदनी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ("दिशानिर्देश टिप्पणी") और लेखा परीक्षा के मानकों पर दिशानिर्देश टिप्पणी के अनुसार लेखा परीक्षा का कार्य किया है। आंतरिक लेखा नियंत्रण की लेखा परीक्षा के लिए लागू ये लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित होते हैं।

नैतिक आवश्यकताओं और क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया गया तथा बनाए रखा गया और यदि हर एक समग्री के संबंध में ऐसे नियंत्रणों का प्रभावी संचालन किया गया है, तो उसका उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना के अनुरूप लेखा परीक्षा करने के लिए इन मानकों और दिशानिर्देश टिप्पणी की आवश्यकता होती है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उसके प्रभावी परिचालन के लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, मौजूद सामग्री की कमजोरी के जोखिम का आकलन, मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण का अभिल्प और उसके प्रभावी प्रचालन का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रिया धोखाधड़ी या गलती से हुए समेकित वित्तीय विवरण के वास्तविक अशुद्ध विवरण की जोखिम के मूल्यांकन सहित लेखा परीक्षक के निर्णय पर अधारित होती है।

हम समझते है कि वित्तीय रिपोर्ट पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा की राय के लिए आधार उपलब्ध कराने में हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य और अन्य मामलों पर नीचे दिए गए पैराग्राफ में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसरण में बाह्य प्रयोजन के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार की गई एक प्रक्रिया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रिया शामिल होती हैं जो

(1) कंपनी की परिसंपत्ति के अभिलेख के रखरखाव के संबंध में उचित विवरण, सही और उचित रूप से लेन-देन एवं स्थिति को प्रतिबिंबित करे;

(2) उचित अश्वासन प्रदान करे कि सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यकता के रूप में लेन-देन को अभिलेखित करे और यह कि कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकगणों के प्राधिकरण के अनुसार कंपनी के प्राप्य और व्यय तैयार करें, और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या प्रकृति जो समेकित वित्तीय विवरण को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, का समय पर पता लगाने या उसके रोकथाम के संबंध में उचित आश्वसन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाओं के कारण नियंत्रणों के अतिक्रमण के लिए दुरभिसंधि या अनुपयुक्त प्रबंधन सहित गलत सामग्री विवरण तैयार हो जाते हैं और धोखाधड़ी या गलती पकड़ में नहीं आती है। यह भी कि, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति परिवर्तन के कारण या नीतियाँ या प्रक्रिया के बिगड़ने के कारण अपर्याप्त हो जाने पर भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन को उद्घाटित करना जोखिम भरा होता है।

राय:

हमारी राय में, जहाँ तक हमें जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी और इसके संयुक्त नियंत्रणाधीन इकाई जो भारत में स्थापित कंपनी है में सभी सामग्री मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का 31 मार्च 2020 तक प्रभावी प्रचालन किया जाता रहा है। यह भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर दिशानिर्देश टिप्पणी में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर कंपनी द्वारा विचार करके स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड पर आधारित है।

कृते बाशा एवं नरसिम्हन,
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या: **006031S**

हस्ता/-
(सीए के नरसिम्हा साह)
भागीदार
सदस्य संख्या 201777
आईसीएआई यूडीआईएन: 20201777AAAAAZ7271

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 28 अगस्त, 2020

भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 143 (6) (बी) के तहत मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणियों पर की गई टिप्पिणयाँ

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित–वित्तीय रूपरेखा के तदनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद का समेकित वित्तीय विवरणियाँ तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 139(5) के तहत नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक पर वित्तीय-विवरणों पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 143 के अधीन, अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपना मत अभिव्यक्त करने का दायित्व होता है। यह उनके द्वारा दिनांक 28.08.2020 को प्रस्तुत संशोधित लेखा परीक्षआ रिपोर्ट है जो 30 जून 2020 की उनकी पहले की लेखा परीक्षा रिपोर्ट को रद्द करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पढ़े जाने वाली धारा 143(6) (ए) के तहत, मेसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखापरीक्षा की है। हमने इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए मैसर्स मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद और मैसर्स उत्कर्ष एल्यूमिनियम धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वित्तीय विवरणियों की पूरक लेखा परीक्षा की है।

यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षक के काम के कागजात तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है और प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षक व कंपनी कार्मिक पूछताछ तथा चयनित लेखा रिकार्डों की जांच तक सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक की आवश्यकता होगी।

कृते भारत सरकार के
नियंत्रक व लेखापरीक्षक तथा उनकी ओर से

हस्ता/-
(संतोष कुमार)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा

स्थान : बैंगलूरु
दि: 28 अगस्त 2020

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च 2020 तक

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
परिसंपत्तियाँ :			
गैर-चालू परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	43,970.52	42,367.02
पूँजीगत कार्य-प्रगति में	5	40,482.01	17,504.70
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	104.11	127.67
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) निवेश	6	2,047.36	210.11
(ii) ऋण	7	64.85	-
गैर चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	8	543.63	1,065.17
अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	999.69	4,620.72
कुल गैर-चालू परिसंपत्तियाँ		**88,212.17**	**65,895.39**
चालू परिसंपत्तियाँ:			
माल सूची	10	91,050.37	50,883.65
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	11	29,739.51	35,224.32
(ii) नकद और नकदसमकक्ष	12	7,271.03	14,004.23
(iii) बैंक शेष [उपर्युक्त (ii) के अलावा]	13	3,818.64	5,795.32
(iv) अन्य	14	1,335.36	1,148.49
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	15	18,208.54	9,515.52
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		**151,423.45**	**116,571.53**
कुल परिसंपत्तियाँ		**239,635.62**	**182,466.92**
इक्विटी और देयता			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	16	18,734.00	18,734.00
अन्य इक्विटी	17	76,941.91	64,736.91
कुल इक्विटी		**95,675.91**	**83,470.91**
देयताएँ			
गैर-चालू देएताएँ			
वित्तीय देएताएँ			
(i) उधार	18	18.41	57.06
(ii) अन्य	19	32,597.80	15,609.81
प्रावधान	20	125.18	108.99
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	21	3,123.40	3,980.00
अन्य गैर-चालू देयताएं	22	38,409.92	25,889.86
कुल गैर-चालू देयताएं		**74,274.71**	**45,645.72**
चालू देएताएँ			
वित्तीय देएताएँ			
(i) उधार	23	13,344.23	10,608.61
(ii) व्यापार भुगतान	24	12,889.84	12,840.40
(iii) अन्य	25	4,418.10	6,293.42
अन्य चालू देयता	26	35,992.01	21,530.03
प्रावधान	27	3,040.82	2,077.83
कुल चालू देएताएँ		**69,685.00**	**53,350.29**
कुल इक्विटी और देएताएँ		**239,635.62**	**182,466.92**

संलग्न 1 से 46 टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणियों के आंतरिक भाग हैं

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुवाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

MIDHANI

समेकित लाभ-हानि विवरणी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आय				
	संचालन से राजस्व	28	71,287.57	71,084.62
	अन्य आय	29	3,643.63	3,689.46
कुल आय			**74,931.20**	**74,774.08**
व्यय				
	उपभोग की गई सामग्री की लागत	30	37,660.59	29,276.27
	तैयार माल, कार्य-प्रगति और स्टॉक-इन-ट्रेड की सूची में बदलाव	31	(25,723.34)	(10,398.60)
	कर्मचारी लाभ व्यय	32	12,348.46	10,840.54
	वित्त लागत	33	591.60	636.35
	अवमूल्यन और परिशोधन व्यय	3, 4	2,611.44	2,319.48
	अन्य व्यय	34	27,233.83	22,995.26
कुल व्यय			**54,722.58**	**55,669.30**
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ / (हानि)			**20,208.62**	**19,104.78**
असाधारण मदें - आय / (व्यय)			-	-
कर से पूर्व लाभ / (हानि)			(162.75)	-
कर व्यय			**20,045.87**	**19,104.78**
	चालू कर	35	5,072.69	4,934.79
	पिछले वर्ष का कर		19.15	(2.10)
	एम ए टी ऋण पात्रता		-	-
	आस्थगित कर		(856.60)	1,116.40
अवधि के लिए लाभ / (हानि)			**15,810.63**	**13,055.69**
अन्य व्यापक आय				
ए	(i) मदें जो कि लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे		(261.03)	75.01
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जाएँगे।		65.70	(26.21)
बी	(i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएंगे।		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जाएँगे।		-	-
कर का निवल अन्य व्यापक आय वर्ष के लिए			-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			**(195.33)**	**48.80**
(अवधि के लिए लाभ / (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल करना)			**15,615.30**	**13,104.49**
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन (₹ में राशि)				
	मूल (₹)		8.44	6.97
	अनुकूल (₹)		8.44	6.97
	शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या) (मूल एवं अनुकूल)		187,340,000	187,340,000

संलग्न 1 से 48 टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणियों के आंतरिक भाग हैं

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुवाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

इक्विटी परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2020 को समाप्त अवधि के लिए

ए: इक्विटी शेयर पूजी

विवरण	राशि
31 मार्च 2018 को शेष राशि	**18,734.00**
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2019 को शेष राशि	**18,734.00**
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2020 को शेष राशि	**18,734.00**

बी. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल अन्य इक्विटी
	प्रतिधारित अर्जन	सामान्य आरक्षित	अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	
1 अप्रैल 2018 को अथ शेष राशि	**880.12**	**59,075.87**	**213.49**	**60,169.48**
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				**-**
अवधि के लिए लाभ	13,055.69			**13,055.69**
निवल परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति, कर प्रभाव का निवल की पुन:गणना			48.80	**48.80**
लाभांश	(7,081.45)			**(7,081.45)**
लाभांश वितरण कर	(1,455.61)			**(1,455.61)**
सामान्य आरक्षित को आंतरित	(5,000.00)	5,000.00		**-**
31 मार्च 2019 को शेष	**398.75**	**64,075.87**	**262.29**	**64,736.91**
1 अप्रैल 2019 को अथ शेष	**398.75**	**64,075.87**	**262.29**	**64,736.91**
इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन				**-**
अवधि के लिए लाभ	15,810.63			**15,810.63**
निवल परिभाषित लाभ के निवल की पुन:गणना			(195.33)	**(195.33)**
लाभांश	(2,828.83)			**(2,828.83)**
लाभांश वितरण कर	(581.47)			**(581.47)**
सामान्य आरक्षित को आंतरित	(6,500.00)	6,500.00		**-**
31 मार्च 2020 को शेष	**6,299.08**	**70,575.87**	**66.96**	**76,941.91**

संलग्न 1 से 48 टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणियों के आंतरिक भाग हैं

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुवाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

MIDHANI

समेकित नकदी प्रवाह विवरणी

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह	19,784.84	19,179.79
वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (कर से पहले)		
निम्नांकित के लिए समायोजन:	162.75	
मूल्य ह्रास व्यय	2,611.44	2,319.48
वित्त लागत	591.60	636.35
ब्याज आय	(1,335.19)	(1,355.67)
नियत परिसंपत्ति पर लाभ / हानि	(9.27)	4.67
	21,806.17	20,784.62
चालू कार्य पूंजी समायोजन:		
माल सूची में कमी (वृद्धि)	(40,166.72)	(26,745.60)
व्यापार प्राप्तियों और ऋण में कमी (वृद्धि)	5,419.96	6,119.18
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में कमी (वृद्धि)	(186.87)	791.96
अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति में कमी (वृद्धि)	3,621.03	2,044.51
अन्य चालू परिसंपत्ति में कमी (वृद्धि)	(8,693.02)	(8,264.55)
व्यापार देनदारियों में वृद्धि (कमी)	73.99	3,232.98
अन्य वित्तीय देयताओं में वृद्धि (कमी)	15,112.67	9,716.41
प्रावधानों में वृद्धि (कमी)	979.18	(544.95)
गैर-चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	12,520.06	18,483.99
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि (कमी)	14,461.98	9,147.05
परिचालनात्मक क्रियाकलापों द्वारा जनित नकदी	24,948.43	34,765.60
आयकर भुगतान (निवल)	(4,504.60)	(5,163.10)
परिचालनात्मक क्रियाकलापों द्वारा निवल नकद (ए)	20,443.83	29,602.50
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अधिग्रहण	(27,168.69)	(21,376.27)
अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ / हानि	9.27	(4.67)
अन्य परियोजनाओं में निवेश	(2,000.00)	-
प्राप्त ब्याज	1,335.19	1,355.67
सावधि जमा में निवेश	8,300.00	(511.30)
निवेश क्रियाकलापों से निवल नकद (बी)	(19,524.23)	(20,536.57)
वित्तीय क्रियाकलापों द्वारा नकदी प्रवाह		
उधार का पुनर्भुगतान	2,696.97	1,380.31
शेयरों पर लाभांश	(3,411.58)	(8,539.94)
ब्याज भुगतान	(591.60)	(636.35)
वित्तपोषण गतिविधियों (में इस्तेमाल किया) से निवल नकदी प्रवाह (सी)	(1,306.21)	(7,795.98)
नकद और नकद समकक्षों में निवल वृद्धि (कमी) (ए + बी + सी)	(386.61)	1,269.95
1 अप्रैल को नकद और नकद समकक्ष	1,373.50	103.55
रिपोर्टिंग की तारीख पर नकद और नकद समकक्ष	986.89	1,373.50
तुलन पत्र के अनुसार नकदी और नकद समकक्षों का पुनर्निर्माण		
नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार नकद और नकद समकक्ष	986.89	1,373.50
अन्य बैंक शेष राशि जो उपरोक्त में शामिल नहीं की गई		
- अवधि जमा	6,284.14	12,630.73
रिपोर्टिंग की तारीख पर नकद और नकद समकक्ष (अवधि जमा सहित)	7,271.03	14,004.23

संलग्न 1 से 48 टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणियों के आंतरिक भाग हैं

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुवाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. सामान्य सूचना

मिश्र धातु निगम लिमिटेड ("कंपनी") 1976 में स्थापित भारत सरकार का उद्यम है। यह सुपर अलॉय्स, टाइटेनियम, विशेष प्रयोजन स्टील और अन्य विशेष धातुओं के विनिर्माण के व्यवसाय में लगा हुआ है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय 'पीओ कंचनबाग, हैदराबाद, 500058 ' में है।

कंपनी ने एल्यूमीनियम आधारित अलॉय के क्षेत्र में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी मैसर्स उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड में रणनीतिक निवेश किया है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

2.1 तैयारी का आधार

i. अनुपालन विवरण

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के समेकित वित्तीय विवरण भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 कंपनी नियम 2015 के नियम 3 (भारतीय लेखा मानक) के साथ पढ़ी जाए, के तहत यथाअधिसूचित] के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किए गए हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के साथ जिस हद तक लागू, वहाँ तक इन्हें लगातार लागू किया गया है।

ii. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरण को भारतीय रुपए में प्रस्तुत किया जाता है, जो कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम की कार्यात्मक मुद्रा और प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा है, जिसमें इकाई संचालित होती है। भारतीय रुपयों में प्रस्तुत सभी वित्तीय जानकारी शेयर और प्रति शेयर डेटा को छोड़कर नजदीकी लाखों में पूर्णांकित किया गया है।

iii. आकलन और निर्णय का उपयोग

भारतीय लेखा मानक के अनुसरण में वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए आकलन और पूर्वानुमान की आवश्यकता होती है जो कि लेखांकन नीतियों को और परिसंपत्तियों एवं देयताओं की रिपोर्ट में दी गई राशि को तथा रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट में दी गई मात्रा के अनुप्रयोग को प्रभावित करती है। अनुमान और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। जिस अवधि में आकलन का संशोधन किया जाता है उसी में लेखा आकलनों के संशोधन को प्रमाणित किया जाता है।

2.2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

नीचे दिए गए लेखांकन नीतियों को इन समेकित वित्तीय विवरणों में, जब तक अन्यथा संकेत नहीं दिया गया हो, प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है।

2.3 राजस्व मान्यता

राजस्व को तब मान्यता दी जाती है जब खरीदार को माल का स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण के महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल पारितोषिक हस्तांतरित किए जाते हैं। विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री से होने वाले राजस्व को उस समय मान्यता दी जाती है जब ग्राहक को माल पहुंचाया जाता है। अलॉय की आपूर्ति में तृतीय-पक्ष उपकरण या सामग्री की आपूर्ति शामिल हो सकती है। इस प्रकार के मामलों में, जहाँ तृतीय पक्ष उत्पादों की आपूर्ति के लिए राजस्व सकल या शुद्ध आधार पर दर्ज किया जाना, इस पर बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम, प्रमुख ग्राहक के रूप में कार्य कर रही है या ग्राहक के एजेंट के रूप में। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम जब प्रमुख ग्राहक होते हैं तब राजस्व को विचारणीय सकल राशि के रूप में मान्यता देते हैं और जब वह एजेंट होते हैं तब राजस्व को निवल राशि में मान्यता देते हैं।

राजस्व को लेन-देन की कीमत के आधार पर मापा जाता है, जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट के अनुसार, मात्रा छूट, परिसमापन नुकसान, प्रदर्शन बोनस और प्रोत्साहन के लिए समायोजित किया जाता है। बिक्री राजस्व को निवल रिटर्न, व्यापार छूट और मात्रा में छूट के समायोजन के उचित मूल्य पर मापा जाता है। राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब सामान्यत: बिक्री समझौते के निष्पादन के रूप में, कि महत्वपूर्ण जोखिम और प्रतिफल पारितोषिक की स्वीकृति को खरीदार को अंतरित कर दिए जाने के प्रेरक साक्ष्य मौजूद होते हैं, तत्संबंधी वसूली संभव है, संबद्ध लागत और माल पर होने वाले संभावित लाभ का आकलन विश्वासपूर्वक किया जा सकता है, माल के साथ कोई निरंतर प्रबंधन शामिल नहीं होता है, और राजस्व की मात्रा स्थिरता से मापी जा सकती है। बिक्री अनुबंध के संबंधित नियमों और शर्तों के आधार पर जोखिम और प्रतिफल पारितोषिक के हस्तांतरण के लिए उपयुक्त समय परिवर्तित होता रहता है।

पूर्व-कार्य अनुबंध के मामले में, राजस्व को मान्यता तब दी जाती है जब माल खरीदार को भेजने के लिए माल वाहक / एजेंट को सौंप दिया जाता है और जहां भी ग्राहक का पूर्व निरीक्षण निर्धारित होता है; ग्राहक के निरीक्षक द्वारा स्वीकृति पर राजस्व को मान्यता प्राप्त होती है।

एफओआर/एफओबी गंतव्य स्थल ठेकों पर विक्रय के मामले में, लेखागत अवधि के भीतर गंतव्य स्थल पर पहुँचने वाले प्रेषणों के संबंध में, परिवहन ठेके में परिभाषित किए गए अनुसार अपेक्षित समय पर विचार करते हुए राजस्व को मान्यता दी जाती है।

बाहरी एजेंसियों से विक्रय अनुबंध / आदेश के संबंध में अतिरिक्त राजस्व के दावे की गणना उगाही की निश्चितता पर होती है।

सेवा प्रदान करने पर राजस्व: जब प्रदान की गई सेवाओं का नतीजा भरोसेमंद अनुमान लगाया जा सकता है, तब राजस्व की पहचान की जाती है। उस अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है जब पूरी गई सेवा की रिपोर्टिंग तिथि अनुबंध चरण में संदर्भित के अनुसार हो।

अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता तब दी जाती है, जब अनुबंध के बिलों पर अधिक राजस्व की कमाई होती है। जब अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिना शर्त नकदी प्राप्त करने का अधिकार हो और केवल थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता हो, तो अनुबंध परिसंपत्ति को अनिर्धारित प्राप्य (केवल चालान की कार्रवाई लंबित) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

राजस्व से अधिक की बिलिंग होने पर अनर्जित और आस्थगित राजस्व ("अनुबंध देयता") को मान्यता दी जाती है।

अनुबंध, उनसे संबंधित विनिर्देश और आवश्यकताओं में परिवर्तन के लिए खाते में संशोधन के अधीन होते हैं। कंपनी मूल अनुबंध के साथ मिलान करके अनुबंध के संशोधन की समीक्षा करती है, जिसके आधार पर लेनदेन की कीमत को एक नए प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किया जा सकता है, या किसी मौजूदा दायित्व के लेनदेन मूल्य में परिवर्तन किया जा सकता है। मौजूदा दायित्व के लिए लेनदेन की कीमत संशोधित किए जाने की स्थिति में संचयी समायोजन का हिसाब किया जाता है।

राजस्व मान्यता में महत्वपूर्ण निर्णयों का उपयोग:

ग्राहकों के साथ कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के अनुबंध में एक से अधिक उत्पाद और सेवाएं ग्राहक को हस्तांतरित करने के वादे शामिल होंगे। कंपनी अनुबंध में दिए गए उत्पादों / सेवाओं का आकलन करेगी और अनुबंध में स्पष्ट रूप से प्रदर्शन दायित्व अंकित किए जाएंगे। स्पष्ट रूप से अंकित प्रदर्शन दायित्व के अंतर्गत डिलिवरेबल्स और ग्राहक की ऐसी डिलिवरेबल्स से स्वतंत्र रूप से लाभ उठाने की क्षमता का निर्धारण करने का निर्णय शामिल है।

अनुबंध के लिए लेनदेन की कीमत निर्धारित करने के लिए भी निर्णय की आवश्यकता होती है। लेन-देन की कीमत ग्राहक के अनुसार एक निश्चित राशि या मात्रा पर छूट, सेवा स्तर क्रेडिट, प्रदर्शन बोनस और प्रोत्साहन जैसे परिवर्तनीय तत्वों के अनुसार हो सकती है। यदि अनुबंध में महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल है तो लेन-देन की कीमत को धन के सामयिक मूल्य के प्रभावों के अनुसार भी समायोजित किया जाता है । ग्राहक को कोई भी विचारणीय देय, लेनदेन मूल्य पर समायोजित किया जाता है, जब तक कि वह ग्राहक द्वारा विशिष्ट उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान न हो। अस्थिर महत्व की अनुमानित राशि को लेन-देन मूल्य में केवल उस हद तक समायोजित किया जाता है जहाँ तक मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलट घटित होने की अत्यधिक संभावना नहीं होगी और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में पुनर्निर्धारित की जाएगी। जब तक कि कोई अवलोकनीय सबूत नहीं होगा कि महत्वपूर्ण परिवर्तनीय तत्व एक या अधिक विशिष्ट प्रदर्शन दायित्वों से संबंधित हैं तब तक कंपनी अनुबंध के सभी प्रदर्शन दायित्वों के लिए ऐसे तत्व आवंटित करेगी।

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम प्रदर्शन दायित्व के लिए एक उचित स्टैंडअलोन विक्रय मूल्य निर्धारित करने के लिए निर्णय का उपयोग करते हैं। कंपनी अनुबंध में वादा किए गए प्रत्येक विशिष्ट उत्पाद या सेवा के सापेक्ष स्टैंड-अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करती है । जहां स्टैंडअलोन क्रय कीमत अवलोकनीय नहीं होती है, वहां कंपनी प्रत्येक विशिष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए अपेक्षित लागत के साथ निकटतम लाभ के दृष्टिकोण का उपयोग करती है।

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम अपने निर्णय अधिकार का उपयोग करके किसी भी समय पर या निर्धारित समय अवधि पर प्रदर्शन दायित्व के संतोषजनक होने का निर्धारण करती है। कंपनी ऐसे संकेतकों का उपयोग करेगी जिनसे ग्राहक के लाभावान्वित होने की स्थियों की जानकारी प्राप्त की जा सके। संकेतक जैसे सेवाओं का प्रतिपादन या परिसंपत्ति का नियंत्रण, जिसका निर्माण किया जा रहा हो या पहले से अस्तित्व में हो, या ऐसे उत्पाद या सेवा के वैकल्पिक उपयोग के लिए समय पर भुगतान करने लागू करने योग्य अधिकार, तथा ग्राहक को महत्वपूर्ण जोखिमों और पारितोषिक का हस्तांतरण, ग्राहक द्वारा वितरण की स्वीकृति आदि।

पूंजीकरण के मानदंडों को पूरा करने वाले कुछ सॉफ्टवेयर लाइसेंस के लागतों को छोड़कर अनुबंध की पूर्ण लागत की गणना खर्च के रूप की जाती है । इस मानदंड के मूल्यांकन के लिए निर्णय के प्रयोग की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से यह विचार करते समय कि क्या इससे लागत उत्पन्न होती है या भविष्य के प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ति करने के लिए संसाधनों का उपयोग किया जाता है और क्या लागतों को वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

2.4 विदेशी मुद्राएं

रिपोर्टिंग अवधि के समापन दर पर कार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुएं दर्ज की जाती हैं। गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति और देयताओं को विदेशी मुद्रा में चिह्नित किया जाता है और ऐतिहासिक लागत पर मापा जाता है लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के निपटान / रूपांतरण के कारण होने वाले विनिमय मतभेदों की अवधि के दौरान व्यय या आय के रूप में पहचाने जाते हैं।

विदेशी मुद्रा पर लाभ और हानि की सूचिना निवल आधार पर अंकित की जाती है। इसमें विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न उपकरणों के उचित मूल्य में बदलाव शामिल हैं, जो लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर आधारित हैं।

2.5 कर्मचारी हितलाभ

i. परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना नियोजन के उपरांत हितलाभ योजना है जिसके अंतर्गत एक इकाई एक अन्य इकाई के लिए निश्चित अंशदान देती है जिसके लिए आगे की रकम का भुगतान करने की कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजनाओं में अंशदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान लाभ और हानि के समेकित विवरण में कर्मचारियों के हितलाभ व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है। इस श्रेणी के तहत कंपनी के पास सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना (पीआरबीबीएस) और पेंशन योजना है।

ii. परिभाषित हितलाभ योजना

परिभाषित हितलाभ योजना, परिभाषित अंशदान योजना के अलावा एक और नियोजन के बाद की योजना है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व की गणना भविष्य के हितलाभ की राशि के आकलन द्वारा अलग-अलग योजना के लिए अलग-अलग की जाती है। ऐसी राशि कर्मचारियों ने अपनी सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित की हुई होती है; कि हितलाभ के वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी जाती है। किसी भी अज्ञात पिछली सेवा लागत और किसी भी योजना परिसंपत्ति के उचित मूल्य की कटैती की जाती है। उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए गहरे बाजार की अनुपस्थिति में, जिसकी परिपक्वता की तिथि से कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाया जाता है और जो उसी मुद्रा में बेचा जाता है जिसमें लाभ अपेक्षित होता है और जिसमें भुगतान किया जाना होता है, सरकारी बॉन्ड पर कटैती दर रिपोर्टिंग की तारीख पर की उपज है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग करके एक योग्य एक्टव्यूरी द्वारा आकलन प्रतिवर्ष किया जाता है। जब गणना कंपनी के लिए एक लाभ में परिणामित होती है, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति किसी भी अज्ञात पिछले सेवा लागतों के और योजना से किसी भी भविष्य की वापसी के या योजना में भविष्य के अंशदान में कटौती के रूप में उपलब्ध आर्थिक हितलाभ के वर्तमान मूल्य के कुल तक लिए सीमित की जाती है। आर्थिक लाभ के वर्तमान मूल्य की गणना के लिए, कंपनी के किसी भी योजना पर लागू होने वाले किसी भी न्यूनतम वित्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। कंपनी के लिए आर्थिक हितलाभ उपलब्ध होता है यदि यह योजना के जीवन के दौरान, या योजना की देयताओं के निपटान के लिए संभव होता है।

जब किसी योजना के हितलाभ में सुधार होता है, कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए हितलाभ के हिस्से को औसत अवधि के आधार पर जब तक लाभ निहित नहीं हो जाते सीधी रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। जिस हद तक लाभ तुरंत प्राप्त होता है, लाभ और हानि के विवरण में तुरंत पहचाना जाता है। कंपनी अन्य व्यापक आय में परिभाषित हितलाभ योजनाओं से उत्पन्न होने वाली सभी बीमांकित लाभों और घाटे को पहचानती है।

इस श्रेणी के अंतर्गत कंपनी ने भविष्य निधि में उपदान और अंशदान दिया है।

iii. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

प्रस्तावित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके स्वतंत्र एक्टहुएरी द्वारा तुलन पत्र की तारीख के अनुसार किया जाने वाले बीमांकित मूल्यांकन के आधार पर मुआवजे की अनुपस्थिति की देयता के लिए कंपनी जिम्मेदार है। देयता में रियायती आधार पर दीर्घकालिक घटक और अल्पावधि घटक शामिल होता है जिसकी गणना अपरिवर्तनीय आधार पर की जाती है।

iv. अन्य कर्मचारी हितलाभ

रोजगार के अनुबंध की शर्तों के आधार पर अन्य कर्मचारी हितलाभ का आकलन और लेखांकन किया गया है।

2.6 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

भूमि का पूंजीकरण कंपनी को लागत पर किया जाता है। भूमि के विकास जैसे स्तरीय, समाशोधन और ग्रेडिंग का पूंजीकरण भवन

के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के अनुपात के साथ किया जाता है और भवन व्यय के बाकी हिस्सों की लागत का पूंजीकरण भूमि की लागत के साथ किया जाता है। भूनिर्माण के प्रयोजन के लिए किए गए विकास व्यय या किसी भी इमारत के निर्माण से नहीं जुड़े किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की अन्य सभी वस्तुओं को कम संचित अवमूल्यन और हानि के घाटे में मापा जाता है। कंपनी ने 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभिक तुलन पत्र की तैयारी के उद्देश्यों के लिए पिछले डीएएपी मूल्य को 'संबद्ध मूल्य' के रूप में अपनाने का विकल्प चुना।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में परिसंपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण से सीधे उत्पन्न होने वाले, किसी भी लागत की परिसंपत्ति को स्थान पर लाने और उसके लिए आवश्यक शर्त को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक तरीके से संचालन करने में सक्षम होना और, जब कंपनी का परिसंपत्ति निकालने या साइट को पुनर्स्थापित करने का दायित्व होता है, तो वस्तु को नष्ट करने और निकालने की लागत का अनुमान और उस साइट को पुनर्स्थापित करने जिस पर वह स्थित है, के व्यय शामिल हैं।

यदि निम्नलिखित मान्यता मानदंडों को पूरा किया गया है तो, किसी मद के एक हिस्से की जगह की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सामान की मात्रा में मान्यता प्राप्त होती है:

1) यह संभव है कि मद के साथ जुड़े भविष्य के आर्थिक हितलाभ कंपनी के पास जाएंगे और;

2) लागत मज़बूती से मापी जा सकती।

मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की कीमत के प्रत्येक भाग के लागत का अलग-अलग मूल्याह्रस होता है। आंतरिक तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा महत्वपूर्ण घटकों के उपयोगी जीवन का अनुमान लगाया गया है।

प्रतिस्थापन के भाग को मान्यता प्राप्त होने पर प्रतिस्थापित भाग की वहन राशि विमान्यता प्राप्त करती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद की विमान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को जब मद विमान्य हो जाता है तब लाभ और हानि के समेकित विवरण में शामिल किया जाता है। वस्तु के दिन-प्रतिदिन की सेवा की लागत को लाभ और हानि के समेकित विवरण में व्यय के रूप में माना जाता है।

यदि प्रावधान के मानदंडों को पूरा किया जाता है तो विस्थापन और पुनर्स्थापना के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित संपत्ति की लागत में शामिल है।

लंबित निपटान, असुरक्षित अचल परिसंपत्तियाँ अचल परिसंपत्तियों के रजिस्टर से हटा दी जाती हैं और उसे नेट बुक वैल्यू के निचले हिस्से पर एक अलग लाइन में वस्तु के रूप में और "अन्य चालू परिसंपत्ति" और शुद्ध वसूली मूल्य के तहत दिखाया जाता है। जैसे और जब ऐसी संपत्तियों का निपटारा होता है, तो वास्तव में एहसास होने वाली राशि और राशि के बीच के अंतर को अचल परिसंपत्तियों के बिक्री से हानि / लाभ के रूप में पहचाना जाएगा।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए भुगतान किया गया अग्रिम प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख में बकाया के रूप में "अन्य गैर-चालू परिसंपत्ति" के तहत पूंजी अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसी तारीख से पहले उपयोग नहीं की जाने वाकी परिसंपत्ति की लागत को 'पूंजीगत कार्य- चालू' अंतर्गत दर्शाया जाता है।

ग्राहक द्वारा वित्त पोषित परिसंपत्तियां: भारतीय लेखा मानक 18 की परिशिष्ट सी के दिशानिर्देश के अनुसार "ग्राहकों से आस्तियों के हस्तांतरण" को लेखा की पुस्तकों में और तदनुसार प्राप्त अवमूल्यन भारतीय लेखा मानक 16 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के रूप में पहचाना जाता है।

भारतीय लेखा मानक के पैरा 8 के अनुसार, मदें जैसे कि अतिरिक्त पुर्जे, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण जैसी मदें इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार पहचाने जाते हैं जब वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं और उनसे एकाधिक लेखा वर्ष के लिए इस्तेमाल होने की संभावना होती है। अन्यथा, ऐसी वस्तुओं को मालसूची के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास की गणना अनुमानित उपयोगी जीवन के अनुसार, उनकी लागत, अवशिष्ट मूल्यों के आवंटन के लिए सीधी रेखा विधि का उपयोग करके की जाती है।

उपयोगी जीवन का निर्धारण कंपनी अधिनियम, 2013 के लिए अनुसूची II में निर्धारित के बराबर होने के लिए किया गया है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों के अवशिष्ट मूल्यों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है और यदि उचित हो, तो समायोजित किया जाता है।

जिन परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत ₹5000 / - से अधिक नहीं है, पूंजीकरण के वर्ष में सौ प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास प्रदान की जाती है।

निपटान:

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण राशि को ले जाने के साथ निवल क्रय आय की तुलना द्वारा किया जाता है। ये लाभ और हानि के विवरण में शामिल हैं।

2.7 अमूर्त संपत्ति

i. पृथक रूप से अधिग्रहित अमूर्त परिसंपत्ति

परिमित उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त संपत्ति जो अलग-अलग अधिग्रहण की जाती है, लागत कम संचित परिशोधन (amortization) और संचित न्यूनतम नुकसान में स्थानांतरित की जाती है। परिशोधन को अपने अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर मान्यता प्राप्त होती है। अनुमानित रूप से किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को संभावित आधार पर लेते हुए अनुमानित उपयोगी जीवन और परिशोधन पद्धति की प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अनियत उपयोगी जीवन के साथ अमूर्त परिसंपत्ति को जो अलग-अलग अधिग्रहण की जाती है, कम लागत संचित न्यून हानि में स्थानांतरित की जाती है। भारतीय लेखा मानक को अंतरण के लिए कंपनी ने 1 अप्रैल, 2015 (अंतरण दिनांक) को मान्यता प्राप्त सभी अमूर्त संपत्तियों के स्थानांतरीय मूल्य के साथ जारी रखने का चुनाव किया है, जिसका मापन पिछले जीएएपी के अनुसार किया जाता है और अंतरण की तारीख के अनुसार उसके निर्णित मूल्य का स्थानांतरीय मूल्य के रूप उपयोग किया जाता है।

ii. अमूर्त संपत्तियों की विमान्यता

निपटान पर या जब कोई भविष्य के आर्थिक हितलाभों का उपयोग या निपटान से उम्मीद नहीं की जाती है तब एक अमूर्त परिसंपत्ति को विमान्यता प्राप्त होती है। किसी अन्य परिसंपत्ति की विमान्यता से उत्पन्न लाभ या हानि, जिसे निवल निपटान प्राप्ति और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, जब परिसंपत्ति को विमान्यता प्राप्त होने पर लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

iii. अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन

अनुमानित उपयोगी जीवन पर, उनकी लागत, अवशिष्ट मूल्यों का निवल आवंटन करने के लिए सीधी रेखा विधि का उपयोग करके परिशोधन की गणना की जाती है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची II में दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार उपयोगी जीवन निर्धारित किया गया है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है, और यदि उचित हो तो समायोजित किया जाता है।

2.8 मालसूचियां

मालसूचियाँ निम्न आधार पर मूल्यवान हैं:

i. केन्द्रीय स्टोर में कच्ची सामग्री, उपभोग्य वस्तु, पुर्जों और उपकरण और उपकरण

भारित औसत लागत पर

ii. दुकानों में दुकान के फर्श / उप-स्टोर में कच्ची सामग्री

वर्ष के अंत में सेंट्रल स्टोर्स की भारित औसत दर पर

iii. दुकान के फर्श / उप-दुकानों में उपभोग्य सामान

सेंट्रल स्टोर से ली गई सभी उपभोग्य व्यय के लिए शुल्क लिया जाता है। केवल 'ए' और 'बी' वर्ग उपभोग्य समय-समय पर प्रबंधन द्वारा की पहचान के संबंध में, दुकान मंजिल / दुकान उप दुकानों पर स्टॉक भारित औसत दर से वर्ष की समाप्ति पर सूची में लाया जाता है। हालांकि, वर्ष के समापन पर उपयोग में ढालना, रोल, मर जाता है आदि, संतुलन जीवन के संदर्भ में जारी दर पर मूल्यवान हैं, तकनीकी रूप से अनुमानित

iv. पुन: प्रयोज्य प्रक्रिया स्क्रैप, रिटर्न के लिए ग्राहकों के साथ प्रक्रिया अस्वीकृतियां और बिक्री अस्वीकृतियां

स्क्रैप के अनुमानित अनुमानणीय मूल्य पर।

v. उपकरण और गेज

जारी किए गए उपकरण, यंत्र, गज आदि। उनके अनुमानित जीवन से अधिक समान रूप से परिशोधन कर रहे हैं।

vi. काम चालू

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर उत्पादन के स्तर के अनुसार लागत या अनुमानित अनुमानणीय मूल्य पर, जो भी कम हो, हालांकि, 5 वर्ष या इससे अधिक के डब्लूआईपी की कीमत वसूली योग्य स्क्रैप दर पर आधारित है।

vii. तैयार माल

लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य (दुकान समाप्त चरण में) जो भी कम है हालांकि, 5 साल या उससे ऊपर के तैयार किए गए सामान की कीमत वसूली योग्य स्क्रैप दर पर है।

viii. पारगमन के सामान लागत पर मूल्यवान हैं

ix. स्टोर घोषित अधिशेष / अपरिवर्तनीय निपटान के लिए भंडार बचाने के लिए स्थानांतरित कर दिए गए हैं, और राजस्व का आरोप लगाया गया है।

x. गैर-चलती कच्ची सामग्रियों, उपभोग्य वस्तुओं और पुर्जों के लिए तीन साल से अधिक समय तक प्रावधान किया गया है:

कच्ची सामग्री: बुक वैल्यू का 85%

उपभोग्य और पुर्जों (जो पीपीई की परिभाषा को पूरा नहीं करते हैं): पुस्तक मूल्य का 50%

xi. रसीद के समय स्टेशनरी, वर्दी, चिकित्सा और कैंटीन स्टोर्स को राजस्व के लिए चार्ज किया जाता है।

2.9 सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश

सहयोगी एक इकाई है जिस पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशी के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उन दलों को व्यवस्था का संयुक्त नियंत्रण होता है जिनके पास संयुक्त व्यवस्था की निवल संपत्ति के अधिकार हैं। संयुक्त नियंत्रण व्यवस्था के नियंत्रण के अनुबंध पर सहमत साझाकरण है, जो केवल तभी मौजूद होता है जब संबंधित गतिविधियों के बारे में निर्णय के लिए दलों को नियंत्रण साझा करने के लिए सर्वसम्मति की आवश्यकता होती है।

सहयोगी या संयुक्त उपक्रमों के परिणाम, संपत्ति और देनदारियों को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करते हुए इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है। उन स्थितियों को छोड़कर जब निवेश या उसका एक भाग बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है जो भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार लेखाकृत मामले हो। इक्विटी पद्धति के अंतर्गत, एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश शुरू में लागत पर समेकित बैलेंस शीट में पहचाना जाता है और उसके बाद कंपनी के लाभ और हानि की हिस्सेदारी और सहायक या संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है।

सहयोगी या संयुक्त उद्यम से प्राप्त वितरण निवेश की वहन राशि को कम कर देता है। जब किसी सहयोगी या संयुक्त उद्यम में सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के नुकसान का हिस्सा उस कंपनी के हित से अधिक होता है (जिसमें कोई भी दीर्घकालिक हित शामिल होते हैं, सार रूप में, कंपनी के सहयोगी या संयुक्त उद्यम में शुद्ध निवेश का हिस्सा बनते हैं), कंपनी आगे के नुकसान के अपने हिस्से को मान्यता देते हुए बंद कर देती है। अतिरिक्त नुकसान केवल उस सीमा तक पहचाने जाते हैं, जिस पर कंपनी ने कानूनी या रचनात्मक दायित्वों को पूरा किया है या सहयोगी या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया है।

सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए लेखाकृत किया गया है, जिस तिथि से निवेशकर्ता सहयोगी या संयुक्त उद्यम बन जाता है। सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के अधिग्रहण पर, कंपनी की पहचान योग्य संपत्तियों और देयता के शुद्ध उचित मूल्य पर कंपनी के शेयर पर निवेश की किसी भी अधिकता को ख्याति के रूप में मान्यता दी जाती है, जो कि निवेश की वहन राशि के भीतर शामिल होती है। पुनर्मूल्यांकन के बाद, पहचाने जाने योग्य संपत्तियों और देनदारियों के शुद्ध उचित मूल्य के कंपनी के हिस्से की किसी भी अतिरिक्त राशि को इक्विटी में सीधे पूंजी रिजर्व के रूप में इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, जिसमें निवेश हासिल किया गया है।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के उपयोग के बाद, कंपनी यह निर्धारित करती है कि क्या सहयोगी या संयुक्त उद्यम और उस घटना (या घटनाओं) में निवल निवेश की प्रारंभिक मान्यता के बाद हुई घटनाओं के परिणामस्वरूप हानि का कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण है जिससे निवल निवेश से भविष्य के नकदी प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है जो कि विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जा सकता है। यदि, इस तरह की हानि का वस्तुनिष्ठ सबूत मौजूद है, तो यह आवश्यक है कि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में कंपनी के निवेश के संबंध में असमर्थता हानि को पहचाना जाए।

जब आवश्यक हो, निवेश की पूरी वहन राशि का भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार हानि के लिए परीक्षण किया जाता है। एकल संपत्ति के रूप में संपत्ति की हानि इसकी वसूली योग्य राशि (उपयोग में अधिक मूल्य और निपटान की कम लागत का अच्छा मूल्य) की तुलना करती है। कोई भी हानि निवेश की वहन राशि के भागों की पहचान करता है। उस हानि के किसी भी परिवर्तन को भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि निवेश की वसूली योग्य राशि बाद में बढ़ जाती है।

समेकन के उद्देश्य से इक्विटी पद्धति का उपयोग उस तारीख से बंद कर दिया जाता है जब एक सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश होना बंद हो जाता है, या जब निवेश को बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है। जब कंपनी पूर्व सहयोगी या संयुक्त उद्यम में रुचि रखती है और ब्याज को एक वित्तीय संपत्ति रखती है, तो कंपनी उस तारीख में उचित मूल्य पर बनाए रखे ब्याज को मापती है और भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार उचित मूल्य को प्रारंभिक मान्यता के अनुसार उचित मूल्य के रूप में माना जाता है। इक्विटी विधि बंद करने की तिथि पर सहयोगी या संयुक्त उद्यम की वहन राशि के बीच का अंतर, और किसी भी बनाए रखे ब्याज का उचित मूल्य और सहयोगी या संयुक्त उद्यम के निपटान पर लाभ या हानि के निर्धारण में सहयोगी या संयुक्त उद्यम में ब्याज के एक हिस्से के निपटान की कोई भी आय शामिल है। इसके अलावा, कंपनी के उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से पहचानी गई सभी राशियों का उसी आधार पर लेखा-जोखा आवश्यक होगा, यदि उस सहयोगी या संयुक्त उद्यम ने संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया हो।

इक्विटी पद्धति को तब तक जारी रखा जाता है जब तक सहयोगी का निवेश संयुक्त उद्यम में निवेश हो जाता है या संयुक्त उद्यम का निवेश सहयोगी में निवेश हो जाता है। स्वामित्व हितों में इस तरह के बदलाव पर उचित मूल्य का कोई पुन: माप नहीं है।

जब सहयोगी या संयुक्त उद्यम में स्वामित्व ब्याज कम हो जाता है, लेकिन इक्विटी पद्धति का उपयोग जारी रहता है, तो लाभ या हानि का अनुपात जो पहले अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त किया गया था, स्वामित्व में कमी से संबंधित लाभ के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है या यदि उस लाभ या हानि को संबंधित संपत्ति या देनदारियों के निपटान पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।

2.10 आयकर

कर व्यय वर्तमान कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है

i. **चालू आयकर**

चालू और पूर्व अवधि के लिए चालू आयकर का मापन कर योग्य आय के आधार पर कराधान प्राधिकरणों से वसूल किए जाने या भुगतान करने की उम्मीद की गई राशि से किया जाता है। टैक्स की दरें और कर कानून जो मौजूदा कर राशि की गणना करते थे, वे उन रिपोर्टिंग तारीखों से अधिनियमित या अनिवार्यत: अधिनियमित किए गए हैं और अवधि के लिए लागू होते हैं। कंपनी चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयताओं को पूरा करती है, जहां उसे मान्यता प्राप्त राशि को बंद करने का कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार होता है और जहां यह किसी शुद्ध आधार पर समायोजन करने या परिसंपत्ति और दायित्व को एक साथ करने का इरादा होता है।

ii. **आस्थगित आयकर**

आस्थगित आयकर को तुलन पत्र दृष्टिकोण का उपयोग करके मान्यता दी जाती है। आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके साथ कम से कम अस्थायी अंतर, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट और अप्रयुक्त करों के नुकसान का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित आयकर देयताओं को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता प्राप्त है।

2.11 प्रावधान

पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है और यह संभव है कि दायित्व को व्यवस्थित करने के लिए आर्थिक हितलाभ का बहिर्वाह आवश्यक होगा, और दायित्व के साथ जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए राशि का एक विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

भारी अनुबंध के प्रावधान के लिए मान्यता दी जाती है जब संविदा से कंपनी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभ संविदा के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं। भारी अनुबंध के प्रावधान अनुबंध को समाप्त करने की अपेक्षित लागत के निचले वर्तमान मूल्य और संविदा के साथ जारी रखने की उम्मीद की निवल लागत से मापा जाता है। ऐसे प्रावधान किए जाने से पहले, कंपनी उस अनुबंध से संबंधित परिसंपत्ति पर कोई न्यूनतम हानि की पहचान करती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है। यदि यह अब संभव नहीं है कि आर्थिक हितलाभों में समाहित संसाधनों का बहिर्वाह को दायित्व तय करने की आवश्यकता होगी, तो प्रावधान विलोमित हो जाएगा।

2.12 वित्तीय उपकरण

i. वित्तीय संपत्ति

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम उन तारीखों पर ऋण और प्राप्तियां तथा जमाराशि को प्रारंभिक मान्यता देती है जिन पर ये उत्पन्न होती हैं। अन्य सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की शुरूआत व्यापार तिथि पर की जाती है, जिस पर कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम उपकरण के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बनते हैं।

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम वित्तीय परिसंपत्ति को विमान्यता देते हैं, जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध के अधिकार समाप्ति हो जाते हैं, या लेनदेन में वित्तीय परिसंपत्ति पर संविदागत नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकारों को हस्तांतरित करता है जिसमें पर्याप्त जोखिम और स्वामित्व के सभी फायदे होते हैं, उन वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर दिया जाता है। कंपनी द्वारा बनाई गई या बनाए रखे गए हस्तांतरित वित्तीय परिसंपत्ति में कोई भी ब्याज एक अलग परिसंपत्ति या देयता के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को समायोजित कर दिया जाता है और निवल राशि तुलन पत्र में प्रस्तुत की जाती है, और केवल जब, कंपनी के पास राशि का समायोन करने और या एक निवल आधार पर समायोजन या परिसंपत्ति को वास्तव में संघटित करने और इसके साथ ही देयता का समायोजन करने का कानूनन अधिकार होता है।

यदि निम्न दोनों ही स्थितियां पूरी होती हैं तो एक वित्तीय परिसंपत्ति को परिशोधित लागत पर मापा जाएगा:

- वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यापार मॉडल में आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह

को एकत्र करने के लिए और वित्तीय संपत्ति रखने के लिए है होता है और

- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाहों को बढ़ावा देती हैं, जो कि मूलधन का केवल भुगतान और बकाया मूलधन पर ब्याज होता है।

रिपोर्टिंग की तारीख के 12 महीनों के बाद परिपक्व होने वालों को छोड़कर वर्तमान परिसंपत्ति के रूप में वह परिसंपत्ति प्रस्तुत की जाती है, जिसे गैर-वर्तमान संपत्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य से लेन-देन की लागत और बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत को जोड़कर मापा जाता है, किसीन्यूनतम हानि पर घटाया जाता है।

कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में सुरक्षा जमा, नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्तियाँ और योग्य वर्तमान और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां शामिल हैं।

नकदी और नकदी समकक्ष में एक वर्ष या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली नकद शेष राशि और सावधि जमा शामिल हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट जो मांग पर प्रतिदेय होता है और कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के नकद प्रबंधन का एक अभिन्न अंग बनता है, नकद प्रवाह के बयान के उद्देश्य के लिए नकद और नकद समकक्ष के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है।

ii. वित्तीय देयताएँ

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम जारी की गई उस ऋण की प्रतिभूतियों और अधीनस्थ देयताओं को उनके जारी हुए तारीख पर प्रारंभ में मानयता देती है। अन्य सभी वित्तीय देयताएं उस व्यापार तिथि पर शुरू में पहचानी जाती हैं, जिस पर कंपनी उपकरण के संविदागत प्रावधानों के लिए एक पार्टी बनती है।

कंपनी एक वित्तीय देयता को विमान्यता देती है, जब उसके अनुबंध संबंधी दायित्वों को मुक्त या रद्द कर दिया जाता है या उसकी अवधि समाप्त हो जाती है।

कंपनी में निम्नलिखित वित्तीय देयताएँ हैं: ऋण और उधार तथा व्यापार और अन्य भुगतान।

ऐसे वित्तीय देयताओं को शुरू में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और शुद्ध लेनदेन लागत के बारे में बताया गया है जो कि उनसे प्रत्यक्ष रूप से श्रेय दे रहे हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद प्रभावी वित्तीय पद्धति का उपयोग करके इन वित्तीय देयताओं को परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

2.13 न्यूयता

i. वित्तीय परिसंपत्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं लिया जाता है, यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई वास्तविक प्रमाण है कि यह न्यून है। यदि वित्तीय साक्ष्य इंगित करता है कि परिसंपत्ति की प्रारंभिक मान्यता के बाद एक हानिकारक घटना हुई है, और यह कि हानिकार घटना का उस परिसंपत्ति के अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिसका स्थिरता से अनुमान लगाया जा सकता है।

उद्देश्य यह है कि वित्तीय परिसंपत्तियों में बिगड़ा हुआ वित्तीय ऋणात्मकता में देनदार द्वारा चूक या अपराध शामिल हो सकता है, कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम के मुताबिक किसी भी राशि के पुनर्गठन के संबंध में अन्यथा नहीं माना जाएगा, संकेत हैं कि कोई देनदार या जारीकर्ता दिवालियापन में प्रवेश करेगा, या प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाजार से गायब हो जाएगा।

ii. गैर-वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी अपनी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति की वहन राशि की समीक्षा यह निर्धारित करने के लिए करेगी कि क्या उन परिसंपत्तियों में एक न्यून हानि हुई है या नहीं। यदि इस तरह के संकेत मौजूद होते हैं, तो न्यून हानि (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। जब किसी एकल परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाना संभव नहीं होता है, तो कंपनी उस परिसंपत्ति से संबंधित नकदी पैदा करने वाली इकाई की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। जब आवंटन का एक उचित और सुसंगत आधार पहचाना जा सकता है, तो कॉर्पोरेट परिसंपत्तियों को अलग-अलग नकद पैदा करने वाली इकाइयों को भी आवंटित किया जाता है, या अन्यथा वे नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के सबसे छोटे समूह के लिए आवंटित किए जाते हैं जिसके लिए उचित और सुसंगत आवंटन के आधार की पहचान की जा सकती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाले अमूर्त परिसंपत्तियाँ और उपयोग के लिए अभी तक अनुपलब्ध अमूर्त परिसंपत्तियों की कम से कम सालाना हानि के लिए जांच की जाती

है, और जब भी कोई संकेत होता है कि संपत्ति खराब हो सकती है।

पुनर्प्राप्ति योग्य राशि निपटान की कम लागत उचित मूल्य के उच्च और उपयोगी मूल्य की है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य से पूर्व-कर छूट दर का उपयोग कर छूट दी जाती है, जो धन के समय मूल्य का वर्तमान बाजार मूल्यांकन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य में नकदी प्रवाह का अनुमान समायोजित नहीं किया गया है।

2.14 उधार लागत

परिसंपत्ति प्राप्त करने के लिए किए गए उधार लेने की लागत, जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त अवधि लेती है, संबंधित परिसंपत्तियों में पूंजीकृत होती हैं, जहां कहीं भी ऐसी संपत्तियों के लिए लागत और अन्य मामलों में उधार की भारित औसत लागत को इस तरह की परिसंपत्तियों के व्यय के लिए लागू कर दिया जाता है। अन्य उधार लेने की लागत को वर्ष के लिए खर्च के रूप में माना जाता है।

लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेनदेन की लागत प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए संबंधित ऋणों के कार्यकाल के दौरान परिशोधित होती है।

2.15 वित्त आय और लागत

वित्त आय में निवेश की गई निधि पर पर ब्याज आय शामिल है। प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ और हानि के समेकित विवरण में अर्जित होने के कारण ब्याज आय को मान्यता प्राप्त है।

वित्तीय लागतों में उधार लेने पर ब्याज व्यय, प्रावधानों पर छूट का अपव्यय, वित्तीय परिसंपत्तियों पर मान्यता प्राप्त हानि शामिल है। उधार लेने वाली लागतें, जो कि प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुए लाभ और हानि के समेकित विवरण में मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए प्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेत नहीं हैं।

2.16 आय प्रति शेयर

कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम अपने साधारण शेयरों के लिए प्रति शेयर (ईपीएस) डेटा की मूल और मंदित आय दर्शाती है। मूल ईपीएस की गणना कंपनी के साधारण शेयरधारकों के मुकाबले लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है, जो उस समय के दौरान बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या से होती है, जो अपने शेयरों के लिए समायोजित होती है। मंदित ईपीएस सामान्य शेयरधारकों के लिए लाभ या हानि का समायोजन करके और सभी सामान्य शेयरों के बकाया साधारण शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करके निर्धारित किया जाता है, जो कि सभी शेयरों के लिए समायोजित किए गए हैं।

2.17 सेगमेंट रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान मुख्य ऑपरेशन निर्णय लेने वाली कंपनी को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप है।

कंपनी सुपर अलॉय्स और अन्य विशेष धातुओं के विनिर्माण का व्यवसाय करती है। कंपनी की मुख्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का मानना है कि कंपनी एक एकल व्यापार खंड का संचालन करे। इसके अलावा, कंपनी का केवल घरेलू कारोबार है इसलिए, कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट नहीं है।

2.18 कंपनी द्वारा / या के खिलाफ किए गए दावे:

हानि या क्षति होने पर या बीमाकर्ताओं या मालवाहकों पर दावों को उसी समय हिसाब में लिया जाता है जब धन के लिए दावे किये जाते हों।

आयातों या पोर्ट ट्रस्ट प्रभार या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सहित सीमा शुल्क की धन वापसी के लिए किये गये दावों को स्वीकार या प्राप्ति के समय ही हिसाब में ले लिया जाता है।

वसूल होने पर ही आपूर्तिकर्ताओं पर चुकायी गयी क्षतियों को हिसाब में लिया जाता है।

ग्राहकों द्वारा आरोपित परिसमापन हर्जाना ग्राहकों द्वारा वसूल किए जाने या सलाह पर समाप्त किया जाता है। लदान के लिए परिसमापन हर्जाने के संबंध में किए जाने वाले दावों के लिए प्रावधान बनाया गया जहां विश्वसनीय अनुमान किया जा सके।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों के विवादग्रस्त या कालातीन बकाया राशियों को संदिग्ध बकायों की तरह नहीं मान जाता, फिर भी, मामले दर मामले के आधार पर लेखा बहियों में समुचित समीक्षा प्रावधानों या बट्टे खाते डालने के हिसाब में लिया जाता है।

सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को छोड़कर अन्यों से देय राशियों पर संदिग्ध बकायों के लिए प्रावधान संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान मैट्रिक्स के आधार पर तैयार किया जाता है।

ग्राहकों द्वारा अस्वीकृत / लौटाए जाने वाले सामग्रियों की देखभाल करने के लिए आकस्मिकताओं और वारंटी के प्रावधान, पिछले 5 वर्षों के विनिर्मित उत्पादों से संबंधित टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत के औसत पर उपलब्ध कराए जाते हैं।

2.19 अनुसंधान और विकास व्यय:

रिसर्च व्यय को लाभ और हानि के समेकित विवरण में सम्मिलित किया जाता है। उत्पादों का विकास लागत भी लाभ और हानि

के समेकित विवरण में सम्मिलित किया जाता है जब तक कि किसी उत्पाद की तकनीकी व्यवहार्यता स्थापित नहीं की जाती हो, इस तरह के खर्च का पूंजीकरण किया जाता है। अनुसंधान और विकास में इस्तेमाल किए जाने वाले मूर्त परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है।

अन्य विकास गतिविधियों के लिए खर्च किए गए व्यय जहां नए या बेहतर उत्पाद या प्रक्रिया विकसित करने के लिए शोध परिणाम या अन्य ज्ञान लागू किया जाता है, को एक अमूर्त संपत्ति के रूप में पहचाना जाता है यदि वह भारतीय लेखा मानक 38 में निर्दिष्ट मान्यता मानदंड के अनुसार हैं और जब तकनीकी और व्यावसायिक रूप से विकसित उत्पाद या प्रक्रिया के उपयोगी होने की संभावना रहती है, कंपनी के पास विकास पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं और बाद में अमूर्त परिसंपत्ति का उपयोग किया जाता या क्रय किया जाता है, और उत्पाद या प्रक्रिया से भविष्य के आर्थिक हितलाभों के उत्पन्न होने की संभावना होती है।

2.20 नियत परिसंपतियों और मालसूची की प्रत्यक्ष जांच :

भूमि तथा विकास, सड़कें तथा भवन, ड्रेनेज, सिवरेज और जल प्रणाली और भवन तथा आंतरिक सेवाओं की तीन वर्ष में एक बार जांच होती है। अन्य सभी नियत आस्तियों की जांच वित्त वर्ष में एक बार की जाती है।

कंपनी के परिसर में चालू कार्य, तैयार माल, कच्चे माल और उपभोज्य वस्तुओं की सूची का सत्यापन वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है।

केन्द्रीय भंडार में कच्ची सामग्रियों की मालसूचियां, भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की समय-समय पर नियत किये गये नियमों के अनुसार सतत आधार पर जांच की जाती है। मिलान को रोक रखकर विसंगतियों के संबंध में राजस्व को अनंतिम समायोजन किये जाते हैं।

2.21 नकदी प्रवाह विवरण:

नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक 7 – नकदी प्रवाह विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

2.22 अभी तक अप्रभावी नए मानक और व्याख्याएं:

रिपोर्टिंग की तिथि तक कई नए मानक, मानकों और व्याख्याओं में संशोधन अभी प्रभावी नहीं किए गए हैं और न समेकित वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में लागू किए गए हैं। कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम द्वारा इसके असर का मूल्यांकन किया जा रहा है।

2.23 सरकारी अनुदान:

i. सरकार द्वारा अनुदान को उसके उचित मूल्य पर वहाँ मान्यता दी जाती है जहाँ कहीं भी कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम द्वारा अनुदान को स्वीकार किए जाने और संलग्न सभी शर्तों के अनुपाल का उचित आश्वासन दिया जाता है।

ii. आय से संबंधित सरकारी अनुदान को उस लागत के साथ मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि में समेकित लाभ और हानि में आस्थगित और मान्यता प्राप्त है जिसे वे क्षतिपूर्ति करने और अन्य आय के भीतर प्रस्तुत करना चाहते हैं। वैकल्पिक रूप से, उन्हें संबंधित व्यय की रिपोर्टिंग में कटौती की जाती है।

iii. गैर-मूल्यह्रास परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान के लिए कुछ नियमों की पूर्ति की भी आवश्यकता हो सकती है और तब, उन नियमों को पूरा करने की लागत को वहन करने वाली अवधि में समेकित लाभ या हानि में उसे मान्यता दी जाएगी।

iv. सरकारी अनुदान या तो इमदाद (सब्सिडी) के रूप में या अन्यथा मूल्यह्रास संपत्ति के अधिग्रहण के लिए आस्थगित आय के रूप में खतों में दर्ज की जाती है। यदि अनुदान / इमदाद (सब्सिडी) असंदिग्ध है, किसी नियम से बंधित नहीं है, तो मूल्यह्रास के अनुरूप राशि को परिसंपत्ति के जीवन पर आय के रूप में माना जाता है। यदि अनुदान / इमदाद (सब्सिडी) किसी भी शर्तों के अधीन है, जैसे कि पुनर्भुगतान तो अनुदान / सब्सिडी की शर्तों के अनुसार आय का हिसाब किया जाता है।

3. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ लाखों में)

	भूमि	भवन/ ड्राइनेज/जल प्रणालियाँ	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	वाहन	कार्यालय उपकरण	अन्य (विद्युत संस्थापन)	अन्य (सड़के एवं पुल)	कुल मूर्त परिसंपत्ति
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष									
सकल वहन राशि									
प्रारंभिक सकल वहन राशि	622.40	4,558.60	29,921.00	411.30	373.70	757.90	2,584.00	3.50	39,232.40
परिवर्धन	1,589.59	77.75	8,501.68	43.43	18.81	152.01	12.59	0.02	10,395.88
निपटान	-	(3.19)	(19.70)	(2.77)	(0.31)	(3.92)	(1.83)	-	(31.72)
सकल वहन राशि समापन	**2,211.99**	**4,633.16**	**38,402.98**	**451.96**	**392.20**	**905.99**	**2,594.76**	**3.52**	**49,596.56**
संचित अवमूल्यन									
प्रारंभिक **संचित अवमूल्यन**	-	419.90	3,584.80	95.90	110.80	200.03	543.47	-	4,954.90
वर्ष के दौरान **अवमूल्यन** शुल्क	-	177.22	1,610.10	48.20	47.69	142.86	255.20	-	2,281.27
निपटान	-	(0.35)	(1.38)	(1.50)	-	(2.81)	(0.59)	-	(6.63)
संचित अवमूल्यन समापन	**-**	**596.77**	**5,193.52**	**142.60**	**158.49**	**340.08**	**798.08**	**-**	**7,229.54**
निवल वहन राशि	**2,211.99**	**4,036.39**	**33,209.46**	**309.36**	**233.71**	**565.91**	**1,796.68**	**3.52**	**42,367.02**
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष									
सकल वहन राशि									
प्रारंभिक सकल वहन राशि	2,211.99	4,633.16	38,402.98	451.96	392.20	905.99	2,594.76	3.52	49,596.56
परिवर्धन	-	219.34	3,029.37	11.00	118.59	205.03	617.98	-	4,201.31
निपटान	-	-	(0.02)	(0.31)	(32.65)	(9.73)	-	-	(42.71)
सकल वहन राशि समापन	**2,211.99**	**4,852.50**	**41,432.33**	**462.65**	**478.14**	**1,101.29**	**3,212.74**	**3.52**	**53,755.16**
संचित अवमूल्यन									
प्रारंभिक **संचित** अवमूल्यन	-	596.77	5,193.52	142.60	158.49	340.08	798.08	-	7,229.54
वर्ष के दौरान अवमूल्यन शुल्क	-	177.19	1,819.93	46.50	54.82	165.56	323.88	-	2,587.88
निपटान	-	0.01	-	(0.05)	(25.56)	(7.21)	0.03	-	(32.78)
संचित अवमूल्यन **समापन**	**-**	**773.97**	**7,013.45**	**189.05**	**187.75**	**498.43**	**1,121.99**	**-**	**9,784.64**
निवल वहन राशि	**2,211.99**	**4,078.53**	**34,418.88**	**273.60**	**290.39**	**602.86**	**2,090.75**	**3.52**	**43,970.52**

1. 275 एकड़ 35 गुंटों की भूमि का अधिग्रहण हो चुका है परंतु अब भी दस्तावेज तैयार नहीं हुए। उपर्युक्त भूमि में से निम्नलिखित पार्टियों को पट्टे पर दी गयी भूमि निम्नानुसार है: डीआरडीओ-35 एकड़ 39 गुंटे, तेलंगाना राज्य सरकार-1 एकड़, बीडीएल को-1 एकड़ और 1.5 एकड़ भूमि तीसरी पार्टी के अनधिकृत कब्जे में होने के कारण विवादास्पद है।
2. 70 एकड़ और 23 गुंटे भूमि डीआरडीओ द्वारा अंतरित की गयी जिसे स्वीकारा नहीं गया है क्योंकि अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
3. लंबित पंजीकरण / दावों की प्राप्ति, वाहन दस्तावेज / भूमि के उपयोग के रूपांतरण / संपत्ति कर / सेवा कर (सुनिश्चित राशि नहीं) के लिए मुद्रांकन शुल्क के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
4. अनुसंधान और विकास के पूंजी लागत में संयंत्र व मशीनरी से संबंधित ₹ 4984.60 लाख शामिल हैं (31 मार्च 2019 को ₹ 520.22 लाख)।
5. कंपनी ने परिसंपत्ति की लागत का 5% बचाव मूल्य स्वीकार किया है।
6. परिसंपत्तियों के घटकीकरण के प्रयोजन के लिए केवल ₹100 लाख और उससे अधिक की लागत वाली मूलधन परिसंपत्ति की पहचान की जाती है।
7. निम्नलिखित परिसंपत्तियों के बारे में अवमूल्यन के गणन के लिए कंपनी द्वारा अपनाया गया उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची- II के अंतर्गत निर्धारित उपयोगी जीवन की अपेक्षा कम है। परिसंपत्तियों के तेजी से टूटने और फूटने अर्थात नष्ट होने को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम उपयोगी जीवन अपनाया गया:-

वर्ग	निवल ब्लॉक	सामान्य अवमूल्यन		उच्च अवमूल्यन		प्रभाव
		जीवन वर्षों में	राशि ₹ लाखों में	जीवन वर्षों में	राशि ₹ लोखों में	राशि ₹ लाखों में
फर्नीचर	5.70	10.00	0.45	5.00	1.26	0.81
कुल	**5.70**		**0.45**		**1.26**	**0.81**
गत वर्ष	6.80		0.44		1.29	0.85

8. बकाया संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 41 (ii) का संदर्भ लिया जाए

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

4. अमूर्त परिसंपत्ति

(₹ लाखों में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कापीराइट्स, पेटेंट्स और अन्य बुद्धिमत्ता संपत्ति अधिकार, सेवाएं और परिचालनात्मक अधिकार	कुल अमूर्त परिसंपत्ति
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष			
सकल वहन राशि			
प्रारंभिक सकल वहन राशि	318.19	24.20	342.39
परिवर्धन	-	-	-
निपटान	-	-	-
सकल वहन राशि समापन	**318.19**	**24.20**	**342.39**
संचित अवमूल्यन			
प्रारंभिक **संचित अवमूल्यन**	164.68	11.83	176.51
वर्ष के दौरान **अवमूल्यन** शुल्क	34.59	3.62	38.21
निपटान	-	-	-
संचित अवमूल्यन समापन	**199.27**	**15.45**	**214.72**
	118.92	**8.75**	**127.67**
निवल वहन राशि			
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष			
सकल वहन राशि	318.19	24.20	342.39
प्रारंभिक सकल वहन राशि	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-
निपटान	**318.19**	**24.20**	**342.39**
सकल वहन राशि समापन			
संचित अवमूल्यन	199.27	15.45	214.72
प्रारंभिक **संचित अवमूल्यन**	21.30	2.26	23.56
वर्ष के दौरान **अवमूल्यन** शुल्क	-	-	-
निपटान	**220.57**	**17.71**	**238.28**
संचित अवमूल्यन समापन	**97.62**	**6.49**	**104.11**
निवल वहन राशि			

5. पूँजीगत कार्य - प्रगति में

(₹ लाखों में)

विवरण	**31 मार्च 2020 पर स्थिति**	**31 मार्च 2020 पर स्थिति**
पूँजीगत चालू कार्य-सिविल	3,481.03	1,494.45
पूँजीगत चालू कार्य- संयंत्र तथा स्थापनाधीन मशीनरी	36,937.55	15,877.81
संयंत्र, मशीनरी और उपकरण – निरीक्षणाधीन और मार्गस्थ	63.43	132.44
कुल	**40,482.01**	**17,504.70**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

6. गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - निवेश

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
व्यापार निवेश गैर-व्यापार, लागत में शामिल नहीं किए गए		
इक्विटी उपकरणों में निवेश		
अन्य संस्थाओं में निवेश		
एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (*)		
प्रति शेयर अंकित मूल्य ₹ 10/- के 7,71,847 के बोनस शेयर सहित प्रति शेयर ₹ 10/- के 18,43,857 पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर	107.20	107.20
₹ 10/- के प्रति शेयर के 4,28,800 पूर्णतया प्रदत्त ईक्विटी शेयर जो ₹ 24/- प्रत्येक के सब्स्क्राइड और ₹ 24/-प्रत्येक अदा किए गए	102.91	102.91
संयुक्त उद्यम में निवेश (**)		
उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड	1,837.25	-
₹ 10/- के प्रति शेयर के 2,00,00,000 पूर्णतया प्रदत्त इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष शून्य)		
कुल	**2,047.36**	**210.11**

(*) एपीजीपीसीएल के शेयरों में निवेश, बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए सुरक्षा जमा की प्रकृति में हैं, जिसका कोई विशिष्ट कार्यकाल नहीं है। इसलिए निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए इसे शामिल नहीं किया जाता है।

(**) संयुक्त उद्यम का विवरण

विवरण	प्रमुख गतिविधि और व्यवसाय का स्थान	स्वामित्व का अनुपात ब्याज / कंपनी का मतदान अधिकार	
		31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में हाई एंड एल्युमिनियम एलॉय प्रोडक्शन प्लांट स्थापित करने के लिए।	50%	-

संयुक्त उद्यम से संबंधित वित्तीय जानकारी

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
गैर-चालू परिसंपत्ति	222.85	-
चालू परिसंपत्ति	3,452.27	-
गैर-चालू देयताएं	-	-
चालू देयताएं	0.62	-
उपरोक्त परिसंपत्ति और देयताओं की राशि में निम्नलिखित शामिल हैं:		
नकद और नकद समकक्ष	3,451.10	-
चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्य और प्रावधान के बिना)	-	-
गैर-चालू वित्तीय देयताएं (व्यापार प्राप्य और प्रावधान के बिना)	-	-
चालू देयताएं	0.62	-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
शुरु प्रचालन से लाभ या हानि	(325.50)	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	(325.50)	-
वर्ष के लिए उपरोक्त लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैं:		
मूल्यह्रास और परिशोधन	3.24	-
ब्याज आय	-	-
ब्याज खर्च	-	-
आय कर खर्च / (आय)	-	-

संयुक्त उद्यम में हित की वहन राशि से उपरोक्त संक्षिप्त वित्तीय जानकारी से मेल समेकित वित्तीय विवरणों में अभिज्ञात है:

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्ति	3,674.50	-
संयुक्त उद्यम में समूह स्वामित्व हित का अनुपात (%)	50%	-
संयुक्त उद्यम में समूह स्वामित्व हित का अनुपात (रु.)	1,837.25	-
जोड़े: शेयर वारंट का अतिरिक्त शुल्क / इक्विटी के विरुद्ध अग्रिम	-	-
जोड़े: प्राप्ति पर सुनाम	-	
घटाएं: अप्राप्त लाभ	-	
संयुक्त उद्यम की निवल परिसंपत्ति में समूह शेयर	1,837.25	-
संयुक्त उद्यम में समूह हित की वहन राशि	1,837.25	-

7. गैर-चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – ऋण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
प्रतिभूति रहित, उपयुक्त माने गए		
विक्रेताओं को ऋण	64.85	-
कुल	**64.85**	**-**

8. गैर-चालू कर परिसंपत्ति (निवल)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अग्रिम आयकर	543.63	1,065.17
कुल	**543.63**	**1,065.17**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

9. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति		31 मार्च 2019 पर स्थिति	
पूंजीगत अग्रिम राशि				
प्रतिभूति रहित उपयुक्त माने गए		999.69		4,620.72
संदिग्ध	35.46		35.46	
घटाएँ: प्रावधान	35.46	-	35.46	-
उप-कुल		999.69		4,620.72
अन्य				
आपूर्तिकर्ता के लिए संदेहास्पद अग्रिम	22.52		22.52	
घटाएँ: प्रावधान	22.52	-	22.52	-
अप्रचलित और मंद गतिमान – कच्ची सामग्री	25.78		0.06	
घटाएँ: प्रावधान	25.78	-	0.06	-
अप्रचलित और मंद गतिमान –कच्चा उपभोज्य	35.50		32.46	
घटाएँ: प्रावधान	35.50	-	32.46	-
अप्रचलित और मंद गतिमान –पुर्जे	143.94		138.96	
घटाएँ: प्रावधान	143.94	-	138.96	-
कुल		**999.69**		**4,620.72**

10. माल सूची

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
कच्ची सामग्री और संघटक	16,322.02	13,546.37
मार्गस्थ कच्ची सामग्री और संघटक	5,377.62	1,741.95
कुल	**21,699.64**	**15,288.32**
कार्य प्रगति पर है #	49,444.86	24,769.48
कुल	**49,444.86**	**24,769.48**
तैयार माल	-	-
मार्गस्थ तैयार माल	1,596.08	548.12
कुल	**1,596.08**	**548.12**
भंडार और पुर्जे	532.61	459.20
मार्गस्थ भंडार और पुर्जे	-	-
कुल	**532.61**	**459.20**
खुले औजार	0.47	0.96
कुल	**0.47**	**0.96**
उपभोज्य	1,790.28	1,427.67
मार्गस्थ उपभोज्य	1.73	25.93
कुल	**1,792.01**	**1,453.60**
आंतरिक रूप से जनित रद्दी /अस्वीकृत सामग्री	15,984.70	8,363.97
कुल	**15,984.70**	**8,363.97**
योग	**91,050.37**	**50,883.65**

ग्राहक की ओर से विश्वास में रखी गई सामग्रियां तथा ग्राहकों द्वारा मिधानि को दिए गए कार्यों के लिए जारी सामग्री, माल सूची में शामिल नहीं हैं।

चालू कार्य में उपठेकेदारों के पास रखी सामग्री ₹ 6186.46 लाख (31 मार्च 2019 ₹ 1757.74 लाख) और उप-ठेकेदार द्वारा शेष बची सामग्री की पुष्टि करने की शर्त पर।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

11. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - व्यापार प्राप्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति		31 मार्च 2019 पर स्थिति	
छह महीनों से अधिक अवधि के लिए बकाया पड़े कर्ज				
प्रतिभूति रहित, उपयुक्त माने गए #		11,065.47		6,675.84
प्रतिभूति रहित, संदिग्ध माने गए	646.84		764.04	
घटाएँ: प्रावधान	646.84	-	764.04	-
कुल		**11,065.47**		**6,675.84**
अन्य कर्ज				
प्रतिभूति रहित उपयुक्त माने गए #		18,674.04		28,548.48
प्रतिभूति रहित, संदिग्ध माने गए	658.41		211.80	
घटाएँ: प्रावधान	658.41	-	211.80	-
योग		**18,674.04**		**28,548.48**
		29,739.51		**35,224.32**

व्यापार प्राप्यों का गणन करने सामान्य ऋण अवधि कंपनी द्वारा तीस दिन मानी गयी जिसे इन्वाइस की तिथि से देय तिथि का गणन किया जाता है।

व्यापार प्राप्यों में शेष पर पुष्टि की जाती है और / या मिलान किए जाने पर विचार किया जाता है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रतिशत

प्राप्तियों की आयु	अपेक्षित क्रेडिट हानि	
	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अवधि के भीतर क्रेडिट	0.40%	0.44%
3 महीनों तक	1.13%	2.09%
3-6 महीने	3.46%	6.44%
6-9 महीने	16.41%	22.92%
9-12 महीने	87.50%	91.67%
> 12 महीने	100.00%	100.00%
रक्षा, सरकार और पीएसयू के ग्राहकों से बकाया संबंधी विशेष प्रावधान (₹ लाखों में)	73.91	59.33
रक्षा, सरकार, पीएसयू एवं निजी ग्राहकों से बकाया (एलडी) संबंधी विशेष प्रावधान (₹ लाखों में)	74.28	79.81

प्राप्तियों की आयु	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
निजी ग्राहक – प्रतिभूति रहित		
अवधि के भीतर क्रेडिट	4.19	0.72
3 महीनों तक	72.26	0.05
3-6 महीने	-	-
6-9 महीने	-	46.82
9-12 महीने	-	-
> 12 महीने	17.63	15.71
निजी ग्राहक –प्रतिभूति	2.13	82.61
रक्षा, सरकार और पीएसयू ग्राहक बकाया	30,948.55	36,054.25

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

व्यापार प्राप्तियों से संबंधित प्रावधान में संचलन (₹ लाखों में)

विवरण	कुल
31 मार्च 2019 को भत्ते का नुकसान	**975.84**
हानि भत्ते में परिवर्तन	329.41
31 मार्च 2020 को भत्ते का नुकसान	**1,305.25**

12. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ - नकदी और नकदी के समान

((₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
बैंकों में शेष		
चालू खातों में	984.11	1,369.05
जमा खातों में #	6,284.14	12,630.73
हाथ में पैसा	2.78	4.45
कुल	**7,271.03**	**14,004.23**

जमा खातों में शेष राशि एक वर्ष या उससे कम की परिपक्वता वाली अवधि के जमा का प्रतिनिधित्व करती है और कंपनी द्वारा आवश्यक होने पर उसे परिसमाप्त किया जा सकता है। अत: उसे नकद और नकद समकक्ष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

13. वर्तमान वित्तीय संपत्ति - बैंक शेष [ऊपर (टिप्पणी 12) के अतिरिक्त]

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
इंडसइंड बैंक में बयाने के रूप में जमा धन	98.48	123.03
अप्रदत्त लाभांश	4.30	3.02
सावधि जमा *	3,715.86	5,669.27
कुल	**3,818.64**	**5,795.32**

* सावधि जमा खातों में शेष राशि में ₹3715.86 लाखों (31.03.2019 ₹ 5669.27 लाख) शामिल हैं जो विभिन्न बैंकों में जमा के एवज में लाभान्वित ड्राफ्ट के लिए वचनबद्ध है।

14. चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ –अन्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	16.89	16.12
कर्मचारियों को दिए ऋण पर अर्जित ब्याज	0.06	0.15
दावा प्राप्य	59.14	50.55
अन्यों के पास जमा	761.47	790.17
बैंक में जमा पर अर्जित ब्याज	484.25	291.50
विक्रेताओं को ऋण	13.55	-
कुल	**1,335.36**	**1,148.49**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

15. अन्य चालू परिसंपत्ति

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
निपटान की जाने वाली परिसंपत्ति	1.96	1.96
प्रीपेड खर्चे	183.57	157.93
जीएसटी/ सीमा शुल्क प्राप्य	17,693.42	8,641.17
अन्य		
प्रतिभूति रहित उपयुक्त माने गए		
आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	329.59	714.46
कुल	**18,208.54**	**9,515.52**

16. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अधिकृत		
ईक्विटी शेयर		
₹10/- प्रति शेयर की दर से 20,00,00,000 शेयर	20,000.00	20,000.00
(गत वर्ष ₹ 10/- प्रति शेयर की दर से 20,00,00,000 शेयर)		
	20,000.00	**20,000.00**
जारी		
ईक्विटी शेयर		
₹10/- प्रति शेयर की दर से 18,73,40,000 शेयर	18,734.00	18,734.00
(गत वर्ष ₹ 10/- प्रति शेर की दर से 18,73,40,000 शेयर)		
	18,734.00	**18,734.00**
पूर्वीकृत व पूर्णतया प्रदत्त		
ईक्विटी शेयर		
₹ 10/- प्रति शेर की दर से 18,73,40,000 शेयर	18,734.00	18,734.00
(गत वर्ष ₹ 10/- प्रति शेर की दर से 18,73,40,000 शेर)		
	18,734.00	**18,734.00**
कुल	**18,734.00**	**18,734.00**

अवधि के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों का मिलान:

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	(शेयरों की संख्या)	राशि (₹लाखों में)	(शेयरों की संख्या)	राशि (₹लाखों में)
प्रारंभिक तिथि पर बकाया	187,340,000	18,734.00	187,340,000	18,734.00
जोडें : अवधि के दौरान जारी	-	-	-	-
घटाएं : अवधि के दौरान वापस खरीदे गये (यदि कोई हो)	-	-	-	-
अंतिम तिथि पर बकाया स्थिति	**187,340,000**	**18,734.00**	**187,340,000**	**18,734.00**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

इक्विटी शेयरों से जुड़े निबंधन / अधिकार

कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के अर्थात ₹10/- प्रति शेयर सम मूल्य शेयर हैं। (गत वर्ष ₹10/- प्रति शेयर) । प्रत्येक इक्विटी शेयर एक मतदान अधिकार को दर्शाता है।

कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

विवरण	31 मार्च 2020		31 मार्च 2019	
	शेयरों की संख्या	% धारिता	शेयरों की संख्या	% धारिता
₹ 10/- प्रति शेयर के इक्विटी शेयर पूर्णत: प्रदत्त (गत वर्ष ₹10 प्रति शेयर)				
भारत के राष्ट्रपति	138,631,600	74.00%	138,631,600	74.00%
भारतीय जीवन बीम निगम लिमिटेड	-	-	13,522,029	7.22%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए / सी एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड	12,318,595	6.58%	-	0.00%

17. अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति		31 मार्च 2019 पर स्थिति	
सामान्य आरक्षित				
अथ शेष		64,075.87		59,075.87
घटाएँ: मूल्यह्रास समायोजन		-		-
		64,075.87		59,075.87
जोड़: वर्ष के दौरान परिवर्धन		6,500.00		5,000.00
उप-कुल		**70,575.87**		**64,075.87**
प्रतिधारित आय				
अथ शेष		398.75		880.12
जोड : लाभ और हानि विवरणियों से राशि अंतरण		15,810.63		13,055.69
विनियोग के लिए उपलब्ध राशि		16,209.38		13,935.81
घटाव: विनियोग				
अंतरिम लाभांश	1,873.40		3,147.31	
अंतिम लाभांश	955.43		3,934.14	
लाभांश कर	581.47		1,455.61	
सामान्य आरक्षित को अंतरण	6,500.00	9,910.30	5,000.00	13,537.06
उप-कुल		**6,299.08**		**398.75**
अन्य व्यापक आय के घटक				
अथ शेष		262.29		213.49
जोड: निवल परिभाषित लाभ देयता / परिसंपत्ति, कर प्रभाव का शुद्धिकरण		(195.33)		48.80
उप-कुल		**66.96**		**262.29**
कुल		**76,941.91**		**64,736.91**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

18. गैर-चालू वित्तीय देयताएँ - उधार

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
प्रतिभूति रहित		
अग्रिम प्रापण सुविधाएं-वीएसएससी	18.41	57.06
(यह निवल बकाया देयराशि का प्रतिनिधित्व करती है। (₹.5.00 लाखों की निवल राशि (31.03.2019 ₹ 5.00 लाखों) जिसे 12 महीनों के भीतर पुनर्भुगतान किया जाना है और इसे अन्य चालू देयता की तरह व्यवहन्त करते हुए टिप्पणी सं.-26 के अंतर्गत शामिल किया गया है) जिसे फोर्ज प्रेस के उन्नयन के लिए वीएसएससी से प्राप्त ₹478.38 लाखों के ऋण के बदले वापस किया जाना है।		
कुल	**18.41**	**57.06**

सावधि ऋण की परिपक्वता प्रोफ़ाइल:

(₹ लाखों में)

गृहीता	परिपक्वता प्रोफ़ाइल	
	2020-21	2021-22
वी एस एस सी	50.00	28.38

19. गैर-चालू वित्तीय देयताएं - अन्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अनुदान - ग्राहक वित्तपोषित परियोजनाएं	32,597.80	15,609.81
कुल	**32,597.80**	**15,609.81**

20. गैर-चालू देयताएँ - प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	93.01	85.87
छुट्टी प्रतिपूर्ति के लिए प्रावधान	32.17	23.12
कुल	**125.18**	**108.99**

21. आस्थगित कर देयता (निवल)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
आस्थगित कर देयताएं		
अवमूल्यन पर	3,495.82	4,451.06
उप कुल	**3,495.82**	**4,451.06**
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ		
प्रावधान पर	364.32	462.98
आयकर अधिनियम के अनुसार अनुमति न होने पर	8.10	8.08
उप कुल	**372.42**	**471.06**
निवल-कुल	**3,123.40**	**3,980.00**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

आस्थगित कर में संचलन

(₹ लाखों में)

विवरण	समापन शेष 31-मार्च 2019	वर्ष 2019-20 के दौरान प्रभार / क्रेडिट	समापन शेष 31-मार्च 2020
आस्थगित कर परिसंपत्ति			
गैर गतिमान भंडार के लिए प्रावधान	59.92	(8.27)	51.65
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	203.69	(87.79)	115.90
संदेहास्पद अग्रिम / दावों के लिए प्रावधान	7.89	(2.22)	5.67
आकस्मिकताओं और वारंटी के लिए	128.55	10.30	138.85
एएमटीएल की छुट्टी के लिए प्रावधान	8.08	0.02	8.10
ओएफबी ब्याज अंतर (निवल)	49.91	(4.97)	44.94
वीएसएससी ब्याज अंतर (निवल)	13.02	(5.71)	7.31
कुल परिसंपत्ति	**471.06**	**(98.64)**	**372.42**
आस्थगित कर देयता			
अवमूल्यन	4,451.06	(955.24)	3,495.82
कुल देयता	**4,451.06**	**(955.24)**	**3,495.82**
निवल देयता	**3,980.00**	**(856.60)**	**3,123.40**

22. अन्य गैर-चालू देएताएँ

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
अग्रिम		
ग्राहकों से अग्रिम	31,837.69	19,840.80
अन्य		
ऋण पर प्राप्त सामग्री - कावेरी परियोजना	26.33	25.68
अन्य देयताएं – वीएसएससी	54.72	54.72
अन्य देयताएं – ओ एफ बी	131.93	26.93
अन्य अग्रिम	64.57	64.57
आस्थगित आय	6,294.68	5,877.16
कुल	**38,409.92**	**25,889.86**

23. चालू वित्तीय देयताएं – उधारी

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
प्रतिभूति सहित		
मांग पर ऋण का पुनर्भुगतान		
बैंकों से		
नगद उधार	(0.04)	5,506.27
(कच्चे मालों, प्रक्रियाधीन स्टॉक, तैयार माल व बुक बकायों की गिरवी से)		
विभिन्न बैंकों से - सावधि जमा की प्रतिज्ञा द्वारा अल्पावधि ओवरड्राफ्ट	3,344.27	5,102.34
नियत जमा राशि रु 3715.86 लाख (31.03.2019 ₹5669.27 लाख) से प्राप्त		
प्रतिभूति रहित		
बैंकों से		
अल्पावधि ऋण	10,000.00	-
कुल	**13,344.23**	**10,608.61**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

24. चालू वित्तीय देयताएँ - व्यापार देयताएं

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
माइक्रो और लघु उद्यम	175.44	375.75
अन्य @	12,714.40	12,464.65
कुल	**12,889.84**	**12,840.40**

@ व्यापार देयताओं में बकाया पुष्टिकरण और / या मिलान पर निर्भर करेंगे

कंपनी द्वारा पहचान किए गए विक्रेताओं को उस सीमा तक सूचना प्रकटित की गयी जो एमएसएमईडी अधिनियम के अंतर्गत आती है। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उनकी बकाया पड़ी राशियों के ब्योरे निम्नानुसार हैं :

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020	31 मार्च 2019
वर्ष के अंत में बकाया एवं देय राशि		
मूलधन	175.44	375.75
उक्त मूलधन पर ब्याज	27.38	64.31
देय तिथि के बाद अदा की गयी राशि		
मूलधन	1,571.40	2,188.28
उपरोक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
पहले ही प्रदत्त मूल राशि के लिए देय और बकाया ब्याज	44.40	72.73
वर्ष के अंत में कुल उपचित अप्रदत्त ब्याज	71.78	137.04

25. चालू वित्तीय देयताएं - अन्य

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
बयाना जमा राशियां	17.80	17.90
प्रतिभूति जमा	269.36	167.09
ग्राहकों के प्रति देनदारी	1,531.60	2,884.58
पूंजीगत लेनदार	1,340.12	1,060.22
कर्मचारियों को देय	1,254.92	2,160.61
अप्रदत्त लाभांश	4.30	3.02
कुल	**4,418.10**	**6,293.42**

26. अन्य चालू देयताएं

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम राशि	21,304.96	13,304.00
ग्राहक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए अग्रिम राशि	6,679.49	3,852.53
उधार पर प्राप्त सामग्री – अन्य	7,893.87	4,286.16
सांविधिक देयताएँ	113.69	62.43
आस्थगित राजस्व	-	24.91
कुल	**35,992.01**	**21,530.03**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

27. चालू- प्रावधान

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति	31 मार्च 2019 पर स्थिति
कर्मचारी हित के लिए प्रावधान		
प्रतिपूरक छुट्टी के लिए प्रावधान	523.61	84.65
उपदान के लिए प्रावधान	426.63	196.75
सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना के लिए प्रावधान	154.80	94.08
पेन्शन योजना के लिए प्रावधान	371.40	219.51
अन्य कर्मचारी हितों के लिए प्रावधान	1,001.66	1,103.93
अन्य प्रावधान		
फुटकर व्यय और वारंटी के लिए प्रावधान	551.68	367.87
अन्य प्रावधान	11.04	11.04
कुल	**3,040.82**	**2,077.83**

प्रावधानों में संचालन (अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि)

(₹ लाखों में)

विवरण	01.04.2019 को	जोड़ें	उपयोग	बदलाव	31.03.2020 को
प्रतिपूरक छुट्टी	107.77	685.32	237.31	-	555.78
उपदान	282.62	425.89	188.87	-	519.64
सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना	94.08	154.8	94.08	-	154.80
पेन्शन योजना	219.51	371.4	219.51	-	371.40
फुटकर व्यय और वारंटी	367.87	183.81	-	-	551.68
अन्य	1,114.97	900.00	1,002.27	-	1,012.70
कुल	**2,186.82**	**2,721.22**	**1,742.04**	**-**	**3,166.00**

28. परिचालन से राजस्व

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
विनिर्माणाधीन उत्पाद की बिक्री	69,237.93	68,938.42
निर्यात बिक्री	1,042.04	805.32
विक्रय सेवाएं	604.55	574.78
अन्य परिचालन राजस्व	403.05	766.10
कुल	**71,287.57**	**71,084.62**

29. अन्य आय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज से आय		
बैंकों से	1,157.21	855.12
कर्मचारियों से	0.01	0.03
अन्य लोगों से	177.97	500.52
लिक्विडेटेड क्षतियां	881.68	808.00
विनिमय दर में अंतर	-	45.05
नियत परिसंपत्ति के विक्रय पर निवल लाभ	11.28	13.87
अनुपयुक्त स्क्रैप की बिक्री से आय	99.34	154.32
वापस लिखी गयी अति देयताएं	1,232.05	1,179.59
अनुदान आय	24.00	18.00
अन्य विविध आय	60.09	114.96
कुल	**3,643.63**	**3,689.46**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

अन्य विविध आय का विवरण

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आवेदन पत्रों (कार्मिक) की बिक्री	1.99	0.61
निविदा दस्तावेज की बिक्री	-	0.50
अन्य	58.10	113.85
कुल	**60.09**	**114.96**

30. उपभुक्त सामग्रियों की लागत

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
उत्पादों के निर्माण के लिए सामग्री की लागत	37,660.59	29,276.27
कुल	**37,660.59**	**29,276.27**

31. तैयार माल, चालू कार्य, व्यापार स्टाक की मालसूचियों में परिवर्तन

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आरंभिक स्टाक		
चालू कार्य	24,769.48	11,608.70
तैयार स्टाक	548.12	3,310.30
	25,317.60	**14,919.00**
अंतिम स्टाक		
चालू कार्य	49,444.86	24,769.48
तैयार स्टाक	1,596.08	548.12
	51,040.94	**25,317.60**
(वृद्धि)/ कमी		
चालू कार्य	(24,675.38)	(13,160.78)
तैयार स्टाक	(1,047.96)	2,762.18
कुल	**(25,723.34)**	**(10,398.60)**

32. कर्मचारी हितलाभ व्यय

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन एवं मजदूरियां		
वेतन एवं मजदूरियां	8,190.48	7,103.89
छुट्टी नकदीकरण	685.32	375.48
निदेशकों का पारिश्रमिक	245.34	181.13
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान		
भविष्य निधि में योगदान	640.18	619.20
कर्मचारियों के लिए उपदान	164.86	278.52
छुट्टी वेतन व पेंशन योगदान	371.40	295.49
स्टाफ कल्याण एवं प्रशिक्षण		
कामगार और स्टाफ कल्याण व्यय	2,050.88	1,986.83
कुल	**12,348.46**	**10,840.54**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

(i) उपदान

योग्य कर्मचारियों के लिए देय उपदान एक अलग ट्रस्ट द्वारा प्रशासित है, जिसने एलआईसीजीजीएफ से एक पॉलसी ली है। लाभ व हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से वार्षिक मांग का अभिकलन किया जाता है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त व्यय (₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
आय के विवरण में	168.75	271.76
अन्य व्यापक आय में	261.03	(75.01)
निवल देयता	**429.78**	**196.75**

परिसंपत्ति और देयता (तुलन पत्र स्थिति) (₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4,120.91	4,057.43
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	3,694.28	3,860.68
अधिशेष / (घाटा)	(426.63)	(196.75)
परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल परिसंपत्ति / (देयता)	**(426.63)**	**(196.75)**

बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
आरंभ में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	4,057.42	4,656.53
चालू सेवा लागत	153.67	166.47
ब्याज व्यय या लागत	311.06	359.69
निम्न से होने वाले (लाभ)/हानि का पुनर्मापन (या वास्तविक):	-	-
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में बदलाव	(0.56)	-
- वित्तीय अनुमानों में बदलाव	224.97	16.52
- अनुभव भिन्नता (वास्तविक बनाम धारणाएं)	(4.80)	(59.34)
पिछली सेवा लागत	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(620.85)	(1,082.45)
अधिग्रहण समायोजन	-	-
व्यापार संयोजन या निपटान का प्रभाव	-	-
अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**4,120.91**	**4,057.42**

निवल देयता का विभाजन (₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
चालू देयता (लघु अवधि)	-	-
गैर-चालू देयता (दीर्घ अवधि)	426.63	196.75
निवल देयता	**426.63**	**196.75**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
आरंभ में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	3,860.68	3,293.50
निवेश आय	295.97	254.41
नियोक्ता का योगदान	199.90	1,363.04
व्यय	-	-
कर्मचारी का योगदान	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(620.85)	(1,082.45)
निवल ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों का रिटर्न	(41.42)	32.18
अधिग्रहण समायोजन	-	-
अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	**3,694.28**	**3,860.68**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय (₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
चालू सेवा लागत	153.67	166.47
पिछली सेवा लागत	-	-
समायोजन पर हानि / (लाभ)	-	-
परिसंपत्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	-	-
निवल परिभाषित हितलाभ देयता / (परिसंपत्ति) पर निवल ब्याज लागत / (आय)	15.08	105.29
वास्तविक लाभ / हानि	-	-
आय विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	**168.75**	**271.76**

अन्य व्यापक आय (₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
वास्तविक (लाभ) / हानि		
- जनसांख्यिकीय मान्यताओं में बदलाव	(0.56)	-
- वित्तीय अनुमानों में बदलाव	224.97	16.52
- अनुभव भिन्नता (वास्तविक बनाम धारणाएं)	(4.80)	(59.35)
- अन्य	-	-
निवल ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि को छोड़कर योजना की परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ	41.42	(32.18)
परिसंपत्ति की सीमा के प्रभाव के कारण होने वाले (लाभ)/हानि का पुनर्मापन (या वास्तविक)	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त परिभाषित लाभ लागत के संघटक	**261.03**	**(75.01)**

बीमांकिक मान्यताएँ (₹ लाखों में)

विवरण	2019-20	2018-19
छूट दर (प्रति वर्ष)	6.65%	7.65%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	8.00%	8.00%

जनसांख्यिकीय मान्यताएँ **(₹ लाखों में)**

विवरण	2019-20	2018-19
मृत्यु दर (आईएएलएम 06-08 का %)	100.00%	100.00%
आहरण दर (प्रति वर्ष)	आयु के आधार पर 3% तक	आयु के आधार पर 3% तक

भारतीय बीमाकृत मृत्यु दर 2006-08 से नमूना मृत्यु दर की तालिका

मृत्यु दर (प्रति वर्ष)		
आयु	**पुरुष**	**स्त्री**
20 वर्ष	0.092%	0.092%
25 वर्ष	0.093%	0.093%
30 वर्ष	0.098%	0.098%
35 वर्ष	0.120%	0.120%
40 वर्ष	0.168%	0.168%
45 वर्ष	0.258%	0.258%
50 वर्ष	0.444%	0.444%
55 वर्ष	0.751%	0.751%
60 वर्ष	1.116%	1.116%
65 वर्ष	1.593%	1.593%
70 वर्ष	2.406%	2.406%

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

संवेदनशीलता विश्लेषण

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-20		31-मार्च-19	
निर्धारित लाभ बाध्यता (मूल)	4,120.91		4,057.43	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (- / + 1%)	4,383.28	3,894.34	4,280.28	3,861.04
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	6.4%	-5.5%	5.5%	-4.8%
वेतन वृद्धि दर (- / + 1%)	4,003.50	4,246.05	3,945.70	4,166.67
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन)	-2.8%	3.0%	-2.8%	2.7%
एट्रिशन दर (- / + 1%)	4,102.13	4,134.04	4,037.80	4,073.92
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में% परिवर्तन)	-0.5%	0.3%	-0.5%	0.4%
मृत्यु दर (- / + 1%)	4,120.02	4,121.79	4,056.29	4,058.57
(संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में% परिवर्तन)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

अगले पर अपेक्षित नकदी प्रवाह (अपरिवर्तनीय आधार पर मूल्य):

(₹ लाखों में)

1 वर्ष	947.73
2 से 5 वर्ष	2,211.75
6 से 10 वर्ष	959.73
10 से अधिक वर्षों तक	2,972.19

(ii) अवकाश बाध्यताएँ

अवकाश बाध्यताओं के अंतर्गत अर्जित छुट्टी के लिए कंपनी की देयता को रखा गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह छुट्टी नकदीकरण योजना (ग्रुप लीव एनकैशमेंट स्कीम) के माध्यम से छुट्टी नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ प्रशासित होते हैं। बीमांकित मूल्यांकन के माध्यम से वार्षिक मांग पर लाभ और हानि तथा अन्य व्यापक आय के विवरण का समाकलन किया जाता है।

निवल देयताओं का विभाजन

(₹ लाखों में)

विवरण	31-मार्च-20	31-मार्च-19
चालू देयता (लघु अवधि)	424.09	300.99
गैर-चालू देयता (दीर्घ अवधि)	2,214.47	1,896.78
निवल देयता	**2,638.56**	**2,197.77**

(iii) पेंशन

रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की दिशानिर्देश संख्या 8 (112) / 2012 / डी (समन्वय / डीडीपी) दिनांक 11.11.2013, अनुसार पेंशन योजना में योगदान एक वित्तीय वर्ष में मूल + डीए के
अधिकतम 10% (बोर्ड की मंजूरी के साथ 7% और रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमोदन के साथ 3%) तक सीमित होना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देश के अनुपालन में पेंशन निधि के लिए चालू वित्तीय वर्ष का योगदान 7% मूल + डीए प्रदान किया गया है।

33. वित्त लागत

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
नकद क्रेडिट	47.20	115.19
अल्पावधि ओवरड्राफ्ट	234.45	164.86
ब्याज - अन्य	278.78	341.10
ब्याज - सावधि ऋण	31.17	15.20
कुल	**591.60**	**636.35**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

34. अन्य खर्च

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च		
यात्रा और वाहन भत्ता	303.06	395.22
कारों का किराया	48.42	40.32
संचार व्यय		
डाक और टेलीफोन	56.73	58.81
मरम्मत और रखरखाव पर खर्च		
भवन	407.27	339.45
संयंत्र एवं यंत्र	312.04	278.77
अन्य	143.49	173.84
किराया, दर और कर		
दर और कर	6.21	6.14
किराया	39.67	17.73
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	17.53	15.97
कार्यालय रखरखाव खर्च		
सुरक्षा गार्ड शुल्क	637.97	663.02
प्रशासन के खर्च- अन्य	336.32	112.87
बिजली और ईंधन		
बिजली और ईंधन	6,056.83	5,474.23
उप ठेकेदार खर्च		
उप ठेकेदार खर्च	9,891.94	7,321.66
सामान्य खर्चे		
सीएसआर व्यय	395.27	393.50
स्टॉक सत्यापन संबंधी विसंगतियां	-	-
बट्टे खाते में डाले गए डूबंत ऋण	70.14	439.81
बट्टे खाते में डाली गयी नियत परिसंपत्ति	2.01	18.54
विक्रय योजनाएं	1,964.99	1,429.26
पुस्तकालय की किताबें	0.43	31.66
समाचार पत्र और पत्रिकाएँ	12.63	7.80
सदस्यता शुल्क	42.25	5.98
प्रशिक्षण व्यय	76.04	51.58
मनोरंजन / सौजन्य व्यय	7.70	5.26
निवल आय का छात्रावास/अतिथि गृह व्यय	31.45	26.65
व्यापार प्रोन्नति व्यय	218.35	216.25
निदेशकों के बैठकों की फीस	7.20	11.83
कारखाने के खर्च	271.05	279.87
विज्ञापन	102.79	155.97
जल प्रभार	145.00	149.91

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
भंडारों, खुले औजारों और पुर्जों का उपभोग		
भंडारों, खुले औजारों और पुर्जों का उपभोग	4,827.49	4,116.12
बीमा व्यय		
बीमा	171.29	150.46
व्यावसायिक प्रभार		
विधिक व व्यावसायिक फीस	8.83	4.24
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	12.59	13.62
परामर्शदात्री प्रभार	161.77	268.17
ठेका व्यावसायिक व्यय	12.42	12.52
अनुसंधान एवं विकास व्यय		
अनुसंधान एवं विकास योगदान	17.50	28.04
विनिमय में उतार-चढ़ाव		
विनिमय दर अंतर अप्रभारित	55.31	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक		
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक (निम्न विवरणानुसार)	7.52	6.98
वित्त और बैंक प्रभार		
बैंक प्रभार	136.78	83.19
गैर गतिमान माल की सूची के लिए प्रावधान	33.74	9.35
डूबंत ऋणों के लिए प्रावधान		
संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	-	83.17
भुटकर और वारंटी के लिए प्रावधान		
भुटकर और वारंटी के लिए प्रावधान	183.81	97.50
कुल	**27,233.83**	**22,995.26**

प्राकृतिक लेखा शीर्षों में शामिल अनुसंधान और विकास व्यय का विवरण निम्नानुसार है : (₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
सामग्रियों का उपभोग	67.25	950.96
परिवर्तन लागत	78.32	271.96
अन्य व्यय	169.12	217.87
अनुसंधान एवं विकास योगदान	17.50	25.65
कुल	**332.19**	**1,466.44**

लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक और अन्य व्यय (₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक		
सांविधिक लेखा परीक्षक	6.12	5.50
(ख) कर लेखापरीक्षा	1.40	1.48
कुल	**7.52**	**6.98**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

नैगमिक सामजिक उत्तरदायित्व का विवरण (₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
शिक्षा का प्रोन्नयन	132.68	293.80
स्वास्थय प्रोन्नयन	170.07	89.70
अन्य परियोजनाएँ	92.52	10.00
कुल	**395.27**	**393.50**

35. आय कर व्यय

यह टिप्पणी कंपनी के आयकर व्यय का एक विश्लेषण प्रदान करता है, वह राशि दर्शाता है जिसकी इक्विटी में सीधे पहचान की जाती है और गैर-निर्धारणीय और गैर-घटाई मदों द्वारा कर व्यय कैसे प्रभावित होता है। यह कंपनी के कर पदों के संबंध में किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों को भी दर्शाता है।

(ए) आयकर व्यय (₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर		
वर्ष के लिए लाभ पर चालू कर	5,006.99	4,961.00
पूर्व वर्ष का कर	19.15	(2.10)
	5,026.14	**4,958.90**
आस्थगित कर		
आस्थगित कर देनदारियों में कमी (वृद्धि)	856.60	(1,116.40)
कुल आयकर व्यय	**4,169.54**	**6,075.30**

(बी) कर व्यय और भारतीय कर दर के गुणात्मक लाभ का समापन (₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
करादान से पूर्व लाभ	**19,947.59**	**19,179.79**
34.944%, 25.168% की भारतीय कर दर पर कर	5,020.40	6,702.16
जोड़ना:		
कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मूल्यह्रास	2,611.44	2,319.48
धारा 43 बी के अंतर्गत अस्वीकार	-	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	(122.40)	(171.79)
गैर गतिमान भंडार और पुर्जों के लिए प्रावधान	33.74	9.35
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	1,466.44
भुटकर और वारंटी के लिए प्रावधान	183.81	97.50
अप्रचलित मदों के लिए प्रावधान	-	-
संदिग्ध दावों के लिए प्रावधान	-	(286.58)
सीएसआर व्यय	395.27	393.50
ओएफबी आस्थगित व्यय (निवल -ऑफ)	35.76	36.58
वीएसएससी डिफर्ड व्यय (निवल -ऑफ)	(8.21)	(4.46)
एएमटीएल छुट्टी प्रावधान	9.05	9.28
आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम का प्रावधान	-	-
अन्य	71.78	137.04

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	3,210.24		**4,006.34**	
घटना:				
चालू वर्ष में देरी से पहले वर्ष देयता	-		-	
दान 80जी – अक्ष्य पात्र फाऊंडेशन	-		5.00	
आईटी अधिनियम के अनुसार अवमूल्यन	3,263.54		4,488.53	
अनुसंधान एवं विकास भारित कटौती	-		4,495.53	
	3,263.54		**8,989.06**	
निवल समायोजन (जोड़- घटाव)	**(53.30)**	(13.41)	**(4,982.72)**	(1,741.16)
कर देयता		5,006.99		4,961.00
ब्याज		-		-
पूर्व वर्ष कर		19.15		(2.10)
मैट ऋण पात्रता		-		-
आस्थगित कर		(856.60)		1,116.40
कुल		**4,169.54**		**6,075.30**

36. उचित मूल्य मापन

ए. श्रेणीवार वित्तीय प्रपत्र

(₹ लाखों में)

	31 मार्च 2020				31 मार्च 2019			
	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	एफवीपीएल	एफवीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल
वित्तीय परिसंपत्तियाँ								
व्यापार प्राप्य	-	-	29,739.51	29,739.51	-	-	35,224.32	35,224.32
नकद और नकद समकक्ष	-	-	11,089.67	11,089.67	-	-	19,799.55	19,799.55
ऋण	-	-	64.85	64.85	-	-	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	1,335.36	1,335.36	-	-	1,148.49	1,148.49
कुल	**-**	**-**	**42,229.39**	**42,229.39**	**-**	**-**	**56,172.36**	**56,172.36**
वित्तीय देयताएँ								
उधारी	-	-	13,362.64	13,362.64	-	-	10,665.67	10,665.67
व्यापार देनदारियां	-	-	12,889.84	12,889.84	-	-	12,840.40	12,840.40
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	37,015.90	37,015.90	-	-	21,903.23	21,903.23
कुल	**-**	**-**	**63,268.38**	**63,268.38**	**-**	**-**	**45,409.30**	**45,409.30**

टिप्पणी: उपरोक्त संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोजन के लिए एफवीपीएल - लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य; एफवीओसीआई- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य; परिशोधित लागत - परिशोधित लागत के माध्यम से उचित मूल्य

(1) परिसंपत्ति जो कि वित्तीय परिसंपत्ति नहीं हैं (जैसे संवैधानिक अधिकारियों, निर्यात लाभ प्राप्तियों, प्रीपेड खर्च, अग्रिम भुगतान और कुछ अन्य प्राप्य से प्राप्तियां), क्रमशः 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 में शामिल नहीं हैं।

(2) वित्तीय देनदारियों (जैसे कि वैधानिक देय राशि, आस्थगित राजस्व, ग्राहकों से अग्रिम और कुछ अन्य संचय), 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 तक अन्य देनदारियों को शामिल नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

(i) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य

अल्पकालिक प्रकृति के कारण व्यापार प्राप्तियों, व्यापार भुगतान, उधार, नकद और नकद समकक्षों और अन्य वित्तीय देयताओं की वहन राशि की मात्रा को उनकी अल्पावधि की प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

37. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन फ्रेम वर्क

कंपनी में बोर्ड से अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है और आंतरिक उत्पादन समीक्षा बैठकों तथा निगम प्रबंधन समिति की बैठकों में कंपनी के विभिन्न प्रक्रियाओं में शामिल जोखिम की भी चर्चा की जा रही है। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में कंपनी द्वारा सामना किए गए जोखिम तत्वों की पहचान सूचीबद्ध है। साथ ही, यह SWOT विश्लेषण के रूप में भी सूचीबद्ध है।

कंपनी द्वारा सामना किए गए जोखिमों की पहचान और विश्लेषण करने, उचित जोखिम सीमाएं और नियंत्रण निर्धारित करने और सीमाओं के जोखिम और अनुपालन की निगरानी करने के लिए कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों की स्थापना की जाती है ।

बाजार की स्थितियों में परिवर्तन और कंपनी की गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों की नियमित समीक्षा की जाती है। कंपनी ने वित्तीय आवश्यकताओं के सभी सिद्धांतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ स्थापित की हैं। बाहरी लेखापरीक्षा फर्म जो आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त की गई थी, ऐसी प्रणाली व नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करती है और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षा समिति के समक्ष समय-समय पर समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन की निगरानी करता है और कंपनी द्वारा सामना किए गए जोखिमों के संबंध में जोखिम प्रबंधन ढांचे की पर्याप्तता की समीक्षा करता है।
वित्तीय साधनों से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिमों से कंपनी परिचित है:

जोखिम	होने वोले जोखिम से परिचय	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्तियां	एजिंग विश्लेषण	बैंक जमा, ऋण-सीमा और ऋण पत्रों का विविधीकरण
चलनीधि जोखिम	अन्य देयताएँ	नकदी प्रवाह के पूर्वानुमान का ढलाव	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार लेने की सुविधाओं की उपलब्धता

यह नोट उपरोक्त सभी जोखिमों, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और जोखिमों को मापने और प्रबंधित करने और कंपनी द्वारा पूंजी के प्रबंधन की सूचना प्रदान करती है।

इसके अलावा इन वित्तीय वक्तव्यों में मात्रात्मक प्रकटीकरण शामिल किए जाते हैं।

i. ऋण जोखिम

क) ऋण जोखिम प्रबंधन

ऋण जोखिम, कंपनी को वित्तीय नुकसान का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्षी अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है और मुख्य रूप से ग्राहकों से कंपनी की प्राप्तियों से उत्पन्न होता है।

कंपनी द्वारा सामना किया गया ऋण जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है।

हालांकि, प्रबंधन भी कंपनी के ग्राहक आधार की जनसांख्यिकी को समझता है, जिसमें उद्योग और देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम भी शामिल है, जिसमें ग्राहक संचालित होते हैं क्योंकि इन कारकों का क्रेडिट जोखिम पर असर पड़ सकता है। कंपनी के अधिकांश व्यापार प्राप्तियां, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम के संपर्क में नहीं हैं। कंपनी, मामले की समीक्षा के आधार पर विशिष्ट प्रावधान बना रही है और यह बोर्ड द्वारा अनुमोदित है। जबकि, अन्य ग्राहकों के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि अनंतिम मैट्रिक्स का उपयोग करके जोखिम मापा जाता है और तदनुसार प्रावधान प्रस्तुत किए जाते हैं।

ख) अपेक्षित ऋण हानि के लिए प्रावधान

कंपनी निम्नलिखित पर आधारित अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करती है:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

ऋण, प्रतिभूति जमा के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि

कंपनी के ऋण और प्रतिभूति जमा उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्ति है जो नगण्य ऋण जोखिम की है। इसलिए अपेक्षित क्रेडिट हानि की गणना नहीं की गई है।

व्यापार प्राप्तियों के लिए अपेक्षित क्रेडिट नुकसान

ग) **हानि भत्ता प्रावधान का समाधान - व्यापार प्राप्य** (₹ लाखों में)

31 मार्च 2019 को भत्ते की हानि	975.84
भत्ते की हानि में परिवर्तन	329.41
31 मार्च 2020 को भत्ते की हानि	1,305.25

टिप्पणी 11 में व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट नुकसान उद्घाटित किया गया है

कंपनी ने हानि के लिए एक प्रकार का भत्ता स्थापित करती है जो व्यापार और अन्य प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षित नुकसान का अनुमान दर्शाता है।

31 मार्च, 2020 को भौगोलिक क्षेत्र द्वारा व्यापार प्राप्तियों के लिए क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम निम्नानुसार था:

विवरण	वहन राशि (₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2020	**31 मार्च 2019**
भारत	30,821.05	35,369.94
भारत के बाहर	223.71	830.22
	31,044.76	36,200.16

31 मार्च 2020 को काउंटरपार्टी प्रकार द्वारा व्यापार प्राप्तियों के क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम निम्नानुसार था:

विवरण	वहन राशि (₹ लाखों में)	
	31 मार्च 2020	**31 मार्च 2019**
सरकार और सरकारी उपक्रम तथा अन्य प्रतिभूत ऋण	30,948.55	36,054.25
अन्य	96.21	145.91
	31,044.76	36,200.16

हानि

अधिकांश व्यापार प्राप्तियां सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं से उत्पन्न होती हैं, जो उच्च जोखिम की नहीं होती हैं। बोर्ड द्वारा मामले के आधार पर मामलों की समीक्षा और अनुमोदन पर कंपनी विशिष्ट प्रावधान बना रही है। जबकि, निजी ग्राहकों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि अनंतिम मैट्रिक्स का उपयोग करके प्रावधान निर्धारित किया जाता है

नकद और नकद समकक्ष

कंपनी के पास 31 मार्च 2020 (31 मार्च, 2019: ₹14,004.23 लाखों) तक ₹ 7,271.03 लाखों के नकद और नकद समकक्ष हैं।

कंपनी, निवेश समिति द्वारा सूचीबद्ध और बोर्ड द्वारा अनुमोदित विभिन्न बैंकों के सावधि जमाओं में निवेश कर रही है। ऐसे सभी जमा केवल निवेश समिति के अनुमोदन से किए जाते हैं। इसके अलावा, प्रबंधन का मानना है कि नकदी और नकद समकक्ष प्रकृति में कम जोखिम के हैं और इसलिए किसी प्रकार की हानि उद्घाटित नहीं हुई है।

ii **चलनीधि जोखिम**

चलनिधि जोखिम वह जोखिम है जिसके कारण कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं से जुड़े उन दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, जो नकदी या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति से निपटने के लिए तय किए गए हैं। चलनिधि के प्रबंधन के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए बिना या अग्राह्य हानि किए बिना, सामान्य और तनावपूर्ण दोनों ही स्थितियों में अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि होगी।

कंपनी सुनिश्चित करती है कि उसके पास वित्तीय दायित्वों के निर्वाह सहित अपेक्षित परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए मांग पर पर्याप्त नकदी उपलब्ध है; इसमें अत्यधिक परिस्थितियों के संभावित प्रभाव को शामिल नहीं किया जाता है, जिसका उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं। इसके अतिरिक्त, कंपनी निम्नलिखित क्रेडिट का अनुरक्षण करती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय देयताओं की परिपक्वता

तालिका में प्रकट मात्रा में अनुबंधित अपरिवर्तनीय नकदी प्रवाह है। 12 महीनों के भीतर बैलेंस छूट के प्रभाव के रूप में अपने ले जाने के संतुलन के बराबर नहीं है।

(₹ लाखों में)

वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता	3 महीने से कम	3 महीने से 6 महीने तक	6 महीने से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्षों के बीच	2 साल से 5 साल के बीच	कुल
31 मार्च 2020						
गैर डेरिवेटिव						
उधारी	13344.23					13344.23
व्यापार देनदारियां	12466.26	54.24	369.34			12889.84
अन्य वित्तीय देयताएं	4,418.10					4418.10
कुल गैर-व्युत्पन्न देयताएं	30228.59	54.24	369.34	-	-	30652.17

iii. बाजार ज़ोखिम

(ए) विदेशी मुद्रा जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की कीमतों में परिवर्तन करता है, जैसे विदेशी विनिमय दरें और ब्याज दरें जो कंपनी की आय या उसके वित्तीय साधनों के स्वामित्व के मूल्य को प्रभावित करती हैं। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य रिटर्न के अनुकूल होने के दौरान स्वीकार्य मापदंडों के भीतर बाज़ार जोखिम को प्रबंधित करना और नियंत्रित करना है। चूंकि कंपनी का ज्यादातर परिचालन भारत में किया जा रहा है और चूंकि सभी भौतिक शेष अपनी कार्यात्मक मुद्रा में निहित हैं, इसलिए कंपनी मुद्रा में उतार-चढ़ाव जोखिम के लिए कोई भी माली जोखिम नहीं लेती है।

(बी) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम या तो उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम या नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण सावधि ब्याज वाले निवेश के उचित मूल्यों में होने वाले बदलावों का जोखिम है। नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिससे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण भविष्य के नकदी प्रवाह में फ्लोटिंग ब्याज वाले निवेश के प्रवाह में उतार-चढ़ाव होगा । कंपनी के बाहरी उधारों पर प्रतिवर्ष 8.35% की एक सावधि ब्याज दर होती है। इसलिए कोई भी ब्याज दर जोखिम निर्धारित नहीं किया गया है।

38. पूंजी प्रबंधन

(ए) जोखिम प्रबंधन

बोर्ड की नीति एक मजबूत पूंजी आधार को बनाए रखने की है ताकि निवेशक, लेनदार और बाज़ार के विश्वास को बनाए रखने और व्यवसाय के भविष्य के विकास को बनाए रखा जा सके। निदेशक मंडल पूंजी पर रिटर्न की निगरानी करता है, जिसे कंपनी कुल शेयरधारकों की इक्विटी से विभाजित परिचालन गतिविधियों के परिणाम के रूप में परिभाषित करती है।

बोर्ड उच्च रिटर्न के बीच एक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, जो उच्च स्तर के उधार से और पूंजी की अच्छी स्थिति द्वारा जुटाई गई प्रतिभूति और लाभ से संभव हो सकता है । तुलनात्मक रूप से ब्याज वाले उधारों पर भारित औसत ब्याज व्यय (छद्म ब्याज के साथ देयताओं को छोड़कर) 8.70 प्रतिशत (2018: 8.35 प्रतिशत) था।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समायोजित पूंजी अनुपात के लिए कंपनी का ऋण निम्नानुसार था:

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 2020 पर स्थिति
कुल देयताएँ	143,959.71
घटाव: नकद और नकद समकक्ष	7,271.03
समायोजित निवल ऋण	136,688.68
कुल इक्विटी	95,675.91
घटाव: हेजिंग आरक्षित	-
समायोजित इक्विटी	95,675.91
समेकित इक्विटी अनुपात में समायोजित निवल ऋण	1.43

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

39. परिचालन खंड

कंपनी सुपर अलॉयज और अन्य विशेष धातुओं के विनिर्माण का व्यवसाय करती है। कंपनी की मुख्य गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का मानना है कि कंपनी एक एकल व्यापार खंड का संचालन करती है। इसलिए, कोई अन्य रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता से रक्षा उत्पादन में लगी कंपनियों को छूट दी है।

40. संबंधित पार्टी लेनदेन

जनक इकाई

(₹ लाखों में)

नाम	प्रकार	निगमन का स्थान	स्वामित्व ब्याज	
			31-मार्च-20	31-मार्च-19
भारत के राष्ट्रपति	धारित कंपनी	भारत	74%	74%

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ लेनदेन

मुख्य प्रबंधन कर्मियों का मुआवजा

(₹ लाखों में)

	31-मार्च-20					31-मार्च-19
पार्टी का नाम	वेतन और मजदूरी	पीएफ और ईपीएस	उपदान	छुट्टी नकदीकरण	कुल	कुल
(क) डॉ. डी.के.लेखी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	100.31	3.76	-	4.01	108.08	76.95
(ख) श्री संजीव सिंघल, निदेशक (वित्त)(07 जनवरी 2020 तक)	46.99	2.36	-	0.12	49.47	46.69
(ग) श्री संजय कुमार झा, निदेशक (उत्पादन एवं विपणन)	84.32	3.47	-	-	87.79	57.49
(घ) श्री पॉल एंटोनी, सीएस	13.64	0.94	-	-	14.58	13.55
कुल	**245.26**	**10.53**	**-**	**4.13**	**259.92**	**194.68**

41. आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ (इस हद तक प्रदान नहीं की गई)

(₹ लाखों में)

विवरण	31 मार्च 20	31 मार्च 19
(i) आकस्मिक देयताएं		
कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	5,935.34	4,297.02
बैंक गारंटी	2,833.53	1,913.37
बकाया ऋण के पत्र	2,681.93	3,470.36
	11,450.80	**9,680.75**

(ii) प्रतिबद्धताएं	31 मार्च 20	31 मार्च 19
अनुमानित राशि, पूंजी खाते पर निष्पादित होने वाले शेष ठेके के लिए और (पूंजी प्रतिबद्धता) के लिए प्रदान नहीं की गई है	11,891.62	8,197.95
	11,891.62	**8,197.95**

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

42. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कंपनी की इक्विटी धारकों के फलस्वरूप वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर की मूल आय की गणना की जाती है।

i.कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ

विवरण	31 मार्च 20	31 मार्च 19
	15,810.63	13,055.69
कंपनी के इक्विटी धारकों के कारण लाभ (₹ लाखों में)	187,340,000	187,340,000
अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	10	10
शेयर का अंकित मूल्य (₹)	8.44	6.97
आमदनी प्रति शेयर आधार और कमजोर (₹ प्रति शेयर)		

43. भारतीय लेखा मानक-115 ग्राहकों से अनुबंध से राजस्व

28 मार्च 2018 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने भारतीय लेखा मानक 115, कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) के संशोधन नियम, 2018 के भाग के रूप में ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व को अधिसूचित किया है। नए मानक 1 अप्रैल 2018 के आरंभ से या उसके बाद की लेखा अवधि के लिए प्रभावी है। नए मानक, वर्तमान अनुबंध तैयार करने से संबंधी भारतीय लेखा मानक 11 और भारतीय लेखा मानक 18 राजस्व तथा 2016 में भारतीय लेखा मानक संस्थाओं के लिए जारी रियल इस्टेट लेनदेन के लिए लेखांकन पर भारत की चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के संशोधित मार्गदर्शन नोट और अन्य भारतीय लेखा मानकों का कुछ परिणामी परिवर्तन को शामिल करके स्थान लेंगे। इस मानक का उद्देश्य उन सिद्धांतों को स्थापित करना है जो किसी इकाई की प्रकृति, राशि, समय और राजस्व की अनिश्चितता और ग्राहक के साथ अनुबंध से उत्पन्न नकद प्रवाह के बारे में वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को उपयोगी जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए लागू होगी। इस मानक का मूल सिद्धांत यह है कि जब कोई इकाई किसी ग्राहक को माल या सेवाओं के नियंत्रण को उस स्थान पर स्थानांतरित करती है जिस पर इकाई को हकदार होने की अपेक्षा की जाती है तो राजस्व को पहचाना जाना चाहिए।

उपर्युक्त के क्रम में, लेखांकन नीति 2.3 " राजस्व पहचान " का संशोधन किया गया है और 1 अप्रैल 2018 से इसे लागू किया गया है।

44. कोविद-19 का प्रभाव:

(i) संचालन और राजस्व पर प्रभाव:

(क) लॉकडाउन के कारण 2 महीने तक कंपनी चालू नहीं थी

(ख) कर्मचारी सुरक्षा उपायों के कारण जैसे - सामाजिक दूरी, लचीला कार्य समय और रात की शिफ्ट के संचालन में प्रतिबंध , कंपनी अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाई। ।

(ग) एमएसएमई विक्रेताओं ने परिचालन पूरी तरह से शुरू नहीं किया था।

(घ) आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से प्रमुख वितरण स्थगन हुआ।

(ii) तरलता जोखिम

कंपनी का ग्राहक आधार प्रमुख रूप से सरकारी क्षेत्र जैसे रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, आयुध निर्माणियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। चूंकि कई ग्राहक एमएसएमई को पेमेंट आदि की प्राथमिकता देकर समर्थन देने पर जोर देने के साथ ही बहुत ही कम संख्या में कर्मचारियों के काम करने की स्थिति में लिक्विडिटी में कुछ हद तक तनाव हो सकता है क्योंकि कंपनी को भुगतान मिलने में देरी की आशंका की जा रही है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के नाते, स्वदेशी एमएसएमई यों का समर्थन के उद्देश्य से कंपनी माल और सेवाओं की आपूर्ति के लिए अपने विक्रेताओं को अनुबंध संबंधी दायित्वों का मान करना जारी रखती है।

इस आशय के साथ, कंपनी पर्याप्त तरलता के स्तर को धारण करने में तनाव की एक छोटी डिग्री से गुजर सकती है और जिसके कारण इसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक धन व्यवस्था की अव्यवस्था हो सकती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

45. नई कॉर्पोरेट कर दरों का प्रभाव विश्लेषण

भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किया गया है। अध्यादेश से आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त (नं. 2) अधिनियम, 2019 में संशोधन किया गया है। कुछ घरेलू कंपनवियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आकलन वर्ष 2020-21 से लागू आईटी अधिनियम में एक नया अनुभाग 115BAA जोड़ा गया है। यह घरेलू कंपनियों को 22% की दर से कर और लागू अधिभार एवं उपकर के भुगतान का विकल्प प्रदान करने के लिए जोड़ा गया है। हालांकि, अनुभाग 115BAA का लाभ उठाने का विकल्प केवल तभी उपलब्ध होगा जब कंपनी की कुल आय की गणना निर्दिष्ट कटौती या छूट के लिए प्रदान किए बिना की जाए। प्रभाव विश्लेषण के निरीक्षण के बाद, वर्तमान आकलन वर्ष 2020-21 से कंपनी ने नया प्रावधान 115BAA: 22% + 10% सरचार्ज + 4% सेस अर्थात 25.168% अपनाया।

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए पुरानी कर दरों बनाम नई कर दरों की जगह आयकर और आस्थगित कर पर प्रभाव निम्नलिखित है

विवरण	नई कर की दरें @ 25.168% (₹ लाखों में)	पुरानी कर दरें @ 34.944% (₹ लाखों में)	प्रभाव (₹ लाखों में)
कर अदायगी से पूर्व लाभ	20208.62	20208.62	0
कर व्यय	5091.84	6828.84	-1737
आस्थगित कर	-856.6	356.64	-1213.24
कर अदायगी के बाद लाभ	15973.38	13023.14	2950.24
कर के निवल वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-195.33	-169.82	-25.51
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	15778.05	12853.32	2924.73

46. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान प्रस्तुति के अनुरूप करने के लिए आवश्यकता के अनुसार पुनर्संरचित / पुनर्गठित किया गया है।

47. अतिरिक्त जानकारी का प्रकटीकरण

(क) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तथा पर (₹ लाखों में)

समूह में इकाई का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात कुल परिसंपत्ति घटा कुल देयताएँ		लाभ और हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उपक्रम (इक्विटी विधि के अनुसार लेखांकन)								
उत्कर्ष एल्युमीनियम धातु निगम लिमिटेड	3.84%	3674.50	-1.03%	(162.75)	0.00%	-	-1.04%	(162.75)

(ख) 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए तथा पर (₹ लाखों में)

समूह में इकाई का नाम	निवल परिसंपत्ति अर्थात कुल परिसंपत्ति घटा कुल देयताएँ		लाभ और हानि में हिस्सा		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	राशि	कुल व्यापक आय के % के रूप में	राशि
संयुक्त उपक्रम (इक्विटी विधि के अनुसार लेखांकन)								
उत्कर्ष एल्युमीनियम धातु निगम लिमिटेड	0.00%	0.00	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-

वित्तीय वर्ष 2019-20 के समेकित वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ

48. संयुक्त उद्यम की मुख्य विशेषताएं

सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उपक्रम (फार्म ए ओ सी-1) की

वित्तीय स्थिति के मुख्य घटक के अनुरूप स्थिति

भाग "ख": सहायक और संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

सहायक / संयुक्त उद्यमों का नाम	**संयुक्त उद्यम** **उत्कर्ष एल्यूमीनियम धातु निगम लिमिटेड**
1. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.2020
2. वर्ष की समाप्ति पर कंपनी द्वारा धारित सहायक / संयुक्त उद्यमों में हिस्सा	
संख्या	20,000,000
सहायक / संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (₹)	200,000,000
धारण का %	50.00%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है उसका विवरण	[टिप्पणी48.2 का संदर्भ लें]
4. सहायक / संयुक्त उद्यम समेकित नहीं करने का कारण	-
5. नवीनतम लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार हिस्सा धारण करे के निवल मालियत के फलस्वरूप	183,725,000
6. वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (₹)	
i. समेकन में शामिल किया गया	(16,275,000.00)
ii. समेकन में शामिल नहीं किया गया	-
ध्यान दें:	
48.1 संयुक्त उद्यम कंपनी के परिचालन की शुरुआत नहीं हुई है।	
48.2 इक्विटी के प्रतिशत के अनुसार मतदान की शक्ति है।	

निदेशक मंडल के लिए और की
ओर से

हमारी इसी तिथि के प्रतिवेदन के अनुसार

कृते बाशा एवं नरसिम्हान
सनदी लेखापाल
फर्म की पंजीकरण संख्या 006031S

हस्ता/-
श्री के नरसिम्हा साह
भागीदार
सदस्यता संख्या 201777

स्थान: हैदराबाद
दिनांक: 30.06.2020

हस्ता/-
डॉ. संजय कुमार झा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता/-
श्रीमती के. मधुवाला
मुख्य वित्त अधिकारी

हस्ता/-
श्री पॉल अंटोनी
कंपनी सचिव

टिप्पनी

MIDHANI

मिश्र धातु निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)

मिश्र धातु निगम लिमिटेड
सीआईएनः L14292TG1973GOI001660
(भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय)
फोनः +91-040-24340853
पी.ओ. कंचनबाग, हैदराबाद – 500058
www.midhani-india.in

Corp Comm Studio
Advisory, Content & Visualization